राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का चौतीसवां दिवस [संख्या: 17

सोमवार,

14 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

नदबई में स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

279. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील उच्चैन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप-खण्ड अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील उच्चैन की ग्राम पंचायत सैदपुरा के उप-स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी नहीं। कस्बा उच्चैन पंचायत समिति उच्चैन जिला भरतपुर में वर्तमान में 30 शय्याओं-युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। स्वीकृत शय्याओं का वर्ष 2019 में 7.45, वर्ष 2020 में 4.88 एवं वर्ष 2021 में 6.31 प्रतिशत शय्याओं की उपयोगिता (बीओआर) रही है, इसलिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्चैन को उप-जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति उच्चैन में एक सामुदायिक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के विरुद्ध एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। इस प्रकार पंचायत समिति उच्चैन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि उच्चैन में एस.डी.एम., तहसीलदार, मुंसिफ कोर्ट, नगरपालिका, पंचायत समिति, लगभग सारे दफ्तर हैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें प्रश्न।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब दे दिया, ''जी नहीं''। आगे की बात पूछें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): आस-पास की आबादी भी एक लाख से अधिक की है, ऐसे में क्या सिफारिश की जा सकती है कि वहां पर क्रमोन्नत होकर उप-खण्ड अस्पताल बनाया जाये?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मानदण्ड के अनुसार तो स्वीकृत है, मानदण्ड के बाहर खोलने का अधिकार माननीय मुख्य मंत्री महोदय को है। यदि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसमें रिलैक्सेशन देंगे, तभी वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल सकता है। हम इनकी सिफारिश कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

फसल बीमा हेतु कम्पनियों का चयन

280. श्री अविनाश (जैतारण): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों द्वारा फसल बीमा करवाया जाता है? क्या सरकार द्वारा बीमा करने के लिए प्रतिवर्ष अलग-अलग कम्पनियों से अनुबन्ध किया जाता है? यदि हां तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनुबन्ध की गयी कम्पनियों का किस आधार पर चयन किया जाता है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। प्रदेश में किसानों की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल बीमा किया जाता है।

जी नहीं। राज्य में भारत सरकार द्वारा जारी योजना गाइडलाइन अनुसार खरीफ 2020 से रबी 2022-23 की अवधि हेतु लगातार तीन वर्षों के लिये राज्य में एक जिले के लिये एक ही बीमा कम्पनी को फसल बीमा व्यवसाय करने हेतु अधिकृत किया गया है। इसके तहत राज्य में 33 जिलों में 7 बीमा कम्पनियां वर्तमान में फसल बीमा का कार्य कर रही हैं।

(2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान में बीमा कम्पनियों का चयन प्रतिवर्ष आधार पर न किया जाकर तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। इस हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य में 10 क्लस्टर्स (जिलों के समूह) बनाये गये हैं।

निविदा के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों द्वारा विभिन्न फसलों के लिये प्रस्तुत की गयी प्रीमियम दर को फसल की बीमित राशि एवं गत वर्ष के उस फसल के बीमित क्षेत्रफल से गुणा कर संकलित योग (सभी फसलों का) में उस फसल की बीमित राशि एवं गत वर्ष के उस फसल के बीमित क्षेत्रफल से प्राप्त गुणनफल के संकलित योग (सभी फसलों का) का भाग देकर सभी बीमा कम्पनियों की उक्त विधि से प्राप्त न्यूनतम प्रीमियम दर दाता बीमा कम्पनी को सम्बन्धित क्लस्टर आबंटित किया जाता है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो खण्ड (1) में उत्तर दिया कि वर्तमान में राज्य में 33 जिलों में 7 बीमा कम्पनियां फसल बीमा का कार्य कर रही हैं, मुझे उन 7 कम्पनियों की सूची प्रदान करें। ये जो 7 कम्पनियां हैं, ये भारत सरकार की जो अधिकृत गाइडलाइन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, उसके अनुसार क्या उस सूची में से ही 7 कम्पनियां हैं जो अभी राजस्थान में काम कर रही हैं और...

श्री अध्यक्ष: एक-एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछ लेना बाद में।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये 7 कम्पनियां हैं-एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, एचडीएफसी एग्रो जनरल

(श्री लालचन्द कटारिया)

इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड। ये सारी की सारी कम्पनियां भारत सरकार ही करती है। ये 18 कम्पनियां हैं, जो पूरे देश में काम करती हैं। राजस्थान में जिन 7 कम्पनियों को काम मिला है, उनका नाम मैंने आपको बताया।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 7 कम्पनियां भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बतायीं, ऐसा होता है कि प्राइवेट कम्पनियों को गाइडलाइन नहीं होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री फसल बीमा में शामिल कर लिया जाता है। जो खण्ड (2) में आपने उत्तर दिया, जो यह आकलन आपने बताया कि इस आधार पर फसल बीमा कम्पनी को इस निविदा में काम करने का दिया जाता है, लेकिन ये जो तीन वर्षों में आपने यह कहा कि...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें न आप, एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं?

श्री अविनाश (जैतारण): प्राइवेट कम्पनियों की प्रीमियम की राशि होती है कम, जबकि केन्द्रीय एजेंसियों की प्रीमियम राशि ज्यादा होती है। सरकारें क्या कर रही हैं, कम प्रीमियम राशि वाले को दे देती हैं, जिससे काश्तकारों को फसल बीमा में हुए वास्तविक नुकसान का फायदा नहीं मिल पाता है। क्या सरकार आने वाले समय में ऐसा प्रावधान करेगी, सिर्फ केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों को ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, केन्द्र की कम्पनियों को ही दिया है, अलग कहां दिया है? उन्हें नया तो दिया ही नहीं इन्होंने। अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

परवन वृहद् सिंचाई परियोजना हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

281. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) परवन वृहद् सिंचाई परियोजना हेतु कितने किसानों की कितनी भूमि अवाप्त की गयी तथा कितनी किया जाना प्रस्तावित है? जिलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त में से कुल कितने किसानों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया है व कितनों को दिया जाना शेष है तथा मुआवजे का निर्धारण किस प्रकार किया गया? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(3) क्या सरकार को जिला बारां के जन-प्रतिनिधियों से अटरू तहसील के किसानों को मुआवजे की दर का निर्धारण नगर परिषद् बारां से दूरी के आधार पर तय कर मुआवजा देने के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां तो सरकार ने उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की?

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) परवन वृहद् सिंचाई परियोजना हेतु 23,630 किसानों की 7,060.22 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गयी है तथा 260.69 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की जानी शेष है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) परवन वृहद् सिंचाई परियोजना हेतु 21,716 किसानों को राशि रुपये 1,951.95 करोड़ का मुआवजा भुगतान किया गया है तथा 1914 किसानों को मुआवजा दिया जाना शेष है। मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 11 की अधिसूचना जारी होने की तिथि को प्रभावी डीएलसी दर से मूल्यांकन कर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.06.2016 के अनुसार निकटतम शहरी क्षेत्र की सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु डीएलसी दर को निर्धारित गुणक से गुणा कर मुआवजे का निर्धारण कर उसमें 100 प्रतिशत सोलेशियम जोड़ा जाता है एवं डीएलसी दर पर धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से अवार्ड जारी होने की तिथि तक 12 प्रतिशत दर से ब्याज भी मुआवजा राशि में सम्मिलित किया जाता है।

(3) जी हां। मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2013 के अनुसार निकटतम शहरी सीमा से दूरी के आधार पर गुणांक की गणना कर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्योंकि जो परवन वृहद् सिंचाई परियोजना है, यह कोटा, बारां और झालावाड़ की बहुत बड़ी परियोजना है, इसमें जो भूमि अवाप्त की गयी है 7,060.22 हैक्टेयर, वह अब अवाप्त की जा रही है। पहले नगरपालिका छबड़ा और नगर परिषद् बारां थी। अभी वर्तमान में नगरपालिका अटरू बन गयी है। जो निर्धारण किया जा रहा है 2013 के नियम के तहत...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें माननीय सदस्य।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): धारा 11 की कार्रवाई आज की जा रही है तो यह जो मुआवजा देंगे, वह नगर परिषद् बारां को मानकर देंगे, छबड़ा को मानकर देंगे या अटरू को मानकर देंगे, क्योंकि...

श्री अध्यक्ष: क्योंकि आप न बताएं। केवल प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य, बैठें प्लीज। प्रश्न पूछें आप, एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021 में अटरू अलग से नगरपालिका घोषित हो गयी और इसलिये हम उन्हें पुराने रेट्स के हिसाब से भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान सरकार का नियम है 14 जून, 2016 का।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं काश्तकार हूं, मेरी जमीन एक साल पहले गयी, उसका तो 8 लाख रुपये बीघा का मुआवजा मिल रहा है और वही जमीन, उसी खेत की, वही खसरा नम्बर, आज जा रही है, उसका 6 लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है, तो हम एक तरफ तो किसान के हित की बात करते हैं और दूसरी तरफ जहां उसे 8 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिये, उसे 4 लाख रुपये मुआवजा दे रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, यह किसानों के साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं जो समझ पाया हूं, प्रश्न यह है, पहले वहां दो म्युनिसिपैलिटीज थीं, एक म्युनिसिपैलिटी को आधार मानकर आपने कम्पन्सेशन दिया। एक म्युनिसिपैलिटी नयी बन गयी है, इसके कारण से डिस्क्रीपेंसी आ रही है तो क्या आप किसानों को पुरानी नगरपालिका के आधार पर ही पेमेंट करेंगे कि नहीं?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व (ग्रुप-6) का 14 जून, 2016 का एक नियम निकला हुआ है। उस नियम को देखते हुए जो भी नगरपालिका नजदीक में घोषित हो जाती है...

श्री अध्यक्ष: पहली बार जब आपने कम्पन्सेशन दिया, तब वह नगरपालिका थी क्या, जिसे आधार माना है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): सर, उस वक्त नगरपालिका थी।

श्री अध्यक्ष: विभाग में नियम बने हैं जनता के, किसान के भले के लिये। नियम में यदि परिवर्तन करना है तो नियम का रेफरेंस वही होना चाहिये 2016 का, उस दिन जो म्युनिसिपैलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, उसी को रेफरेंस बनाकर किया जाये, इसमें क्या तकलीफ है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको मैं पुन: दिखवा लूंगा और अगर कर सकते हैं तो हम करने की कोशिश करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि 23 हजार किसानों में से 21 हजार किसानों को भुगतान किया गया। यह भुगतान किसान ने उठा लिया क्या? आप अपने रिकार्ड में जरूर दिखाते हैं कि कर दिया गया लेकिन वह लेता नहीं है, क्या यह सही है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान ने मुआवजा उठाया नहीं है या इस तरह की अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और जब अवार्ड जारी कर दिया गया तो हम तो यही मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने मुआवजा उठा लिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह हमारी सबकी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यदि हमने अवार्ड कर दिया तो किसान को मिला या नहीं मिला, उसको एश्योर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न। श्री अभिनेश महर्षि।

रतनगढ़ में नलकूप

282. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट 2021-22 में बजट भाषण के बिन्दु संख्या 182 के तहत प्रदेश में पेयजल समस्या के समाधान हेतु ट्यूबवैल, नलकूप बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितने ट्यूबवैल, नलकूप बनाये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में वर्ष 2021-22 में उक्त घोषणा के तहत ट्यूबवैल व नलकूप बनाये गये हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां पर तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जी हां। दिनांक 24 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत बजट 2021-22 में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 40 हैण्डपम्प एवं 10 ट्यूबवैल तक लगवाये जाने की घोषणा की गई थी।

उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अंतर्गत 463 नलकूपों का वेधन कार्य पूर्ण किया जाकर अब तक 323 नलकूप जल योजनाओं अंतर्गत चालू किये जा चुके हैं।

(2) बजट 2021-22 में उक्तानुसार की गई घोषणा की अनुपालना में विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 200 मिलीमीटर व्यास के 08 नलकूपों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु राशि रुपये 116.03 लाख तथा शहरी जल योजना, रतनगढ़ हेतु 200 मिलीमीटर व्यास के 02 नलकूपों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु राशि रुपये 30.56 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 15.02.2022 एवं 03.03.2022 को जारी की गई।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों एवं कस्बा रतनगढ़ में उक्त स्वीकृत नलकूपों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु क्रमशः दिनांक 17.02.2022 एवं 04.03.2022 को कार्यादेश जारी किया गया तथा इन समस्त नलकूपों को माह अप्रैल, 2022 तक चालू करना प्रस्तावित है।

बजट घोषणा 2021-22 के तहत उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु स्थानवार स्वीकृत नलकूपों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कुल 200 विधान सभा क्षेत्रों में 2,000 ट्यूबवैल बनाने की घोषणा थी और कुल 323 अब तक बनाये गये हैं अर्थात् 6.19 प्रतिशत कार्य अभी तक हुआ है और 200 विधान सभाओं में....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 200x40=8,000 हैण्डपम्प बनाने के बारे में किसी तरह का कोई विवरण नहीं दिया गया है। मैं, माननीय मंत्री महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि यह जो हैण्डपम्प के बारे में, जो 8 हजार हैण्डपम्प बनने थे इनके बारे में जो

(श्री अभिनेश महर्षि)

बजट घोषणा थी, उसके बारे में किसी तरह का कोई उत्तर नहीं आया है इसलिए एक तो यह बताने की कृपा करें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि बजट घोषणा 24 फरवरी, 2021 को की और उत्तर में बताया गया कि 03.03.2022 को वित्तीय स्वीकृति जारी की, अर्थात् मेरे प्रश्न पूछने के बाद में यह वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है तो क्या बजट के अन्दर पूरे वर्ष भर में पीएचईडी ने जीरो परसेंट कार्य किया है, यह माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलाउ नहीं है। हो गये दो प्रश्न, बैठें। माननीय मंत्री जी। प्लीज। I will not allow it. आप बैठें। I will not allow it. क्या तरीका कर रखा है? पांच प्रश्न एक साथ पूछ लेंगे आप? No. I will not allow it. माननीय मंत्री जी। यह क्या तरीका कर रखा है बिलकुल ही?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रति विधान सभा क्षेत्र जो नलकूप और हैण्डपम्प खोदने की घोषणा की गयी थी उसको यह नहीं माना जाये कि इतने हैण्डपम्प और नलकूप हर विधान सभा क्षेत्र में खोदे ही खोदे जायेंगे। इस बात को देख लें, जो भाषा है उसको आप पढ़ें। आवश्यकतानुसार इतने नलकूप और इतने हैण्डपम्प तक खोदे जा सकते हैं।

दूसरी बात यह है, आपने कहा कि 10 नलकूप के हिसाब से 2,000 हुए तो मैं आपको पूरा विवरण सूक्ष्म में देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी है उसमें हमारे पास 1,158 प्रस्ताव आये। इनमें से हमने 1,007 की स्वीकृतियां जारी कर दीं। उसके बाद 98 की नयी स्वीकृतियां जारी कीं और 53 अभी हमारे प्रक्रियाधीन हैं। इस प्रकार से कुल 1,158 जो प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों के बारे में यह पूरा विवरण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, हैण्डपम्प का भी बता देता हूं कि जो आपने संख्या बतायी 40 के हिसाब से 8 हजार तक हैण्डपम्प खोदे जा सकते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 5,631 हैण्डपम्प के प्रस्ताव आये। इनमें से जो हमने खोदने के लिए अधिकृत किये शुरू में वे 5,600 थे, नवीन प्रस्ताव मुख्य अभियंता कार्यालय में 31 पेंडिंग हैं। इनमें से स्वीकृत हैण्डपम्पों की जो संख्या 4,647 है, सफल निर्मित किये गये हैण्डपम्पों की संख्या 2,376 है, सफल चालू किये गये हैण्डपम्पों की संख्या 1,813 है और अधिकृत हैण्डपम्प जिनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां

(डा. महेश जोशी)

जारी होनी हैं वे 953 हैं और जैसा मैंने कहा कि नवीन प्रस्ताव जो मुख्य अभियंता कार्यालय में प्रक्रियाधीन हैं वे 31 हैं। इस प्रकार कुल 5,631 हैण्डपम्प के प्रस्ताव पर विचार हुआ है। माननीय सदस्य, अगर आपके पास में यह जानकारी नहीं पहुंची है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने स्तर से आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बात बहुत स्पष्ट थी कि वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 182, एक तो आप यह पढ़ दो कि बिन्दु संख्या 182 का भाव क्या था, उसका अर्थ क्या निकालते हैं?

दूसरा, आपने जो 463 नलकूप लगाये हैं उनमें से आप 323 बता रहे हैं तो ये कैसे लगाये? इनकी फार्मेलिटी बाकी जगह तो हो गयी और इनके विधान सभा क्षेत्र में इसकी फार्मेलिटी नहीं हुई तो दोनों में अन्तर क्या है?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सतत प्रक्रिया है, लगातार काम चलता रहता है। मैं समझता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपको ज्यादा अनुभव है। यह जो प्रक्रिया चल रही है, कई कारणों से लेट भी हो जाते हैं पर आमतौर पर पूरा डिपार्टमेंट का जो फोकस होता है वह अप्रैल-मई के आसपास पर फोकस होता है। मैंने आपको विश्वास दिलाया कि हम अप्रैल तक ये हैण्डपम्प और नलकूप कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट। 2021-22 के हैण्डपम्प और ट्यूबवैल खुदने थे और सेंक्शन निकला रहे हैं 3 मार्च, 2022 को तो जो परपज इसका था कि 2021-22 की गर्मी में लोगों को रिलीफ मिले, वह रिलीफ का काम नहीं हो पा रहा है इसलिए जो हम वित्तीय स्वीकृति दें, एश्योर करें कि उस गर्मी में उसकी रिलीफ लोगों को मिले।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सही फरमा रहे हैं, मैंने एश्योर किया है कि हम अप्रैल तक इनको कमीशंड करा देंगे, इनका इसी अप्रैल में इनका लाभ दे देंगे जिससे कम से कम इन गर्मियों में तो लाभ मिले। एक अप्रैल से नया बजट लागू हुआ, अब उस अप्रैल-मई में इतना सम्भव भी नहीं था फिर भी मैं यह मानता हूं कि हम और अधिक तेजी के साथ काम कर सकते हैं, हम तेजी के साथ काम करेंगे।

(डा. महेश जोशी)

दूसरा, माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने 182 को मुझे पढ़ने के लिए कहा है। 'माननीय सदस्यों के माध्यम से पेयजल समस्या सम्बन्धित प्रस्ताव काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मैं प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 40 हैण्डपम्प एवं 10 ट्यूबवैल तक लगवाये जाने की घोषणा करता हूं।' यह माननीय मुख्य मंत्री जी बजट घोषणा है। आवश्यकतानुसार इतने तक, यह मैंने आपको निवेदन किया। इतने तक आप प्रस्ताव भेजेंगे, प्रस्ताव हमारे पास जितने आये....

श्री अध्यक्ष: आप सुन तो लें दो मिनट। दो मिनट रुकें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, हमारे पास जितने प्रस्ताव आये, हम प्रस्ताव भेजने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, जितने प्रस्ताव आये उन सब प्रस्तावों पर हम कार्यवाही कर रहे हैं और फिर भी अभी भी अगर कोई प्रस्ताव आयेंगे तो हम उनको भी विचाराधीन रखेंगे, उन पर भी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, यह नहीं। 2021-22 का बजट 2021-22 में एग्जास्ट होना था। प्रश्न सीधा है कि 2021-22 में जो ट्यूबवैल और हैण्डपम्प खुदने थे वे 2021-22 के मार्च तक नहीं खुदे हैं तो विभाग यह एश्योर करे कि जो हम बजट का प्रोविजन कर रहे हैं, उस समय ही उसको रिलीफ मिल जाये तब तो उसका परपज है। अब जो आज बजट नया है उसके तो नये प्रपोजल आयेंगे इसलिए आप एश्योर करें कि जो होना था वह तो हो गया, लेकिन भविष्य में यदि बजट में प्रोविजन कर रहे हैं तो उसी सत्र में उसका उपयोग हो जाना चाहिए।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आपने जो भावना व्यक्त की है, जो नेता प्रतिपक्ष की भावना है, हम उसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सुश्री दिव्या मदेरणा। अब क्या कर रहे हैं? अजीब हैं, इतनी गम्भीरता के बाद भी आप सीरियस नहीं हैं।

ओसियां में गोदामों का निर्माण

283. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): I wish I was allowed to ask a supplementary on water resources, but 283. क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत कितनी सहकारी समितियां कहां-कहां पर कार्यरत हैं व उनमें से किस-किस सहकारी समिति में गोदाम निर्माण हो चुका है व शेष में कब तक गोदामों का निर्माण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों/क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बजट घोषणा एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गोदाम निर्माण करवाये जाने की योजना है। वर्ष 2021-22 मे बजट घोषणा के तहत निर्धारित गोदामों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राशि प्राप्त होना शेष है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों/क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु सम्बन्धित समिति के पास भूमि उपलब्ध होने, गोदाम की उपयोगिता एवं समिति से सम्बन्धित बैंक के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है।

(2) जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत 39 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं। उनमें से 35 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हो चुका है। एकलखोरी एवं भेड ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम निर्माणाधीन है। बैठवासिया एवं नान्दियाखुर्द ग्राम सेवा सहकारी समिति के पास भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण गोदाम निर्माण नहीं हो सका है। जिला प्रशासन को भूमि आबंटन हेतु समिति द्वारा आवेदन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा एक साथ 10 या अधिक नाम भेजने पर आप सभी को स्वीकृत करेंगे या प्राथमिकता किसको देंगे? क्योंकि भूमि और ये सब उपलब्ध होने के बाद ही वे प्रस्ताव भेजते हैं। फिर, किस आधार पर आप प्राथमिकता तय करेंगे? सारे कर देंगे या वन बाई वन करेंगे?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जन प्रतिनिधि मांग करते हैं, उसके अनुसार प्राथमिकता बनायी जाती है। साथ ही वहां आवश्यकता है या नहीं है, वह देख लिया जाता है और धन की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य किया जाता है। आगे जो भी प्रस्ताव आयेंगे, इसी प्राथमिकता से पूरे किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ में नवीन 'पोस' मशीनें

284. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करायी गयी पीओएस मशीनें सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं?

(2) क्या सरकार उक्त पीओएस मशीनों के खराब होने की समस्या का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नई मशीनें आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में सभी उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करायी गयी पोस मशीन चालू है।

विभाग द्वारा पोस मशीन के रखरखाव हेतु अधिकृत फर्म द्वारा पोस मशीन में समस्या आने पर मशीन की रिपेयर/बदलने की कार्यवाही की जाती है।

(2) विभाग द्वारा पुरानी पोस मशीन के खराब होने की समस्या का निस्तारण करने के क्रम में आगामी चार वर्षों में चरणबद्ध रूप से नवीन मशीनों से बदलने हेतु कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आपने मुझे बताया कि सारी मशीनें ठीक हैं। वर्तमान में, मेरी अरांई पंचायत समिति की भोगादीद पंचायत में जुलाई, 2020 से मशीन खराब है और डीलर ने आठ से दस बार विभाग को शियकातें की हैं, पर अभी तक भी मशीन ठीक नहीं हुई है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूं कि आज जोरदार तरीके से स्पेशल डांट लगाकर चैक किया जायेगा कि कौन जिम्मेदार है और फर्म को बुलाकर उनको भी आदेश दिया जायेगा। वैसे अजमेर में पोस मशीनों के सेन्टर खुले हुए हैं। आप उनको कहना, वहां बात कर लें, नहीं तो फिर मैं आज स्पेशल आदेश दूंगा। वे आपसे आकर मिलेंगे और आपके पूरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या दूर करेंगे।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जी।

श्री अध्यक्ष: अब क्या बाकी बचा है, बैठें।

प्रश्न संख्या 285

अगला प्रश्न। मदन प्रजापत।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 286

अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर से श्रीविजयनगर तक रोडवेज बसों का संचालन

287. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में रायसिंहनगर से श्रीविजयनगर तक वर्तमान में रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग पर रोडवेज बसें प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व प्रतिदिन कितनी बसें व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में रायसिंहनगर से श्रीविजयनगर मार्ग पर निगम के सीमित संसाधनों के कारण निगम बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित

(राज्य मंत्री, परिवहन)

संसाधनों के कारण प्रश्नगत मार्ग पर वाहन संचालन प्रारम्भ किये जाने का फिलहाल विचार नहीं है।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों के संचालन की घोषणा की थी। सभी माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भी मांगे गये थे। क्या यह सही है कि विधायकों की मांग पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों का संचालन किया गया है?

श्री अध्यक्ष: आपके यहां तो आना ही नहीं है। जनरल क्यों पूछ रहे हो? 'जी नहीं' में कह दिया, नहीं हो रहा है वहां। माननीय मंत्री जी।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने श्रीविजयनगर और रायसिंहनगर के लिये प्रश्न पूछा था। विभिन्न डिपो की श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ जो बसें जाती हैं, वे रायसिंहनगर होकर जाती हैं, उनकी संख्या 72 है। इसी तरह से हनुमानगढ़ से अनूपगढ़ बसें जाती हैं, वे श्रीविजयनगर होकर जाती हैं। उनकी संख्या 32 है। इसलिए इन दोनों स्थानों पर पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध हैं। माननीय सदस्य ने ग्रामीण के बारे में इस प्रश्न में कोई बात पूछी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। गणेश घोघरा।

टी एस पी क्षेत्र में जनजाति आरक्षण का निर्धारण

288. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में 75 से 80 प्रतिशत जनसंख्या जनजाति वर्ग की है? यदि हां, तो क्या सरकार जनजाति बहुल क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार टीएसपी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों व बेरोजगारी को देखते हुए 12 प्रतिशत आरक्षण में से 6.5 प्रतिशत आरक्षण पृथक् से टीएसपी क्षेत्र को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1)

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर जिले की कुल जनसंख्या में से 70.82 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। आरक्षण का नोडल विभाग कार्मिक विभाग है। कार्मिक विभाग के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 एवं 21.10.2019 द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या प.सं. 1(31)/2017-वि.1 दिनांक 19.05.2018 द्वारा "विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से सम्बन्धित हो" का प्रावधान किया हुआ है।

(2) राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु निर्धारित 12% में से 6.5% आरक्षण अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये दो मांगें लम्बे समय से टीएसपी की मांग है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। इन्होंने जो बताया है 50 प्रतिशत अनारक्षित पद बताये हैं। उस पर हर वर्ग का अभ्यर्थी जा सकता है मेरिट के आधार पर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एसटी का सर्टिफिकेट लगा दिया तो उसकी मेरिट एसटी में ही बनायी जा रही है। अगर एससी का सर्टिफिकेट लगाया तो उसकी मेरिट भी एससी में ही बनायी जा रही है। अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया तो उसकी मेरिट भी ओबीसी में ही बनायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): पहले अनारक्षित 50 प्रतिशत में, जो भी

(श्री गणेश घोघरा)

अभ्यर्थी आये, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी वर्ग आता है, पहले 50 में उनकी मेरिट बनायी जाये। उसके बाद उनकी वर्गवाइज वरीयता सूची बनायी जाय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य एक्सप्लेन नहीं करना है। फार्मूला सब जगह लागू है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो पीड़ा व्यक्त की गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसा अगर किसी विभाग ने 50 परसेन्ट में किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय किया है, विशेष कोई ऐसी विज्ञप्ति या भर्ती में हुआ तो आप मुझे बतायें मैं कमेटी बनाकर उसको दिखवाकर जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। चन्द्रभान सिंह आक्या। माननीय सदस्य, प्लीज बैठें।

चित्तौड़गढ़ में विद्युत ट्रांसफार्मर जलने पर राशि की वसूली

289. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विद्युत ट्रांसफार्मर, डीपी अथवा बिजली मीटर जलने पर किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं से उसकी मरम्मत या लागत की राशि वसूल की जाती है? यदि हां, तो कितनी व क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में विगत तीन वर्षों में कितने किसानों, उपभोक्ताओं से उक्त राशि वसूली गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूर्व से ही आर्थिक मार झेल रहे किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं को उक्त प्रकार के निरर्थक आदेशों से राहत दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) सामान्य मामलों में जले हुए ट्रांसफार्मर डीपी. की मरम्मत या लागत की राशि उपभोक्ता से वसूल नहीं की जाती है। स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत जारी किये गये कनेक्शनों में ट्रांसफार्मर के गारंटी अवधि में जलने पर उपभोक्ता से राशि वसूल नहीं की

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

जाती है, लेकिन गारंटी अवधि के बाद जलने पर उपभोक्ता से ट्रांसफार्मर की राशि वसूल की जाती है।

मीटर जलने पर 'विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-2021' में वर्णित प्रावधानानुसार मीटर सुरक्षा राशि वसूलने अथवा नहीं वसूलने का निर्णय लिया जाता है। प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में विगत तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं के 2,683 मीटर जले जिसकी एवज में राशि 14,71,500/- रु. वसूल की गई। इसके अतिरिक्त कृषि उपभोक्ताओं के 329 मीटर जले जिसकी एवज में राशि 4,82,850/- रु. वसूल की गई। विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

जले हुए ट्रांसफार्मरों के लिए विभाग द्वारा किसी प्रकार की राशि वसूल नहीं की गई है।

(3) ट्रांसफार्मर एवं मीटर के खराब होने अथवा जल जाने पर बदलने संबंधी कार्यवाही राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत की जाती है। वर्तमान में अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, घरेलू व कृषि विद्युत ट्रांसफार्मर जलने पर जमा कराये जाने के लिए लगने वाला ट्रांसपोर्टेशन का किराया कितने किसानों को दिया गया था? इस सम्बन्ध में विद्युत विनियामक आयोग की क्या शर्तें व प्रावधान हैं? ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला किराया किस मद से दिया जाता है घरेलू कनेक्शन वाला? अध्यक्ष महोदय, दो और पूछ लूं या बाद में पूछूं?

श्री अध्यक्ष: एक पूछ लिया इसका जवाब आ जाए फिर दूसरा पूछ लेना।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो या कृषि उपभोक्ता, ट्रांसफार्मर जलने पर ट्रांसफार्मर डिस्काम के द्वारा बदला जाता है और उनसे किसी भी प्रकार का कोई किराया नहीं लिया जाता है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंगल फेज के जले हुए कितने मीटर बदले गये? कुल कितनी संख्या है? यह बतायें। क्या सरकार इन कम्पनियों का ऑडिट कराने का विचार रखती है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में विगत तीन वर्षों में...

श्री अध्यक्ष: यह तो उत्तर दे दिया। इसमें परिशिष्ट-ब भाग में लिखा हुआ है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): वैसे मैंने पूरी इसकी डिटेल चार्ट के रूप में परिशिष्ट-ब में लगायी है और तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं के 2,683 मीटर जले और इसके अतिरिक्त जो कृषि उपभोक्ता हैं उनके 329 मीटर जले, जिसकी राशि के बारे में मैंने प्रश्न के जवाब में पूरी जानकारी दी है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, इसका किराया किसानों से वसूल किया जाता है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। कटारिया जी पूछें, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूं, खण्ड-1 में उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता से राशि वसूल नहीं की जाती और खण्ड-2 में कह रहे हैं विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में विगत तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं के 2,683 मीटर जले जिसकी एवज में 14,71,500 रुपये की वसूली की गयी। ऊपर आप कह रहे हैं कि वसूल नहीं की जाती।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, ट्रांसफार्मर की गारंटी अवधि के बाद की जाती है। ट्रांसफार्मर की गारंटी अवधि तक वसूल नहीं किया जाता। इसमें लिख रखा है वह पढ़ रहा हूं मैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हो सकता है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि ऊपर जो आप लिख रहे हो कि उपभोक्ता से राशि वसूल नहीं की जाती।

श्री अध्यक्ष: ट्रांसफार्मर की गारंटी अवधि में वसूल नहीं की जाती उसके बाद वसूल की जाती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पर यह कैसे पता किया कि यह गारंटी के बाद वाला है? इसका कोई मापदंड है कि यह गारंटी के बाद वाला है और उस पर कोई आपने इन्द्राज डाल दिया कि यह गारंटी पीरियड से बाद वाला है इसलिये यह पैसे वसूल किये हैं?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड-2

(श्री भंवर सिंह भाटी)

के जवाब के अन्त में लिखा है कि जले हुए ट्रांसफार्मरों के लिए विभाग द्वारा किसी प्रकार की राशि वसूल नहीं की गयी है। माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप तो उसका जवाब दे दें कि ट्रांसफार्मर की कोस्ट वसूल की जाती है कि नहीं की जाती किसान से।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, सिवाय गारंटी अवधि पूरी होने के बाद यदि कोई स्पेसिफिक कुछ उपभोक्ता होते हैं जो आबादी एरिया से अलग अपना सिंगल कनेक्शन यदि वो कराते हैं सैल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत तो उनकी गारंटी अवधि होती है, यदि अवधि में जलता है तो उसको बदलते हैं और अवधि पार हो जाती है तो उसके बाद उसकी एक निश्चित राशि ली जाती है। यह खण्ड-2 में मीटर बदलने की जो बात है वह जले हुए मीटर बदलने की राशि है न कि ट्रांसफार्मर बदलने की और जले हुए मीटर बदलने की विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा एक निर्धारित राशि तय की गयी है और उसके तहत मीटर बदलने का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज। एक मिनट रुकें। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आपको नहीं सुनना है? बैठे ही नहीं और आप खड़े हो रहे हैं। गलत बात है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने जो बात कही है, ट्रांसफार्मर बदलने में पैसे लेने की शिकायत यदि कोई स्पेसिफिक है तो वो बता दें, हम उसकी जांच करवा करके कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं केवल यही पूछ रहा था कि इसमें आपने नीचे वाले में बताया कि मीटर जलने के कारण से पैसे वसूले। मैं केवल यह जानना चाह रहा था कि यह ट्रांसफार्मर ले जाने का काम तो या तो किसान करता है या उपभोक्ता करता है और उसकी एवज में आपका नियम है कि एक हजार रुपये अगर किसान भी ले जाता है तो किसान को पेमेन्ट करते हैं। अमूमन शिकायत यह है कि यह पेमेन्ट उस किसान को नहीं होता है और अधिकारी और कर्मचारी जो भी वहां है इस पैसे का उपयोग वो करते हैं इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यह किसान को पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना

(श्री भंवर सिंह भाटी)

चाहूंगा कि किसान से पैसे लेने का प्रावधान नहीं है लेकिन यदि जहां भी ऐसी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि किसानों से ट्रांसफार्मर, माननीय नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न यह है कि किसान खुद लेकर जाते हैं जला हुआ और खुद लेकर के आते हैं तो उसमें ठेकेदारों के द्वारा या विभाग के अधिकारियों के द्वारा भुगतान उठा लिया जाता है। इस प्रकार की शिकायतें यदि कहीं भी आती हैं, तो उसमें हम अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आप सुनना नहीं चाहते हैं। माननीय मंत्री जी बैठें आप।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): साहब, जवाब तो आने दें।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। आप बैठें प्लीज। I will not allow it. I will not allow it.

प्रश्न संख्या 290

अगला प्रश्न। श्री संदीप कुमार।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, किसानों का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I will name you. अगला प्रश्न। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

हनुमानगढ़ में नियम विरुद्ध खोली गईं शराब की दुकानें

291. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार की प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम एवं राजस्व बढ़ाने की क्या कार्य-योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला हनुमानगढ़ में शराब की कितनी दुकानें हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों व वर्जित स्थानों के आस-पास शराब की दुकानें खोलना वर्जित है? क्या उक्त जिले में नियमों के विरुद्ध दुकानें खुली हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध खोली गई उक्त दुकानों को बंद कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) सरकार द्वारा अवैध मदिरा के

(आबकारी मंत्री)

व्यवसाय को रोकने हेतु रेड, गश्त इत्यादि नियमित निरोधात्मक कार्यवाही के साथ ही समय-समय पर विशेष निरोधात्मक अभियान का संचालन तथा वैध मदिरा के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय का नियमन कर राजस्व की छीजत को रोकने की कार्यवाही की जाती है।

(2) हनुमानगढ़ जिले में कुल 360 कम्पोजिट दुकानें संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) यह सही है कि राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अनुसार मदिरा की दुकान महाविद्यालय स्तरीय शिक्षण संस्थान, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, किसी भी स्तर के बालिका विद्यालय, अस्पताल, पूजा स्थल, लोक मनोरजंन के स्थान, किसी कारखाने या मजदूर या हरिजन कालोनी एवं आंगनबाड़ी केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में स्थापित नहीं करने का प्रावधान है। हनुमानगढ़ जिले में सभी मदिरा की दुकानें नियमानुसार संचालित हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध शराब कहां से आती है जो दुकान स्वीकृत है उसकी गारंटी इतनी दे देते हैं कि एक दूसरे के क्षेत्र के कारण यह वैध शराब अवैध बनती है, परन्तु जो हरियाणा से जहरीली शराब आती है उसको रोकने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है? इसके कारण से आदमी की जानमाल की क्षति हो रही है, बहुत ही जहरीली शराब आ रही है। नम्बर-2, जो धार्मिक स्थान हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद हैं उनके पास में काफी दुकानें हैं। क्या आम नागरिकों की शिकायत के आधार पर उसको सही मान करके उसको हटाने का सरकार प्रयास करेगी? तीसरा, आपने जो 360 दुकानें बतायी हैं मंत्री महोदय, 360 की जगह हनुमानगढ़ जिले में 1,200 से लेकर 1,500 दुकान चल रही हैं और दूसरी बात एक-एक पंचायत के अन्दर 5-5 दुकानें चल रही हैं पर इसके साथ-साथ एक लाइसेंस तो खुद सरकार दे रही है....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न-प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): जो दुकान स्वीकृत है उसके साथ नाम की स्वीकृति देते हैं जिसके कारण से अवैध दुकान तो हाथोंहाथ प्रमाण पत्र के साथ दूसरी दी जाती है और ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये। आपकी बात हो गयी कि एक लाइसेंस में दस दुकानें चल रही हैं, सीधी बात है न। माननीय मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि 360 दुकानें संचालित हैं। किसी भी धार्मिक स्थान, स्कूल, हरिजन बस्ती या कोई भी, इनसे 200 मीटर के दायरे में कोई भी दुकान नहीं है। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर जो समिति बनी हुई है लोकेशन की माननीय कलेक्टर साहब की चेयरमैनशिप में, उसमें सभी माननीय सदस्य उसके मैम्बर हैं। आप अपनी कोई बात हो अगर आपने कभी कही हो और आपकी बात को वहां पर नजरअन्दाज किया हो, ऐसा कोई हो तो मुझे बतायें। उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिये कह देंगे और हरियाणा से जो अवैध शराब आती है, उसके लिये हमने सीमा पर अधिक थाने वगैरह खोले हैं, उनकी कार्यवाही की जाती है, पकड़ी जाती है। अवैध शराब को रोकने के लिये निश्चित रूप से सरकार पूरे प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, यह समस्या हम सब लोग फेस करते हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आपकी जिस एरिये में अधिकृत रूप से जितनी दुकानें स्वीकृत हैं, उसकी सूची कम से कम सार्वजनिक स्थानों पर दो-चार जगह लगा दें ताकि आप इस सच्चाई तक पहुंच जाओ। मेरे शहर में जब मैं रात को निकलता हूं कोई मोहल्ला, गली ऐसी नहीं है जिसमें लाल लाइटें लगी हुई दुकानें न दिखें, गिनने को बैठो तो गिन नहीं सकते। मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि आप उस सूची को 4-5 जगह लगा दें जहां पब्लिक की निगाह पड़ती है कि यह हमारी अधिकृत दुकानें हैं तो फिर आपको इसके बारे में शिकायत आना प्रारम्भ हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it. आपको किसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया? I will deprive you. माननीय दिलावर जी, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: I will name you. I will name you. कटारिया जी, I will not allow it. आपको रोज कोई चक्का पड़ता है क्या, फैन लगते हैं क्या? आप जब चाहे खड़े हो जाते हो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: Please, I am on legs. कटारिया जी, मैं फिर कह रहा हूं I will not tolerate it. एक सीनियर मैम्बर इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। मन में आये जब खड़े हो जाये। कटारिया जी प्रश्न पूछ रहे हैं, वह

(श्री अध्यक्ष)

जवाब दे रहे हैं, आप अपने मन से खड़े हो रहे हो। यह पंचायत है क्या? जहां पंचायत में हर कोई बोलता है, वैसे बोल रहे हैं आप। आप यह सैट एग्जाम्पल कर रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं। सबसे वरिष्ठ सदस्य मदन दिलावर जी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, यह सारा राजस्थान देख रहा है। क्या एग्जाम्पल सैट कर रहे हैं अपन? माननीय मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसकी सूची प्रकाशित होनी चाहिये। एक तो मैं सभी माननीय सदस्यों को उनके विधान सभा क्षेत्र में जो लाइसेंसशुदा शराब की दुकानें हैं, उन सबकी सूची सभी माननीय सदस्यों को सात दिन में भिजवा दूंगा और पंचायत समिति, नगरपालिका जैसी जो हमारी सार्वजनिक संस्था है, उसमें भी यह सूची हम उपलब्ध करा देंगे जिससे लोगों को पता रहे कि यह दुकान है और यह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अवैध दुकानों की अगर माननीय सदस्य शिकायत करेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। खुशवीरसिंह।

पशु चिकित्सा सहायकों के नवीन पदों का सृजन

292. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कार्यरत पशुधन सहायकों की प्रशिक्षण अवधि मेडिकल चिकित्सक, पशु चिकित्सक, मेल नर्स-2 व आयुर्वेद कम्पाउण्डर के समान तीन वर्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पशु चिकित्सा सहायकों की कमी को देखते हुए उक्त के नवीन पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश में पशुधन बीमा योजना लागू है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो उक्त के बंद होने के क्या कारण रहे? क्या सरकार उक्त योजना को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी नहीं। पशुपालन

(पशुपालन मंत्री)

विभाग में कार्यरत पशुधन सहायकों की प्रशिक्षण अवधि निर्धारित नहीं है। आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों में पशुधन सहायकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मेडिकल चिकित्सकों एवं पशु चिकित्सकों हेतु एक वर्षीय इंटर्नशिप सहित 5 वर्ष 6 माह का डिग्री कार्यक्रम निर्धारित है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के तकनीकी दिशा-निर्देशानुसार प्रशिक्षण अवधि निर्धारित की जाती है।

(2) विभागीय संस्थाओं में पूर्व से ही न्यूनतम एक पशु चिकित्सा सहायक/पशुधन सहायक का पद स्वीकृत है। विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार कार्मिकों के अतिरिक्त पद सृजित किये जाते रहे हैं।

(3) वर्तमान में पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश में दिनांक 01.10.2018 से पशुधन बीमा योजना निम्न कारणों से संचालित नहीं है:-

1. वर्ष 2018-19 में प्रदेश में पशुधन बीमा हेतु बीमा कंपनियों से तत्समय भारत सरकार के स्तर से निर्धारित प्रीमियम दरों से अधिक प्रीमियम दर प्राप्त होना।

2. वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से निर्धारित समय पर राशि प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा जारी नहीं की गई।

3. वर्ष 2020-21 में किसी भी बीमा कम्पनी द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया।

4. वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त संशोधित प्रीमियम दर अनुसार दिनांक 28.10.2021 को निविदा जारी की गई, परन्तु मात्र एक बीमा कम्पनी से प्रदेश के दो संभाग यथा-जयपुर एवं अजमेर हेतु ही निविदा प्राप्त हुई।

जी हां। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा किये जाने हेतु राशि रुपये 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में पशु बीमा हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हमारे पशुपालन विभाग में लंबे समय से रिक्त पड़े डाक्टर्स और पशुधन सहायक के पद कब तक भर दिये जायेंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक पशु चिकित्सकों की बात है, हमारे 900 पशु चिकित्सकों का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन वह न्यायालय में विचाराधीन है, इस कारण उनकी भर्ती नहीं हो पाई। दूसरा, पशुधन सहायक के बारे में मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वर्तमान में 1541 पद रिक्त हैं, जिनमें 1,136 पदों के लिये दिनांक 11 मार्च, 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल, 2022 है। परीक्षा 4 जून को होनी है और परीक्षा परिणाम आते ही यह पद भर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपीचंद मीणा।

डूंगरपुर में बांधों एवं एनिकटों की स्वीकृति

293. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में विगत तीन वर्षों में कितने बांधों एवं एनीकटों की स्वीकृति जारी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त बांधों एवं नहरों की मरम्मत हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? बांधों के नाम एवं नहरों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) डूंगरपुर जिले में विगत 3 वर्षों में नये बांध निर्माण हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। विगत तीन वर्षों में 2 एनीकट निर्माण के कार्य तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 8 एनीकट निर्माण हेतु राशि रुपये 8,278.45 लाख की स्वीकृति जारी की गई। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) डूंगरपुर जिले में विगत तीन वर्षों में किसी नये बांध का निर्माण नहीं किये जाने से बांध व नहर मरम्मत हेतु कोई व्यय नहीं किया गया। 3 वर्ष से पूर्व निर्मित 5 बांधों व नहरों पर विगत तीन वर्षों के दौरान मरम्मत एवं जीर्णोद्धार पर राशि रुपये 3,945.60 लाख की स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं पूर्ववर्ती सरकार में वसुंधरा जी के समय में हमारे दो एनीकट की स्वीकृतियां निकली थीं, जिसमें एक सोनार माता एनीकट, नीठावा

(श्री गोपीचंद मीणा)

में और दूसरा मांडवा खापड़ा, दातांवाला एनीकट है। उनका शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन इस सरकार ने आते ही उस कार्य को बन्द कर दिया। मंत्री जी, क्या उस कार्य को पूरा कराने की इच्छा रखते हैं?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर इस प्रश्न में ही यह बात पूछते तो मैं इसकी पूरी तैयारी करके इसको दिखवाकर लाता। लेकिन अब जब यह बात सामने आई है तो आपसे मैं भी मिलूंगा और आप भी मेरे से मिलें। इसको दिखवायेंगे, हो सकता है तो इसको निश्चित रूप से पूरा करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती गंगा देवी।

बगरू की ग्राम पंचायतों को बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति

294. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र बगरू की समस्त 31 ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका बगरू के प्रत्येक वार्ड को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़े जाने की घोषणा बजट में हुई थी? यदि हां, तो पंचायतवार, नगरपालिका वार्डवार कार्य की प्रगति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका वार्डों को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) दिनांक 13.03.2020 को वित्त एवं विनियोग विधेयक 2020 पर चर्चा के प्रत्युत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप, जयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र बगरू की ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका बगरू को सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध आधारित परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 29वीं बैठक दिनांक 09.11.2021 द्वारा राशि रुपये 279.62 करोड़ की पेयजल परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

उक्त स्वीकृत पेयजल परियोजना में विधान सभा क्षेत्र बगरू के कस्बा बगरू एवं 31 ग्राम पंचायतों में कुल सम्मिलित 144 ग्रामों में से कस्बा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

बगरू एवं 130 ग्राम सम्मिलित हैं। परियोजना के वित्तीय अनुमोदन हेतु तथा बीसलपुर बांध में अतिरिक्त जल आरक्षण की सहमति हेतु प्रकरण जल संसाधन विभाग में वर्तमान में विचाराधीन होने के कारण इस परियोजना का क्रियान्वयन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

जयपुर शहर हेतु बीसलपुर बांध आधारित बनाई गई द्वितीय चरण की 02 पेयजल परियोजनाओं क्रमशः जगतपुरा पेयजल परियोजना में उक्त क्षेत्र के 5 ग्राम एवं पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना में 9 ग्राम सम्मिलित किये गये हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी की दिनांक 03.03.2022 को उक्त दोनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रमशः राशि रुपये 184.89 करोड़ एवं रुपये 600.00 करोड़ की घोषणा के अनुरूप, उक्त दोनों पेयजल परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने का कार्य सलाहकार फर्म द्वारा किया जा रहा है। डी.पी.आर. तैयार होने के उपरांत आवश्यक स्वीकृतियां जारी की जाकर, परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि 2020 में गहलोत साहब ने डीपीआर की घोषणा कर दी थी, तो दोबारा क्यों? बगरू विधान सभा कोई रबड़ तो है नहीं, जो बार-बार डीपीआर ही हो रही है। मैं तो यह पूछना चाहती हूं कि लाइन कब डलेगी, देनी है या नहीं देनी है? राजधानी में बैठे हुए भी बगरू की जनता से दुभांत क्यों? अगर जयपुर में पानी आयेगा तो बगरू में भी पानी जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी पेयजल परियोजना जल की उपलब्धता के आधार पर बनती है, जैसा कि मैंने इस प्रश्न के जवाब में निवेदन किया है कि अभी तक जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त जल आरक्षण की सहमति प्रदान नहीं हुई है। जैसे ही सहमति प्राप्त होगी, हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रोम्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपस में प्रोम्ट कर रहे हैं, अपनी जगह पर बैठें। आप मेरी आइज क्यों कैच कर रहे हैं? अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

कोटा-बूंदी जिले में खाद का वितरण

295. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा-बूंदी में इस वर्ष किसानों को सहकारी समितियों व अन्य एजेन्सियों के माध्यम से खाद का वितरण सही समय पर नहीं होने के कारण किसानों को काफी परेशानियां व आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है? क्या सरकार किसानों को अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार आगामी वर्ष 2022-2023 में आवश्यकतानुसार किसानों को फसल बुआई के अनुरूप खाद, बीज आदि का वितरण सहकारी समितियों व अन्य एजेन्सियों के माध्यम से समय पर कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी नहीं। वर्ष 2021-22 में खरीफ सीजन में डीएपी की आंशिक कमी को छोड़कर कोटा एवं बूंदी जिले में मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाये गये हैं। डीएपी उर्वरक की आंशिक कमी को वैकल्पिक फास्फेटिक उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) की आपूर्ति एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जाकर पूर्ण किया गया है। डीएपी की कमी का कारण उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटन के विरुद्ध कम आपूर्ति किया जाना रहा है। किसानों को अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा किसानों को उन्नत/प्रमाणित बीज व खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु खरीफ एवं रबी मौसम पूर्व कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जोनल कांफ्रेंस आयोजित कर प्रमाणित बीज व खाद की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाती है। राज्य में किसानों को मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजफैड द्वारा कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अनुबंधित कम्पनियों के माध्यम से उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण किया जाता है तथा भण्डारित उर्वरक मांग के समय किसानों को उपलब्ध करवाये जाते हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि इफको के कट्टे पर लिखा होता है 'खाद तो खाद और बीमा भी साथ'। पिछले तीन वर्षों में कितने किसान खाद लेते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलग प्रश्न है। इर-रिलेवेंट है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, इसी से है। खाद लेते समय कितने किसान दुर्घटनाग्रस्त हुए और कोटा-बूंदी के कितने किसानों को मुआवजा दिया गया, यह मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही, सरकारी संस्थाओं में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर मेम्बर हैं, रिलेवेंट प्रश्न पूछें। I will not allow it. माननीय कटारिया जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): उसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। प्लीज बैठें। माननीय कटारिया जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, उसी से सम्बन्धित पूछ रही हूं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्रश्न क्या है और आप क्या पूछ रहे हैं। माननीय कटारिया जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): उसी से सम्बन्धित है साहब, दूसरा पूछ लेती हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या आपने उसकी सूचना मांगी है?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं दूसरा पूछ लेती हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): ये क्या बात हुई सर, मैं मेरा प्रश्न पूछ रही हूं, यह क्या मतलब हुआ?

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. आप बैठें। मैंने कटारिया जी को बुला लिया है। क्या आप सुन नहीं रहे हैं। प्लीज बैठें। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। Don't ask me. प्लीज बैठे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने इसमें लिखा है कि हमने केन्द्र सरकार से जितना डीएपी मांगा, उसके अनुसार हमको नहीं मिला।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आगे बता दें कि आपने क्या मांग की, कब की और उसकी तुलना में आपको कब-कब डीएपी मिला है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कब-कब मांग की गयी, उसकी अलग-अलग तारीख तो नहीं है, लेकिन हमने डीएपी की जितनी मांग रखी थी, वह 32 हजार मीट्रिक टन रखी थी, उसके अगेन्स्ट हमें 24 हजार 616 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है। छह हजार मीट्रिक टन कम मिला। अब की बार टाइम पर मिल जाये, ऐसी व्यवस्था कर देना।

प्रश्न संख्या 296

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रघु शर्मा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it. Please be seated. I will not allow it. अंकित नहीं होगा। Don't ask me. आप अध्यक्ष के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। प्लीज बैठें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। आप पूछना क्या चाहते हैं, आप प्रिपेयर होकर आइये। क्या आपने पूछा है कि कितने आदमियों का क्या हुआ? आप दुबारा पढ़ लीजिये। प्रश्न को दुबारा पढ़ लीजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: Don't compel me. आर्ग्यू कर रहे हैं, I will not allow it. मैं आपका क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भूमिहीनों को भूमि का आबंटन

297. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना में विगत तीन वर्षों में कितने भूमिहीन परिवारों ने जमीन आबंटन के लिए आवेदन किये? उनमें से कितने आवेदन स्वीकार किए गए व कितने आवेदन निरस्त किए गए एवं कितने आवेदन लम्बित हैं तथा कितने आवेदकों को भूमि का आबंटन हो चुका है? उपनिवेशन तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गिरधारीलाल)

(2) उक्त परियोजना में विशेष योजना के तहत विगत तीन वर्षों में कितने किसानों ने भूमि आबंटन के लिए आवेदन किये? उक्त किसानों में से कितने किसानों को भूमि का आबंटन हो चुका है व कितने किसानों के आवेदन निरस्त किये गये तथा कितने किसानों के आवेदन अब भी लम्बित हैं? उपनिवेशन तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त परियोजना में भूमिहीन आवेदकों व विशेष योजना के आवेदकों को भूमि आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रताप सिंह जी, कुछ कमेंट भी कर रहे हैं, कटारिया जी से मिल रहे हैं, प्रोम्ट भी कर रहे हैं, मैं सब सुन रहा हूं। मैं सब चीजें सुन रहा हूं। I am listening everything. I don't want to speak more than this. यहां पर सारी आवाजें आती थीं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं तो इनको बैठने के लिये कह रहा था।

श्री अध्यक्ष: पता है मुझे, बाद में क्या बोला है, वह भी मैंने सुना है। माननीय मंत्री जी।

उपनिवेशन मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को जमीन अलाटमेंट के लिए विगत तीन वर्षों में कोई आवेदन नहीं लिये गये हैं।

(2) राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत विशेष आबंटन श्रेणी के तहत विगत तीन वर्षों में जमीन अलाटमेंट के लिए आवेदन नहीं लिये गये हैं।

(3) राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत भूमिहीन श्रेणी में भूमि आबंटन हेतु अन्तिम बार वर्ष 2004 में आवेदन लिये गये थे। वर्तमान में भूमिहीन श्रेणी के कुल 60,394 आवेदन पत्र लम्बित हैं। सामान्य आबंटन प्रकरणों में याचिका संख्या 18284/19 में आदेश दिनांक 11.12.2019 द्वारा मा. उच्च न्यायालय जोधपुर का स्थगन है।

उक्त नियम, 1975 अन्तर्गत विशेष आबंटन के लिए अन्तिम बार 2012 में आवेदन लिये गये थे। वर्तमान में विशेष आबंटन के 34,857 आवेदन पत्र लम्बित हैं। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7085/20 एवं

(उपनिवेशन मंत्री)
याचिका संख्या 6700/2020 मा. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा विशेष आबंटन पर रोक है।

बीकानेर जिले की नवसृजित उपनिवेशन तहसील गजनेर में उपलब्ध आबंटन योग्य राजकीय भूमियों की श्रेणीवार सूचियां तैयार कर उपलब्ध राजकीय भूमि के आबंटन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही सवाल है कि भूमिहीन श्रेणियों और सामान्य श्रेणी के आबंटनों से रोक हटाने के लिये हाई कोर्ट में दायर याचिका के खिलाफ राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये हैं, उसका विवरण सदन की मेज पर रखें। दूसरा, गजनेर उप तहसील में कब तक भूमि आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी? सरकार कोई समय-सीमा निर्धारित करे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में अधिवक्ता लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही इसका स्थगन हट जाये। हमारी स्क्रूटनिंग की कार्यवाही की हुई है, भूमि का कितना रकबा है, वह सब कुछ भी हमने फाइनल कर दिया है। जैसे ही स्थगन आदेश हटेगा, उसके बाद प्रक्रिया शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री इन्द्राज गुर्जर।

छितोली ग्राम (विराटनगर) में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

298. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम छितोली में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) प्रदेश में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु रीको द्वारा परिपत्र दिनांक 07.04.2010 एवं कार्यालय आदेश दिनांक 14.07.2020 जारी किये हुए हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(2) जी हां। ग्राम छितोली, खरबूजी एवं सूरजपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर की 70.53 हैक्टेयर भूमि का स्थल चयन समिति द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। स्थल चयन समिति ने ग्राम सूरजपुरा के खसरा नंबर 2401 के कुल रकबे 16.61 हैक्टेयर भूमि में से 8.00 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण होने से अनुपयुक्त मानते हुए शेष भूमि 62.53 हैक्टेयर भूमि में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु रीको के पक्ष में भूमि आबंटन करने के लिए रीको द्वारा जिला कलेक्टर, जयपुर को लिखा गया है। भूमि आबंटन होने पर रीको द्वारा आबंटित भूमि का नियोजन कर नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि छितोली में जमीन का जो दो साल से प्रोसेस चल रहा है, क्या वह प्रोसेस विभाग ने पूरा कर लिया है या नहीं किया?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें थोड़ी जमीन पर जो अतिक्रमण है, उसको हटाने के लिये राजस्व विभाग की ओर से कलक्टर को लिख दिया। जैसे ही वह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, उस जगह को रीको अपने क्षेत्र अधीन लेकर तुरन्त प्रभाव से अपनी कम्पनी स्थापित करने का प्रयास करेगा।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से प्रकरण चल रहा है। पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि हम हर सब डिवीजन पर रीको लगायेंगे। हमारे पावटा सब-डिवीजन में भी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): अतिक्रमण की कार्यवाही कब तक हो जायेगी?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमने रीको की मीटिंग लेकर यह निर्णय लिया है कि अभी जितने भी जिलेवाइज प्रकरण हैं, उनके लिये बैठकर वहीं पर समस्या का समाधान किया जायेगा, जिससे कि जो भी प्रकरण शिकायत सम्बन्धी हैं या अतिक्रमण से सम्बन्धित हैं, उनका निराकरण तुरन्त प्रभाव से करेंगे ताकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा पूरी की जा सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ललित कुमार।

बड़ी सादड़ी में परिवहन निगम की बसों का पुन: संचालन

299. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 01 जनवरी, 2019 से अब तक विभिन्न डिपो की राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसों का संचालन बन्द किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बन्द की गई उक्त बसों को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में जनवरी, 2019 से अब तक बन्द की गई निगम बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में बन्द की गई निगम बस सेवाओं को निगम के पास सीमित संसाधनों के कारण पुन: प्रारम्भ किये जाने का फिलहाल विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): रोडवेज बस सेवा का उद्देश्य आय बढ़ाना है या जनता को सुविधा देना है? एक प्रश्न यह है कि निगम ने लिखा है कि सीमित संसाधन की वजह से रोडवेज बस सेवाएं बन्द की गयी हैं। ऐसे क्या कारण रहे कि पिछली सरकार में 2018 तक साधन उपलब्ध थे और इस सरकार के आने के बाद सीमित संसाधन हो गये, जिससे रोडवेज बसें बन्द हो गयीं, कृपया बतायें।

(समय: 12.00 बजे)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में 4 बसें बन्द की गयी हैं। उनमें खर्चा आ रहा है 42 रुपये प्रति किलोमीटर और अधिकतम आय आई है 14 रुपये से लेकर 24 रुपये तक। निश्चित रूप से हम कब तक इतने घाटे में उसको चला सकते हैं? आखिर पैसा तो पब्लिक का ही है उसमें। स्टेट एक्सचेकर में जो पैसा आता है, वह आम नागरिक का पैसा आता है। उसमें कुछ आय भी देखनी पड़ती है। निश्चित रूप से हम सामाजिक दायित्व की भी पूर्ति करते हैं परन्तु साथ-साथ इतने बड़े बेड़े को चलाने के लिए हमको संसाधन की भी तो आवश्यकता होती है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक) के पद पर पदोन्नति में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले की भोपालगढ़ तहसील में भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दईकड़ा में क्रोप कटिंग प्रयोग में हुई अनियमितताओं से किसानों को आपदा अनुदान से वंचित रखे जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से पिण्डवाड़ा तहसील के तहसीलदार द्वारा नियम विरुद्ध किये गये कार्यों की जांच नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर शहर में सतपुलिया से लेकर अजमेर रोड पुलिया तक तथा अजगर बाबा के थान से कोटड़ा तक सड़क पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा शहर में लगभग 50 प्राइवेट कालोनियों में पेयजल नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में अवैध खदानों के संचालन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्राम पंचायत बड़ावली के राजस्व रिकार्ड में दर्ज ग्राम टाण्डा का नाम नहीं बदले जाने से ग्रामवासियों में व्याप्त आक्रोष के सम्बन्ध में।

(8) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से रावतसर कस्बे में दमकल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से नगर परिषद् अलवर में आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण शहर की सफाई व्यवस्था, रोड लाइट तथा पट्टा वितरण के कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री गुरदीप सिंह, श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री राम प्रताप कासनियां एवं श्री बिहारीलाल, सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया, जिला हनुमानगढ़ में बढ़ती आपरधिक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा शहर की दक्षिण नगर निगम में स्थित वार्डों में स्वीकृत व निर्माणाधीन कार्यों को रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के गंभीरा पंचायत के मीणाओं का झोंपड़ा विद्यालय में अतिक्रमण से पढ़ाई में हो रहे व्यवधान के सम्बन्ध में।

(13) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर-रतनगढ़ रेलखण्ड पर श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के गांव नारसीसर के कुचौर जाने वाले रास्ते पर रेलवे अण्डरब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से विभिन्न विभागों के कार्मिकों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(15) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से पाली जिले के गोडवाड़ क्षेत्र में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिले के मातासुख, कसनाउ, ईग्यार गांव के किसानों द्वारा आरएसएमएलएल से अपनी जमीन का मुआवजा देने तथा गोचर भूमि आबंटित करवाकर किसानों की मांगों को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर के आक्सीजन प्लांट में आग लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर

(श्री अध्यक्ष)

भी माननीय सदस्य श्री खुशवीरसिंह, श्री नारायण बेनीवाल एवं श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रेती स्टैण्ड पर पंचायत समिति की पुरानी दुकानों की सम्पत्ति को नियम विरुद्ध खुर्दबुर्द किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोपीचंद मीणा, सदस्य की ओर से पंचायत समिति जहाजपुर में कार्यवाहक विकास अधिकारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में प्रदेश में रजिस्टर्ड गोशालाओं में पशु-चिकित्सक के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ में कृषि उपज मण्डी में संचालित किसान भवन को निजी होटल को लीज पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा में 33 केवी ग्रिड का कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से उदयपुर के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहाड़ों को काटकर नियम विरुद्ध आवासीय व वाणिज्यिक निर्माण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से प्रदेश में बैंकों व बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों को फसल बीमा का उचित लाभ नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में पीसांगन एवं श्रीनगर मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से अजमेर विद्युत निगम द्वारा जनता जल योजना के तहत लगे नलकूपों के विद्युत खर्च की बकाया राशि जमा नहीं होने से विद्युत कनेक्शन काट दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री हीराराम, सदस्य की ओर से नगरपालिका व आस-पास के गांवों को मीठा पानी दिये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में एक नया 33 केवी का जी एस एस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के रिक्त पदों को एस.टी. अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर नेशनल हाईवे-8 पर काकरी डूंगरी पर दिये जा रहे धरने पर दर्ज प्रकरणों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री खुशवीरसिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

गोडवाड़ क्षेत्र (पाली) में लैपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वर्ष 2011-12 में देश का प्रथम कम्युनिटी लैपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जवाई क्षेत्र में प्रारम्भ किया गया। शुरुआत में काफी दिक़्क़तें भी आयीं। कुछ लोगों ने उसका दुष्प्रचार किया। उस वक्त मैं जिला प्रमुख था। जब जाकर ग्रामीणों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी गयी, अध्यक्ष महोदय, आज उस क्षेत्र में पर्यटन को इतना बढ़ावा मिला है। उसकी वजह से आमजन की आय में वृद्धि हुई है। आज पूरे देश का प्रथम लैपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है और मान्यता भी बदल दी। एक साथ वहां पर लॉयन की तरह कुनबा 12-12, 13-13 लैपड्र्स का दिखने लग गया है, जो पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसी तर्ज पर अरावली की तलहटी में गोड़वाड़ क्षेत्र में जहां लैपर्ड की संख्या आज की तारीख में 8-9 ग्राम पंचायतों के राजस्व क्षेत्र में है। वे वन विभाग से बाहर हैं, राजस्व क्षेत्र है, चरागाह भूमि और सिवाय चक भूमि है, हजारों बीघा। उस क्षेत्र में लगभग 40 से 45 लैपर्ड आज भी हैं। वहां पर लैपर्ड हैबिटाट, इस तरह का उनके रहने के

(श्री खुशवीरसिंह)

लिए अनुकूल है। छोड़ा ग्राम पंचायत, नारलाई ग्राम पंचायत, नाड़ोल ग्राम पंचायत, घाणेराव ग्राम पंचायत, माड़पुर ग्राम पंचायत, सुमेर ग्राम पंचायत, इन ग्राम पंचायतों के अन्दर मैं चाहूंगा कि लैपर्ड की संख्या को देखते हुए वहां पर लैपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाए, जिसकी वजह से ग्रासलैंड डवलप होगा और वहां के लोगों की पर्यटन की भी आय बढ़ेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

नागौर के कतिपय ग्रामों में आर.एस.एम.एल.एल. द्वारा किसानों को मुआवजा व गोचर भूमि का आबंटन

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आज आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि 28 फरवरी को राजस्थान पत्रिका में छपी खबर की तरफ कि 'किसान की दरकार, मेरा भी न्याय करो सरकार'। यह बड़ी विडम्बना ही कहूंगा कि 95 प्रतिशत से ज्यादा माननीय सदस्य अपने आपको किसान बता रहे हैं। उसके बावजूद नागौर के जायल क्षेत्र के अन्दर मातासुख कसनाउ लिग्नाइट परियोजना में किसानों के 1998 के मुआवजे को लेकर किसान पिछले 11 दिन से धरने पर बैठे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, जैसा अभी नेता, प्रतिपक्ष जी ने भी बताया कि लोगों का मुआवजा बैंकों के अन्दर जमा पड़ा है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा क्योंकि आप बड़े संवेदनशील हैं, इस मामले को पूरा संज्ञान में लेकर जितने भी भू-अवाप्ति के प्रकरण हैं, इसमें वहां के बड़े अधिकारियों, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन बड़े अधिकारियों और व्यावसायिक बैंक्स जो हैं, इनके गठजोड़ के कारण जनता का अरबों रुपये का पैसा जो है, वह व्यावसायिक बैंक्स लोन दे रही हैं। उनको समय पर नहीं मिल रहा है। वहां लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिये भी, आप सरकार को आदेश फरमायें। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा, 11 दिन से धरना चल रहा है, उसके ऊपर तुरन्त संज्ञान लेकर, उनकी वाजिब मांग पर, उनको मुआवजा मिले, उनके रहन-सहन, पुनर्वास की व्यवस्था हो। उनकी 11 सूत्री मांग है, उस पर कोई न कोई ठोस फैसला करने का आप आदेश फरमायें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, के आक्सीजन प्लांट में घटित अग्निकांड

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में जवाहरलाल नेहरू हास्पिटल, एक सम्भागीय हास्पिटल है, जिसमें आक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। कल दोपहर लगभग 11.30 बजे, प्लांट में लगे स्टेबलाइजर में आग लगी और वहां धुआं उठने लगा। उसकी दीवार से लगी रिहायशी कालोनी नगीना बाग़ है। कल रविवार होने के कारण, कुछ लोग बाहर बैठे थे। अचानक उन्होंने जैसे ही धुआं देखा, उन्होंने अस्पताल प्रशासन को फोन किया, तब लाइन काटकर, एक बड़े हादसे को बचाया गया।

मैं जब घटनास्थल पर पहुंचा, वहां न तो फायर प्रोटेक्शन उपकरण लगे हुए थे। न ही कोई फायर अलार्म लगा हुआ था, न ही वह इंसुलेटेड था जिसके कारण से उस पास की कालोनी में भी, इतनी तेज आवाज होती है, जिसके कारण कालोनी वाले सो भी नहीं पाते। यह अस्पताल की दुर्दशा थी। वहां कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। अगर रविवार नहीं होता, लोग जागरूक नहीं होते, तो बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। भगवान की कृपा से बच गये। प्लांट के पास बहुत बड़े कचरे का अम्बार है जिसमें भी कभी आग लगी, तो प्लांट को भी खतरा हो सकता है। जान माल की हानि हो सकती है।

(समय: 12.11 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

अत: मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाये। वहां तत्काल फायर अलार्म लगाया जाये। फायर प्रोटेक्शन उपकरण लगाये जायें। इसका इंसुलेशन कराया जाये। वहां कचरे की सफाई कराई जाये जिसके कारण ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित नहीं हों। पूरी कालोनी ब्लास्ट होकर लोगों की जान को खतरा हो सकता था।

मेरी सरकार से मांग है, इस पर तुरन्त कार्यवाही करे। इसकी जांच कराकर जो भी दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कराये। ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: 295. श्री फूल सिंह जी मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रेती स्टैण्ड पर पंचायत समिति की पुरानी दुकानों की खुर्दबुर्द सम्पत्ति

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रेती स्टैण्ड पर पंचायत समिति द्वारा वर्षों पुरानी दुकानें बनाकर किराये पर दे रखी थीं और इन दुकानों को बिना हिसाब के ही दे दी। उनका आज तक किराया भी नहीं दे रहे हैं और कुछ व्यापारी किराया दे रहे हैं, वह भी नाममात्र का दिया जा रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उक्त दुकानों को तुरन्त प्रभाव से, जो किराया नहीं दे रहे हैं, उनको वह बिना नियमों के किसी व्यक्ति को लाभ देने के लिये दी गई हैं। वह बिना सरकार के नियम विरुद्ध कीमती प्रोपर्टी को खुर्द-बुर्द कर रखी है। उस प्रोपर्टी को खाली करवाकर या तो कोई नियम बनाकर दिया जाये या खाली करवाकर सम्पत्ति को सरकार के कब्जे में लिया जाये। इन दुकानों को कब से किराये पर दी गई हैं और किसके आदेश से दी गई हैं, जांच करके नियमानुसार कार्यवाही करे। अगर किसी भी अधिकारी या जन प्रतिनिधि द्वारा बिना लिखित के दी गई है, जो भी अधिकारी जन प्रतिनिधि अधिकारी ने यह कार्य किया और सरकार की आय में कटौती हुई उसका हर्जाना, उन अधिकारी या सम्बन्धित जो भी व्यक्ति शामिल हों, उनसे सारा हर्जाना वसूल करवाकर सरकार के खाजने में जमा करवाकर उन लोगों पर कार्यवाही की जाये।

अत: माननीय मंत्री महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही करवाई जाये। धन्यवाद

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर पंचायत समिति में कार्यवाहक विकास अधिकारी द्वारा कारित भ्रष्टाचार व अनियमितताएं

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जहाजपुर पंचायत समिति में कार्यवाहक विकास अधिकारी श्री संजय मोदी के द्वारा विगत डेढ वर्ष में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आहूत नहीं की गई और कार्यवाहक विकास अधिकारी द्वारा चहेतों को लाभ देने के

(श्री गोपी चन्द मीणा)

लिये बार-बार सचिवों को, ग्राम विकास अधिकारियों को एपीओ करना, स्थानान्तरण करना, राज्य सरकार की बिना अनुमति के स्थानान्तरण करना, ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ देने के लिये चहेतों को निर्माण कार्य के टेण्डर का वर्क आर्डर देना, साथ ही धरोहर राशि का भुगतान नहीं करना, साइड में निर्माण कार्यों का निरीक्षण नहीं करना...। मेरे द्वारा पंचायती राज विभाग में शिकायत की गई जांच में दोषी पाया गया। कार्यवाहक विकास अधिकारी संजय मोदी को दिनांक 18.02.2022 को विभाग ने दोषी मानते हुए विकास अधिकारी के पद से कार्य मुक्त करने का सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया, परन्तु आज तक विकास अधिकारी के पद पर रहकर अनियमितताएं कर रहा है। श्री भैरूलाल, ग्राम विकास अधिकारी को विकास कार्य रोकने के लिए, दुर्भावना से 5 पंचायतों में अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। ग्राम पंचायत धोड, ग्राम पचायत पलासिया, ग्राम पंचायत बावड़ी, ग्राम पंचायत भरनी कलां, जबकि बिना कारण ग्राम विकास अधिकारियों को पंचायत आबंटन नहीं कर रखी है। श्रीमती सरिता मीणा, श्री फूलसिंह मीणा, विमला मीणा इनको 5-6 माह से एपीओ करके बैठा रखा है। इन पंचायतों में करीब 6-7 माह से जन हित के कार्य बंद हैं। श्री भैरूलाल गुर्जर, सचिव, ग्राम विकास अधिकारी व कार्यवाहक विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करे एवं एपीओ ग्राम विकास अधिकारी को पदस्थापित करें। जिला परिषद् भीलवाड़ा व कार्यवाहक विकास अधिकारी के द्वारा संविदा कार्मिक लेखा सहायक व नरेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कम्प्यूटर आपरेटर जिनका मानदेय 8 से 10 हजार है, इनका नियम विरुद्ध पंचायत समिति जहाजपुर से 100 किमी दूर बदनौर, रायपुर, सहाड़ा, बिजौलिया स्थानान्तरण कर दिया।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि दोषी कार्मिकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करावे।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

गौशालाओं में पशु चिकित्सकों के पदों का सृजन

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे मुण्डावर की व पूरे प्रदेश के अंतर्गत आने वाली सभी रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में रह रहे पशु आये दिन नये-नये रोग

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

से ग्रस्त हो रहे हैं। इन पशुओं को समय पर इलाज न मिलने के कारण पशुओं की मृत्यु भी हो रही है। इससे पूरे प्रदेश के अन्दर गौ प्रेमियों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन एवं सुझाव है कि प्रदेश की प्रत्येक रजिस्टर्ड गौशालाओं में पशु-चिकित्सक का एक-एक नवीन पद सृजित किया जाये। साथ ही सरकार से मेरी मांग है कि गो प्रेमियों की भावनाओं एवं सेवाभाव को देखते हुए इस पर विचार कर सरकार द्वारा पशु चिकित्सकों के उक्त पद को सृजित किये जाने की कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौड़गढ़ में कृषि उपज मण्डी में संचालित किसान भवन का निजी होटल को लीज पर हस्तांतरण

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत, चित्तौड़गढ़ कृषि उपज मण्डी में सरकार द्वारा किसानों के आश्रय हेतु निर्मित किसान भवन को निजी होटल को लीज पर देकर निजीकरण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि पूरे प्रदेश में सभी कृषि उपज मण्डी प्रांगण में दूर क्षेत्र से आने वाले किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा किसान भवन का निर्माण कराया गया है। उसी अनुसार चित्तौड़गढ़ कृषि उपज मण्डी में भी एक किसान भवन बनाया गया था। कुछ समय के अंतराल के बाद सरकार तथा मण्डी प्रशासन की देखरेख के अभाव में वर्तमान में उक्त भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसकी कई बार शिकायत भी विभाग को की गयी थी, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं गया और लम्बे समय से किसानों को अपनी सुविधाओं से आश्रय देने वाले किसान भवन की स्थिति और खराब होती रही। हाल ही में ज्ञात हआ है कि चित्तौड़गढ़ कृषि उपज मण्डी प्रशासन द्वारा उक्त किसान भवन को चित्तौड़गढ़ में संचालित निजी होटल को लीज पर देते हुए, इसे व्यापारिक उपयोग हेतु सौंप दिया गया है तथा उक्त होटल द्वारा इसमें गैरकानूनी रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही उक्त किसान भवन का नाम भी बदल कर होटल किसान भवन कर दिया गया है। यह कार्य अत्यन्त

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

दुर्भाग्यपूर्ण होकर दूर-दराज क्षेत्र से चित्तौड़गढ़ आने वाले किसानों के हितों पर प्रत्यक्ष रूप से कुठाराघात है। जो गरीब किसान बाहर से आकर उक्त भवन में न्यूनतम दर पर यहां पर आश्रय लेते थे, उन्हें अब महंगी दरों पर, होटल किसान भवन या मण्डी प्रांगण से दूर अन्यत्र महंगी दरों पर होटलों में रूकना पड़ेगा अथवा फुटपाथ पर गुजर बसर करना पड़ेगा, जो बेहद शर्मनाक होगा। इस व्यवस्था की देखादेखी, प्रदेश में संचालित अन्य किसान भवनों का भी निजीकरण कर उन्हें व्यापारिक रूप दे दिया जायेगा जो कि किसानों के लिये बिलकुल हित में नहीं होगा।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र चित्तौड़गढ़ कृषि उपज मण्डी में संचालित किसान भवन को निजी होटल से मुक्त कराते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा उक्त किसान भवन का सुदृढ़ीकरण कर, गरीब किसानों के लिये पुन: उपलब्ध कराकर राहत प्रदान करे।

+++ (295 के दिये गये प्रस्ताव से भिन्न)

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

लक्ष्मीपुरा (बूंदी) के 33 के.वी. ग्रिड के निर्माण कार्य में विलम्ब

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बूंदी विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत 33 के.वी. लक्ष्मीपुरा का कार्य शुरू कराने के सम्बन्ध में।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी की तालेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा में वर्ष 2016 में 33 के.वी. ग्रिड स्वीकृत हुआ था। इस ग्रिड के लिए काफी लम्बा संघर्ष रहा और बहुत इंतजार के बाद इसकी स्वीकृति जारी हुई। इस ग्रिड से ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा व डोरा को विद्युत आपूर्ति होनी थी। वर्तमान में यहां पर बिजली बहुत दूर से आने के कारण बार-बार ट्रिपिंग की समस्या होती है।

इस ग्रिड की स्वीकृति के बाद इस पर उसी समय कार्य की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत 32 पोल लग चुके थे तथा ग्राम भरताबावड़ी तक काम हो गया था। इस पूरे रास्ते में डामर सड़क बनी हुई है तथा कोई पेड़ (वृक्ष) नहीं है परन्तु इस काम को कुछ समय बाद ही वन विभाग द्वारा बन्द करवा

(श्री अशोक डोगरा)

दिया गया था जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। विद्युत विभाग द्वारा फोरेस्ट को डी-फोरेस्ट कराने हेतु औपचारिकताएं पूर्ण कर फाइल लखनऊ भेज दी गयी है। इसमें कुछ आपत्तियां आयी थीं, जिनको दूर नहीं कराया गया। इस कार्य को स्वीकृत हुए करीब छह साल हो गये हैं और विद्युत विभाग ने समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर पत्रावली को आगे भेज दिया था परन्तु कन्सल्टेंट की फीस का भुगतान नहीं होने से फाइल कहीं पर अटकी पड़ी है तथा प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ग्रामवासी परेशान हैं।

अत: छह साल पूर्व स्वीकृत लक्ष्मीपुरा ग्रिड के कार्य में आ रही बाधाओं का निराकरण कराकर ग्रामवासियों की परेशानियों को देखते हुए इसका कार्य अविलम्ब शुरू कराया जाये ताकि ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा व डोरा को सुगमता से बिजली मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

उदयपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में नियम विरुद्ध आवासीय एवं वाणिज्यिक निर्माण

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव- उदयपुर के आस-पास नेशनल हाईवे पर पहाड़ों को काटकर किये जा रहे आवासीय व वाणिज्यिक निर्माण के सम्बन्ध में।

मान्यवर, उदयपुर शहर अपनी प्राकृतिक छटा व नैसर्गिक सौन्दर्य के कारण विश्व में अपना स्थान रखता है। यहां पर्यटक झीलों व पहाड़ों के कारण आते हैं।

अत्यन्त क्षोभ का विषय है कि उदयपुर के आस-पास 50 किलोमीटर के दायरे में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है। पहाड़ों को काटकर होटल, रिसोर्ट व अन्य निर्माण किये जा रहे हैं।

मैंने विगत तीन वर्षों में निरन्तर प्रश्न व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया है लेकिन विभागों ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, मात्र गोलमाल उत्तर भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। खनन, पर्यावरण, स्थानीय निकाय व प्रशासन सहित सभी विभाग आंख मूंदकर बैठे हैं या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। आखिर इन पहाड़ियों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है?

उदयपुर से नाथद्वारा, पिण्डवाड़ा, मंगलवाड़, जयसमन्द, खेरवाड़ा,

(श्री धर्मनारायण जोशी)

झाड़ोल व उबेश्वरजी, सभी मार्गों पर पहाड़ियों को काटकर निर्माण हो रहा है। कई स्थानों पर पानी के प्राकृतिक बहाव का मार्ग अवरुद्ध हुआ है इन मार्गों से वर्षा का पानी झीलों व तालाबों में जाता है।

मेरा निवेदन है सरकार अरावली की इन पहाड़ियों का संरक्षण व सुरक्षा करे अन्यथा यह उदयपुर के साथ और विशेषकर यहां के पर्यटन व प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ अन्याय होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन व राज्य सरकार की होगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां (अनुपस्थित), श्री रामस्वरूप लाम्बा (अनुपस्थित)।

श्री सुरेश मोदी।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बकाया बिल के चलते जनता जल योजना के विद्युत कनेक्शन विच्छेद

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनता जल योजना के तहत लगे नलकूपों के विद्युत खर्च की बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत कनेक्शन काट दिये गये हैं, जिस कारण पीने के पानी का गम्भीर संकट खड़ा हो गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार वर्ष 2017 की तरह विद्युत खर्च हेतु जरूरतमंद पंचायतों को तुरन्त सहायता दे एवं तब तक पेयजल के स्रोतों का कनेक्शन काटने से तुरन्त रोके। धन्यवाद।

(समय: 12.24 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री हीराराम।

बिलाड़ा में मीठे पानी की उपलब्धता

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मीठे पानी की समस्या के बारे में विशेष उल्लेख।

(श्री हीराराम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सादर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मीठे पानी की गम्भीर समस्याओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें आजादी के बाद से आज आधुनिक भारत के समय में भी समस्या है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बड़ी नगरपालिका बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर आती हैं। पीपाड़ शहर माननीय मुख्य मंत्री महोदय का दूसरा घर है, जो युवावस्था में इनका व्यापारिक पायदान रहा है। बिलाड़ा एवं उसके आस-पास के 112 गांवों में पीने के पानी हेतु मीठा पानी लाने हेतु माणकलाव दांतीवाड़ा बिलाड़ा पेयजल योजना पूर्व में कई वर्षों पहले लागू की गयी थी जिसका उद्देश्य बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के करीब 112 गांवों को फ्लोराइडयुक्त एवं खारे पानी से मुक्ति दिलाना है। इससे पूर्व वर्षों से बिलाड़ा शहर फ्लोराइडयुक्त एवं खारा पानी पीता आ रहा है। वर्तमान में भी पी रहा है जिससे उनके कस्बावासियों में हड्डियों में फ्लोराइड जम जाने से घुटने एवं कमर दर्द की समस्या लम्बे समय से है। इस बीमारी को ठीक करने हेतु करीब बीस वर्ष पहले उक्त योजना लाई गयी थी, परन्तु बीस वर्षों में अभी तक बिलाड़ा शहर को मीठा पानी नसीब नहीं हुआ।

बिलाड़ा के पास चार किलोमीटर दूर जोधपुर जिले का बहुत बड़ा बांध जसवंत सागर बांध है परन्तु 2007 के बाद आज तक नहीं भरा गया है जिससे बिलाड़ा में अकाल जैसी स्थिति है तथा आस-पास के कृषि कुएं व तालाब सूखे पड़े हैं। जल स्तर 800 फीट नीचे चला गया है। अभी बिलाड़ावासी खारा पानी पीने को मजबूर हो गये हैं। कहने को तो बिलाड़ा शहर में पांच बड़ी टंकियां चार वर्षों से निर्मित करा दी हैं तथा आस-पास के गांवों में भी बड़ी टंकियां निर्मित हो गयी हैं। बड़े-बड़े पम्प हाउस भी बना दिये हैं। कुछ गांवों में कभी-कभार मीठे पानी को खारे पानी में मिक्स कर सप्लाई कर दिया जाता है, परन्तु बिलाड़ा तो मीठा पानी से दूर, अभी खारे पानी पीने को मजबूर है। टंकियां भी बिना पानी भरे रहने से अब टंकियों में दरारें आ रही हैं।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि बिलाड़ा नगरपालिका एवं आस-पास के गांव जो ट्यूबवैल से खारा पानी पीते हैं, बिलाड़ा नगरपालिका के पास में जसवंत सागर बांध बना हुआ है, इसमें हाल ही में सरकार द्वारा 4.5 करोड़ रुपये लगाकर इस बांध की मरम्मत कराई गयी है अगर सरकार चाहे तो राजीव गांधी नहर तृतीय चरण का पानी जसवंत सागर बांध में डालकर बिलाड़ा नगरपालिका एवं आस-पास के गांवों को मीठा पानी पिलाया जा सकता है।

(श्री हीराराम)

अत: श्रीमान से निवेदन है कि पीने के पानी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार शीघ्र करवाकर बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र की जनता को अनुगृहित करवाने का श्रम कराये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

लूणकरणसर में नवीन जी.एस.एस. निर्माण की स्वीकृति

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में किसानों ने अपने परिश्रम से धोरों की धरती में फसलों का उत्पादन कर क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे लेकर आये हैं परन्तु जब से वर्तमान कांग्रेस सरकार आयी है, किसान बहुत परेशान हैं। परेशान हैं कि साढ़े तीन वर्ष में लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में एक भी नया 33 के.वी. का जी.एस.एस. का निर्माण नहीं हुआ है। किसान वोल्टेज की समस्या से दिन-रात संघर्ष कर रहा है जिसके कारण उत्पादन में नुकसान हो रहा है। सरकार 33 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण बम्बूल, लाडेरा, रूणीया बड़ा बास (।।।), चक जोड़, धीरदान, रोझा, खाडोला, ढाणी छिलला, साबनीया, राजपुरा, हुड्डान, आडसर में कराये। 132 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण कतरियासर, राजासर उर्फ करणीसर में कराये। शेखसर 132 के.वी. जी.एस.एस. पर अतिरिक्त 20 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव पिछले 3 वर्ष से सरकार के पास लम्बित है, को तुरन्त कराये। किसानों व आमजन के हितों के लिए लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा महाजन व नौरंगदेसर में दो नये सहायक अभियंता कार्यालय खोले गये। कांग्रेस सरकार में दोनों ऊर्जा मंत्री, पूर्व मंत्री व वर्तमान मंत्री बीकानेर जिले से हैं और दोनों कार्यालयों को बंद कर दिया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार से किसान निराश है और कह रहा है कि कांग्रेस सरकार जायेगी तब अंधेरा छंटेगा, भाजपा सरकार आयेगी तब सूरज निकलेगा और किसानों के लिए चांदना खिलेगा।

अत: मेरा इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही करायी जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोत।

शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2018 के समय धरने सम्बन्धी प्रकरणों की निरस्ती

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत तृतीय श्रेणी शिक्षण भर्ती, 2018 लेवल प्रथम को लेकर नेशनल हाईवे-8 पर कांकरी डूंगरी प्रकरण हुआ, इसको लेकर जिला मुख्यालय पर चल रहे धरने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन इस प्रकार है कि अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के रिक्त 1,167 पदों को एसटी के पात्र अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर सितम्बर, 2020 में डूंगरपुर जिले में नेशनल हाईवे-8 के पास कांकरी डूंगरी पहाड़ पर अभ्यर्थियों व सामाजिक संगठनों द्वारा शान्तिपूर्ण तरीके से आन्दोलन किया जा रहा था। 14-15 दिन तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से वार्तालाप नहीं किया गया। इसके बाद कुछ छात्रों द्वारा रोड जाम किया। इसी दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज व गोलियां चला दी गईं। इसमें 2 बच्चों की मौत हुई और सैकड़ों लोग गम्भीर रूप से घायल हुए।

इस घटना में चार से पांच हजार लोगों को कुल 63 मुकदमों में फंसाया गया। अब तक लगभग 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटनाक्रम को आज एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है। जिला पुलिस द्वारा वर्तमान में भी स्थानीय आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार की दमनकारी नीति से जिले के आदिवासी समाज में डर व आक्रोश का माहौल है। इस कारण विगत 3 माह से जिला मुख्यालय पर जिले के समस्त जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक गुरूवार को साप्ताहिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरने पर प्रत्येक गुरुवार को 2 विधायक, 4 प्रधान, 13 जिला परिषद् सदस्य, 90 पंचायत समिति सदस्य व सैकड़ों सरपंचों द्वारा धरना दिया जा रहा है। मतलब जिले के समस्त जन प्रतिनिधि धरना दे रहे हैं। इसके बावजूद भी राज्य सरकार इस बात को लेकर गम्भीर नहीं है और अब तक किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं किया जा रहा है। जिले की जनता परेशान है। शिक्षित बेराजगारों में खौफ का माहौल है। गांवों में पुलिस द्वारा मानसिक तनाव पैदा किया जा रहा है।

अत: श्रीमान् से अनुरोध है कि अनुसूचित क्षेत्र की शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के रिक्त 1,167 पदों को एसटी के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाये

(श्री राजकुमार रोत)

और साथ ही जिला मुख्यालय पर जिले के समस्त जन प्रतिनिधियों द्वारा दिये जा रहे धरना स्थल पर सरकार का प्रतिनिधि वार्तालाप करके इनकी मांग को मानते हुए तत्काल गिरफ्तारी रोके और सरकार आदिवासियों पर कांकरी डूंगरी प्रकरण में दर्ज प्रकरणों को वापस ले और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को बन्द करे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान आक्या ने 295 में लिखे हुए से जो अलग बोला है, वह गलत है। मैं उसको डिलीट करता हूं और भविष्य के लिए कहता हूं कि 295 में जो लिखा हुआ है, वही बोला जाये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री ज्ञानचन्द पारख।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पंजीयन कार्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश में पंजीयन कार्य को सुगम, शीघ्र एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दस्तावेजों के पंजीकरण और उससे संबंधित कार्यों को ऑनलाइन करने की व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन हेतु 2021 में विधान सभा से बिल पारित हो चुका है। वह राज्यपाल महोदय के पास पहुंच गया और राज्यपाल महोदय ने 21.10.2021 को माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के लिए वह भेज दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात् जब वह बिल आ जायेगा, तब नियम बनाये जायेंगे। मोटे तौर पर जो आपके द्वारा सुझाव दिये गये हैं, वे निश्चित तौर पर बहुत अच्छे सुझाव हैं। जब नियम बनेंगे तब उनमें शामिल करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): आगे और है न, पूरा उत्तर दिया नहीं है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय मंत्री महोदय, आपने नामान्तरण की प्रक्रिया को तो ऑनलाइन कर दिया लेकिन क्या कभी आपने इसकी समीक्षा की है? आप कहते थे कि यह ऑनलाइन वरदान साबित होगा। यह बता दूं आपको, यह अभिशाप साबित हो रहा है। इसमें नियम क्या है, कोई भी नामान्तरण कराना चाहता है तो ऑनलाइन आवेदन कर दे। पटवारी को 10 दिन के भीतर-भीतर ओके करना होगा। उसके बाद 7 दिन तक का समय आईएलआर को दिया गया है और 30 दिन की अवधि तहसीलदार या ग्राम पंचायत को दी गयी है। ये आपके आदेश हैं। आपने आदेश किये। सरकार ने आदेश किये कि इन कार्यों को इतने-इतने दिन में, ये-ये अधिकारी, कर्मचारी करेंगे। एक लाख से भी ज्यादा नामान्तरण के प्रकरण आपके द्वारा 47 दिन की दी गयी अवधि पूरी होने के बाद भी दर्ज नहीं हुए हैं तो यह आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया कारगर साबित नहीं हो रही है इसलिए एक बार आप समीक्षा करो और पाबन्द करो। एक प्रावधान इसमें और कर लो आप, अभी आपने ऑनलाइन म्युटेशन का तो कर दिया, ऑनलाइन सेंक्शन का भी कर दो। अगर 10 दिन में पटवारी नहीं करता है तो अपने आप ओके होकर आगे वह फारवर्ड हो जाये आईएलआर के पास। आईएलआर 7 दिन में नहीं करता है तो स्वत: ही ओके होकर वह तहसीलदार के यहां या ग्राम पंचायत में चला जाये। यदि वह 30 दिन की अवधि के अन्दर नहीं करते हैं तो वह स्वत: ही नामान्तरण दर्ज हो जाये। यह आप करोगे तब कहीं जाकर आपको इस योजना का लाभ आपके माध्यम से जनता को मिलेगा वरना मिलेगा नहीं। एक लाख से ज्यादा के लिए कह रहा हूं मैं आपको।

दूसरा माननीय मंत्री महोदय, इसमें एक कमी और रह गयी। एक खाता है। उसका बंटवारा हो गया। चार भाई हैं, पांच भाई हैं। एक भाई ने, दूसरे भाई ने, तीसरे भाई ने, चौथे भाई ने जमीन एक व्यक्ति को बेच दी। खरीददार यदि ऑनलाइन म्युटेशन कराना चाहता है तो पहली खरीद पर उसको 47 दिन लग जायेंगे म्युटेशन भरने में। तब कहीं जाकर दूसरा चढ़ेगा वह, उसके पहले चढ़ेगा नहीं क्योंकि उसमें सिस्टम ऐसा है कि अगर एक प्रक्रियाधीन है तो दूसरा चढ़ता नहीं है उसमें तो लगभग तीन से चार महीने का वक्त लग जाता है एक खरीददार को अपनी खरीदी हुई जमीन का म्युटेशन कराने में। अगर किसी ने खरीद ली है तो यह होगा कि वह प्रक्रियाधीन है। दूसरा भी साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आप यह प्रावधान भी कर दोगे तो उससे खरीददार को काफी राहत मिलेगी।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय मंत्री महोदय, तीसरा बिन्दु यह है। एक खाता है, दस टुकड़े हैं और नौ टुकड़े बिना विवाद हैं, विवाद रहित हैं। मात्र एक टुकड़े में विवाद है जिसका कोर्ट में केस चल रहा है। नौ में कोई डिस्प्युट नहीं है पर चूंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया, अब किसी एक टुकड़े का विवाद कोर्ट में चल रहा है और नौ बिलकुल सही हैं, उन नौ सही का भी नामान्तरण नहीं होता क्योंकि आपने ऑनलाइन में जो सॉफ्टवेयर डवलप किया है, उससे पूरा खाता लॉक हो गया तो सॉफ्टवेयर को आप ठीक करवा दें, दुरुस्त करवा दें ताकि आपने ऑनलाइन का सिस्टम लागू करके प्रदेश की जनता को जो राहत देने की बात कही है, वह राहत की बजाय आहत हो रहे हैं। उनको राहत मिल जायेगी। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जैसाकि मैंने आपको बताया कि ज्योंही राष्ट्रपति महोदय के यहां से आयेगा तो नियम बनेंगे और आपने मोटे तौर पर जो बातें बतायी हैं, मुझे जो बनाकर दिया है आपने, अगर मान लीजिये मौका देखना है तो मौका देखने के 48 घंटे के अन्दर-अन्दर पंजीकरण करके करेगा। आपने कहा कि अगर पटवारी नहीं करता है तो उसको ऊपर वाला अधिकारी सुओमोटो कर लेगा। फिर वह नहीं कर सकता तो उसके ऊपर वाला कर देगा। यह सब चीज अभी जो नियम बनाये जा रहे हैं पहले से, उनमें डाल दिये गये हैं। मोटे तौर पर यह भी डाल दिया गया है कि मान लीजिए और एक्स्ट्रा डिमाण्ड निकालता है तो डिमाण्ड का भी कागज ऑनलाइन हो जायेगा। जो प्रोसीजर है, वह आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस प्रोसीजर में निश्चित तौर पर जो आपने बताया, वह की वह है लेकिन उन सबको परिवर्तन करने के लिए संशोधन लाया गया है। यह संशोधन किसलिए आ रहा है। इन्हीं बातों को लेकर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम माननीय सदस्य ने बतायी है, ऑनलाइन के एप में यदि यह प्रोविजन नहीं किया तो वह स्टक हो गये। आप केवल यह एश्योर कर लें कि ऑनलाइन का जो एप बन रहा है, उसमें जो यह प्रैक्टिकल प्रोब्लम आ रही है कि चार भाइयों का खाता है, एक भाई ने नहीं बेचा तो उसका ऑनलाइन नहीं होगा, यदि एक डिस्प्युट है तो नहीं होगा, ऑनलाइन में यदि इसको एड्रेस कर देंगे तो पब्लिक को ज्यादा रिलीफ मिलेगी। माननीय सदस्य की यह मंशा है तो डिजिटल जो एड्रेस कर रहे हैं, उसमें इन चीजों को इनकारपोरेट करने का काम करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक मिनट। आप मेरा ध्यान आकर्षण अच्छी तरह से पढ़ लें। राष्ट्रपति महोदय के पास सिर्फ ऑनलाइन पंजीयन वाला पार्ट विचाराधीन है, बाकी तो सिस्टम आपने लागू कर दिया। मैं नामान्तरण की बात कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसी के साथ-साथ है वह।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, नहीं, अलग है दोनों। नामान्तरण की कार्यवाही तो आपने प्रारम्भ कर दी। लगभग 342 तहसीलों को आपने ऑनलाइन कर दिया अब तक। मैं नामान्तरण की बात कर रहा हूं मंत्री महोदय। रजिस्ट्रेशन के लिए तो माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास विचाराधीन है। वह तो जब भी आयेगा, आप कर दोगे, लेकिन यह तो आप अभी कर सकते हो। इसके लिए वहां से परमिशन की जरूरत नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देखिए, वर्तमान में डिजीटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड्स माडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत तहसीलों में ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इस क्रम में विक्रय पत्र के पंजीकरण होने पर सम्बन्धित पंजीकरण पोर्टल में ई-धरती पोर्टल से स्वत: ही नामान्तरण के रूप में प्रदर्शित हो जायेगा। स्वत: ही प्रदर्शित हो जायेगा। इसमें सब चीजें अब होने वाली हैं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर शहर में बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान, जयपुर शहर में लगभग 80 हजार मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, जिनमें नियमों की आड़ में पेयजल कनेक्शन में आना-कानी की जा रही है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जयपुर शहर में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली मल्टीस्टोरीड बिल्डिंगों के भूतल पर एक पेयजल कनेक्शन मल्टीस्टोरी के मालिक या विकासकर्ता बिल्डिंग के वेलफेयर सोसायटी द्वारा आवेदन करने पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.11.2016 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार बिल्डिंग के कुल क्षेत्र का 42 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से राशि प्राप्त कर पेयजल

(डा. महेश जोशी)

कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। जगतपुरा, महल रोड एवं प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित मल्टीस्टोरीड बिल्डिंगों में उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा विकसित पेयजल तंत्र के आधारभूत ढांचे पर किए गए व्यय का आकलन कर पेयजल कनेक्शन राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2020 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार बिल्डिंग के कुल निर्मित क्षेत्र का 25 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से राशि प्राप्त कर पेयजल कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। जगतपुरा, महल रोड एवं प्रताप नगर क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थित मल्टीस्टोरीड बिल्डिंगों में पेयजल कनेक्शन जारी करने हेतु बिल्डिंग के निर्मित क्षेत्र का 42 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से ली जाने वाली राशि को सी.आई.ई. एवं राजस्थान बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा व्यावहारिक नहीं मानते हुए दरें कम करने हेतु विभाग को प्रतिवेदन दिया गया है, जिस पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों में पेयजल कनेक्शन जारी करने हेतु पूर्व में निर्धारित की गयी राशि निर्मित क्षेत्र का 42 रुपये प्रति वर्ग फीट पर विभाग की तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो तकनीकी समिति के निर्णय उपरान्त जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मल्टीस्टोरीड बिल्डिंगों में पेयजल कनेक्शन देने हेतु संशोधित परिपत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि जयपुर शहर में लगभग 80 हजार फ्लैट्स मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग्स हैं और उनमें जगतपुरा, महल रोड और प्रताप नगर में तो 25 रुपये और बाकी जगह 42 रुपये प्रति वर्ग फीट आप उसका चार्ज ले रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि उनको बीसलपुर का पानी नहीं मिल पा रहा और जो वहां अंडरग्राउंड ट्यूबवैल खोदकर पानी ले रहे हैं। ट्यूबवैल खोदने से कई जगह तो टेल एण्ड पर प्रेशर मेन्टेन करने के लिए वह नीचे तक पानी खोद रहे हैं, जिससे वह इलाका डार्क जोन में आ गया और लोग-बाग़ फ्लोराइडयुक्त पानी पीकर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग में JDA से अनुमोदित, JDA में डवलपमेंट चार्ज जमा है, तो इन बिल्डिंग्स में जल की सप्लाई की जिम्मेदारी किसकी है? यह आपकी है। 10 हजार लोगों ने इसके लिए एप्लाई किया हुआ है और नियमों की आड़ में केवल 3 हजार कनेक्शन अभी तक आपके हुए हैं। मैं, माननीय

(श्री कालीचरण सराफ)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इनके लिए 42 रुपये और दूसरे के लिए 25 रुपये क्यों? आपके एक कनेक्शन देना पड़ता है तो जिस प्रकार सामान्य रेट में बाकी लोगों को आप कनेक्शन देते हैं, उसी प्रकार से मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग्स में भी यदि सामान्य रेट पर आप यदि कनेक्शन देंगे तो लगभग 4 लाख उपभोक्ता हैं जयपुर शहर में, उससे 200 करोड़ रुपये का राजस्व भी आपको प्राप्त होगा और प्रति महीने 5 से 10 करोड़ रुपये आपको राजस्व अर्जित होगा। इसके बारे में मैं आपसे मांग करना चाहूंगा कि इनको सामान्य रेट पर पानी के कनेक्शन दिए जाएं।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने जवाब में निवेदन किया कि हमारी तकनीकी समिति द्वारा इसका विश्लेषण किया जा रहा है। यहां सदन में माननीय विधायक महोदय ने अपनी राय रखी है, उसको भी मैं तकनीकी समिति को अवगत कराऊंगा। मुझसे आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रेडाई का भी एक डेलीगेशन मिला था। हम लोग कतई यह नहीं चाहते कि कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो। फ्लैट में रहने वाले या नॉन-मल्टीस्टोरीड, जो मकान हैं, उनमें रहने वालों में कोई भेदभाव हो लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमको अलग से इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना होता है। उसके लिए जो चार्जेज लिए जाते हैं, इस कारण यह अन्तर आता है। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तकनीकी समिति सारी बातों पर गम्भीरता से विचार करेगी और जो इसमें अधिक से अधिक किया जा सकता है, करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 50 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

1. अधिसूचना संख्या: एफ.5(8)वित्त/कर/2021-51 दिनांक 28.09.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)वित्त/कर/2021-280 दिनांक 24.02.2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(7)वित्त/कर/2021-54 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान मध्यवर्ती दस्तावेजों पर देय स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.2(7)वित्त/कर/2021-55 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा निर्धारित समनुदेशन अथवा स्थानान्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.2(7)वित्त/कर/2021-56 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा लीज होल्ड से फ्री होल्ड, सब-डिवीजन, पुनर्गठन या भू-उपयोग परिवर्तन के बाद जारी पट्टा विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(97)वित्त/कर/2017-पार्ट-57 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(29)वित्त/कर/2021-269 दिनांक 24.02.2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-58 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-59 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-60 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-61 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-62 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-43 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-63 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-120 दिनांक 18.10.2017 में संशोधन किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-64 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा कोविड-19 में प्रयुक्त निर्दिष्ट दवाओं को आरजीएसटी से 31 दिसम्बर, 2021 तक छूट प्रदान की गई है;

13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-65 दिनांक 01.10.2021 जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 में संशोधन हेतु राजस्थान माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 6 को दिनांक 01.06.2021 से लागू किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-66 दिनांक 01.10.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 4 और 5 को दिनांक 01.08.2021 से लागू किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-67 दिनांक 01.10.2021 जिसके द्वारा वे करदाता जिनका वार्षिक टर्नओवर रु. 5 करोड़ तक है, उन्हें नियम 80 के अन्तर्गत जीएसटीआर-9सी में छूट प्रदान की गई है;

16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-68 दिनांक 01.10.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-69 दिनांक 01.10.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-289 दिनांक 26.03.2021 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

18. अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)वित्त/कर/2018-70 दिनांक 04.10.2021 जिसके द्वारा 50 लाख रुपये मूल्य तक के आवासीय बहुमंजिला भवनों के विक्रय विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)वित्त/कर/2018-71 दिनांक 04.10.2021 जिसके द्वारा 25 लाख रुपये तक के रिक्त आवासीय भूखण्ड के हस्तान्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(34)वित्त/कर/2015-72 दिनांक 05.10.2021 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है;
21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2012-पार्ट-I-73 दिनांक 25.10.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2012-182 दिनांक 05.02.2015 का निरसन किया गया है;
22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2012-पार्ट-I-74 दिनांक 25.10.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2012-186 दिनांक 05.02.2015 का निरसन किया गया है;
23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2012-पार्ट-I-75 दिनांक 25.10.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2012-183 दिनांक 05.02.2015 का निरसन किया गया है;
24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-76 दिनांक 27.10.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;
25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(97)वित्त/कर/2017-77 दिनांक 31.10.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(29)वित्त/कर/2021-269 दिनांक 24.02.2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
26. अधिसूचना संख्या: एफ.2(10)वित्त/कर/2020-78 दिनांक 03.11.2021 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पक्ष में बैंक आफ इण्डिया द्वारा निष्पादित 500 करोड़ रुपये के ऋण अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

27. अधिसूचना संख्या: एफ.2(30)वित्त/कर/2015-79 दिनांक 10.11.2021 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के दौरान हक त्याग संबंधी दस्तावेजों को पंजीयन करने के लिए तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है;

28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(38)वित्त/कर/2021-पार्ट-80 दिनांक 16.11.2021 जिसके द्वारा पेट्रोल और डीजल पर वैट दरों में संशोधन किया गया है;

29. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-81 दिनांक 01.12.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

30. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-82 दिनांक 01.12.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-83 दिनांक 01.12.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-84 दिनांक 01.12.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-55 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

33. अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/2018-85 दिनांक 06.12.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत अपीलीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है;

34. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-86 दिनांक 10.12.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

35. अधिसूचना संख्या: एफ.2(18)वित्त/कर/2020-87 दिनांक 27.12.2021 जिसके द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा निष्पादित पचास हजार रुपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

36. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-88 दिनांक 29.12.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2021 के नियम 2 के उप-नियम (2), (3), (6) के खंड (प) और उप-नियम (7) को दिनांक 01.01.2022 से लागू किया गया है;

37. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-89 दिनांक 29.12.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन), अधिनियम 2021 की धारा 2, 3 और 7 से 15 के प्रावधान दिनांक 01.01.2022 से लागू किये गये हैं;

38. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-90 दिनांक 31.12.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

39. अधिसूचना संख्या: एफ.12(97)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-91 दिनांक 31.12.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(29)वित्त/कर/2021-269 दिनांक 24.02.2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

40. अधिसूचना संख्या: एफ.2(7)वित्त/कर/2021-92 दिनांक 31.12.2021 जिसके द्वारा शहरी विकास प्राधिकरणों और यूआईटी में नियुक्त तहसीलदारों को ऐसे प्राधिकरणों और यूआईटी द्वारा जारी किये गये पट्टों विलेखों को प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान पंजीयन करने के लिए सशक्त किया गया है;

41. अधिसूचना संख्या: एफ.2(9)वित्त/कर/2021-93 दिनांक 31.12.2021 जिसके द्वारा स्टाम्प शुल्क पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई है;

42. अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)वित्त/कर/2018-94 दिनांक 31.12.2021 जिसके द्वारा 50 लाख रुपये तक आवासीय बहुमंजिला भवनों के विक्रय विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

43. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-95 दिनांक 31.12.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

44. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-96 दिनांक 31.12.2021

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

45. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-97 दिनांक 31.12.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-77 दिनांक 26.07.2018 में संशोधन किया गया है;

46. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-98 दिनांक 31.12.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

47. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-99 दिनांक 31.12.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

48. अधिसूचना संख्या: एफ.2(9)वित्त/कर/2021-100 दिनांक 19.01.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(9)वित्त/कर/2021-93 दिनांक 31.12.2021 में संशोधन किया गया है;

49. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2018-101 दिनांक 20.01.2022 जिसके द्वारा बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा रूडसिको के पक्ष में 1637 करोड़ रुपये के ऋण हेतु निष्पादित ऋण अनुबंध के दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है; एवं

50. अधिसूचना संख्या: एफ.2(28)वित्त/कर/2016-102 दिनांक 20.01.2022 जिसके द्वारा रिडको के निगमन के समय आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्ष: समिति प्रतिवेदन, श्री भंवरलाल शर्मा।

समिति प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन

(क्रम संख्या 3 व 4)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, 2021-22 के निम्नांकित दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 के आश्वासनों की क्रियान्विति से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन; एवं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

2. शिक्षा विभाग के वर्ष 2014 के आश्वासनों की क्रियान्विति से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन, श्री हमीर सिंह भायल।

याचिका

सिणधरी-धनवा-सिवाना-मीठोड़ा सड़क का नवीनीकरण

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सिणधरी-धनवा-सिवाना -मीठोड़ा सड़क के नवीनीकरण एवं चौड़ाई बढ़ाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांग पर विचार। श्रीमती शकुन्तला रावत, उद्योग मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42-उद्योग की प्रस्तुति

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,01,67,14,000/- (अक्षरे चार अरब एक करोड़ सड़सठ लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 42 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

श्री अध्यक्ष: मांग संख्या 11, श्रीमती शकुन्तला रावत।

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं की प्रस्तुति

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,01,30,000/- (अक्षरे उनहत्तर करोड़ एक लाख तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 11 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

मांग संख्या 42 व 11 पर विचार

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वर्ष 2020 गया है, इस कोरोना महामारी को लेकर पूरा विश्व दहशत में था। सारे काम-धन्धे बन्द हो गये। आवागमन बन्द हो गया और लम्बे टाइम तक लॉकडाउन भी रहा। इस दौरान जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां थीं, वे सारी की सारी ठहर गयीं। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी का साहस देखो, 12 मई, 2020 को राष्ट्र के नाम सन्देश दिया और 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ-साथ आत्म-निर्भर भारत के अभियान की उन्होंने घोषणा की। आपदा में भी अवसर, उसका सन्देश पूरे देश को दिया। यह तो 56 इंची चौड़े सीने का कमाल है कि उस परिस्थिति के बाद भी देश में औद्योगिक गतिविधि ठहरे नहीं और पहले की तुलना में तेजी से बढ़े, तो लम्बी राशि दी।

(समय: 12.48 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

साथ में जनता को भी आह्वान किया कि अधिकांश वस्तुओं का निर्माण भारत में ही हो। मेक इन इण्डिया का नारा भी उन्होंने दिया। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद में जो गति देश को मिली, हम राजस्थान वाले उसमें शायद कदम-से-कदम नहीं मिला पाए, ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया पर जो बाकी राज्यों ने काम किया, उसकी तुलना में हम बहुत पीछे रह गये। अगर राजस्थान भी उसी गति से आगे चलता न, तो राजस्थान में भी औद्योगिक प्रगति होती, देश भी औद्योगिक प्रगति की ओर और तेजी से आगे बढ़ता। माननीय सभापति महोदय, आप देखें पहले क्या था, जब केन्द्र में यूपीए की सरकार थी, सकल घरेलू उत्पाद था 01 लाख 10 हजार करोड़ मात्र। आज हम देखते हैं कि वह सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 30 हजार करोड़ हो गया, यानी दुगुने से भी ज्यादा हो गया। 3 साल तक आपदा झेली, उसके बाद भी सकल घरेलू उत्पाद दुगुने से भी ज्यादा हो गया।

माननीय सभापति महोदय, आप देखें, वर्ष 2013-14 मे जो कि यूपीए की सरकार का अन्तिम वर्ष था, उस समय देश का निर्यात 2 लाख 85 हजार करोड़ रुपये था जिससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। वर्तमान में बढ़कर 4 लाख 70 हजार करोड़ रुपये हो गया।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

यह उस नरेन्द्र मोदी का कमाल है। उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सोच का परिणाम है। जो कोरोना की परिस्थिति थी, उसके बावजूद भी देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का जो काम उसने किया है, उसका यह प्रमाण है लेकिन हम पता नहीं क्यों पीछे रह रहे हैं? जबकि माननीय मंत्री महोदय, प्रकृति हम पर मेहरबान है। देश का सबसे बड़ा खाली भू-भाग भी हमारे पास है।

सोलर एनर्जी में भी हमने अब देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। देश की 20 परसेंट सोलर एनर्जी आज राजस्थान उत्पादित कर रहा है। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। वह कोई आपकी कृपा नहीं है। वह तो सूर्य भगवान की कृपा है। हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, उसका परिणाम है। अगर आपकी भी कृपा होती तो हम इस 20 से 30 तक कभी के पहुंच जाते। श्रम भी यहां सस्ता है।

मैं पिछली बार की मांगों में खनिज, जिनके नामों का जिक्र कर चुका था, बार-बार अब करूंगा नहीं, अधिकांश में राजस्थान उनके खनन में, उत्पादन में पहले नम्बर पर है। कुछ में दूसरे नम्बर पर है। माननीय मंत्री महोदय, देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनमें से 5 राजस्थान के हैं। हमारे यहां कोई कमी है तो मात्र पानी की कमी हो सकती है लेकिन यहां अधिकांश उद्योग ऐसे हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आपका साथ होगा तो राजस्थान की धरती पर वह अच्छा परिणाम भी दे पायेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, आज हालत क्या है? औद्योगिक प्रगति में अगर हम पूरे देश की टेबल देखेंगे तो हम 25वें स्थान पर खड़े हैं। यह हमारे लिये शर्मनाक बात है। हमें आत्मचिंतन करना होगा। हमारे जो सिस्टम में कमियां हैं उसको दूर करके दुरुस्त करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी का आप विजन देखो? देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है स्टार्ट अप। उसको बढ़ावा देने के लिए वह युवाओं को लगातार प्रेरित भी करते हैं। आज स्टार्ट अप के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं हैं। सरकार और एंजिल इंवेस्टरों की बड़ी फौज इनको सहयोग करने को तैयार बैठी है। फिर भी 2019 से लेकर 2021 तक जयपुर में मात्र 446 स्टार्ट अप, मात्र 446 हैं। जबकि बंगलौर में 2,656, हैदराबाद में 953, पूना में 892, चेन्नई में 814 और कलकत्ता में 533 हैं लेकिन हम मात्र 446 पर अटके हुए हैं।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मानननीय मंत्री महोदय, मैंने कहा न कि यह हमारा करिश्माई प्रधान मंत्री है। कैसे-कैसे करिश्मे यह करता है। उसकी आप बानगी देखो, इंडिया और यूएई के बीच जो 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' हुआ, 5 साल में हमारा व्यापार 100 अरब डालर तक पहुंच जायेगा। उस एग्रीमेंट में ऐसा हुआ है कि 100 अरब डालर तक पहुंच जायेगा। हम बात करते हैं कि बीजेपी से शायद मुस्लिम देश नाराज होंगे। अरब के जो देश हैं, वे आज हमसे दोस्ती करके अपने आपको गौरवान्वित समझते हैं। हमारे साथ हर वह काम करने को तैयार बैठे हैं जो भारत चाहता है। यह मामूली बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जो इस ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, दोनों देशों की कंपनियों को बेहतर बाजार और बड़ी मात्रा में द्विपक्षीय व्यापार का लाभ मिलेगा। इस एग्रीमेंट में कपड़ा, हथकरघा रत्न, आभूषण, चमड़ा, जूता, चप्पल इन सभी का व्यापार करने का एक एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के जरिये देश में 10 लाख रोजगारों का सृजन होगा। 10 लाख नौकरियां और मिलेंगी।

माननीय मंत्री महोदय, जेम्स एंड ज्वैलर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल ने भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सराहना की है। इस एग्रीमेंट से टैक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको भी जेम्स एंड ज्वैलरी, टैक्सटाइल उद्यमियों से निर्यात की सम्भावनाओं को तलाशने की योजना बनानी चाहिए। राजस्थान में यह व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में है। आप उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगी, उनकी दिक्कत क्या है इसको समझोगी और फिर उसका समाधान करके इनको सहयोग करोगी तो यह जो समझौता हुआ है, इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को भी मिल सकता है लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है।

माननीय मंत्री महोदय, अभी सोना बहुत महंगा हो गया। यह जो इमिटेशन ज्वैलरी है, उसकी मांग भी पूरे विश्व के बाजारों में बहुत बढ़ गयी है। हिन्दुस्तान में यह उत्पाद बहुत होता है लेकिन कहीं अलग से इनके लिए टैक्सटाइल पार्क या सुविधा नहीं की है। आने वाले कल में इसकी मांग को देखते हुए हर रीको सेक्टर में इनके लिए अतिरिक्त प्लाट्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि वह आसानी से अपने उद्योग को खड़ा करके देश के निर्यात में अपना योगदान निभा सके।

माननीय सभापति महोदय, आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यह

(श्री ज्ञानचंद पारख)

प्रधान मंत्री चाहता क्या है, इसकी सोच कितनी दूर की है। अब आपको लगता होगा कि कितने दिन रहेगा? यह आप मानकर चलो कि लम्बे समय तक इस शासन को कोई हिलाने वाला नहीं है। इस बात की गवाही अभी 4 राज्यों के चुनावों ने दे दी।

यूक्रेन की जनता ने एक कामेडियन को सत्ता सौंपने की गलती की। हिन्दुस्तान की जनता वह गलती करने वाली नहीं है। इस मुगालते में आप मेहरबानी करके रहना मत। आपकी पार्टी ने यह गलती की तो उसका परिणाम इन 4 राज्यों के चुनावों में आपने देख लिया। यूपी में क्या हुआ? हम 3 हमारे 2, एक परिवार के 3 दिग्गज नेता, उसके बाद भी सीटें मात्र 2 रहीं। जहां वर्षों तक परम्परागत राजनीति करते हुए प्रधान मंत्री के पद पर उनके परिवार के लोग पहुंचे, उसके बाद भी यूपी में सिर्फ 2 सीटें आपको मिलीं। यह प्रधान मंत्री तो रहने वाला है। इसके साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा तो कहीं जाकर राजस्थान को औद्योगिक प्रगति मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। हमारे प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है कि 2030 तक देश में 500 गीगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता विकसित करनी है। राजस्थान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। हम अभी 10 गीगावाट क्षमता विकसित कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 2025 तक देश के रेलवे को भी इलेक्ट्रिफाइड कर देंगे। यह जो नई-नई कारें, टू-व्हीलर आ रहे हैं, वह भी सारे इलेक्ट्रिक से चलेंगे। हमारी सोलर एनर्जी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए अगर कोई प्रावधान आप कर सकें तो करें। यह मेरा आपसे आग्रह है। अभी तो आप कटौती कर रहे हो। राजस्थान में इसकी प्रबल सम्भावना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया, मैं इनकी कमी नहीं निकाल रहा हूं। देशव्यापी और जिलेवार इंवेस्टर मीट का आयोजन करके एक अच्छी पहल की है। यह सुखद बात भी है कि लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आपके

(समय: 13.00 बजे)

पास लोगों के आ गये और आपका खुद का आकलन है कि जब यह निवेश धरातल पर आयेगा तो 3 लाख नये रोजगार के अवसर सृजित होंगे। माननीय मंत्री महोदय, इन निवेशों को धरातल पर उतारने के लिए आपने क्या-क्या प्रयास किये, इसकी जानकारी आप जरूर देना क्योंकि राजस्थान की जनता

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आपसे जानना चाहती है कि आपने इतने निवेश ले तो लिये पर आपके प्रयास क्या रहे, आपकी बैठकों का क्या नतीजा रहा? 12 जनवरी को भी समीक्षा बैठक की, उसके बाद की प्रोग्रेस भी बताना और कई बार तो लगता है कि अधिकारी आपकी सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो आपकी मानते नहीं, मानते हैं तो वो फिर करते क्यों नहीं? (व्यवधान)

श्री सभापति: वक्ता बोल रहे हैं उनको डिस्टर्ब न करें। (व्यवधान) आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? इट इज नोट अलाउड।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आपकी एटीएफ योजना भी 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रही है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने टैक्सटाइल टेक्नोलोजी डवलपमेंट स्कीम प्रस्तावित की है जो 01 अप्रैल 2022 से लागू हो जायेगी। देश में टैक्सटाइल मशीनरी के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ वीविंग, नीटिंग, गारमेंटिंग के आधुनिकीकरण के अनुदान पर भी भारत सरकार ने उस अनुदान को बढ़ाकर 25 परसेंट कर दिया। राज्य सरकार ने भी इस योजना के प्रवर्तन में अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं, आपसे थोड़ा जानना चाहेगा यह सदन भी और प्रदेश की जनता भी।

माननीय सभापति महोदय, पाली, बालोतरा, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, यहां पर टैक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है। थोड़ा मेहरबानी करो, वहां की जो भी इण्डस्ट्री एसोसिएशन हैं उनको आप थोड़ा आमन्त्रण दो, उनके साथ बैठकर डिस्कस करो। क्या-क्या सम्भावना राजस्थान में हो सकती है कि हमको भारत सरकार की इस योजना का लाभ अच्छा मिल सके, क्योंकि राजस्थान में टैक्सटाइल की बहुत बड़ी सम्भावनाएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार ने मेगा इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल रीजन और अपेरल पार्क की भी घोषणा की है। राजस्थान को भी वह मिल जाये। पेट्रोलियम की भी उन्होंने घोषणा की है, उसका भी पार्क देंगे वो। उसके लिए हो सके तो सबका साथ लो मेहरबानी करके, चाहे जोधपुर के हमारे सांसद हैं, केन्द्र में प्रभावशाली मंत्री हैं, चाहे हमारे अजमेर के हैं, चाहे हमारे प्रतिपक्ष के नेता और उप नेता, चाहे हमारा पूरा दल है, आप उनका भी सहयोग लो। पाली, जोधपुर के पास आपका जो डीएमआईसी है, वहां मेगा इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क निश्चित रूप से आ सकता है, आप तो दूर-दूर रहोगे, बिना बात इनको कोसते रहोगे और फिर आप उम्मीद करोगे कि ऊपर से आपको यूं ही दे दे, ऐसा सम्भव नहीं है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय मंत्री महोदय, इसके साथ-साथ पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन उद्योगों की भी राजस्थान में काफी गुंजाइश है। आपके अधिकारी वहां पर जाकर मिल कर भी आये हैं, केन्द्र के अधिकारियों से और वहां के अधिकारियों ने आपके अधिकारियों को आश्वासन भी दिया है कि वे हर सम्भव राजस्थान में ये दोनों काम आ जाये उसके लिए आपका समर्थन करेंगे। पर, माननीय मंत्री महोदय, अधिकारी मिलकर आ गये और जो अधिकृत प्रस्ताव भिजवाना था, उसको भेजने में इतनी देरी कैसी हुई, अभी तक अपन ने क्यों नहीं भेजा? वो मिलकर आ गये उनसे, जो डिटेल्ड प्रस्ताव भिजवाना था वो आपके यहां से उनके पास पहुंचा नहीं है, वो पहुंचे और साथ के साथ ही बात हो जाये, ये दोनों चीजें राजस्थान की धरती पर आ जायेंगी तो राजस्थान जो औद्योगिक प्रगति में 25वें स्थान पर है, वो बहुत आगे पहुंच जायेगा।

माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान का चाहे टैक्सटाइल उद्योग हो, चाहे पेटकॉक हो, चाहे आयरन उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, चाहे स्टील उद्योग हो, यहां पर पेटकॉक या कोयले की बहुत बड़ी डिमांड रहती है इनमें। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक रोक लगायी है, दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए कि आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां पेटकॉक का उपयोग बन्द हो जाये। दिल्ली पाली से, बालोतरा से, जोधपुर से 600 किलोमीटर दूर है और कोयला यहां पर मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर हो। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो दिल्ली के आसपास के जिलों पर तो रोक लगा दे लेकिन 600 किलोमीटर दूर स्थित जिले हैं उन पर रोक लगाना शायद उच्च न्यायालय भी कभी ऐसा नहीं चाहेगा पर हमने प्रयास नहीं किया। सीमेंट फैक्ट्री वालों ने और आयरन वाले तो अपने स्तर पर ही सुप्रीम कोर्ट जाकर इसकी छूट लेकर आ गये लेकिन टैक्सटाइल वाले लोग अभी भी इस काम को लेकर संकट में हैं। आप प्रयास करें और इम्पोर्टेड पेटकॉक कैसे उपलब्ध हो जाये राजस्थान की इन उद्यमियों को, इसका भी आप प्रयास करें। यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब हम पिछले 2 वर्षों की औद्योगिक राजस्व वृद्धि की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर पर नजर डालें, जिसको सीएजीआर कहते हैं, जो एनएसडीपी और जीएसडीपी के जरिये आंकी जाती है। हमारे

(श्री ज्ञानचंद पारख)

पड़ोसी चार राज्य हैं, मैं पूरे देश से तुलना नहीं करूंगा क्योंकि देश में हम बहुत पीछे हैं, मध्य प्रदेश है पहले नम्बर पर, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर गुजरात, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पांचवें पर राजस्थान हम। उन चारों राज्यों की बीजेपी की सरकार है। उनकी नीयत साफ है, वो कुछ करना चाहती है, केन्द्र से भी अच्छे रिश्ते हैं और वो रिश्ते बनाकर उनसे बहुत बड़ी सहायता लेकर वहां पर डवलपमेंट कर रहे हैं और हम केन्द्र को कोस-कोसकर राजस्थान की जनता को जिस प्रकार से गड्ढे में डाल रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। अगर आपको यहां औद्योगिक प्रगति लानी है तो केन्द्र सरकार से भी आपको सम्बन्ध अच्छे रखने होंगे, यह आपकी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, पूर्व उद्योग मंत्रीजी ने अफसोस जताया था और अपनी कमी स्वीकार की थी सदन के जरिये। डीएमआईसी, उसकी थोड़ी प्रोग्रेस देख लो, कितनी बार हमारे प्रदेश के अधिकारियों को लताड़ पड़ी है, डांट पड़ी है। पिछले साल तो यह नौबत आ गयी थी कि भारत सरकार ने तय कर लिया था कि हम राजस्थान को डीएमआईसी से बाहर कर देंगे और बाद में आपके मंत्रीगण और अधिकारीगण वहां गये, माफी मांगी और आपने वहां पर कमिटमेंट दिया कि हमको थोड़ा और वक्त दो, हम इसमें प्रोग्रेस ले आयेंगे। माननीय सभापति महोदय, चूंकि वह डीएमआईसी, मेरे इलाके में पड़ता है, इसलिए वहां की प्रोग्रेस मुझसे छिपी हुई नहीं है। इतना होने के बाद भी वहां पर प्रोग्रेस नाममात्र की है, नाममात्र की ही है। हम क्यों नहीं चाहते कि राजस्थान उन्नति के शिखर पर, ऊंचाइयों पर पहुंचे? कहां कमी है हम में, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कौन अधिकारी नहीं कर रहे हैं, क्या मजबूरी है? वो सारा देखना पड़ेगा हमको माननीय मंत्री महोदय।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग ही एकमात्र ऐसा विभाग है जिसके जरिये हम बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा दे सकता है तो वो सेक्टर उद्योग ही है, जिसकी प्रबल सम्भावनाएं हमारे राजस्थान में पहले से ही मौजूद हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि प्रकृति भी मेहरबान है हम पर, देश के 5 बड़े उद्योगपति यहां से हैं, भारत सरकार छप्पर फाड़कर पैसा देने को तैयार, धन की वर्षा करने को तैयार, हम लेने की स्थिति में ही नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपको विभाग मिला है, थोड़ी आप मेहनत करो तो हो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

सकता है कि हमको कई सारी सौगातें भारत सरकार से मिल जायें और राजस्थान जो पिछड़ा हुआ है, आज 25वें नम्बर पर है वो शीर्ष स्थान पर आ जाये, इसके लिए सिर्फ आपके प्रयासों की जरूरत है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे मेरे क्षेत्र के कुछ कामों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। कोरोना काल में जो आर्थिक गतिविधियां बाधित हुईं तो अगस्त, 2020 में आपके रीको के प्लॉट जिस व्यक्ति ने नीलामी में लिये हैं, जिसे तीन वर्ष की अवधि के भीतर-भीतर वहां निर्माण और उत्पादन का कार्य चालू करना होता है, उस समय तो आपने एक वर्ष का बिना ब्याज-पैनल्टी के उसकी समयावधि बढ़ा दी, पर 2021 में तो उससे भी गम्भीर कोरोना आया था। सारा काम-काज ठप, सारे लोग दहशत में। मेरा आग्रह रहेगा कि 2020, 2021 और 2022, इस कोरोना की वजह से यदि किसी व्यक्ति ने आपका भूखण्ड ले लिया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति काम-धन्धे कम होने की वजह से कमजोर हो गयी और वह समय पर काम नहीं कर पा रहा है, निर्माण कार्य नहीं कर पा रहा है तो आप दो साल की अवधि बढ़ा दें। कहीं न कहीं उसे सहारा देने की जरूरत है। दो साल की अवधि बढ़ जाये ताकि उस पर कोई ब्याज, पैनल्टी, शास्ति न लगे।

माननीय सभापति महोदय, ये आपके जो रीको के नियम हैं न, इसमें नियम 15(A)(v) में आप इंडस्ट्री एसोसिएशन, डिस्कॉम, पीएचईडी, डीआईसी, पुलिस विभाग, इन्हें जो भूखण्ड आबंटित करते हैं, उन पर आप सर्विस चार्ज नहीं लेते, पर यह जो सीईटीपी है न, जो इन सारी इंडस्ट्रीज के प्रदूषित पानी को उपचारित करके साफ करती है, उसके भूखण्ड का आप सर्विस चार्ज लेते हैं। जब आपने इन सबको इसके दायरे से बाहर रखा है और यह सीईटीपी, यह भी कान्ट्रीब्यूशन से चलती है, राजस्थान सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा अनुदान होता है तो इस सीईटीपी को भी आप इस सर्विस चार्ज से मुक्त कर दें। यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

माननीय मंत्री महोदय, किसी उद्यमी के पास अतिरिक्त भूमि है तो पहले तो जो आपकी डीएलसी की दर थी न, उससे आप उसकी राशि लेकर उसका नियमन कर देते थे। अब आपको लालच आ गया, लोभ आ गया, जबकि रीको के पास तो इतना पैसा पड़ा है, इतना पैसा पड़ा है और अभी भी इतने महंगे प्लाट वह बेचती है, जिसके जरिये आपकी आमदनी तेजी से बढ़ रही है, तो जिसके पास बरसों से कोई जमीन अतिरिक्त कब्जे में है तो जो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

पहले आपके नियम थे, पहले आपके नियम क्या थे कि अगर 5 परसेंट तक अतिरिक्त भूमि है तो वह प्रचलित दर से, भूखण्ड के 10 परसेंट तक अतिरिक्त भूमि है तो वह प्रचलित दर से सवा गुना पर और अगर 10 परसेंट से ज्यादा है तो आप डेढ़ गुना लेते थे। मेरा आग्रह रहेगा आपसे, अगर हम वाकई में उद्यमियों को राहत देना चाहते हैं, वर्षों से जमीन कब्जे में है, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं उसका, हटायेंगे तो कोर्ट का स्टे आ जायेगा, विवाद में चले जायेंगे आप और यह आप कर देंगे तो एक लम्बी राशि इसके जरिये आपको मिल जायेगी। कई सारे प्रकरण राजस्थान में हैं, जो इससे निपट जायेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, एक प्रोब्लम जो कई बार, कई उद्यमियों को फेस करनी पड़ती है, यह आपके नियम 2 में जो ब्लड रिलेशंस हैं न, भाई है उसमें, पत्नी है, बेटा है, पोता है, दादा है, नाना है, पर ऐसे कई प्रकरण आपको मिल जायेंगे कि कई बार भाई की मृत्यु हो जाने पर परिवार का आपस में बंटवारा होता है और भूखण्ड का एक हिस्सा भतीजे के नाम करने पर आपस में उनकी सहमति बन जाती है, पर भतीजे को आप ब्लड रिलेशन में नहीं मानते और उससे आप एक बड़ी राशि ट्रांसफर फीस के नाम से वसूल करते हैं। मेरा इतना ही निवेदन है, भाई की मृत्यु होने की स्थिति में ही परिवार की सहमति से बंटवारे में यदि औद्योगिक भूखण्ड पर भतीजे का हक होता है तो उसमें ट्रांसफर फीस मेहरबानी करके फ्री कर दें तो उस परिवार के साथ आपका एक बड़ा सहयोग हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में जितने भी रीको हैं, वहां सब-डिविजन की छूट है। पाली का पुनायता औद्योगिक क्षेत्र है, हो सकता है वह विशेष परिस्थितियों में बसाया गया हो, 18 साल लगभग उसे होने को आ रहे हैं, वहां अभी तक सब-डिविजन की छूट नहीं है, क्योंकि जब यह औद्योगिक क्षेत्र डिक्लेयर हुआ था, उसमें कुछ शर्तें थीं, क्योंकि जब नॉन कन्फर्मिंग एरिया में इंडस्ट्रीज चलती थीं, उन्हें कन्फर्मिंग इलाके में स्थापित करने के लिये आपने ये प्लाट्स दिये थे। उस समय आपने शर्त जोड़ दी, पर आज कोई व्यक्ति, जिसका धन्धा अच्छा नहीं चल रहा है या परिवार बंट गया, भाई बंटवारा करना चाहता है या पार्टनर अलग हो गये, दोनों अलग-अलग क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं तो यह 15 साल पहले की जो आपकी शर्त थी न, इसे आप मेहरबानी करके हटाकर वहां भी सब-डिविजन की छूट दे दें। पूरे

(श्री ज्ञानचंद पारख)

राजस्थान में सब जगह है। 15 साल में पार्टनर भी बदलते हैं, भाइयों का बंटवारा भी होता है तो फिर प्लाट का बंटवारा रोकने से वहां अनावश्यक ही इंडस्ट्री बन्द रहती है। दोनों भाई, दोनों पार्टनर ही काम नहीं कर पाते। यह बड़ी विसंगति वहां देखने को मिल रही है। जब आप इतनी छूटें दे रहे हैं, इंडस्ट्री के बड़े-बड़े काम भी आपके माध्यम से किये जा रहे हैं तो यह छूट भी आप दे दें।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड कर लें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): ये जो सोलर एजेंसीज हैं न, आज-कल अधिकांश इंडस्ट्री वाले, चूंकि इस राज्य सरकार की बिजली की दरें बहुत ज्यादा महंगी हो गयीं तो सोलर लगाकर वे अपनी फैक्ट्री का संचालन करते हैं, पर आपने उसमें भी बैरियर लगा दिया कि जितना उसका कनेक्शन है, उसका 80 परसेंट ही वह सोलर एनर्जी का प्लांट लगा सकता है। कनेक्शन होना और कंजम्पशन होना, उसमें काफी बड़ा अन्तर है। आप इस बैरियर को मेहरबानी करके हटा दें। वह जितनी बिजली से उत्पादन करे, क्या दिक्कत है सरकार को?

सरकार को पैसे देने नहीं उसको वापस तो एक महीने में एडजस्ट हो जायेगा वह। वह आपसे न तो सब्सिडी की मांग कर रहा है, न इंटरेस्ट सब्सिडी की मांग कर रहा है और न लोन की मांग कर रहा है। वह तो आपकी बढ़ी हुई बिजली की दरों के कारण अपने उत्पाद की लागत को कम करने के लिये करोड़ों रुपये खर्च करके सोलर लगा रहा है, तो इस बैरियर को आप हटा दें। जितना वह चाहे लगा दे, उसने अतिरिक्त का किया, उसका पैसा मत दें, अब वह तैयार बैठा है कि हमें पैसा मत दें। वह तैयार बैठा है। आपकी बिजली बच जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लिये एक अच्छी बात और हुई है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने, जो पावरलूम वहां हैं, वहां पहले वे इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी देते थे, उसके कारण वहां लागत कम आती थी और वहां का कपड़ा अन्य राज्यों की तुलना में आसानी से बिक जाता था। अब महाराष्ट्र सरकार ने वह सब्सिडी बन्द कर दी। राजस्थान में पहले पाली में, किशनगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में पावरलूम्स थे, वीविंग मिल्स थीं, साइजिंग मिल्स थीं, पर महाराष्ट्र से वे कम्पीट कर नहीं पाये। कारण एक ही रहा, इलेक्ट्रिसिटी की दरों में बढ़ोतरी। जोधपुर में थीं। जब राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में कच्चे कपड़े की खपत होती है, चाहे भीलवाड़ा हो, पाली हो, जोधपुर

(श्री ज्ञानचंद पारख)

हो, बालोतरा हो, सब जगह, तो कपड़ा भी यहां उत्पादित हो जाये तो हम पावरलूम को बढ़ावा देने के लिये वापस क्या-क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते तो जो मैंने सोलर एनर्जी का कहा न आपको, उतना ही आप कर देंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के उद्यमियों में इतना दम है कि आने वाले एक-दो सालों में राजस्थान में हजारों जो पावरलूम्स बन्द हो चुके थे, उनसे भी बेहतर क्वालिटी के आधुनिक पावरलूम्स यहां लग जायेंगे और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट पेश करते हैं तो कहते हैं कि मैंने राजस्थान की जनता पर किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं थोपा, बल्कि उलटे और रियायतें दी हैं। एक नमूना देख लें आप। ये जो 10 हजार वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड हैं, उनके ऊपर आपने चोर रास्ते से 2 परसेंट लैंड टैक्स लगा दिया और उससे लाखों रुपये वसूली कर रहे हैं। यह तरीका ठीक नहीं है। अगर किसी उद्यमी के पास बड़ा भूखण्ड है तो वहां 2 परसेंट का यह जो टैक्स लगाया न आपने चोर रास्ते से, उसे मेहरबानी करके वापस ले लें।

माननीय मंत्री महोदय, मैं इस बात के लिये तो सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड पर इंडस्ट्रियल कन्वर्जन की छूट दे दी, पर यह 2 परसेंट टैक्स है न, वह लगाकर वापस उन्होंने एक जेब में डाला और दूसरी से निकाल दिया।

श्री सभापति: आप प्लीज कन्क्लूड करिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दो मिनट। मैं बहुत शोर्ट में ले रहा हूं। तो यह टैक्स आप हटायें। एक आग्रह आपसे यह रहेगा कि यह जो एग्रीकल्चर लैंड पर इण्डस्ट्रियल कन्वर्जन की जो छूट दी है न, इसमें आपने स्पेसिफिक इण्डस्ट्री के छूट दी है। हो सकता है कि समय के साथ वह इण्डस्ट्री सिक हो जाये, किसी कारणवश उसका उत्पाद मार्केट में नहीं बिके और वह उद्यमी उसकी जगह कोई नयी इण्डस्ट्री उसी कैटेगरी की, चाहे वह ग्रीन की है तो ग्रीन की, ओरेंज की है तो ओरेंज की लगानी चाहे जिसका आज मार्केट में चलन है, पर अभी वह छूट नहीं है। अगर वह अपनी इण्डस्ट्री के नेचर को चैंज करना चाहता है तो उसको वापस कलेक्टर के यहां कन्वर्जन की फाइल लगानी पड़ती है। वहां से वह फाइल वापस जयपुर राजस्व विभाग में जाती है और इस प्रक्रिया में छह महीने लग जाते हैं, जिससे वह सिक इण्डस्ट्री और

(श्री ज्ञानचंद पारख)

ज्यादा सिक हो जाती है, तो राज्य सरकार यह छूट तो कम से कम दे कि जिस कैटेगरी की इण्डस्ट्री है उस कैटेगरी की इण्डस्ट्री, उसी नेचर की चाहे ग्रीन है तो ग्रीन, ओरेंज है तो ओरेंज, उसको लगाने के लिए कहीं उसको परमिशन की जरूरत नहीं हो और स्वयं ही उसको वह काम करने का अधिकार मिल जाये।

श्री सभापति: अब कृपया समाप्त करें। काफी ज्यादा हो गया। बोलिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दो मिनट की बात और है। दो विषय और हैं माननीय सभापति महोदय।

माननीय मंत्री महोदय, अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पोल्यूशन की समस्या को रोकने के लिए अच्छी घोषणा की कि जो भी अपना ईटीपी लगायेगा, हम उसको अधिकतम दो करोड़ या लागत का 20 परसेंट अनुदान देंगे। पाली के उद्यमी, जो इस पोल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा परेशान थे, साहस करके करोड़ों रुपये लगाकर अपनी इकाई में ईटीपी लगा दी। हुआ क्या? अगर मान लो एक ही मालिक की चार फैक्ट्री हैं और चारों आस-पास के चार अलग-अलग भूखण्डों पर औद्योगिक गतिविधि कर रही है तो बाकायदा रीको से उन्होंने परमिशन ली कि हम एक ईटीपी लगा दें क्या। रीको ने परमिशन दी। पोल्यूशन बोर्ड से कंसेंट टू एस्टेब्लिश ली, उन्होंने अनुमति दे दी, कंसेंट टू आपरेट ले ली और वह पिछले दो साल से बाकायदा इस प्रदूषित पानी को उपचारित कर रहे हैं पर सब्सिडी इसलिए रोक दी कि यह तो ईटीपी की श्रेणी में नहीं आता या उस औद्योगिक इकाई के अन्दर स्थापित नहीं है, यह बाहर की ओर स्थापित है इसलिए इसकी नहीं देंगे।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): वह व्यक्ति पोल्यूशन की समस्या का समाधान कर रहा है, प्रदूषित पानी को उपचारित कर रहा है तो मेहरबानी करके जिन लोगों ने ईटीपी लगाकर इतना बड़ा काम किया है उनकी सब्सिडी के प्रकरण, जो आपके यहां लम्बित पड़े हैं, उनको सब्सिडी जारी करके उनको आप प्रोत्साहन दो।

एक यह आपका विषय नहीं होगा पर आपकी इण्डस्ट्री का विषय है। पहले पोल्यूशन बोर्ड ने परमिशन दी कि आप थोड़ा आस-पास कहीं भी भूखण्ड खरीदकर ईटीपी लगा दो और आज नोटिस पकड़ा दिये कि एक साल के भीतर-भीतर इस ईटीपी को आप अपनी औद्योगिक इकाई, जहां औद्योगिक

(श्री ज्ञानचंद पारख)

गतिविधि चल रही है, वहां ट्रांसफर करो वरना आपकी फैक्ट्री बन्द कर देंगे। अगर वहां पहले वाली औद्योगिक इकाई, जहां औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं वहां अगर यह जगह होती तो पहले ही लगा देंगे, वहां नहीं थी इसलिए मजबूरी में उन्होंने बाहर महंगा भूखण्ड खरीदकर लगाया है, तो आप पोल्यूशन बोर्ड से भी बात करो। वह ईटीपी बन्द नहीं हो, वहीं रहे।

अन्तिम बात मैं आपको कह दूं, क्योंकि मेरे पाइंट तो बहुत थे पर आप बार-बार कह रहे हो। यह आपका सिंगल विंडो सुनते-सुनते 23 साल तो मुझे यहां विधान सभा में हो गये और अभी तक कहीं भी लागू नहीं है। आज भी उद्यमी को अपने हर काम के लिए अनेक बार अलग-अलग जगह के अलग-अलग आफिस में चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो यह तो आपके अपने मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, करो, थोड़ा सख्ती से लागू कराओ और जो अफसर नहीं करते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करो।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): तब कहीं जाकर यह इण्डस्ट्रियल माहौल बनेगा, मगर राजस्थान में आप कितना भी प्रयास कर लो, कहने से कुछ नहीं होगा, हकीकत में जब तक आप उद्यमी के मन में विश्वास पैदा नहीं करोगे तब तक वह आपकी बातों में आकर यहां अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42 और 11 पर अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

राज्य सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान दो-दो लॉकडाउन और कोरोना संकट को झेला है। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के औद्योगीकरण को लेकर, इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट को लेकर मुख्य मंत्री जी ने जो तीन साल में काम किये हैं वे ऐतिहासिक काम किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, 2018 में जब सरकार बनी थी तो राजस्थान सरकार ने तीन-चार मेगा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिये थे राजस्थान को विकास की गति देने के लिए। दिल्ली-मुम्बई इण्डिस्ट्रयल कोरिडोर, पेट्रो केमिकल्स एण्ड पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट रीजन, इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट

(श्री जगदीश चन्द्र)

प्रोजेक्ट जैसी विशाल परियोजनाओं को राजस्थान सरकार लेकर आयी थी। तीन साल में दो साल कोरोना में निकल गये पर उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार की तरफ से इस पर पूरा फोकस किया गया, इनको बनाने के लिए सरकार द्वारा पैसों का पूरा इंतजाम किया गया। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें दो परियोजनाएं, फ्रेट कोरिडोर और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में भारत सरकार की तरफ जो उम्मीद हम मदद की कर रहे थे, मुझे लगता है कि वह मदद नहीं हो पायी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले भी हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण परियोजना जोधपुर-पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन, हमने 1,500 एकड़ के आसपास जमीन को चिह्नित किया, जिसमें 700 करोड़ रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने का प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया।

नम्बर दो, जयपुर में आईटी कम्पनियों के लिए प्रस्तावित फिनटेक पार्क में 40 हैक्टेयर जमीन एक्वायर करके उसमें काम स्टार्ट किया। एमएसएमई एक्ट में सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम विधेयक, 2019 में हम लोग लेकर आये जिसमें 5 साल तक इंस्पेक्शंस का, लाइसेंस का, सारी छूट का प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया। सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया, वह इसलिए किया गया कि जो इन्वेस्टर राजस्थान में आना चाह रहा है उसे किसी प्रकार की ब्यूरोक्रेटिक आब्स्टेकल नहीं हो और वह अपना इन्वेस्टमेंट करे, जिससे राजस्थान में औद्योगीकरण के क्षेत्र में विकास की गति और तेज की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि लघु उद्योग योजना, चले आ रहे उद्यम के विस्तार के लिए दस करोड़ के ऋण के ऊपर राजस्थान सरकार ने सब्सिडी देने का भी फैसला किया। निवेश के लिए, 2019 में निवेशकों को विद्युत कर, मण्डी शुल्क, भूमि कर, स्टाम्प शुल्क और भू-रूपान्तरण शुल्क में भी सात साल के लिए 100 परसेंट छूट का भी प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, रीको राजस्थान की बहुत बड़ी संस्था है। पूरे भारत में जितने भी इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं वे जब भी राजस्थान में आते हैं, राजस्थान में इण्डस्ट्री लगाने की बात करते हैं तो वे रीको की चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान के विकास में रीको का महत्वपूर्ण योगदान है। रीको जब से बना है, निश्चित तौर पर नये-नये इण्डस्ट्रियल जोन हमने डवलप

(श्री जगदीश चन्द्र)

किये हैं, नये-नये बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे यह कहते हुए इस बात की खुशी है कि देश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की उन्नति की दिशा में अच्छे योगदान के लिए 6 सितम्बर, 2021 को पुडुचेरी में एक कन्वेंशन हुआ था, काउंसिल आफ स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया के द्वारा रीको को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उसमें 25 स्थान राजस्थान के रीको के चिह्नित किये गये, जिनको बेस्ट प्राइज दिया गया कि ये सबसे बेस्ट जोन हैं जहां इण्डस्ट्री लगा सकते हैं। यह रीको के क्षेत्र में एक उपलब्धि है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने लघु औद्योगिक प्रोत्साहन योजना 2019 में स्टार्ट की थी। इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए उद्यमियों के लिए 25 लाख रुपये पर 8 परसेंट, पांच करोड़ के लिए 6 परसेंट और दस करोड़ के लिए 5 परसेंट ब्याज में सब्सिडी दी गई। यह इसलिए दी गई कि जिन लोगों ने इण्डस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं उनको थोड़ी-बहुत रियायत मिल सके और सरकार ने यह फैसला किया। योजना के शुरू से अब तक 10 हजार 588 आवेदकों को बैंकों के माध्यम से 2,535 करोड़ से अधिक का ऋण दिलाया गया।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इसके साथ-साथ हमारे जो इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया। एक पोर्टल स्टार्ट किया और पोर्टल पर दिसम्बर, 2021 तक 4 लाख 21 हजार से अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इन उद्योगों में 29 हजार 444 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है।

प्रदेश में महत्वाकांक्षी रिफाइनरी योजना, कितनी बड़ी योजना है? यह पूरे मारवाड़ की, हमारा पूरा का पूरा जो रीजन है उसकी यह लाइफ लाइन है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के माध्यम से जो रिफाइनरी लग रही है इसके निर्माण के लिए अब तक 11 हजार 995 करोड़ तो हम लोग खर्च कर चुके हैं और यह महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार की मंशा है कि जिस दिन यह योजना पूरी हो जायेगी, उस पूरे रीजन में नौकरियों की अपार संभावना होगी। सरकार यह भी कोशिश कर रही है, करीब-करीब एस्टीमेटेड रेण्डम 1 लाख 40 नौजवानों को नौकरी मिले, इस रिफाइनरी के माध्यम से।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में खनिजों की अपार सम्पदा है और राजस्थान खनिजों के लिए

(श्री जगदीश चन्द्र)

भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार ने खनिज प्रोडक्शन के लिये जो तैयारी कर रखी है, उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारा प्रधान खनिज लाइम स्टोन है, जिसके लिये दो ब्लाक हमने ई-आक्शन के माध्यम से किये हैं। आगामी वर्षों में इससे हमें 6 हजार 888 रुपये का राजस्व भी मिलेगा। इसमें दो ब्लाक लाइम स्टोन के और एक ब्लाक कोपर का, ई-आक्शन की प्रक्रिया जारी है ताकि खनिज का जो मामला रुका हुआ था, वह आगे बढ़ सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान सरकार के प्रयास से चार वर्षों में न्यायिक विवादों एवं पेंडिंग केसेज का निवारण किया गया है और निवारण करके वैध बजरी खनन प्रारम्भ किया गया। अब तक टोंक, राजसमन्द, भीलवाड़ा और जालौर जिलों में 6 खनन पट्टों से खनन शुरू किया जा चुका है। फरवरी महीने तक अन्य क्षेत्रों में पर्यावरण की अनुमति प्राप्त करके, खनन प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, रीको के द्वारा औद्योगिकीकरण की गति को बढ़ाये रखने के लिये प्रदेश में अलग-अलग जगह 3 हजार 816 एकड़ भूमि को एक्वायर किया गया है। अब तक हम लोगों को लगभग 4 हजार 281 भूखण्ड अलाट कर चुके हैं इंडस्ट्री लगाने के लिये। यह रीको का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, राज्य में समग्र विकास हेतु, औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार के नये अवसर हेतु 147 सब-डिविजनल हैडक्वार्टर पर चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे। यह मुख्य मंत्री जी ने बजट में भी कहा था और प्रथम चरण में 64 सब-डिविजनल हैडक्वार्टर में हम रीको क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं। देश के विभिन्न शहरों में और देश के बाहर भी हम इन्वेस्टर्स से लगातार कान्टैक्ट कर रहे हैं, दुबई में भी हमने कान्टैक्ट किया है। सम्मेलनों के माध्यम से निवेश के लिये प्रस्ताव आये हैं। हमें 5 लाख 73 हजार 327 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, राज्य व जिलों में सम्मेलनों में 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम समिट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। दूसरे स्टेटों के भी आ रहे हैं और वे राजस्थान में इंडस्ट्री लगाने का प्रस्ताव भी दे रहे हैं। इस बात की खुशी है

(श्री जगदीश चन्द्र)

कि राजस्थान सरकार की जो इंडस्ट्रियल पालिसी है, मुख्य मंत्री जी ने अहम फैसले लेकर पालिसी में बदलाव किया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में राजस्थान को इस बात का फायदा होगा।

राजस्थान में इंडस्ट्री की अपार सम्भावनाएं हैं। आज राजस्थान सरकार की लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे बेहतर है। हर बिजनसमैन सबसे पहले सोचता है, मेरा पैसा कहां सुरक्षित है? मैं कहां व्यापार कर सकता हूं? मेरा पैसा कहां सेफ रहेगा? कहां मुझे दो रुपये का धन्धा मिलेगा? तो इसमें राजस्थान के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे पहले प्रायोरिटी के आधार पर राजस्थान को चुनते हैं, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

इस दृष्टि से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये, निवेश का अहम योगदान है। इस हेतु प्रदेश के औद्योगिक विकास में उद्यमियों, विशेष रूप से अप्रवासी, हमारे जो एनआरआईज हैं, राजस्थान के करीब-करीब पूरी दुनियां में फैले हुए हैं, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज में काफी लोग हमारे प्रदेश से गये हैं, वे अपनी मिट्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जब पहले भी मुख्य मंत्री थे, तब भी उन लोगों से कान्टेक्ट किया और सबने राजस्थान में आकर इन्वेस्ट करने में अपनी रुचि दिखायी है। हर इन्वेस्टर्स यह सोचता है कि दुनियां के बाहर जाकर व्यापार करो, जिस मिट्टी में वह पैदा हुआ है, जिस मिट्टी से उसका लगाव है, उस मिट्टी में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेन्ट करना चाहता है। सरकार ने इसके माध्यम से एनआरआईज को जोड़ने के निरन्तर प्रयास किये हैं। हम लोगों ने देश के सात शहरों में दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, बंगलरू, हैदराबाद और चेन्नई में इन्वेस्टर कॉन्टेक्ट प्रोगाम का आयोजन किया। दुबई एक्सपो में राज्य के प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया। अमेरिका स्थित निवेशकों के साथ वीसी के माध्यम से कान्टेक्ट किया गया और उन लोगों ने भी रुचि दिखायी है और बोर्ड आफ इन्वेस्टमेन्ट की प्रथम बैठक में 1 लाख 66 हजार 725 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारी राजस्थान सरकार ने, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, एससी-एसटी के लोग हैं, सरकार की मंशा है कि इनकी भी इंडस्ट्री में भागीदारी हो, ये भी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करें, ये भी उद्योग-धन्धे लगायें।

(श्री जगदीश चन्द्र)
सरकार ने इनके लिये विशेष तौर पर एक पैकेज तैयार किया है, जिसकी मुख्य मंत्री जी ने बजट में भी चर्चा की थी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के अन्तर्गत एससी-एसटी वर्ग के लिये उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु डा. भीमराव अम्बेडकर स्पेशल पैकेज योजना का प्रावधान किया गया है, 30 मार्च, 2021 को किया गया था। इस योजना को राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़ा गया है और 7 हजार 215 डिस्प्युटेड मैटर थे, जिनमे स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपान्तरण से सम्बन्धित पात्रता प्रमाण पत्र भी जारी किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार की मंशा रही है गरीब और कुचले आदमी को आगे बढ़ाने की। उसी दिशा में मुख्य मंत्री जी ने डा. भीमराव अम्बेडकर, जो स्पेशल पैकेज की योजना है, उसके माध्यम से सरकार ने इन तबकों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। इसका स्वागत किया जाना चाहिये।

माननीय मुख्य मंत्री जी का हमेशा से ही मकसद रहा है, जो दबे, कुचले लोग हैं, उनकी भी समाज में बराबर की भागीदारी हो। उसी को आगे बढ़ाते हुए मुख्य मंत्री जी ने प्रोत्साहन के तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। जिसका निश्चित तौर पर लोगों को फायदा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, पचपदरा, बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पेट्रो केमिकल इन्वेस्टमेन्ट रीजन (पीसीपीआईआर) की स्थापना की जायेगी, जिसका खर्च एक हजार करोड़ के आसपास होगा और 1 लाख 40 हजार नये रोजगार के अवसर बच्चों को मिलेंगे।

राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल का भी गठन किया जायेगा। मुख्य मंत्री जी ने कहा सीआईएसएफ की तर्ज पर केन्द्र सरकार की एजेंसी है, जो एयरपोर्ट, माइन्स और दूसरी इंडस्ट्रीज की रखवाली के लिये रखी जाती थी। राजस्थान सरकार ने एक्सपेरिमेन्टल तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दो हजार लोगों को भर्ती करने का फैसला किया है। जो हमारी इंडस्ट्री का ध्यान रखेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर किया है, यह मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में टूरिज्म हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है और मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। जितना खर्चा होगा, उसकी राशि को 1 हजार करोड़

(श्री जगदीश चन्द्र)

के आसपास कर दिया गया है और पहली बार राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने, जो टूर एण्ड ट्रैवल्स आपरेटर्स हैं, जो समय-समय पर एसजीएसटी जमा करते थे, जनवरी 2022 से मार्च 2022 में जमा अवधि में करायी गयी एसजीएसटी की 50 परसेन्ट की राशि को विथड्रा करने का भी मुख्य मंत्री जी ने फैसला किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग की अपार सम्भावनाएं हैं। राजस्थान के सारे जिलों में अलग-अलग खेती होती है। कहीं जीरा होता, कहीं कपास होती है, कहीं किन्नू होता है, कहीं गाजर होती है, कहीं माल्टा होता है। कृषि की अपार सम्भावनाएं हैं। पहली बार राजस्थान सरकार ने फूड प्रोसेसिंग कल्याण बोर्ड का गठन किया है। यह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला है। हमारे किसानों की जो फसलें हैं, वह कैश क्राप्स हैं, जिनका समाधान नहीं हो पाता था और किसान को पैदा करने के बाद उसको फेंकना पड़ता था। सरकार ने उनको मजबूती देने के लिये, उनको सम्बल प्रदान करने के लिये, कृषि के क्षेत्र में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उनको आगे बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया है।

माननीय सभापति महोदय, एमएसएमई इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार हेतु मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इंट्रेस्ट सब्सिडी को 8 परसेंट से बढ़ाकर 9 परसेंट करने का प्रस्ताव किया है। मण्डी शुल्क, आबंटन शुल्क आदि की ब्याज माफी योजना, 2019 सफल रही थी, जो मण्डी शुल्क की थी, जिसमें ब्याज माफी की योजना थी, वह कामयाब योजना रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसी को आगे बढ़ाते हुए 30 सितम्बर तक करना प्रस्तावित किया है।

माननीय सभापति महोदय, 2020-21 और 2021-22 के बजट में घोषित नवीन मण्डियों, मिनी फूड पार्क के लिये भूमि नि:शुल्क आबंटन करने का फैसला किया गया है। निश्चित तौर पर छोटे किसान होते हैं, छोटे काश्तकार होते हैं, जमीन खरीदने के लिये पैसे नहीं होते हैं, जमीन नहीं होती, सरकार की तरफ से या किसी बैंक या वित्तीय संस्था की तरफ से न लोन मिलता है। सरकार ने बगैर पैसे के जमीन देने का फैसला किया है, कितना बड़ा फैसला है, एक इंसेंटिव सरकार ने लिया है, इंडस्ट्री को डवलप करने के लिये, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डवलप करने के लिये, इसका स्वागत किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर बाहर से इंवेस्टर भी आयेगा और लोकल किसान को भी इसका फायदा होगा।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने टैक्स में काफी छूट दी है। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिये, राज्यों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कृषि भूमि को श्वेत, व्हाइट श्रेणी की सूची में रखा गया है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्योगों के लिये भूमि का रूपान्तरण शुल्क, सम्पूर्ण छूट, कन्वर्जन चार्ज जो बहुत ज्यादा होता था, आधे किसान और छोटे व्यापारी तो इसलिए भाग जाते थे कि कन्वर्जन फीस दे ही नहीं पाते थे। सरकार ने कहा इंडस्ट्री को डवलप करो और कन्वर्जन में पूरे तरीके से सरकार की तरफ से छूट कर दी गयी है। यह स्वागत योग्य कदम माननीय मुख्य मंत्री का है। माननीय सभापति महोदय, रिप्स 2010 एवं रिप्स 2014 का लाभ ले रही इकाइयों को लाभ देने की अवधि जो 31 मार्च, 2022 तक शेष थी, इस अवधि को एक वर्ष बढ़ाये जाने की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कृषक कल्याण कोष है जो किसानों के लिए, छोटे मजदूरों के लिए है उस कृषक कल्याण कोष को मण्डी से हम लोग इकट्ठा करते हैं। मुख्य मंत्री जी ने उस कृषक कल्याण कोष शुल्क को एक वर्ष और बढ़ा दिया है और पहले दो प्रतिशत था उसको एक प्रतिशत कम किया है, उसको भी एक साल के लिए बढ़ाया गया है, ताकि हमारी जो इकाइयां हैं मण्डी लेवल पर उनको फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में उद्यमियों के लिए बकाया राशि छूट हेतु वैट एमनेस्टी स्कीम लागू की गयी है। यह बहुत बड़ी समस्या थी। कोई किश्त नहीं दे पा रहा था, किसी का बिजली का बिल बकाया था, किसी का लैंड कन्वर्जन का बकाया था तमाम तरीके की दिक्कत थी, वैट की बहुत भारी दिक्कत थी। मुख्य मंत्री जी ने कोरोना के बावजूद भी, आर्थिक तौर पर सरकार का नुकसान हुआ, दो-दो लॉकडाउन हुए उससे नुकसान हुआ। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन मार्च के महीने में दोनों दफा कम हुआ, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हुआ उसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी ने एमनेस्टी योजना को चालू किया। इस योजना के अन्तर्गत 2 लाख से अधिक व्यापारियों को राहत प्रदान की गयी है, सरकार को पांच सौ करोड़ का इससे राजस्व प्राप्त हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह

(श्री जगदीश चन्द्र)

रहा हूं कि राजस्थान एमएसएमई फैसीलिटेशन आफ एस्टेब्लिशमेंट एंड आपरेशन एक्ट, 2019 के अन्तर्गत उद्यमियों को सम्बल प्रदान करने हेतु तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई निरीक्षण नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई और सरकार की तरफ से दिक्कत नहीं होगी ताकि वह फ्री में अपनी इण्डस्ट्री लगा सके और सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा।

माननीय सभापति महोदय, रीको के द्वारा प्रति वर्ष दस प्रतिशत का सर्विस चार्ज लिया जाता था। रीको की जमीन लेने पर हर साल सर्विस चार्ज लिया जाता था। हर व्यापारी परेशान था। मुख्य मंत्री जी ने उस पर ध्यान देते हुए कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस सर्विस चार्ज को 2022-23 के लिए नहीं बढ़ाने का फैसला किया। यह स्वागत योग्य फैसला है।

माननीय सभापति महोदय, कोविड महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 2022-23 के लिए डीएलसी रेट में भी, डीएलसी रेट जो 10 प्रतिशत थी उसमें भी 5 प्रतिशत की कमी की गयी है। मुख्य मंत्री जी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पाली से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जब से मोदी सरकार आयी है हमने बीस हजार करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने की बात की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2004 से लेकर 2014 तक के समय में डाक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए के कार्यकाल में हिन्दुस्तान में, तो जब हमारी सरकार गयी थी तो जीडीपी 9 प्रतिशत के आसपास थी और जितना इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्कों से आया था उतना इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं आया। आज माननीय प्रधान मंत्री जी पूरी दुनिया में घूम कर आ चुके लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जरा बतायें कि पिछले सात साल में कितना इन्वेस्टमेंट इस देश में आया है? जरा डेटा तो रखें।

इसके साथ-साथ मैं भी यह आग्रह करना चाहूंगा कि मेक इंडिया की इन्होंने बात की है, मेड इन इंडिया की इन्होंने बात की है लेकिन, सभापति महोदय, भारत सरकार के जो पीएसयूज थे जैसे एयर इंडिया इन्होंने बेच दिया, रेल इन्होंने बेच दी, पानी इन्होंने बेच दिया, जमीन इन्होंने बेच दी और बाकी को बेचने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। पण्डित नेहरू ने जब ये पीएसयूज

(श्री जगदीश चन्द्र)

आयी थी इनके देश में तो यह इसलिये एस्टेब्लिश की थी कि सरकार के रेवेन्यू के अलावा देश में रोजगार के अवसर पैदा हों। यह सरकार उनका प्राइवेटाइजेशन करके आनन-फानन में उनको बेचने की कोशिश कर रही है और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आये दिन अख़बार में पढ़ते हैं आज फलानी पीएसयू को बेचने की तैयारी चल रही है और उसमें यह कहा जाता है कि बेस्ट प्राइस के आधार पर बेच रहे हैं, लेकिन कितने लोग उसमें रोजगार कर हैं, कितने लोगों का उससे परिवार चल रहा है, इसकी कोई चिन्ता नहीं है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ में एक स्पिनिंग मिल थी, जिसमें 2 हजार से ऊपर लोग काम करते थे। 2015 में उसको बंद कर दिया गया और करोड़ों रुपये की जो प्रोपर्टी है, करोड़ों रुपये की मशीन बरबाद हो रही है, उसके मजदूरों का आज तक आपकी सरकार ने समाधान नहीं किया। आपके पास इस बात का जवाब है? गंगानगर में स्पिनिंग मिल आपने बंद की है, जितनी सरकारी मिलें थीं राजस्थान में कोआपरेटिव के माध्यम से, वह आपकी सरकार के जमाने में ही बंद हुई हैं। 2015 याद करो, मेरा अगर आंकड़ा गलत हो तो, मैं सदन में यह बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं 2015 में स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ का, मैं सदन में बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: जब आप बोलते हैं तो ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, वो जवाब मांग रहे हैं, आप कहें तो मैं जवाब दे दूं?

श्री सभापति: आप मुझे सम्बोधित करिये। आप जवाब के लिए टाइम ले लेना अलग से, अभी नहीं।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला बिलकुल सरहद के ऊपर है। पाकिस्तान की सरहद पर भी है, पंजाब की सरहद पर भी है। पूरे के पूरे दोनों जिले एग्रीकल्चर पर आधारित हैं। यहां लोगों का जीवन खेती पर आधारित है। अगर किसान कमजोर होगा तो देश पहले कमजोर होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी वहां फसलें पैदा होती हैं, गंगानगर में अपार सम्भावनाएं हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ड्राई पोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बार-बार वहां के व्यापारी लिख रहे हैं कि ड्राई पोर्ट हो और एक एयरपोर्ट हो

(श्री जगदीश चन्द्र)

जो गंगानगर में गाजर पैदा होती है, गंगानगर में किन्नू पैदा होता है, गंगानगर में ग्वार पैदा होता है, चना पैदा होता है और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ग्वारगम का पाउडर, किन्नू के मसाले, जौ, गेहूं, कोटन ये सारे के सारे मूंदरा पोर्ट के माध्यम से, कांडला पोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट होते हैं, जो कम से कम 7-8 सौ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में ये पोर्ट पर जाते हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप आने वाले समय में गंगानगर जिले में एक ड्राई पोर्ट खोलें ताकि व्यापारियों को इस बात का फायदा हो और अपने सामान को विदेश में बेच सकें।

माननीय सभापति महोदय, रीको इंडस्ट्रियल एरिया में आबंटित भूखण्डों की राशि बिना ब्याज जमा कराने के बाबत हमारी मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि काफी साल से रीको में लोगों ने प्लाट ले रखे हैं। इंडस्ट्री लगी हुई है, कइयों की इंडस्ट्री लग नहीं पायी है। ब्याज की राशि मल्टीप्लाई होते-होते ब्याज इतना ज्यादा हो गया कि इंडस्ट्री लग नहीं पा रही है। आप कोई न कोई रास्ता निकालकर उन लोगों को ब्याज की राशि में राहत दें ताकि आपकी इंडस्ट्री भी शुरू हो सके और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुरानी यूनिट्स हैं उनके एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है आपके पास, उनके एक्सटेंशन का कोई न कोई रास्ता निकालें ताकि उनको सरकार लोन भी दे सके और उस इंडस्ट्री को नयी मशीन के हिसाब से आधुनिकीकरण उसका किया जाये। इस पर आप कोई न कोई निश्चित तौर पर विचार करें।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी जो समस्या है वह है इलेक्ट्रिसिटी की। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि राजस्थान में विद्युत की अपार सम्भावनाएं हैं, निश्चित तौर पर सम्भावनाएं हैं, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं लेकिन 23 हजार मेगावाट यूनिट आज राजस्थान में पैदा हो रही है और यह सारी की सारी जिस तरीके से हमने बिजली पैदा करने के लिए जो सौर ऊर्जा में मुख्य मंत्री जी ने कानून में बदलाव किया है, रेवेन्यू एक्ट में बदलाव किया है, उसकी वजह से इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है और अपार सम्भावनाओं को देखते हुए मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि 2013 से 2018 का जो समय था, आप जरा अन्दाजा करिये आपने कितनी यूनिट बिजली पैदा की, यह आप सदन को बताने की कृपा करें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, बिजली की जो व्यवस्था है, बार-बार बोर्डर एरिया पर कट लगते हैं इसलिये इंडस्ट्री में दिक्कत होती है। कई मशीनें ऐसी होती हैं जो 24 घंटे चलती हैं और कट लगने के बाद में व्यापारी को काफी नुकसान होता है। सरकार इसका भी कोई न कोई समाधान करके कंटीन्यू लाइट मिले और ठीक लाइट मिले, अच्छी लाइट मिले इसकी भी सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये। मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

सभापति महोदय, रीको इंडस्ट्रियल एरिया में आरक्षित दर कम करने के बाबत जो रिजर्व प्राइस इंडस्ट्रियल एरिया की है, उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपकी जो रिजर्व प्राइस है वह प्राइस थोड़ी सी कम करिये क्योंकि मार्केट में इससे सस्ता प्लाट मिल रहा है। आजकल हमारी सरकार की पालिसी है कि अगर एग्रीकल्चर की जमीन लेकर इंडस्ट्री लगाओगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है और वह सस्ती पड़ती है, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर कोई न कोई विचार करके जो आपका रिजर्व प्राइस है, उसको आप कम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में कृषि भूमि लहसुन, प्याज, टिण्डा, ककड़ी, गाजर, आंवला, हरी मिर्च आदि के लिए उपयुक्त स्थान है। इन सबकी पैदावार को बढ़ावा देने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना बनायी जाये। लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाने के लिए, गाजर आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए स्माल स्केल इंडस्ट्री की व्यवस्था हो और बामारोजा नींबू का अर्क, जामारोजा गुलाब का अर्क आदि के लिए भी योजना बनानी चाहिए जिससे इलाके में किसानों को मोडर्न खेती के बारे में जानकारी मिल सके और किसान इसको कर सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं गंगानगर पूरे हिन्दुस्तान में किन्नू की मण्डी है और गंगानगर का किन्नू बांग्लादेश भी जा रहा है और उसकी मिठास भी प्रसिद्ध है, किन्नू व गाजर दोनों की लेकिन सरकार की तरफ से या फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से अगर प्रोसेसिंग प्लांट लगता है, हमारे आसपास पंजाब में प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार कोशिश कर सकती है कि प्रोसेसिंग प्लांट लगे तो सरकार को रेवेन्यू भी होगा और किसान और व्यापारियों को इस बात

(श्री जगदीश चन्द्र)

का फायदा भी होगा। अपार सम्भावनाएं हैं किन्नू की और करोड़ों रुपये का व्यापार होता है और इसके साथ-साथ गंगानगर की जो गाजर है वह बड़ी मशहूर गाजर है, वह गाजर पूरे देश में जा रही है और देश से बाहर भी जा रही है। उसके लिए भी गाजर मंडी के लिए भी मैं आग्रह करूंगा मंत्री जी से कि गाजर मंडी की व्यवस्था करें ताकि गाजर पर आधारित जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, गाजर का मुरब्बा बनता है, गाजर की दस चीजें बनती हैं, इस पर सरकार कुछ न कुछ करे मैं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ इंडस्ट्री के मामले में सरकार ने जिस तरह से कुछ दिन पहले गंगानगर में समिट का आयोजन किया, उस समिट के माध्यम से बाहर का इन्वेस्टर आया था। इन्वेस्टर इंसेंटिव के लिये बार-बार सरकार से आग्रह कर रहा है, वह सिक्योरिटी भी चाह रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो आपने समिट स्टार्ट की हैं, उसमें आप पूरे अधिकारियों के साथ एक बार व्यापारियों को फिर बुलाएं। निश्चित रूप से हरियाणा और पंजाब के लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि राजस्थान सबसे सेफ जगह है। यहां की सरकार ठीक है, यहां लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक है इसलिए आप इसमें कुछ न कुछ करें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सादुलशहर मेरा विधान सभा क्षेत्र है। वहां आज से 20 साल पहले इंडस्ट्रियल एरिया बना था। उसके एक्सपेंशन की अपार संभावनाएं हैं। लोग दूसरे स्टेट से आकर किसानों की जमीन खरीद रहे हैं और वहां इंडस्ट्री लगा रहे हैं। आप उसको एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई न कोई रास्ता जरूर निकालें ताकि हम एक अच्छा औद्योगिक वातावरण पैदा करें और लोगों को इस बात का अहसास हो कि राजस्थान में सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। हमारे मुख्य मंत्री जी का सपना है कि राजस्थान, हिन्दुस्तान का नंबर वन इंडस्ट्रीयल एरिया बने।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने गुरुनानक पीठ की घोषणा की थी। हमने गुरुनानक जी का 500वां साल सेलिब्रेट किया था। मुख्य मंत्री जी ने विश्वविद्यालय में गुरुनानक पीठ की स्थापना करने की घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा उसमें थोड़ा काम करना चाहिये। बार-बार सिख कम्युनिटी के और गुरुनानक देव जी को मानने वाले लोगों की,

(श्री जगदीश चन्द्र)

उनके फोलोअर्स की यह रिक्वेस्ट आ रही है कि सरकार से आग्रह करके इसकी स्थापना की जाय ताकि लोगों को लगे कि सरकार गंभीरता से इस बात को ले रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा एक ट्रेन हुजूर साहब के लिये गंगानगर से जाती है। उस ट्रेन में हजारों सिख यात्री यात्रा करने के उद्देश्य से जाते हैं। वह ट्रेन वीकएण्ड चलती है। केन्द्र सरकार का मसला है, हमारे सामने वाले साथी बैठे हैं, केन्द्र सरकार में इन्हीं की चलती है, हमारी नहीं चलती है। मैं आपके माध्यम से इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार से कहें कि वह सादुलशहर में इसका ठहराव करें क्योंकि हजारों यात्री हुजूर साहब की यात्रा करने के लिये जाते हैं। वह उनकी एक श्रद्धा का केन्द्र है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सादुलशहर से अमृतसर के लिये भी कोई न कोई बस सेवा चालू करें। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब नहीं हैं, वह यहां से चले गये हैं। वह बस सेवा चालू करें क्योंकि काफी यात्री अमृतसर भी दर्शन के लिये जाते हैं। वहां सिखों का मशहूर तीर्थ स्थान है और गंगानगर में करीब 30-35 परसेंट आबादी पंजाबी आबादी है। सारे लोग ही उनको मानते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि लोग वहां जा सके।

आज मांग संख्या 42-उद्योग पर जो आपने चर्चा कराई है, निश्चित तौर पर राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने जो इंसेंटिव लिये हैं, नये राजस्थान के निर्माण का जो फैसला किया है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा और मुझे इस बात की उम्मीद है कि मुख्य मंत्री जी का जो विजन 2023 है, उस विजन में हमें निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं और सरकार के माध्यम से जो इतने फैसले लिये गये हैं, निश्चित तौर पर इससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और एक नया इंडस्ट्रीयल वातावरण भी प्रदेश में पैदा होगा, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है।

एक बार मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि रीको को वह रीस्ट्रक्चर करें। रीको की जिसने जमीन ले ली है, उसका उस जमीन से पीछा नहीं छूटने वाला है। इसलिए नहीं छूटने वाला है क्योंकि हमारी सरकार आती है तो व्यापारी को खूब इंसेंटिव दिये जाते हैं और जैसे ही सरकार बदलती है, उस पर वापस कैंची चलाना शुरू कर दी जाती है।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, भारत में जिस तरह का वातावरण बन गया, पिछले 7 साल में जो इंडस्ट्री का हाल इस देश में हुआ है, लगता है दुनियां के किसी भी मुल्क में नहीं हुआ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज उद्योग पर जो चर्चा हो रही है, मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि यह केवल पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है। किसी राज्य की आर्थिक नब्ज को टटोलने के लिये, आर्थिक स्थिति को जानने के लिये, उसके उद्योगों की स्थिति का अगर हम आकलन कर लें तो उस स्टेट का पूरा फाइनेंशियल पैरामीटर सामने आ जाता है कि स्टेट की हालत क्या है। सभापति महोदय, यह सारे डिपार्टमेंटों से जुड़ा हुआ विषय है। केवल और केवल एक उद्योग विभाग का नाम बहुत छोटा-सा हो सकता है क्योंकि हमने यह शुरू से देखा है कि हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से हर तरह के उद्योग के लिये सूटेबल है। देश दुनियां के सारे तरह के उद्योग यहां पर लगाये जा सकते हैं। यह भौगोलिक दृष्टि से हमको सूट करता है।

सभापति महोदय, भारत में हमारी स्टेट ही नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में राजस्थान के उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सभापति महोदय, आप खुद जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां के उद्योगपति तो पूरे देश दुनियां में फेमस हैं। आप राजस्थान से निकलकर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता ही नहीं, पूरी दुनियां के किसी भी कोने में चले जाओ, राजस्थान के उद्योगपति की धाक पूरे विश्व में है। इसलिए हमारे लिये कहते भी हैं कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचा मारवाड़ी। यह हमारे लिये कहावत है क्योंकि उन सभी विषम परिस्थितियों में जाकर यदि कोई व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने का काम, इस देश की अर्थव्यवस्था को एक मील का पत्थर साबित करने का काम और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का लोहा मनवाने का काम अगर किसी ने किया तो वह राजस्थान के उद्योगपतियों ने किया। इसलिए मैं आज सदन से कहूंगा कि उन उद्योगपतियों का स्वागत हमारे लिये सबसे महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, अब हमारी बड़ी बहन महिला मंत्री बनी हैं। वह कम से कम ईमानदारी से इस विभाग में कुछ फैसले करेंगी। इस विभाग में हम कितनी ही बात कर लें, आज भी औद्योगिक रूप से बीमार प्रदेशों की श्रेणी में

(श्री अशोक लाहोटी)

हमारी काउंटिंग होती है क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूज तो छोड़ो, हम मिनिमम यूज भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सभापति महोदय, मैंने कहा न कि राजस्थान में उद्योग व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। मैं एक छोटी-सी जानकारी आपके सामने शेयर करूंगा कि हमारे यहां पर इंजीनियरिंग में 14.75 परसेंट, हैंडीक्राफ्ट में 11.67 परसेंट, टैक्सटाइल में 10.86 परसेंट, मेटल में 10.01 परसेंट, केमिकल एण्ड अलाइड में 9.51 परसेंट, डायमंड एण्ड स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, आर्टिकल स्टोन, माइका में 7.73 परसेंट, जेम एण्ड ज्वेलरी में 7.71 परसेंट, एग्रो एण्ड फूड प्रोडेक्ट में 7.09 परसेंट, जो अभी सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य रख रहे थे, और अदर इंडस्ट्रीज में 20.58 परसेंट एक्सपोर्ट में हमारी भागीदारी है।

सभापति महोदय, हमारे यहां तो गांव-गांव में उद्योग हैं। हर छोटे से छोटे जिले में कहीं पर्यटन सर्किट हैं तो कहीं कोई मिनरल सर्किट हैं, कहीं किसी और प्रकार का सर्किट है। हर जगह हमारे पास विरासत है, हमारे पास हस्तकला है। सांगानेर और बगरू में रंगाई और छपाई का बहुत बड़ा उद्योग है, जिसके कारण जयपुर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड मिला। सभापति महोदय, मैं यदि सांगानेर की बात करूं तो 300 वर्ष पहले यहां पर राजा-महाराजाओं के जमाने में इस उद्योग को लगाया गया और उसका संरक्षण किया गया। सभापति महोदय, आज के दिन लगभग 3,900 फैक्ट्रियां सांगानेर में केवल रंगाई और छपाई की हैं और उसके साथ अब कपड़ा बनाने की, कुर्ती बनाने की और जुड़ गई हैं। सभापति महोदय, पिछली भाजपा सरकार में इन यूनिटों को बचाने के लिये केन्द्र सरकार से 120 करोड़ रुपये और राज्य से 40 करोड़ रुपये का एक ईटीपी प्लांट का काम शुरू हुआ लेकिन उससे केवल 650-700 फैक्ट्रियां जुड़ पाईं। आज भी 3,000 फैक्ट्रियां उससे जुड़ नहीं पा रही हैं। मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि यह बहुत बड़ा उद्योग है, इसको बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। मेरा आपसे भी निवेदन है और आपके माध्यम से मैं केन्द्र से भी कहूंगा कि आप अपना अंशदान थोड़ा बढ़ाएं ताकि वह ईटीपी प्लांट जल्द से पूरा हो जाय। उसी प्रपोर्शनेट में केन्द्र भी अंशदान बढ़ायेगा तो यह जल्द से जल्द पूरा हो जायेगा। बची हुई जो 3,000 इंडस्ट्रीज हैं, उसमें हथकरघा और कुटीर उद्योग ज्यादा हैं। टेबल लगाकर घर-घर में प्रिंटिंग और छपाई का काम हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन इंडस्ट्रीज को उद्योग का दर्जा दिया जाय। जिस जगह पर यह इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उस जगह को इंडस्ट्रीयल एरिया घोषित किया जाय क्योंकि इससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा

(श्री अशोक लाहोटी)

है जो बार-बार उन छोटे-छोटे व्यापारियों को अलग-अलग विभागों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, उस पर रोक लगेगी।

सभापति महोदय, इसके साथ ही सीतापुरा, मानसरोवर, रामचन्द्रपुरा, प्रहलादपुरा जो इंडस्ट्रीयल एरिया हैं, इन इंडस्ट्रीयल एरिया में पानी की बहुत कमी है, सीवरेज की कमी है। मेरा आपसे निवेदन है कि इनके यहां पर बीसलपुर के पानी की समुचित व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो। यह बहुत बड़े इंडस्ट्रीयल एरिया हैं। आदर्श नगर

(समय: 14.00 बजे)

से आने वाले माननीय सदस्य आपकी फैक्ट्री भी वहीं पर है तो आप भी सरकार को थोड़ी पैरवी करें, जिससे यह काम जल्दी हो। सभापति महोदय, मैं आपके मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय जब आप प्लाट देते हैं। अभी कोविड महामारी की इतनी चर्चा हुई। बहुत सारी छूटों की चर्चा हुई। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हर इंडस्ट्रीयल सेक्टर में लगभग 20-25 प्रतिशत ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जो जिस समय लगायी गयीं, उसके बाद भी नहीं चलीं और आज बन्द होने के कगार पर हैं, घाटे में चल रही हैं। कम से कम ऐसे इंडस्ट्रीयल एरिये जो कि सिटी के बीच में आ गये हैं, उनमें आपके अधिकारियों की मिलीभगत और वैसे भी वहां पर व्यावसायिक और आवासीय गतिविधियां चल रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को भी इनकम होगी। आप उन इंडस्ट्रीज का आवासीय या कमर्शियल कन्वर्जन अधिकृत कर दें, जिससे उनको चक्कर नहीं लगाने पड़े। वहां की लेबर और वहां रहने वाले लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा।

सभापति महोदय, हम बहुत बड़ी-बड़ी बात तो करते हैं, पर यह डिमाण्ड बजट के हिस्से की है। यदि हम हमारे जीएसडीपी की बात करें तो जीएसडीपी में 27 परसेंट योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, लेकिन उसके मुकाबले में हमारा बजट क्या है? मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि विभाग में इंडस्ट्रीज एण्ड मिनरल्स का अलग से एक ही हैड बना रखा है। इस हैड में आपने 2020-21 में 507 करोड़ रुपये दिये थे, जिसमें से आपके मात्र 318 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 2021-22 में आपने काफी बढ़ोतरी की। हमको लगा कि इंडस्ट्रीज में बहुत चेंजेज होगा। आपने 780 करोड़ रुपये दिये। 780 करोड़ रुपये देने के बाद यदि हम 2 लाख 94 हजार 700 करोड़ के बजट की बात करेंगे तो यह पिनट्स है। 2 लाख 94 हजार 700 करोड़ देने के बाद

(श्री अशोक लाहोटी)

आपने खुद ने ही अगले ही साल आरई में बदलकर इसको 480 करोड़ रुपये कर दिया। यानी सरकार ने खुद ने ही यह मान लिया कि हम 300 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं या हमारे पास पैसा नहीं है। दोनों में से एक स्थिति होगी। आपने 39 परसेंट बजट रिड्यूस कर दिया। इस बार मुख्य मंत्री जी ने तो 50 पाइंट पर उद्योग की घोषणा कर दी, लेकिन बजट मात्र 20 करोड़ रुपये बढ़ाया है, वह हुआ है, 496 करोड़ रुपये का। इतने छोटे-से पिनट्स बजट में इतने बड़े डिपार्टमेंट को, जिसमें हम बेरोजगारी भी खतम करना चाहते हैं, राजस्थान का नक्शा भी बदलना चाहते हैं। राजस्थान को आगे भी ले जाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, यदि हम बात करें तो उद्योग एक दिन में तो नहीं लगता, यह तो एक सतत प्रक्रिया है। जब यह सतत प्रक्रिया है तो हमारे उन उद्योगों की जब चाइना में फैक्ट्रियां बन्द हुई, कोविड के दौरान पूरी दुनिया का चाइना से विश्वास उठ गया। बड़े-बड़े देश उस लाइन में लगे। हमारे यहां पर समिट राजस्थान, रिसर्जेंट राजस्थान की बातें हो रही थीं। मंत्री महोदय, मैं यह पूछूंगा कि जब ये सारी बातें हो रही थीं, क्या उस समय यह डिपार्टमेंट सो रहा था? एक भी इंडस्ट्रीज, जो चाइना से उठी हो और जिसको हम लेकर आये हों। वे क्यों नहीं आयीं, क्योकि उद्योग के तीनों कम्पोनेंट की यदि बात करें तो आपने 150 इंडस्ट्रीयल एरिये की घोषणा की। राजस्थान के 13 हजार हैक्टेयर के लिये आपने इंडस्ट्रीयल एरिये की घोषणा की, रीको केवल बिल्डर के रूप में काम करता है। वहां एक सड़क बिछा देता है, बिजली के आधे-अधूरे खम्भे खड़े कर देता है। एक भी इंडस्ट्रीयल एरिया, जिसकी घोषणा हुई हो, वह किसी भी माननीय सदस्य के क्षेत्र में हो, जहां पर कोई एसटीपी प्लांट लग गया हो, जहां पर ईटीबी प्लांट लग गया हो, जहां पोल्यूशन की डिवाइसेज लग गयी हो, इन सब का फंड आपके पास रिजर्व है। केन्द्र भी फंड दे रहा है, लेकिन हम एक भी इंडस्ट्री नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे यहां पर रॉ मैटेरियल महंगा है, हमारे यहां पर बिजली महंगी है, हमारे यहां लेबर महंगी है।

सभापति महोदय, हमारे यहां की इंडस्ट्रीज बन्द होकर जा रही हैं। हमारे पड़ोस हरियाणा में इंडस्ट्रीज के डवलपमेंट का माहौल बन रहा है, पंजाब में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है, गुजरात में बन रहा है। हमारे यहां पर बिजली महंगी, रॉ-मैटेरियल महंगा, हमारे यहां लेबर महंगी और डीजल-पेट्रोल महंगा। कैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आयेगा? हम उसका गला दबाकर कहते

(श्री अशोक लाहोटी)

हैं कि तू रुह-अफजा शरबत पी ले। सभापति महोदय, गला दबाने के बाद कौन शरबत पीयेगा। आप तो खुद उस क्षेत्र से आते हो, जहां के लोग बाहर पलायन कर गये। वे तो केवल वोट देने के लिये आते होंगे। सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आपने सदन में घोषणा की कि 10 लाख करोड़ के एमओयू किये हैं। हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा।

श्री सभापति: पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, कंटेंट से हटते ही बैठा देना। मैं तो नया सदस्य हूं। सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि 10 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। मंत्री जी, हम बिलकुल आपका इसके लिए स्वागत करते हैं, लेकिन मैं कुछ बिन्दु आपके समक्ष रख रहा हूं। आप इनकी भी जांच करायें कि इनमें से कितनी ऐसी कम्पनियां हैं, जिनकी जितनी नेटवर्थ नहीं है, उससे ज्यादा के एमओयू आपके यहां पर कर लिये हैं। उन कम्पनियों कि जितनी नेटवर्थ ही नहीं है, उससे ज्यादा के एमओयू कर लिये। ऐसी कितनी कम्पनियां हैं, जिनके ट्रेक रिकार्ड आपने चैक किये और उसके बाद एमओयू किये कि क्या वह वाकई धरातल पर आयेगा? क्योंकि 2 जनवरी को आपने स्टेटमेंट दिया था कि पिछली सरकार ने जल्दबाजी में एमओयू किये, इसलिये वे धरातल पर नहीं आये। हमारी शुभकामनाएं हैं कि राजस्थान में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आये और हमारी बड़ी बहन मंत्री हो, उनके नेतृत्व में आये, लेकिन ये चीजें तो चैक करें। एक भी कम्पनी ने जिसने एमओयू किया है, क्या उसने कोई फाइनेंशियल प्लान साथ में दिया है? क्या किसी बैंक का सर्टीफिकेट साथ में लगाया है? क्या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का लैटर साथ में दिया है कि ये हम यहां फाइनेंस करवायेंगे और यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपने हाथ पकड़ा, अधिकारी ने गला दबाया और हाथ पकड़कर साइन करवा लिये। उससे तो ये एमओयू वैसे ही होंगे, जैसे पहले हुए थे। मैं पक्ष और विपक्ष से उठकर बात कर रहा हूं। हमारे समय में भी एमओयू हुए। आपने उसका आंकड़ा भी सदन में दिया था कि 15 प्रतिशत ही कारगर साबित हुए। मेरी शुभकामना है कि आप 10 प्रतिशत भी करके बता दें।

श्री सभापति: कन्क्लूड करिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं उस प्रदेश की इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, जो सर्वाधिक सरसों, बाजरा, ग्वार का उत्पादन

(श्री अशोक लाहोटी)

करता है। जो गेहूं उत्पादन में नम्बर दो पर है। राजस्थान की प्रकृति ने भूगर्भ में मिनरल्स, खनिज उत्पाद एवं सीसा जस्ता अयस्क सेलेनाइट, वेस्टोनाइट जैसे बहुमूल्य खनिज हमारे पास हैं। सीकर में आपके क्षेत्र के पास ही सोना भी मिला है। सबसे महंगी धातु यूरेनियम और थोरियम भी हमारे पास है। देश में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस क्रूड हमारे पास है। सोलर एनर्जी की राजस्थान में अपार सम्भावनाएं हैं, लेकिन इन सबके बावजूद अभी नीति आयोग ने जो Sustainable Development Goals एसडीजीज डिक्लेयर किये हैं, उसमें हमारे प्रदेश को रेड कैटेगरी में अंकित किया है। हमारे यहां 100 में से केवल 45 अंक आये हैं। सभापति महोदय, चिन्ता इसलिये बढ़ जाती है, क्योंकि आज विकास दर, बेरोजगारी दर, गरीबी दर, प्रति व्यक्ति आय और ह्यूमन डवलपमेंट सब में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन होगा कि यहां पर आपने कितनी ज्यादा वेयरहाउसिंग की घोषणा की। लेकिन आपने क्या कहा कि केवल एग्रो वेयरहाउसिंग में कन्वर्जन फ्री है। आज केवल एग्रो वेयरहाउसिंग ही नहीं है। राजस्थान सात स्टेट के बीच में है। यहां पर हर तरह की वेयरहाउसिंग की अपार संभावनाएं हैं। आप वेयरहाउसिंग पर कन्वर्जन फ्री करे, पूरी दुनिया के वेयर हाउस के लोग आपके यहां पर आने के लिये तैयार बैठे हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपकी भावना समझते हुए देवस्थान विभाग पर बोलते हुए एक मिनट में अपनी बात पूरी करुंगा। सभापति महोदय, जयपुर शहर में बाईजी के खन्दे में अति प्राचीन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का मन्दिर है। वह देवस्थान विभाग के अण्डर में है, लेकिन उस मन्दिर को विभाग की लापरवाही से उसको खुदबुर्द किया जा रहा है। आज विभाग की घोर लापरवाही से मन्दिर में ठीक नीचे जहां शिवजी का मन्दिर है, उसके ऊपर एक मजार बना दी जाती है।

श्री सभापति: आप उद्योग पर बोलें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, देवस्थान भी डिमाण्ड है। सभापति महोदय, ऐसा कुकृत्य करने से जयपुर शहर की जो भाईचारे की संस्कृति है, उसमें बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिये मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। सभापति महोदय, हुआ क्या? जब इतने लोग इकट्ठे हुए तो प्रशासन ने शिव मन्दिर को खुलवाया, खुलवाकर एक दिन के लिये सेरेमोनियल पूजा करवायी और उसके बाद पुलिस

(श्री अशोक लाहोटी)

प्रशासन उसकी चाबी लेकर चला गया। मन्दिर देवस्थान विभाग का, चाबी पुलिस विभाग लेकर चला गया। इसके साथ-साथ मेरा आपसे निवेदन है कि दुनिया में ऐसी कौनसी जगह है, जहां पर नीचे मन्दिर हो, ऊपर एक जगह हरा रंग करके छत पर मजार बना दी जाये। ये कौनसी धार्मिक भावनाएं हैं? ये धर्म के प्रति भी अन्याय है। वह केवल असामाजिक तत्वों का दोष है, असामाजिक लोगों का कृत्य है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हिन्दू समाज की आस्था का केन्द्र अति प्राचीन शिव मन्दिर को भक्तों के लिये खुलवायें एवं लक्ष्मी नारायण जी के मन्दिर की गुमटी पर अवैध रूप से बनायी गयी मजार को हटाकर अविलम्ब कार्यवाही करें। यह मंत्री महोदय मेरा आपसे निवेदन है। आपके प्रति इसलिये श्रृद्धा है कि अभी आपने भागवत कथा का पाठ करवाया था। जो मंत्री भागवत कथा करवाती हों, वह मंत्री मन्दिर को बचायेंगीं, ऐसी मेरी गुजारिश है। आप आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य की बातों में नहीं आये। यह उनके क्षेत्र का मामला जरूर हो सकता है, लेकिन यह लाखों लाख लोगों का मामला है। आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मन्दिरों पर मजारें, यह गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें। डिस्टर्ब नहीं करें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हिन्दुओं के मन्दिरों पर .. (व्यवधान) यह हमारे साथ में अन्याय है।

सदन कूप में

(माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर का सदन कूप में प्रवेश)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप बैठिए। श्री बाबूलाल जी नागर। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, प्लीज। श्री बाबूलाल जी नागर, स्टार्ट करिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 उद्योग पर आज महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। तेजी से बदलते विश्व आर्थिक परिवेश में जहां उद्योग भारत और पूरे विश्व में एक लोकप्रिय शब्द बन गया है। आज चौथी औद्योगिक क्रान्ति से हम गुजर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनिए प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आज रोबोटिक्स, संवर्धित वास्तविकता,

(श्री बाबूलाल नागर)

इंटरनेट आफ थिंग्स, ये गतिविधियां महत्वपूर्ण और निर्णायक हो रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे देश को रोजगार सृजन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। देश में बेरोजगारी दर 46 साल के उच्च स्तर पर 8.5 फीसदी पर पहुंच गयी है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। बेरोजगारी दर रिकार्ड स्तर पर पहुंच गयी है।

सभापति महोदय, पिछले कुछ सालों से एक ओर तो लोगों को रोजगार मिलने की संख्या में काफी गिरावट आयी है, दूसरी ओर कई लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। युवाओं को नौकरियां ढूंढने पर भी नहीं मिल रही हैं। सेंटर फार मोनिटरिंग इंडियन इकोनोमी (सी.एम.आई.ई.) के मुताबिक देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सी.एम.आई.ई. ने जो डाटा जारी किया है, उसके मुताबिक 2016 से 2018 के बीच सिर्फ दो साल में 1.1 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। वर्ष 2018 से 2019 के बीच करीब 60 लाख लोग बेरोजगार हो गये हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में इससे पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में 16 लाख कम नौकरियों का सृजन हुआ है। बड़े उद्योगों से देश की बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं। देश के लगभग 80 फीसदी घरों में नियमित आय का कोई साधन नहीं है। संगठित उपक्रमों में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। असंगठित क्षेत्र के छोटे उद्योग सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 81 लाख रोजगार की जरूरत है।

सभापति महोदय, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने इन तीन वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय किये हैं। सकारात्मक सोच से औद्योगिक विकास का निवेश, बेरोजगारी उन्मूलन की सर्वोच्च प्राथमिकता रखी है। इन तीन वर्षों में राजस्थान इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट पालिसी, 2019 लेकर आए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लेकर आए, राजस्थान इथेनाल प्रोडक्शन प्रमोशन पालिसी, 2021 लेकर आए, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2021 लेकर आए, राजस्थान सोलर एनर्जी पालिसी, 2019 लेकर आए, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनस एंड एग्रो एक्सपोर्ट प्रमोशन पालिसी, 2019 लेकर आए, राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पालिसी, 2019 लेकर आए। मुख्य मंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया कि निवेश अनुदान देय पर जमा एम.एस.टी. का 75 प्रतिशत, रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के ई.पी.एफ., ई.एस.आई. में नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण, विद्युत कर में सात

(श्री बाबूलाल नागर)

वर्षों के लिए सौ प्रतिशत छूट, भूमिकर से सात वर्षों के लिए सौ प्रतिशत छूट, स्टांप ड्यूटी से सौ प्रतिशत छूट, भूमि रूपान्तरण शुल्क में सौ प्रतिशत छूट।

सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने हमारे जो नौजवान हैं, ये औद्योगिक प्रशिक्षण लें या कोचिंग लें, इस बात के लिए दिल्ली में उदयपुर हाउस में 500 नौजवानों के लिए 250 कमरों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तावित किये हैं। इससे हमारे नौजवान औद्योगिक प्रशिक्षण लेने के लिए वहां आराम से रह सकें, आराम से एक्सपर्ट बन सकें, विशेषज्ञ बन सकें। इसी तरह ऐसी महिलाएं जो अपने परिवार को आजीविका में योगदान दे सकती हैं, उनके लिए भी मुख्य मंत्री जी ने मुख्यमंत्री वर्क फ्राम होम जॉब वर्क योजना प्रस्तावित की है, 100 करोड़ रुपये की जिससे वे भी बराबर रूप से सहयोग कर सकें।

सभापति महोदय, आज पूरे मुल्क में हमारा प्रदेश इंडस्ट्री फ्रेंडली बना हुआ है। अभी इन्वेस्ट राजस्थान, 2022 जिस तरह से हमारे मिनिस्टर्स, हमारी उद्योग मंत्री जी, राजस्थान में ही नहीं देश की कई जगह गयीं और जिस तरह का उत्साह देखने को मिला राजस्थान के प्रति, राजस्थान के प्रति जो वातावरण बना हुआ है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के लोग जो अन्य जगह, अन्य प्रदेशों में रोजगार कर रहे हैं, उनको हमारी मिट्टी से जोड़ने का जो माध्यम इस इन्वेस्ट राजस्थान, 2022 के तहत बहुत भारी उत्साह पूरे मुल्क में देखने को मिला है।

सभापति महोदय, 2019-20 में, हमारे मंत्री जी बैठे हैं, 11 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी। 10 औद्योगिक क्षेत्रों में काम चालू हो गया। एक क्षेत्र मेरा बिचून इसलिए रह गया कि जमीन का आबंटन नहीं हो पाया। आपके रीको इंडस्ट्रियल एरिये के जो भी अधिकारी थे, उनकी लापरवाही रही। कुछ रेवेन्यू के अधिकारियों की लापरवाही रही। मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा 2019-20 में बिचून को शामिल किया हुआ था। मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके यहां रीको का औद्योगिक क्षेत्र शुरू किया जाये। जब मैं 2013 में विधायक था, मंत्री था, उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने कुंजबिहारीपुरा, फागी एक नया औद्योगिक क्षेत्र खोलने की घोषणा की थी। पर्यावरण में वह अटक गया। अब शायद दूर हुआ है। बहुत किसानों को जमीन का मुआवजा भी दे दिया। रीको ने सैकड़ों करोड़ों रुपया

(श्री बाबूलाल नागर)

किसानों को मुआवजा दे दिया है लेकिन वह कुंजबिहारीपुरा, फागी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आप अधिकारियों को बुलाकर इस सम्बन्ध में अलग से दिशा-निर्देश दें, मॉनिटरिंग करें। रीको का इतना बड़ा पैसा खर्च हो गया। फागी में वैसे भी रोजगार की कमी है।

सभापति महोदय, इसी तरह फागी में ही एक देव नगर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव है। इसको भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर रखा है। वहां भी सड़कें बना दी हैं, लेकिन रीको के द्वारा अभी तक औद्योगिक कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है। अभी भी 2022 में प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने बजट में 32 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। आज जिस तरह से गांवों के प्रति रुझान बना है। विशेष तौर से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे बिलकुल जयपुर की सीमा से लगते हुए ही महला है, इसी तरह स्टेट हाईवे, जयपुर से भीलवाड़ा हाईवे, जगह-जगह हमारे यहां गोचर भूमि है। उस गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। मैं उद्योग मंत्री जी से कहना चाहूंगा 500-500, 1000-1000 बीघा जमीनें हैं, अतिक्रमण को हम वंचित करवाएंगे। आप अपने अधिकारियों को भेजिए। आज जिस तरह से हमारे इस नेशनल हाईवे जयपुर से अजमेर, दूदू तक एक तरह से इंडस्ट्री हब हो गया। इतनी फैक्ट्रियां लग गयीं। दिल्ली-मुम्बई कोरीडोर भी उधर से गुजर रहा है। नेशनल हाईवे है, अच्छा रोड है, जयपुर से लगता हुआ है। पर्यावरण की भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे क्षेत्र दूदू, फागी मोजमाबाद में खूब जमीनें हैं। वैसे भी इण्डस्ट्री का लैंड बैंक बनाने की बात हो रही है। आपके अधिकारियों को भेजें। चाहे तो मैं साथ चला जाऊं। उनको 15-20 जगह ऐसी बता सकता हूं, जयपुर से लगते हुए हमारे रीको का इंडस्ट्रीयल एरिया शुरू हो सकता है। हमारे लोगों की बेरोजगारी दूर हो सकती है।

सभापति महोदय, राजस्थान में औद्योगिक सुरक्षा बल, 2 हजार सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करने की मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। मेरे पूर्व वक्ता बजट के सम्बन्ध में खूब बोल चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी ने एक सकारात्मक सोच बनाकर राजस्थान में काम शुरू किया है। हमारे राजस्थान के 60-70 परसेंट लोग कृषि पर निर्भर हैं। हमारे प्रदेश की सरकार को कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित देने के लिये भरसक प्रयास करने की जरूरत है। कच्चा माल भी है और खूब कृषि, विभिन्न उपज भी है। हालांकि सरकार ने कोशिश

(श्री बाबूलाल नागर)

की है। कृषि आधारित एमएसएमई इकाइयां हैं, इनके स्थापना, विस्तार, मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करना प्रस्तावित किया है। मण्डी शुल्क, आबंटन शुल्क की ब्याज माफी योजना 2019 सफल रही है। अब इस योजना को 30 सितम्बर, 2022 तक मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। इसलिये निश्चित रूप से इससे भी कृषि आधारित उद्योगों के लिये उत्साह पैदा होगा।

हमारे मण्डी प्रांगणों में 2010 के पूर्व के व्यापारियों के लिये लम्बित प्रार्थना पत्र थे, उनको आरक्षित दर पर भूखण्ड आबंटन किये जाने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। मुख्य मंत्री ने राज्य के मण्डी प्रांगण में आबंटित भूखण्डों की निर्माण अवधि बिना शास्ति 30 सितम्बर करने की घोषणा की है। नवीन मण्डियां, मिनी फूड पार्क के लिये सरकारी भूमि को नि:शुल्क आबंटन करने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है।

सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने रीको में एमनेस्टी योजना लागू की है। रीको क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के लिये एमनेस्टी योजना 2022 लाई जायेगी, जो 30 सितम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगी। इससे भी निश्चित रूप से हमारे छोटे उद्योग वालों को बहुत उत्साह मिलेगा। सेवा शुल्क, किराये की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज शत प्रतिशत छूट है। आबंटित भूखण्ड पर निर्माण अगर कोई देरी से भी हुआ है उसमे भी अतिरिक्त भूमि लागत में 75 प्रतिशत छूट की बात मुख्य मंत्री जी ने की है।

सभापति महोदय, राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास के साथ जो वंचित वर्ग हैं, इनके बारे में, मैं चर्चा करना चाहूंगा। इनकी भागीदारी बहुत कम है। औद्योगिक क्षेत्र में दलित समाज के लोगों की, वंचित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य के बराबर है। मैं निवेदन करूंगा, हालांकि प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया है। उन्होंने डा. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, 2022 प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है। निश्चित रूप से दलित समाज के लोग इंडस्ट्री से जुडेंगे। अपना खुद का व्यवसाय करेंगे, छोटा उद्योग लगाएंगे। निश्चित रूप से वंचित वर्ग को अपना उद्योग स्थापित करने के लिये सक्षम बनाने के लिये मुख्य मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपये की राशि से ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है।

हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, एक्सपर्ट नहीं होते हैं, विशेषज्ञ नहीं होते हैं। विशेषज्ञ नहीं होने, जानकार नहीं होने की वजह से, एकदम से

(श्री बाबूलाल नागर)

उनमें कांफिडेंस नहीं आता है। मुख्य मंत्री जी ने ट्रेनिंग सेंटर अलग से स्थापित करने की घोषणा की है। उस ट्रेनिंग सेंटर में वह प्रशिक्षण लेंगे, विशेषज्ञ बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लोगों का उद्योगों की ओर प्रोत्साहन होगा।

सभापति महोदय, रीको के औद्योगिक क्षेत्र थे पहले 2 हजार मीटर तक प्रावधान किया हुआ था। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, अब उन्होंने उसे 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार मीटर कर दिया। इसी तरह रीको में आरक्षण बढ़ाया है, 5 से 6 प्रतिशत आरक्षण किया है।

सभापति महोदय, मैंने मंत्री महोदय से एक बार व्यक्तिशः भी निवेदन किया था। तीन साल से यह हाउस चल रहा है। मैं हर बार इस बात को उठा रहा हूं कि रीको में एससी, एसटी का आरक्षण पहले जो 4 प्रतिशत था, आपने 5 से 6 परसेंट कर दिया। पहले 2 हजार वर्गमीटर तक था, आपने बढ़ाकर 4 हजार वर्ग मीटर कर दिया। सभापति महोदय, लेकिन 5 से 6 परसेंट में सामान्य महिला को जोड़ दिया है, मुझे तकलीफ हो रही है। जब सामान्य महिला को जोड़ दिया है, तो मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह दलितों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, यह षड्यन्त्र है। हमारे आरक्षण को खतम करने का काम किया है। यह जिसने भी किया है, आरक्षण को खतम करने का काम किया है। जब सामान्य महिला को एससी, एसटी के साथ जोड़ दिया तो सामान्य महिला, चाहे पुरुष लगाये, चाहे महिला लगाये, हम कहां से प्रतियोगिता करेंगे, हम मजदूरी करने वाले लोग? रोज मजदूरी पर जाने वाले लोग, अब पढ़ लिखकर, बहुत मुश्किल से पढ़ लिखकर, आज इस स्थिति में आये हैं। इसके बाद हमें खड़ा कर दिया, सामान्य महिला हमारे साथ डाल दी। मेरा सख्त विरोध है। मैं आपके उद्योग विभाग व रीको विभाग की निन्दा करता हूं। यह निर्णय किया है, वह वापस लिया जाये। प्रदेश के मुख्य मंत्री तक आवाज पहुंचनी चाहिये। यह बहुत बड़ा अन्याय किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, मेरी बहन से मेरी बात हुई थी। कैसे आपके हाथ से फाइल निकल गयी? आप दुबारा बुलाइये। आप मिनिस्टर हैं। आप हैड आफ डिपार्टमेंट है। रीको के अधिकारियों को तलब करिये। श्री अशोक गहलोत, राजस्थान के ग़रीबों के मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा हैं, एससी, एसटी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। इसलिये मैं कहना चाहूंगा, एससी, एसटी का आरक्षण जो प्रोवीजन है, उसको उसी तरह करिये, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये प्लीज। Don't disturb him.

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आपको जोड़ना ही है तो आरक्षण को बढ़ाइये। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, खनिज भी एक उद्योग है। इसमें भी आरक्षण मिलता था। मुझे याद है, हमारे दलितों के मसीहा कैलाश जी मेघवाल खनिज मंत्री थे, गृह मंत्री थे। मुझे पता है, एससी, एसटी के लोगों को आरक्षण मिलता था। लेकिन हमारे दलितों के मसीहा के हाथ से वह काम छीन लिया और एससी, एसटी का आरक्षण भी खतम कर दिया। उद्योग मंत्री जी, मैं चाहूंगा इन माइन्स में आप एससी, एसटी का आरक्षण कीजिये। अगर एससी, एसटी का आरक्षण करेंगे, हमारे लोग भी खनिज का काम करने का, खानें चलाने का सपना बनाएंगे। हमारे लोग भी मजदूरी के साथ-साथ, मालिक बनने का सपना बनाएंगे। इसलिये मैं कहना चाहूंगा इसमें भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: कृपया, अब कंक्लूड करें, प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मुझे जो टाइम दिया है, उसमें आधा ही नहीं हुआ। मुझे 30 मिनट दिये हैं।

श्री सभापति: 20 मिनट हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): 30 मिनट। मैंने देखा है। हमारे उप मुख्य सचेतक जी जानते हैं।

श्री सभापति: आसन के पास जो समय आया है...

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): वह जानते हैं एससी, एसटी, गरीबों का आदमी है। हमारे महेन्द्र जी चौधरी जी को पता है। मुझे 30 मिनट दिये हैं।

श्री सभापति: बोलिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि रीको में जो आबंटन की नीति थी, मुझे समझ नहीं आ रही। आपने पहले वाली आबंटन की नीति को बदल दिया है और नई आबंटन नीति ले आये। आजकल आपने भूखण्ड की ई-बीडिंग प्लानिंग कर रखी है। एससी, एसटी के लोग, अपनी रेट दर लगाओ, ई-बीडिंग में जा सकते हैं। उनके पास इतनी व्यवस्था ही नहीं है। मैं समझता हूं यह दलित विरोधी नीति है। यह आपकी दलित विरोधी नीति है। रीको को इसको ठीक करना चाहिये।

सभापति महोदय, आपको महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिये। महिलाओं के लिए, उद्यम के लिए अलग से प्रावधान करना चाहिये। पहले

(श्री बाबूलाल नागर)

रीको में, औद्योगिक क्षेत्र में, भूखण्ड का आबंटन निर्धारित दर, पहले आओ, पहले पाओ। कोई लिमिटेशन नहीं थी। जब तक उस औद्योगिक संस्थान में भूखण्ड थे, जो नया उद्योग शुरू कर रहे हो, जब तक एक भी भूखण्ड बच रहा है, तब तक आप पहले आओ, पहले पाओ में, 50 परसेंट रियायती दर पर भूखण्ड खरीदने का अधिकार था। उसको चेंज कर दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र को सेचुरेटेड घोषित नहीं किया जाये, जब तक खतम नहीं हो जाये, तब तक आरक्षण था, उसमें 50 परसेंट आरक्षण था। इसी तरह से हमारे एस.सी., एस.टी. के जो उद्यमी हैं, एक हजार मीटर तक, दो हजार मीटर तक पचास परसेंट रियायती दर पर आबंटन की व्यवस्था थी। आपने यह चार हजार मीटर कर दिया। आपने चार हजार कर दिया लेकिन मैंने कहा कि चार हजार तो कर दिया लेकिन हमारे लोगों की एंट्री ही नहीं है, बेकार है आपका चार हजार मीटर करना। आप तो हमारे लोगों के लिए यह तय करिये, हमारे लोगों के लिए पहले जैसी नीति लाइये। पहले आओ, पहले पाओ। जब तक हम आवेदन करेंगे, जब तक वह उस औद्योगिक क्षेत्र में और भी नहीं दें तो जो आपने पांच से छह परसेंट किया है तो आप उसको अलग से बीस परसेंट कर दो, तीस परसेंट कर दो लेकिन एस.सी., एस.टी. के लिए यह कर दो। अलग से एस.सी., एस.टी. के लिए कर दो। यह ई-बीडिंग की, आपको अगर ई-बीडिंग में भी करना है, आपको टेंडर भी लगाना है, उसमें दर भी बढ़ानी है तो हमारे एस.सी., एस.टी. के लिए अलग से लगा दो न, आप बीस परसेंट, तीस परसेंट कर दो न। हम तो वैसे ही 17 परसेंट और 13 परसेंट हैं अगर हमारी जनसंख्या के आधार पर भी आप आरक्षण दो तो हमारा यह आरक्षण पड़ता है 34-35 परसेंट और आप पांच से छह परसेंट दे रहे हो, यह अशोक गहलोत के राज में नहीं हो सकता। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप यह देखना। आप गरीबों की, आप अच्छी मंत्री हैं, आप बहुत जोशीली मंत्री हैं आप गरीब के दर्द को समझती हैं। आप मुख्य मंत्रीजी को यह बताना कि ऐसे लोग बैठे हैं जो आपके गरीबों का नुकसान करना चाहते हैं।

श्री सभापति: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें। माननीय सदस्य, आप कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अच्छा, दो मिनट में ही कर रहा हूं।

(श्री बाबूलाल नागर)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह जो औद्योगिक क्षेत्र का मामला है, राज्य में हैंडलूम, टैक्सटाइल उद्योग इसकी बहुत बड़ी सम्भावना हमारे यहां पर है। हमारा हैंडलूम विदेशों तक विख्यात है। कपास आधारित टैक्सटाइल पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। राज्य में सर्वाधिक कपास, ऊन उत्पादित होती है। ऊन हमारे प्रदेश में होती है। विकास के लिए राज्य सरकार इसकी पृथक से योजना बनाये।

मैं कुछ योजनाएं प्रारम्भ करने का सुझाव देता हूं। कमजोर पावरलूम इकाइयों एवं हाथकर्घा इकाइयों को सेमी आटोमैटिक लूम्स में परिवर्तित करने हेतु इन पर विनियोजन पर 25 परसेंट सब्सिडी दी जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से राजस्थान लघु उद्योग निगम को यार्न बैंक बनाया जाय, सूत उद्योग हेतु, इस हेतु हमारी बहुत गुंजाइश है। जब हमारे पास में कपास है तो हमारे प्रदेश में यार्न बैंक बनाया जा सकता है और इसमें दस प्रतिशत अनुदान की जगह बीस प्रतिशत अनुदान उस गरीब को सूत कातने वाले को सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से हमारे बैंक्स हैं, इन टैक्सटाइल इकाइयों को उनसे ऋण दिलाये जायें और इस पर बीस प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जाये। इसी तरह पावरलूम्स इकाइयों को अपने उपयोग हेतु सोलर एनर्जी विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। माननीय सभापति महोदय, राज्य में एग्रोबेस इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं। तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं। इन्होंने जितनी बार भी बजट पेश किये हैं उनका आधार है गरीब एवं आम आदमी। यह हो नहीं सकता कि गरीब और आम आदमी अशोक गहलोत के राज में वंचित हो जायें इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप मेरी प्रार्थना वहां तक पहुंचाना। मैं उनको जानता हूं, पहचानता हूं उनको, उनकी आत्मा को समझता हूं। आप इन दलितों को उठाओ राजस्थान में, यही आपकी ताकत है। जब-जब दलित जिसके साथ जाते हैं, राजस्थान में उसका राज रहता है। आप चाहो तो मेघवाल साहब से पूछ सकते हो।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): दलित जिसके साथ रहता है, आपके साथ दलितों ने साथ दिया है। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। श्री अभिनेश महर्षि। (व्यवधान) माननीय सदस्य श्री अभिनेश महर्षि, आप शुरू करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग एवं मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं, देवस्थान पर मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सॉरी, बीच में एक बार इंटरप्ट कर रहा हूं। व्यवस्था यह है कि जैसा सचेतक महोदय की तरफ से, इधर से और उधर से आया है, प्रत्येक वक्ता को दस मिनट होंगे और अगर इन्होंने ही पांच मिनट दिये हैं तो पांच मिनट होंगे।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मेरे को 15 मिनट दिये हैं न?

श्री सभापति: अदरवाइज मैक्सिमम, जो व्यवस्था सम्बन्धित सचेतक ने दी है, पार्टी ने दी है, व्यवस्था पार्टी की तरफ से है, सचेतक के माध्यम से आयी है। दस मिनट होंगे उससे पहले सात-आठ मिनट पर मैं थोड़ा बता दूंगा कि आप कंक्लूड करिये, आप अपनी महत्वपूर्ण बात को कंक्लूड करिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरी 15 मिनट है न?

श्री सभापति: आपके लिए नहीं, सबके लिए कहा है। आप शुरू करिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे से पूर्व सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने सरकार के प्रति दलितों का किस तरह का रवैया है, इसके ऊपर बखूबी बयान किया है, अपने दर्द को सदन के साथ में साझा किया है। यदि इस सरकार के मन में दलितों के प्रति जरा-बहुत भी, थोड़ा-बहुत भी यदि करुणा का भाव है और दलितों के मसीहा ने, इस देश को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी के प्रति यदि थोड़ी-बहुत भी श्रद्धा है तो आसन के माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस राजस्थान की विधान सभा के अन्दर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी की आदम कद प्रतिमा लगाने का आदेश जारी करें। यह बार-बार मांग मैं उठाऊंगा क्योंकि यह दलितों की बात चल रही थी।

चूंकि, मैं उस प्रदेश से आता हूं, मैं उस इलाके से आता हूं जहां उद्योग मंत्री भी रहे, राजस्थान के उप मुख्य मंत्री भी रहे और इस विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे परम आदरणीय श्री हरिशंकरजी भाभड़ा साहब, जिन्होंने

(श्री अभिनेश महर्षि)

एक सपना देखा कि मेरे क्षेत्र के नौजवान, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले और उसके लिए मेगा हाईवे और नेशनल हाईवे के ऊपर बसे हुए रतनगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया लगाया, रीको इंडस्ट्रियल एरिया और सपना देखा कि यहां पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा लेकिन उनके सपने को चकनाचूर करने का काम आज की राजस्थान की कांग्रेस सरकार करने पर तुली हुई है, यह आमादा है।

रीको इंडस्ट्रियल एरिया के हालात, यहां पर अधिकारी बैठे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से ही यदि शुरुआत करूं तो क्यों आयेगा यहां पर उद्योगपति? राजस्थान के उद्योगपतियों ने देश और दुनिया के अन्दर नाम कमाया है। इन्होंने अपना सिक्का पूरे विश्व के अन्दर जमाया है। आज हमारे यहां से छोड़कर वे लोग दूसरे प्रदेशों के अन्दर जाते हैं और यहां पर इन्सर्जन्सी के टाइम के अन्दर उन लोगों ने राजस्थान की तरफ निगाह लगायी, आशा लगायी कि हम लोग यहां पर आकर सेटल हो जायेंगे तो वे वापस जाने पर मजबूर हो गये। क्यों मजबूर हो गये वे यहां से वापस जाने के लिये? यहां की लालफीताशाही के कारण, यहां के अड़ियल रवैये के कारण।

एकल खिड़की की बात करने वाले आप लोग, कहां है एकल खिड़की? आपके दांत, हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और हैं। आप लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया है लेकिन आपकी पोल अभी-अभी दो माननीय सदस्यों ने खोली है और सत्ता पक्ष के माननीय विधायक बाबूलालजी नागर का तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम हिम्मत करके सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ, जो सरकार की दलित विरोधी नीति है, उसका तो खूब अच्छी तरह से बखान किया है।

मेरे रीको इंडस्ट्रियल एरिया रतनगढ़ की बात करो, कैसे वहां पर उद्योग पनपेगा? वहां पर सड़कों की हालत इतनी खराब है कि वहां पर चला भी नहीं जा सकता है, ट्रक तो आना दूर की बात है। यदि आप पैदल भी जाओगे तो सुरक्षित फैक्ट्री तक नहीं पहुंच सकते हो, इतनी सड़कों की हालत खराब है। बार-बार विभाग को लिखकर दिया जा चुका है और इन दस-बारह वर्षों से सड़कों के ऊपर कोई डामरीकरण का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है।

मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करता हूं कि क्या सभी उद्यमी सर्विस शुल्क नहीं देते हैं? आप पूछिये रीको के अधिकारियों से कि सर्विस शुल्क लेने

(श्री अभिनेश महर्षि)

के बाद में, पैसा जमा है उद्योगपतियों का, उसके बाद में भी इनकी सड़कों की हालात इतनी खराब क्यों है?

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर काठ का काम बहुत होता है और लकड़ी काम होता है तो वहां पर अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन जो गाड़ी है, उसकी वहीं पर व्यवस्था होनी अत्यन्त आवश्यक है। पिछले दिनों छह बार आग लगी। माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष चूरू से ही आते हैं। चूरू के अन्दर जीरो इंडस्ट्रियल एरिया है, जीरो जोन है। उसके अन्दर इतनी बड़ी छह बार दुर्घटना होने के बाद में करोड़ों रुपये का फैक्ट्री के अन्दर नुकसान हो जाता है और हम बार-बार गुहार करते रह गये कि एक अग्निशमन गाड़ी वहां पर ही खड़ी करवा दो। नगरपालिका को सूचना करते हैं, नगरपालिका की गाड़ी आती है, तब तक पूरी इंडस्ट्री धू-धू कर जल जाती है, करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है।

मैं माननीय उद्योग मंत्री महोदया से मांग करता हूं कि आप वहां पर अग्निशमन की गाड़ी दें और ड्राइवर के साथ दें। आप ऐसा नहीं कहें कि नगरपालिका ड्राइवर देगा और हम गाड़ी दे देंगे। गाड़ी तो आपदा राहत के अन्दर आप दे दोगे लेकिन उसके रख-रखाव और ड्राइवर की जिम्मेदारी और वहां पर उसके लिए मकान की व्यवस्था करवाने का काम भी आप करेंगे।

हालात इतने खराब हैं कि एलईडी लाइट्स नहीं है, रोड के ऊपर किसी भी तरह की रोशनी की व्यवस्था नहीं। चोर आराम से, वैसे ही कानून व्यवस्था राजस्थान की बहुत अच्छी है, यह आप सब लोगों ने सुना ही है और दलितों के साथ में तो किस तरह के अत्याचार होते हैं। मेरे रतनगढ़ के अन्दर 44 नम्बर की एफआईआर, एक दलित युवक को पीट-पीट कर अधमरा करके, मरा हुआ जानकर छोड़ गये और उसके बाद में मुख्य मुलजिम आज भी पहुंच से बाहर है। मैंने आईजी साहब, एसपी साहब सबसे गुहार लगा दी कि दलितों के ऊपर अत्याचार तो बन्द करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, उद्योग पर बोलिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, उद्योग के ऊपर ही बोल रहा हूं। यदि दलितों के साथ में इस तरह का अत्याचार होगा तो कौन यहां उद्योग लगाने के लिए आयेगा इसलिए यह रिलेटेड है। (व्यवधान) हां, मैं सही कह रहा हूं। कानून व्यवस्था जिस प्रकार के अन्दर खराब होगी तो बाहर से कोई नहीं आयेगा। यहां पर चोरियां हो रही हैं। लाइट नहीं हैं, चोरों के

(श्री अभिनेश महर्षि)

ऊपर अंकुश नहीं है। यह कानून व्यवस्था के कारण उद्योग बीमार नहीं, खतम होते जा रहे हैं। राजस्थान के अन्दर जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, आपके द्वारा किये गये बीमारू प्रदेश को हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर पांच साल बाद में आप आकर उसको बीमारू से खतम करने पर तुल जाते हैं। यह अभी-अभी बाबूलालजी नागर ने कहा है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आंकडे ़दीजिए।

श्री सभापति: सुनिए, सुनिए प्लीज।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आप सुन लीजिए पहले। आप दे देना आंकड़े। आंकड़ों का मकड़जाल आप बिछाते हैं। हम जनता के बीच में रखकर जनता की आवाज को इस सदन के माध्यम से, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आंकड़े आप देते रहना श्रीमान्।

माननीय उद्योग मंत्री महोदय, मेरे रीको इण्डस्ट्रियल एरिया साथ से लगती हुई आपणी योजना की पाइप लाइन जा रही है। आप इतना तो कष्ट कर दो कि उद्योगों को पानी मिले। पानी, बिजली, सड़क, रोशनी, ये मिलेंगे तभी तो उद्योग पनपेगा। आप बताओ, कैसे पनपेगा? तभी पनपेगा न। फिर पानी दे दो, पास से आपणी योजना की लाइन जा रही है। वह बार-बार गुहार कर रहे हैं। आप रीको वाले अधिकारियों को कहिए कि आपणी योजना का पैसा जमा करवाकर उनको पानी दो जिससे वह उद्योग मरें नहीं।

इसके अलावा मेरे यहां पर 440 केवी का भी, बिजली की माकूल व्यवस्था है लेकिन वहां पर उद्योग धंधों को बिजली मिले इस बात की व्यवस्था नहीं है तो अलग से रतनगढ़ के लिए फीडर बना दो जिससे वहां पर उद्योग धंधों को, रीको वालों को बिजली मिल जाये। बहुत सारी बातें हैं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: दो मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): दो मिनट में ही कन्क्लूड कर दूंगा। एमओयू की बातें बहुत चल रही थीं। जबरदस्ती का आंकड़ा बढ़ाने के लिए यह सरकार जो कर रही है, यह जनता सब जानती है।

श्री सभापति: कृपया बोलने वाले माननीय सदस्य को डिस्टर्ब नहीं करें आप। जब आप बोलते हैं तो ये चुप रहते हैं। ये बोलें तो आप चुप रहिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को संरक्षण दिया।

अभी मेरे साथी कह रहे थे जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, मैं उसमें एक शब्द और जोड़ देता हूं, चीलगाड़ी जहां नहीं पहुंचे वहां भी और बैलगाड़ी न पहुंचे वहां भी मारवाड़ी पहुंचता है और इन मारवाड़ी लोगों ने यहां की अव्यवस्थाओं के कारण दूसरे प्रदेशों के अन्दर शरण लेकर वहां उद्योग धंधों को पनपाया। अब आप देखो कैसी व्यवस्था है। बीकानेर की मिट्टी गुजरात जाती है। बीकानेर की मिट्टी मोरबी में जाती है और वहां से टाइल बनकर राजस्थान में ट्रक के ट्रक आते हैं। उद्योग मंत्री महोदया चली गयीं, क्या ध्यान दिया कभी? राजस्थान के अन्दर खनिज है, राजस्थान के अन्दर इतना बड़ा भू-भाग है, राजस्थान के अन्दर सब कुछ है। सोलर हब के लिए राजस्थान और उसके अन्दर भी सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाले प्रदेश में चूरू का नाम आता है। चूरू को सोलर हब बनाइये। बनाइये कोई स्कीम आप लोग, लेकिन आप तो इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को खतम करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपका सोच तो वहां से बाहर जाता ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब उद्योग मंत्री महोदया जवाब देंगी तो उसके अन्दर चूरू को सोलर हब बनाने की घोषणा भी करेंगी।

बहुत सारी बातें हैं। एक दो बातें, ब्राहमण का बेटा हूं, देवस्थान के बारे में भी कर लूं माननीय सभापति महोदय। बस दो मिनट के अन्दर मेरी बात को समाप्त कर दूंगा। बड़े-बड़े मन्दिर हैं, सालासर बालाजी का मन्दिर है, खाटूश्यामजी का मन्दिर है, लाखों की तादाद में वहां श्रद्धालु आते हैं लेकिन वहां पर न तो कोई सीवरेज की योजना है, न ड्रेनेज की योजना है। बीमारियां वहां पर फैल जाती हैं क्योंकि वहां मेले में लाखों लोग आते हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ये बड़े मन्दिर हैं। वहां पर सीवरेज, ड्रेनेज और जो गन्दगी है, उसके लिए कोई प्लान्ट लगाकर उसके लिए भी कोई व्यवस्था की जाये कचरा संग्रहण और निष्पादन के लिए।

राजस्व रिकार्ड में पुजारियों के जो नाम विलोपित हो गये थे। कई जिलों के अन्दर तो वापस जोड़े गये हैं लेकिन मेरे चूरू जिले के अन्दर मेरे लोगों ने यह बताया है कि वहां पर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम जोड़े जायें जिससे मन्दिर भूमि के संरक्षक और बिजली, पानी कनेक्शन, फसल खराबे का मुआवजा, बिजली, कृषि उपादान आदि पर अनुदान के लिए वह पुजारी भी सक्षम हो सकें।

बाकी बहुत सारी बातें हैं। मैं लम्बा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि

(श्री अभिनेश महर्षि)

सभापति महोदय से वादा कर चुका हूं। एक मिनट के अन्दर अपनी बात को समाप्त करते हुए कि राजस्थान को यदि यहां के लोगों के उपयोग को लेना है, यहां के इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, डवलपमेंट के लिए और उद्योगों के विकास के लिए, राजस्थान रिच है वैसे, हर चीज के अन्दर, इसका उपयोग लेना है तो सरकार संकीर्ण मानसिकता से उभरे और आने वाले समय में नये उद्योग धंधे लगाने की न केवल घोषणा करे बल्कि उनको मूर्त रूप देने का काम करे। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, उद्योग मंत्रीजी तो हैं नहीं। सामने नौ लोग बैठे हैं। इन मंत्रियों को यह कह दो कि कागज लेकर नाटक तो करो लिखने का।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, लिख रहे हैं। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सदस्य ने बात कही, लिखेंगे नहीं ये। इनका कोई सरोकार नहीं है। क्या मांग हो रही है। क्या बोल रहे हैं माननीय सदस्य। एक कागज ले लो भगवान के लिए। कागज लेकर नाटक तो करो।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): तीन मंत्री बैठे हैं। ये लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नाटक भी नहीं आता इनको। कांग्रेस में रह कर नाटक नहीं सीखे आप। हालत देखो आप। यह उद्योग।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): कटारियाजी बैठे हैं, ये बैठे हैं। लिख रहे हैं।

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए। लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, आप चिन्ता मत करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं दो और मेरे छह।

श्री सभापति: तीन मंत्री बैठे हैं। सचेतक भी लिख रहे हैं।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं लिख रहा हूं। यह रहा देखो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी बात मान सकता हूं। अगर इन्होंने उद्योग के बारे एक भी लिखा हो तो आप कहो तो मैं सदन छोड़कर चला जाऊं। अभी जब्त करो इनके कागज। जब्त करो कागज। रखिए आप कागज। नहीं, रखिए कागज। इन्होंने कहा न, रखिए कागज।

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए। प्लीज। उद्योग मंत्रीजी आ गयीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं सदन छोड़कर जाता हूं। एक शब्द नहीं लिखा। रखवाओ कागज। टेबिल करिये कागज आप। सदन में बोल रहे हो, सब्जी मण्डी में बोल रहे हो। करो टेबिल कागज। एक कागज लिखते नहीं हैं।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): उद्योग मंत्रीजी आ गयीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यही नहीं, सभापति महोदय, आफिसर दीर्घा में बैठे लोगों की तरफ मैं देख रहा था, इन्होंने भी कलम नहीं चलायी। यह क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ?

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): देखिए, मैं बताऊं कि ये मंत्रीजी जब गयीं थीं मुझे कहकर गयीं थीं और अभिनेश महर्षिजी ने कहा है, चूरू को सोलर हब बनाने की मांग इन्होंने की है, वह मैंने नोट की है।

श्री सभापति: सब कुछ नोट किया जा रहा है।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बीकानेर की मिट्टी गुजरात जा रही है, यह भी बात की है इन्होंने। वह भी बात मैंने नोट की है।

श्री सभापति: आप शुरू करिये प्लीज।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मंत्रीजी आ गयीं। मंत्रीजी मैंने कहा है, वह देख लो।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): हां, दे दिया मैंने इनको। बैठो।

श्री सभापति: शुरू करिये आप।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 11 और मांग संख्या 42 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं संक्षिप्त में मांग संख्या 11 देवस्थान के बारे में अपने विचार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम देवस्थान विभाग की बात करें तो जन जन की आस्था के प्रतीक देवताओं के मन्दिर जिसे पूरा गांव आराध्य रूप में मानता है। उनके लिए विशेष कार्ययोजना सरकारी स्तर पर बने। विश्व प्रसिद्ध वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल को केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने की मांग मैं सरकार से करता हूं।

(श्री नारायण बेनीवाल)

देश विदेश के लकवा पीड़ित लोगों की आस्था स्थल बूटाटी धाम को भी सरकार राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करे।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर के पांचला के श्री जसनाथजी आश्रम, रूंड की भोमियाजी, डेरू के माताजी मन्दिर सहित खींवसर के सभी प्रसिद्ध मन्दिरों का सर्वे करवाकर उनके लिए विशेष बजट जारी करायें। सभापति महोदय, जाम्बोजी महाराज की स्थली पीपासर मुकाम राणाबाईजी का मन्दिर, मीराबाई की नगरी मेड़ता, बंशीवाला मन्दिर नागौर और करणी माता मन्दिर देशनोक को टूरिस्ट हब के रूप में टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने की सरकार कोई कार्ययोजना बनाये। नागौर जिले के जायल क्षेत्र के गोठ मांगलोद स्थित दधिमति माताजी मन्दिर जहां पर कार्यरत दधिमति माताजी मन्दिर समिति प्रन्यास जो देवस्थान विभाग में पंजीकृत भी है। उसके द्वारा 2004 में निज मन्दिर का जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। पुजारियों की छह-छह महीने से बारी बदले जाने की वर्षों पुरानी परम्परा होने के कारण कोई मुख्य पुजारी नहीं होने से मन्दिर दरवाजा अभी तक नहीं लगा है। मैं मांग करता हूं कि देवस्थान विभाग अपने संज्ञान में लेकर मन्दिर का दरवाजा लगवाए और मन्दिर का शेष बचा जीर्णोद्धार भी करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा, मन्दिर के आय-व्ययक ब्यौरे का समय-समय पर अंकेक्षण करवाकर रिपोर्ट देवस्थान विभाग मन्दिर के सूचना पट्ट पर अंकित करें ताकि लोगों की जो आस्था दधिमति माताजी में है, वह बरकरार रहे।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस बार मिसिंग लिंक और सड़कों के लिए जो 10 करोड़ का विशेष प्रावधान मुख्य मंत्रीजी ने किया है, उसके अलावा हर विधान सभा क्षेत्र में जितने भी प्रसिद्ध मन्दिर और देवस्थान हैं, उनमें कहीं-न-कहीं 10-20 किलोमीटर सड़कों का और माननीय मुख्य मंत्रीजी आप घोषणा कराएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर एक अच्छा मैसेज जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर यदि हम उद्योग की बात करें तो अभी हमारे सांगानेर से आने वाले विधायक महोदय ने सारे आंकड़ों की बातें कहीं, उधर से हमारे राजाखेड़ा से आने वाले विधायक भी धीरे-धीरे मुस्कुरा रहे हैं तो सारे आंकड़ों की बातें यह लोग कर देंगे। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, मंत्रीजी

(श्री नारायण बेनीवाल)

विराजमान हैं, यदि ईमानदारी से हमारी सदन के अन्दर यही इच्छा है सबकी, कि राजस्थान के अन्दर उद्योग तेजी से पनपें। अभी हमारे अभिनेश जी ने जो बातें कहीं कि बीकानेर की मिट्टी गुजरात जा रही है तो उद्योग के अन्दर सबसे बड़ी जो एक पोटेंशियल राजस्थान के अन्दर है, वह खनिज के अन्दर है, क्योंकि खनिज का अकूत भण्डार अभी राजस्थान के अंदर है, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई ठोस कार्ययोजना का आश्वासन मंत्रीजी से चाहूंगा, जब यह अपनी रिप्लाई दें।

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतनी ही अपील करूंगा कि किसी की निन्दा या किसी की प्रशंसा की हमारी आदत नहीं है। मैं तो इतना ही कहता हूं कि सच बोलना और सच सुनने का माद्दा जिस दिन हम सदन में यहां पैदा कर लेंगे, उस दिन आधा विकास अपने आप ही हो जाएगा। यह 03.02.2022 को श्री सुनील जी परिहार, स्वतन्त्र निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विनियोजन निगम लिमिटेड, पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रबन्धक निदेशक, जनसांख्यिक ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज का माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय उद्योग मंत्री को लिखे एक लैटर को पढ़कर सुना रहा हूं। इन्होंने बहुत अच्छी चीज लिखी है।

"रीको के निदेशक होने के नाते मुझे अत्यन्त पीड़ा एवं व्यथा होती है कि रीको, जोकि उद्यमियों के निवेश का कैटलिस्ट था, अब यह इसके बजाय रीयल एस्टेट कम्पनी बन गयी है, जिससे न केवल सरकार की छवि खराब हो रही है, अपितु निवेश पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिसका जिक्र मैंने बजट सलाहकार कमेटी की बैठक में भी किया था।" इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। यह कोई विपक्ष का व्यक्ति नहीं कह रहा है। यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, जिन्होंने उद्योग जगत को बहुत कुछ दिया अपने विचारों के माध्यम से, उस व्यक्ति की पीड़ा को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इससे बड़ी विडम्बना हो नहीं सकती। इन्होंने नागौर के अन्दर जो गोगोलाव रीको इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके प्लाट के आबंटनों में जो जमकर धांधली हुई, इसको लेकर इन्होंने यह लैटर लिखा। माननीय मंत्रीजी से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि इससे सरकार की बहुत ज्यादा छवि खराब हुई है। इस मामले में तुरन्त संज्ञान लेकर ऐसे दोषी अधिकारी-कर्मचारियों को दो-चार को

(श्री नारायण बेनीवाल)

आप लटकाओगे नहीं, तब तक जनता के अन्दर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और न ही बाहर से कोई उद्योगपति यहां आकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि जो हमारे उद्योगपति हैं, उनको राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, उससे जन-प्रतिनिधियों को जान-बूझकर दूर रखा गया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी के सलाहकार और सवाई माधोपुर से आने वाले विधायक का, कि जिन्होंने आवाज उठायी कि हमारा नाम, जिला कलेक्टर का नाम है, रीको के आर.एम. का नाम है। क्या विधायक और सांसद इतने कमजोर हो गए राजस्थान के, कि जिनका एक कार्ड के अन्दर नाम भी लिखना आपने मुनासिब नहीं समझा। आप यदि ईमानदारी से उद्योग के लिए कोई अच्छी परम्परा राजस्थान के अन्दर डालना चाहते हो, तो हर तीन महीने के अन्दर एक सम्भाग स्तर, एक जिला स्तर पर ऐसी कोई को-आर्डिनेशन कमेटी हो आपकी, जिसमें जन-प्रतिनिधि भी शामिल हों और उसके अन्दर उद्योगपति शामिल हों। उसकी बैठकों का आयोजन कहीं-न-कहीं यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान, जो एक बीमारू प्रदेश की श्रेणी में है उद्योग के मामले में, वह कहीं-न-कहीं ऊपर आएगा। यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, गांधीजी ने भारत को गांवों का देश बताया, क्योंकि गांव भारत की अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख धुरी है। गांधीजी खुद चरखा चलाकर सूती वस्त्र बनाते थे, लेकिन विडम्बना आज इस बात की है कि आज छोटे बच्चे जब चरखे को देखते हैं तो पूछते हैं वाट इज दिस? इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, टांकला की दरियां पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, लेकिन यह उद्योग भी हमारे वहां खतम होने के कगार पर है। गांवों में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रजापत समाज के लोगों का पूरा परिवार, जिनका यह कार्य वर्षों से चला आ रहा था और उनकी आजीविका का साधन था। फर्नीचर उद्योग भी गांवों में ठप पड़ा है और गांव के युवा अपना घर-परिवार छोड़कर महाराष्ट्र में जाकर यह काम कर रहे हैं। जब तक हम यह छोटे-छोटे उद्योग, जो गांव के छोटे उद्योग हैं, उन पर हमने पूरा फोकस नहीं किया, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों के अन्दर होगा।

माननीय सभापति महोदय, गांवों में महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने

(श्री नारायण बेनीवाल)

की बातें, स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की बातें बजट में रोज सुनते हैं, लेकिन आज इन सब कामों के अन्दर जैसे पापड़ है, बड़ी उद्योग है, यह सारे के सारे अनुदान के अभाव में दम तोड़ रहे हैं और इन सारे प्रोडेक्ट्स के ऊपर भी बड़ी कम्पनियों ने कब्जा कर लिया। इसके फलस्वरूप मिलावटी खाद्यान्न हमारी थाली में पहुंच रहे हैं तथा इन ग्रामीण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना आपके माध्यम से बने तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज इस समाज के अन्दर जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार की बात समस्त माननीय सदस्य करते हैं। इनके लिये भी कोई ठोस कार्ययोजना बने। वरना उद्योगपति बाहर से आता है और वहां का लोकल व्यक्ति यह नहीं देखता कि बाहर का आदमी आकर यहां रोजगार ले रहा है तो वह कहीं-न-कहीं कुंठित होकर वह अपराध की तरफ कूच कर रहा है। इसका भी खामियाजा भुगतना होगा और कहीं-न-कहीं समाज पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। नये उद्योग स्थापित करने में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने हेतु प्रचार-प्रसार करना और नये उद्योगों में एस.सी., एस.टी., ओबीसी और ई.डब्ल्यू.एस. को विशेष रियायतें देकर सरकार यदि यह जो अति-पिछड़े लोग हैं, इनको भी आगे लाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से राजस्थान उद्योग के अन्दर भी बहुत आगे बुलन्दियों को छू सकता है।

माननीय सभापति महोदय, उद्योगों के संचालन के लिए एकल खिड़की योजना को सुदृढ़ करना और स्टोन कटिंग और पालिश की जो इकाइयां हैं, इसमें स्लरी का जो निस्तारण है, इसको लेकर सारी की सारी समस्याएं, जो आज गांवों में छोटी-छोटी कटर मशीनें लगी हैं या जैसे हमारे मकराना और किशनगढ़ की यदि हम बात करें तो यह स्लरी के निस्तारण को लेकर डम्पिंग यार्ड की उचित व्यवस्था माननीय उद्योग मंत्रीजी, जब आप इसका रिप्लाई दें, इसके अन्दर कोई ठोस आपकी कार्ययोजना बने। माननीय सभापति महोदय, कृषि आधारित उद्योगों का विकास स्थानीय स्तर पर करना।

श्री सभापति: कृपया कंक्लूड करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): जहां इनका उत्पादन होता है, विश्व प्रसिद्ध नागौर की पान मैथी, जीरा, सौंठ का उत्पादन मेरे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में होता है, तो इनकी पैकिंग के उद्योग भी गांवों में ही लगें ताकि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके और युवाओं को रोजगार मिल सके।

(श्री नारायण बेनीवाल)

ईंट, चूना, पत्थर उद्योग मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े। देखने में यह आया है कि आज खान के जो मजदूर श्रमिक हैं, वह मजदूर कार्डों के लिए और दूसरी अपनी छोटी-मोटी पेंशनों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं तो इसके ऊपर भी कोई ठोस कार्ययोजना बनें।

माननीय सभापति महोदय, बैंकों द्वारा छोटे उद्योग लगाने के लिए इच्छुक लोगों को ऋण नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपने इसमें सिक्योरिटी की जो अनिवार्यता की है, उसे कहीं न कहीं खतम किया जावे, ताकि छोटे उद्यमी अपना कारोबार कर सकें। पिछले तीन साल में नागौर जिले में 11,054 उद्योग नये लगे, लेकिन ऋण नहीं मिलने से बीच में ही उद्योगों को बन्द करना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, कहने को तो आज हम उद्योग पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह विडम्बना है कि सरकार उद्योगों को नहीं चला रही है, आज उद्योगपति सरकारों को चला रहे हैं। यह सच्चाई भी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। आज मेरे क्षेत्र में अम्बुजा सीमेंट की बहुत बड़ी फैक्टरी है। कहने को जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसका उद्घाटन किया तो यह कहा था कि यह ग्रीन प्लांट है, लेकिन आज वह जहरीला धुंआ छोड़कर और पूरा जो आस-पास का इलाका है, उसने उसको प्रदूषित कर दिया तो ऐसे बड़े उद्योगों के लिये भी कोई ठोस कार्ययोजना का मैं आश्वासन मंत्रीजी से चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा नावां क्षेत्र में नमक उत्पादन एरिया, जो जाप्ती नगर, खाखड़ की और मोहनपुरा के ग्रामीणों ने यह मांग की है कि उनकी भूमि का रूपान्तरण नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में से रेलवे ट्रेक निकल गया तो कहीं-न-कहीं 200 ऐसे नमक उद्योग हैं, जो दो भागों में बंट गये। इससे वहां का नमक उद्योग खतम हो रहा है। इन किसानों को भी उचित मुआवजा देवें और नमक उद्योग लगाने के लिए नई लीजें जारी करके किसानों को राहत दिलावें।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो 2021-22 का जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया, उसके अन्दर हमारे नागौर जिले में हरसोल और गोलहरिया के अन्दर रीको के नये उद्योगों की बात कही और 2022-23 में जायल, नावां और लाडनूं के अन्दर तीन नए औद्योगिक इलाके हैं, उनके डवलपमेंट की बात कही, लेकिन हकीकत इससे परे है। अभी वहां पर

(श्री नारायण बेनीवाल)

कोई काम नहीं हुआ है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि खींवसर के अन्दर भी आप रीको की घोषणा करें और न केवल घोषणा करें, बल्कि इस घोषणा को हम अमलीजामा कैसे पहनाएं, यह हम सबका मिलकर प्रयास होना चाहिए। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, यह वाद-विवाद का विषय नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। हमारा यही प्रयास है मिल-जुलकर, कि साढ़े सात करोड़ राजस्थान की जो जनता है, उसकी जो मुख्य भावना है, उस मुख्य भावना का हम सम्मान करते हुए राजस्थान उद्योगों की श्रेणी में आगे कैसे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

(समय: 15.00 बजे)

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे उद्योग की डिमांड पर बोलने का मौका दिया, उसका तहेदिल से शुक्रिया। आज हमारी सरकार ने जो नया एग्रीकल्चर बजट दिया था, उसमें ट्यूरिज्म को हमने इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है। मेरी मुख्य मंत्री जी से विनती रहेगी कि एग्रीकल्चर को भी क्यों न इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया जाये? आज एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का स्टेटस दे देंगे तो उससे हमारी काफी समस्याएं साल्व हो जायेंगी।

इसको आप एक नये रूप में देखो कि आज प्रदेश में अनएम्प्लायमेंट है। इसको कोई नकार नहीं सकता, न आप नकार सकते, न मैं नकार सकता। पूरे देश में एम्प्लायमेंट की जो दर है वह पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। आज हमें अनएम्प्लायमेंट को टैकल करना है तो सबसे बड़ा एम्प्लायर कौन है? आज बांग्लादेश की इकोनामी हमसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है तो क्यों कर रही है? किसी ने यह सोचा ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेश में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रही है, जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लायमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। हम क्यों नहीं इसके लिए सोच रहे हैं? क्यों नहीं हमारी केन्द्र सरकार सोच रही है? क्यों नहीं हमारी राज्य सरकार सोच रही है? जब आप बात करते हो कि आप और हम मिलकर इस प्रदेश के डवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपने टफ में तो स्कीम दे दी टैक्सटाइल इंडस्ट्री को, लेकिन इससे आगे गारमेंट इंडस्ट्री को आपने क्या दिया? आज राजस्थान में जयपुर की

(श्री रोहित बौहरा)

गारमेंट इंडस्ट्री है। हम बात करते हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा कैसे मिलेगा? गारमेंट इंडस्ट्री स्माल स्केल इंडस्ट्री है जिसमें 50 आदमी का एम्प्लायमेंट हो सकता है, 100 आदमी का हो सकता है and it can go up-till ten thousand people. इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज राजस्थान में, जयपुर में चाहे आपके राज का समय हो, चाहे हमारे राज का समय हो, कोई भी आदमी एमएसएमई की इंडस्ट्री जयपुर शहर में नहीं लगा सकता है। यह फैक्ट है, जो कि हमारे माननीय मंत्री महोदय को भी समझना पड़ेगा। इधर से आने वाले सदस्यों को भी समझना पड़ेगा। सबको समझना पड़ेगा। मैं खुद इंडस्ट्री चलाता हूं। मुझे पता है।

माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्री चलेगी कैसे? The prices of land, इतनी महंगी हैं कि इंडस्ट्री का डवलपमेंट ही नहीं कर सकते। आज जो बात उन्होंने की, वह सही बात की। क्या हमने लैंड बेचने के लिए रीको बना रखा है? रीको को हमने इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन बना रखा है, we have to change this policy, जो हम ई-बीडिंग से अपना काम कर रहे हैं, जब तक आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड है, चाहे आप वूमन एंटरप्रिन्योर को दें, चाहे एससी, एसटी को दो, some kind of land has to be reserved for entrepreneur. जो एक्चुअल एंटरप्रिन्योर है, जो इंडस्ट्री लगा रहा है, नहीं तो कैंसिल कर दीजिये। आप यदि उसको लैंड देते हैं, अलाट करते हैं, 2 साल में इंडस्ट्री नहीं लगाता है तो without any reason, please cancel the land. We are not only a land bank industry. We have to promote industry, then only we will get employment. एम्प्लायमेंट आपका जनरेट ही नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे जितने लैंड बैंक्स हैं, सब लोगों ने लेकर रख रखे हैं and they are acting as real estate agents and हमारी रीको उसको कैंसिल नहीं कर पा रही है because of political clout, because of bureaucratic clout, सब तरह का क्लाउट उसके अन्दर इनवाल्वड है। सच्ची बात तो यह है। सच हमें सुनना पड़ेगा, यदि हम चाहते हैं कि प्रदेश का इंडस्ट्रियल डवलपमेंट हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें कहना है कि यह बहुत अच्छा किया मुख्य मंत्री महोदय ने कि आज हमारे यहां बाड़मेर में रिफाइनरी हो रही है लेकिन हम रिफाइनरी के लिये कर क्या रहे हैं? रिफाइनरी के बाद जो उसकी

(श्री रोहित बौहरा)

डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है वह है पेट्रो कैमिकल इंडस्ट्री। What are we doing? हमने कितने ही लोगों से बात की। कितने ही हमने एमओयूज साइन किये कि वह लोग आयें। हम उनको यहां बुलायें और हम उनसे पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री की बात करें कि किस तरह से दाना यहां मैन्युफैक्चर होगा। दाना यहां मैन्युफैक्चर होगा तो अपने आप हमारे यहां प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डवलप हो जायेगी।

आज ओवर गुजरात और महाराष्ट्र की जो यह लोग बात कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं जा रहा है कि why are they prospering? प्रोस्पर इसलिए कर रहे हैं कि सी रूट है। लगा हुआ है। एक्सपोर्ट हो जाता है सी रूट्स से। हमें पहले लैंड रूट से सी रुट पर जाना पड़ता है फिर एक्सपोर्ट होता है। आपके यहां गैस अवलेबल थी। हाई सी बोम्बे से आपको गैस मिल जाती थी। सस्ती गैस मिल जाती थी इसलिए आप लोगों ने वहां पर इंडस्ट्री प्रोस्पर कर ली।

हमारे चूरू से आने वाले विधायक बोले कि यहां से आप वहां भेज रहे हो। मिट्टी भेज रहे हो। मिट्टी तो भेजनी पड़ेगी। गैस वहां अवलेबल है। गैस इस साल जाकर के राजस्थान के आबू रोड में आयी है। Gas is the natural resource and सबसे सस्ता फ्यूल है। एंटरप्रिन्योर को क्या चाहिए? एंटरप्रिन्योर को चाहिए लेबर। एंटरप्रिन्योर को चाहिए सबसे सस्ता फ्यूल, सबसे सस्ती लेबर। लेबर में मैं मानता हूं कि सबसे सस्ती लेबर अगर कहीं अवलेबल है तो वह राजस्थान में है। इसके अलावा कहीं इतनी सस्ती लेबर अवलेबल नहीं है। हमें ठीक क्या करना है? हमें ठीक करनी है हमारी थोड़ी पालिसीज।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आज आपने फायर एनओसी का काम शुरू किया। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक तुगलकी फरमान निकाल दिया, हर इंडस्ट्री को बोल दिया कि हर इंडस्ट्री को फायर की एनओसी लेनी पड़ेगी at what cost? 70 rupees per Square meter is the cost of Fire NOC. यानी जिसके पास 10 हजार गज जमीन है, 10 हजार स्कवायर मीटर लैंड है, उसको 7 लाख रुपये हर साल देने पड़ेंगे फोर फायर एनओसी। क्या मजाक लगा रखा है? यह सेन्ट्रल का फरमान ऐसा आया है। क्या मजाक लगा रहे हैं हम? हम मजाक कर रहे हैं? हमें इंडस्ट्री के लिये सपोर्ट सिस्टम चाहिए। इसको कोई समझता नहीं है।

इधर से आने वाले एक भी सदस्य ने बात नहीं की, क्योंकि वह चीज

(श्री रोहित बौहरा)

समझ में ही नहीं आती। एक नार्मल इंडस्ट्रियलिस्ट कोई इंडस्ट्री लगाता है, उसको कम से कम 5 से 6 हजार स्क्वायर मीटर लैंड चाहिए। 7 लाख रुपये में उसकी फायर एनओसी। मैं तो यहां मंत्री महोदय से कहूंगा कि उसको पढ़ें। उस पर बात करें कि किस तरह से हम इस फॉयर एनओसी की कोस्ट को कम कर सकते हैं। यदि ला सकते हैं तो इसी बार हम अध्यादेश लेकर आयें और इस फायर एनओसी की कोस्ट कम करें।

हमारे रीको वाले एमडी यहां बैठे हैं। मैं कह रहा हूं when you are charging 10 per cent service tax, आप हर साल हमारे से 10 परसेंट सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं और हर साल उसमें 10 परसेंट की बढ़ोतरी करते हैं। हम यह तो देखें कि रीको, रीको इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह की सर्विसेज दे रहा है। आज धौलपुर रीको इंडस्ट्रियल एरिया में मेरे 3 बार आफिस विजिट करने के बाद भी जो सड़कों की हालत है, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में सड़कें पड़ी हुई हैं। आज मैंने वहां इनवेस्टमेंट कर रखा है लेकिन मैं रीको इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं जा सकता हूं क्योंकि रोड्स इतनी खराब हैं। किसको बोलें? किसी को समझना पड़ेगा। 3-4 बार हम जाकर के वहां बोल चुके हैं। एक छोटा-सा आदमी स्टे ले आया, उससे 7 साल से रीको इंडस्ट्रियल एरिया धौलपुर की सड़कें नहीं बन रही हैं। हमें यह सब चीजें साल्व करनी पड़ेंगी।

आप 3 डब्ल्यू में बहुत बड़ा इनवेस्टमेंट लेकर आये। पूरे राजस्थान में आप 3 डब्ल्यू में बहुत बड़ा इनवेस्टमेंट लेकर आये। कोविड हो गया। कोविड में लोग इनवेस्टमेंट नहीं कर पाये। अब आप चाहते हैं कि हम लोगों की लैंड कैंसिल कर दें। यह कैसे कर सकते हैं? जब से यह सरकार आयी है कोविड के कारण पहली बार हुआ है कि हमारे डी-ग्रोथ चल रही है पूरी इकोनामी में how can we expect people to invest? उसमें भी हम फिर कैंसिल कर दें। एक सरटेन अमाउंट उनका इनवेस्टमेंट हो गया, फिर उनकी लैंड कैंसिल कर दें।

खुद आप देख लें कि 7 साल से, जब से बीजेपी सरकार आई है क्या हाल हुआ है? जीडीपी की हालत खराब करके रख दी। आज बांग्लादेश की जीडीपी हमारे से बैटर कर रही है क्योंकि उन्होंने वहां पर एम्प्लायमेंट जनरेशन अच्छा कर दिया। गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा दे दिया। आज गारमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब पूरे वर्ल्ड में है तो बांग्लादेश है, जो कभी इंडिया हुआ करता था during Manmohan's Singh time, इंडिया हुआ करता था।

(श्री रोहित बौहरा)

आप बात कर रहे थे कि चाइना से इंडस्ट्री उठी तो हम यहां क्यों नहीं लेकर आये। आपके पास है क्या देने को जो यहां आपके पास इंडस्ट्री आयेगी। आपके पास इंडिया में देने को क्या है जो यहां इंडस्ट्री आयेगी। यदि लोग जा रहे हैं तो आप देखकर आइये कि वियतनाम में क्या इंडस्ट्रियल डवलपमेंट हो रहा है, without any bureaucratic hassles, वहां इंडस्ट्रियल डवलपमेंट हो रहा है। आप बांग्लादेश में देखकर आइये कि क्या इंडस्ट्रियल डवलपमेंट हो रहा है।

हमें समझना पड़ेगा। हम सिर्फ एक-दूसरे पर कटाक्ष करते रहें उससे कुछ नहीं होगा। आज जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी थी, एक लेबर को क्या मिलता था? एक लेबर को पीएफ का पैसा मिलता था। आपने क्या किया? कल ही, 8.4 से उसकी इंट्रेस्ट रेट 8.1 कर दी it is shame on you. आज लेबर क्या करती है? लेबर को इंडस्ट्रियलिस्ट क्या देता है? सिर्फ पीएफ का ही तो पैसा देता है। वही तो उसकी बचत है। उस पर भी आपने इंट्रेस्ट रेट कम कर दी। क्या किया आपने? बड़ी-बड़ी बातें करने से, सिर्फ यह दिखाने से और चुनाव जीतने से ही काम नहीं होगा। आदमी की जब तक हम रियल में प्रोब्लम सोल्व नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। यह थोड़े दिन की चांदनी है और फिर अन्धेरी रात आ जायेगी आप लोगों के लिये। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय हैं नहीं, मैं कहता हूं कि हमने पिछली बार 50 करोड़ रुपये इंटरेस्ट सब्वेंशन में रखे थे। मुख्य मंत्री के इंटरेस्ट सब्वेंशन में रखे थे। There are a lot of industries in pipeline which haven’t got the money. Please ensure, जिनने इंवेस्टमेंट कर दिया है before the due date, उनको पैसा मिले, यदि आपका बजट खतम हो गया है तो इस बार आपके पास बजट है। We should ensure that those industries which have been put up before the due date, they should get their money.

दूसरी चीज में कहना चाह रहा हूं, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जब किसी एन्टरप्रेन्योर के परिवार में मर जाता है तो रीको हमारे से चार्ज करता है फीसेज और वह फीस भी अपरम्पार है और रीको के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं तब जाकर वह प्रोब्लम सोल्व होती है। आपको रेवेन्यू भी मिलेगा और आप इससे एन्टरप्रेन्योर को निजात भी दिला सकते हो। आप लीज वाली जो लैंड है उसको खतम करो। आप हमारी वन टाइम लीज करो, इससे आपको पैसा भी मिलेगा, आप हमारे को सबसे

(श्री रोहित बौहरा)

निजात भी दिला दोगे। Why can't we do this? आपको पैसा भी मिलेगा, आप हमारे से दस साल की लीज मनी चार्ज करिये, आप हमारी लैंड को फ्री होल्ड कीजिये, जो हमारी मर्जी आयेगी, हम हमारी मर्जी से करेंगे। ये सब कुछ आपको रिवोल्यूशनाइज तो करना पड़ेगा न सिस्टम को, कब तक एन्टरप्रेन्योर तंग होता रहेगा। यह किसी को समझ आनी चाहिए कि आप फ्री होल्ड कर दीजिये लैंड इससे आपको पैसा मिलेगा और एन्टरप्रेन्योर आपसे खुश रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सर्विस टैक्स के साथ आपने यूडी टैक्स लगा दिया, इंडस्ट्रियल एरिया में यूडी टैक्स का क्या मतलब? रीको हमारे से सर्विस टैक्स ले रहा है, then why are you charging UD tax? What for? What are you providing? What is Urban Development Department providing in the RIICO? रीको में किस चीज का यूडी टैक्स लगेगा, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि इंडस्ट्रियल एरिया में यूडी टैक्स खतम होना चाहिए। Why should we have UD tax in the Industrial area? बिलकुल खतम होना चाहिए ये, एज ए एन्टरप्रेन्योर हम आपसे क्या-क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या दो। बिजली आप सबसे महंगी दे रहे हैं, इंडस्ट्री के ऊपर सब भार आ रहा है, एग्रीकल्चर का, वो आपकी मजबूरी है, हम समझ सकते हैं, आप यूडी टैक्स हमारे से लेना चाहते हो, आप फायर एनओसी का भी हमारे से पैसा लेना चाहते हो, आप सर्विस टैक्स हमसे लेना चाहते हो तो एन्टरप्रेन्योर क्यों आयेगा आपके यहां राजस्थान में, क्यों इंडस्ट्री लगायेगा राजस्थान में? माननीय सभापति महोदय, ये चीजें समझनी तो चाहिए। क्या ये ही अकेली गाय बची है जिसको काटते रहेंगे? एन्टरप्रेन्योर को एन्टरप्रेन्योर समझना पड़ेगा। एन्टरप्रेन्योर को हमें इंवाइट करना पड़ेगा, एन्टरप्रेन्योर को हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा तब जाकर हम एन्टरप्रेन्योर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडस्ट्री लगायेगा आपके बीच में।

माननीय सभापति महोदय, यह सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का हाल है, केवल यह इसी गवर्नमेंट का हाल नहीं है, आपके समय में भी यही हुआ है और आपके समय तो और बदतर हालत थी, और बदतर हालत थी। आपके समय में तो इंडस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं हुआ, आपके टाइम में तो आपने एक ही नारा लगाया, बीमारू स्टेट, बीमारू स्टेट। बीमारू स्टेट का आप एक आंकड़ा नहीं दे पाये, सिर्फ यही राग रोते रहे पांच साल में कि हम तो बीमारू स्टेट को

(श्री रोहित बौहरा)

नोर्मल स्टेट कर रहे हैं। कहां से ले आये मुख्य मंत्री यह पैसा? आपको तो यह भी पता नहीं था, आपके कई एमएलए को तो यही पता नहीं कि ये पैसा कहां खर्च होगा, ये बजट कहां से आयेगा, तो समझाना पड़ा कि एफआरबीएम भी एक चीज है, जिसमें से पैसा आयेगा, पैसा खर्च होगा, 90 परसेंट से 100 परसेंट जो भी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अनाउंस किये हैं, वो सब काम होंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज इश्यु है कि एम्प्लायमेंट जनरेशन का, यह वहीं होगा, यह हमें समझना पड़ेगा। राजस्थान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या थी, टैक्सटाइल थी, जेम एण्ड ज्वैलरी थी, ट्यूरिज्म थी, कारपेट सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। कारपेट इंडस्ट्री को हम बढ़ावा नहीं दे पाये, जयपुर में सबसे बड़ी कारपेट इंडस्ट्री थी, जेम एण्ड ज्वैलरी की थी। जेम एण्ड ज्वैलरी को हम ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में नहीं ला पाये। पहली बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जेम एण्ड ज्वैलरी को इण्डस्ट्री का स्टेटस पहली बार दिया है, यह बहुत स्वागत योग्य कदम है। हम सबसे ज्यादा जनरेशन करेंगे एम्प्लायमेंट का जेम एण्ड ज्वैलरी से, हम कारपेट इंडस्ट्री को बढ़ायें, सबसे ज्यादा कारपेट इंडस्ट्री में आपको कुछ स्पेशल पालिसी लानी चाहिए जिससे कारपेट इंडस्ट्री खतम नहीं हो। आज हमारा वूल भदोही जाता है, why can't we tap this? हम भदोही की जगह राजस्थान में कारपेट इंडस्ट्री डवलप करें, सबसे ज्यादा आपके पास एम्प्लायमेंट जनरेशन होगा। हम भदोही क्यों भेज रहे हैं अपना वूल, आप इस बारे में बात कीजिये। जहां पर रॉ मैटेरियल है, we can always have the employment there. हमारे को कुछ समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा कदम उठाया आपने रीको को अलग करके कि आपने एग्रीकल्चर लैंड से कंवर्ट करवा दिया, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया, कंवर्जन कोस्ट आपने फ्री कर दी, आपने इंडस्ट्रियल लैंड में कंवर्ट कर दिया, बहुत अच्छा कदम है बहुत स्वागत योग्य कदम है। अब एक नई लीज आफ लाइफ आयेगी कि मुझे एमएसएमई लगाना है अपने एग्रीकल्चर में तो मैं लगा सकता हूं, मुझे रीको की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। कट इश्यु यह है कि रीको को भी समझना पड़ेगा, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, मैं यह नहीं कहता कि रीको को भी पैसा चाहिए क्योंकि फरदर इंवेस्टमेंट करना है, चाहिए लेकिन एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से रीको का भी भला कर सकें और हम एन्टरप्रेन्योर का भी भला कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं फिर विनती कर रहा हूं कि इस लीज लैंड को प्लीज इसको खतम कर दीजिये। आप वन टाइम हमसे लीज का पैसा ले लीजिये और इस लैंड को फ्री होल्ड लैंड कर दीजिये, फ्री होल्ड लैंड करते ही

(श्री रोहित बौहरा)

आपके रीको के 50 परसेंट लिटिगेशन खतम हो जायेंगे, एन्टरप्रेन्योर के खतम हो जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज और कह रहा हूं, आज महाराष्ट्र ने एक नई पालिसी और शुरू की है, जितना आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे उतनी आपको एसजीएसटी में छूट मिलेगी। आज हमारी एसजीएसटी की 75 परसेंट छूट मिलती है या इंटरेस्ट सब्वेंशन पर हमें मैक्सिमम 25 लाख रुपये दिया जाता है। आज महाराष्ट्र ने क्या किया है, यदि मेरा 50 लाख रुपये का बिल है तो मुझे 50 लाख रुपये की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। मैं विनती करता हूं हमारी इंडस्ट्री मंत्रीजी से कि इस बारे में सोचें, यह एक नई चीज आयी है, हम एक नई चीज यहां पर देंगे उससे इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, हम इंडस्ट्री का काफी भला कर सकेंगे क्योंकि इंडस्ट्री इस वक्त काफी स्टेज में नहीं है राजस्थान में, हमें इंडस्ट्री के लिए और काम करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री को ऊपर ले जाना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, जो थ्री-डब्ल्यू के केसेज हैं, उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा किया कि आप एक बार एमनेस्टी स्कीम लेकर आ गये। एमनेस्टी स्कीम से अकेले से यह प्रोब्लम सॉल्व नहीं होगी थ्री-डब्ल्यू की।

श्री सभापति: आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): थ्री-डब्ल्यू के मेजर केसेज हैं आपके पास, आप भी उससे निजात पा जाओगे, आप उनका टाइम पीरियड बढ़ा दो, आप उनको कह दो कि आपका जो तीन साल का गैप था, आप तीन साल और दे दो उनको और उनको कह दो, उनसे अंडरटेकिंग ले लो कि तीन साल में आप पूरा इंवेस्टमेंट कर देंगे तो हम आपको फ्री कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आज इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारे को टोटल बिल्टअप एरिया चाहिए होता है 20 परसेंट का, there are a lot of industries जिनने 19.5 परसेंट तक बिल्ट अप एरिया बना रखा है और उनको नोटिसेज मिल चुके हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। एक बार बैठें, एन्टरप्रेन्योर को बुलायें, चीजों को सॉल्व करें, यही मैं चाहता हूं जिससे एन्टरप्रेन्योर राजस्थान में आये, एम्प्लायमेंट जेनरेशन हो। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल जी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42 और 11 पर बोलने का मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने की अपार सम्भावनाएं हैं क्योंकि यह क्षेत्र भारत की राजधानी दिल्ली व राजस्थान की राजधानी जयपुर से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा नेशनल हाईवे संख्या 11 पर श्रीडूंगरगढ़ का बड़ा क्षेत्र आता है। यहां पर कृषि के अलावा अन्य उत्पादों के इंडस्ट्रियल एरिया बनने से रोजगार के अपार अवसर बढ़ेंगे, इससे क्षेत्र व राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार से मेरी मांग है कि श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाये ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकें और क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो। माननीय सभापति महोदय, साथ में नीमराणा के जापानी जोन औद्यौगिक क्षेत्र में आज भी भारतीय झण्डे और भारतीय ट्रेड यूनियन के झण्डे लगाने पर रोक है। भारत की भूमि पर भारत का झण्डा और भारतीय ट्रेड यूनियन का झण्डा जापानी कम्पनियों से 100 मीटर की दूरी के दायरे में लगाया जाता है। वहां पर कोई भी मजदूर यूनियन बनाने की बात करता है, तब कम्पनी अपने बाउंसरों से मजदूरों पर हमले करवाती है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सरकार भारत की धरती पर ऐसे कानूनों में बदलाव करे जिनसे भारतीय ट्रेड यूनियनों के साथ भारत के झण्डे नहीं लगाये जा सके और मजदूरों को उनका ट्रेड यूनियन बनाने का हक मिल सके।

सभापति महोदय, मांग संख्या 11 पर, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कई प्राचीन मन्दिर आज भी सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव दुलचासर से बासी महियान के गोगाजी मन्दिर तक सड़क का अभाव है। मेरी सरकार से मांग है कि दुलचासर से बासी महियान गोगाजी मन्दिर तक सड़क का निर्माण करवाया जाये। इसके अलावा श्रीडूंगरगढ़ के मुन्नी बाबा, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, उस मन्दिर से लोडेरा गांव को सड़क से जोड़ा जाये।

सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांव पुनरासर का बालाजी मन्दिर सुप्रसिद्ध है। सालासर के बाद में बड़ी आस्था का स्थल है, हनुमान जी का धाम है। पुनरासर धाम पर धोक लगाने के लिए वर्ष-भर में देश-भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सरकार से मांग है कि पुनरासर धाम को

(श्री गिरधारीलाल)

पर्यटन स्थल घोषित किया जाये। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुनरासर गांव से बींझासर, समंदसर गांव तक सड़क का निर्माण भी करवाया जाये। साथ ही सरकार से श्रीडूंगरगढ़ के रुस्तम धोरा के अलावा बिग्गा व रीड़ी गांव के वीर बिग्गाजी मंदिर बहुत बड़े धार्मिक स्थल हैं, उन्हें पर्यटन स्थल बनाने की मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांव सूडसर से गोगाणा जोहड़ के गोगाजी महाराज मन्दिर तक, गांव कुंतासर से बिग्गाजी मन्दिर बिग्गा तक, गांव सिंधू से रामदेवजी मन्दिर चुलाई धोरा तक, गांव टेऊ से गुसाईणां रोही के गुसांईजी मन्दिर तक, ग्राम राजेडू से नीमड़ी का बाबा रामदेवजी मन्दिर तक, गांव कीतासर भाटियान से रोहिड़ा धाम करणी माता मन्दिर तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क निर्माण करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: Thank You. श्री जोगेश्वर जी गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे गर्व है कि मैं उस जालौर से आता हूं, जिसका ग्रेनाइट इंडस्ट्री के कारण दुनिया-भर में नाम है। सभापति महोदय, ग्रेनाइट इंडस्ट्री के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा देवस्थान विभाग के बारे में केवल एक बिन्दु आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं। हमारी प्राचीन परम्परा रही है, जो भी देवस्थान, चाहे मठ हों, चाहे मन्दिर हों, उन सबके रख-रखाव के लिये उनके दैनन्दिन कार्यों की आर्थिक व्यवस्था हो, उसके लिये हर मन्दिर के नीचे, चाहे गांव का छोटा मन्दिर ही क्यों न हो, उसके लिये कुछ बीघा जमीन आरक्षित की गयी थी, जिसे डोली के नाम से हम जानते हैं, जिसे मन्दिर माफी के नाम से भी जानते हैं। वह मन्दिर माफी मन्दिर माफिया हो गयी, वह अलग बात है। उस जमीन से जो इनकम होती थी, उस जमाने में खेती से इनकम होती थी, वह सारी मन्दिर के रख-रखाव और मन्दिर के पुजारी के भरण-पोषण में जाती थी। बाद में जाकर परिस्थितियां बदलीं। वे मन्दिर प्राइम लोकेशन में आ गये। वे जमीनें प्राइम लोकेशन में आ गयीं। इससे उनकी उपयोगिता बढ़ गयी। उपयोगिता बढ़ गयी तो उनके भाव बढ़ गये और भाव बढ़ गये तो वे बिकने लगीं। भगवान तो हमेशा नाबालिग होते हैं, तो भगवान के नाम से दर्ज होने के बाद भी खातेदारी किसी न किसी पुजारी वगैरह की होती थी, उन लोगों ने उन जमीनों को बेचना शुरू कर दिया। वे जमीनें जब बड़ी संख्या में बिकने लगीं तो सरकारों ने उन

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पर निर्णय किया और उन्हें बेचने का अधिकार समाप्त कर दिया। बेचने आप नहीं दे रहे हैं, यहां तक ठीक है, लेकिन उससे आगे अब मुसीबत यह हो रही है कि खेती तो वहां हो नहीं रही, क्योंकि वे ज्यादातर बिना सिंचाई वाली जमीनें हैं, बरसात कभी होती है और कभी नहीं होती। खेती से तो इनकम कोई ज्यादा होती नहीं। चूंकि वे प्राइम लोकेशन पर आ गयी हैं, इसलिये उनका कामर्शियल यूज हो सकता है, उनका इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है, उनके और कई तरह के उपयोग हो सकते हैं। वह भी हम उनको अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्हें लीज पर दे नहीं सकते, किराये पर दे नहीं सकते, उन पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते, दुकानें बना नहीं सकते, मैरिज होम बना नहीं सकते। उस कारण से जो मन्दिर की इनकम होनी थी उस जमीन के माध्यम से, जमीन तो रुक गयी बिकने से, लेकिन जो मन्दिर की आय बढ़नी चाहिये थी, वह लगभग बन्द हो गयी है। इसके कारण से उन मन्दिरों-मठों को आर्थिक रूप से बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि कुछ ऐसा प्रावधान लाएं, कुछ संशोधन लाएं, नियमों-कानूनों में जो भी आपको करना है करिये, पर उन जमीनों का सदुपयोग हो और उन जमीनों से होने वाली आय उन मन्दिरों-मठों के लिये उपयोग में आये।

मान्यवर, मैं जब ग्रेनाइट की बात करता हूं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। जालौर पूरी दुनिया में ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है। जयपुर के मेरे एक मित्र हैं, व्यापारी हैं बड़े। वे अपने परिवार के साथ बैंकॉक घूमने गये थे तो वहां दिन में बाजार में घूम रहे थे तो ग्रेनाइट का बड़ा शोरूम देखा और अन्दर गये। अन्दर जाकर उन्होंने पूछा कि क्या यह ग्रेनाइट इंडिया का है? लोकल व्यापारी था बैंकॉक का। जैसे ही उन्होंने पूछा, यह ग्रेनाइट कहां का है तो उसने जवाब दिया कि यह जालौर का है। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भी ग्रेनाइट जालौर के नाम से पहचाना जाता है, बेचा जाता है। यह हमारे लिये बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिये भी हो जाती है कि ग्रेनाइट पत्थरों में सबसे हार्ड होता है, हार्डेस्ट स्टोन। उसे काटना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। कोई काट नहीं पाया था उसे। जालौर के हमारे इंजीनियर मदनराज जी बोहरा साहब जोधपुर से इंजीनियरिंग पढ़कर आये। युवा थे, कुछ करने की हिम्मत थी, इच्छा थी तो उन्होंने कई प्रयोग किये और प्रयोग करते-करते आखिर में ग्रेनाइट को काटा। पहले छोटा टुकड़ा कटा, फिर बड़ा कटा, 2×2 इंच

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

से हमने शुरू किया, फिर 4×6 पर आये। करते-करते आज हम 6×12 फीट तक के स्लैब काट रहे हैं। वह सारी जो मशीनरी बनी ग्रेनाइट के ब्लाक को काटने की, फिर उसे पालिश करने की जो मशीनरी बनी, वह लोकल इनोवेशन था। हमने विदेशों से मशीनें नहीं मंगवायीं। उस समय इटली में ही केवल कटर मिलते थे। बाकी सारे भारत में इटली के ही कटर चल रहे थे। उस समय जालौर ने खुद के अपने कटर बनाये और वह भी बहुत सस्ते। इटली के मुकाबले 15-20 परसेंट की कीमत पर हमने लोकल मशीनें बनाकर दीं और उसके माध्यम से नयी टेक्नीक डवलप की। उस टेक्नीक का सबसे इंटरेस्टिंग पाइंट जो था, वह यह था कि ग्रेनाइट कटते समय आग नहीं लग जाये, उसे रोकने के लिये पानी की फुहार नहीं छोड़ते थे हम, केरोसीन की फुहार छोड़ते थे। उस केरोसीन की फुहार के कारण उसका कटना आसान हो जाता था, उसकी शाइनिंग एक्स्ट्रा हो जाती थी और उस प्रोडक्ट की आगे की यूटिलिटी बढ़ जाती थी। दुर्भाग्य से सरकारें केरोसीन उपलब्ध नहीं करवा पायीं। बहुत मांग की हमने, बहुत मांग की। सरकार आपकी रही, चाहे हमारी रही। बहुत मांग की, पर अफसर रोड़ा बनते रहे। हम कह रहे हैं, हमें कमर्शियल रेट पर केरोसीन दे दें, पर दें। जैसे आपने पेट्रोल के पम्प लगा रखे हैं, डीजल के पम्प लगा रखे हैं, वैसे ही केरोसीन के पम्प लगाएं। हमारी ग्रेनाइट एसोसिएशन चलायेगी, चलाने को भी तैयार है, आप दें। नहीं दे पाये। मजबूरी में राशन का केरोसीन चुरा-चुराकर कब तक इंडस्ट्री चलाते? आखिर में उस टेक्नीक को बदलना पड़ा हमें। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मिस्त्रियों को, हमारे लोकल कारीगरों को, उन्होंने उस तकनीक को वापस संशोधित किया, केरोसीन बेस से हटाकर उसे वाटर बेस पर लाये। अब ग्रेनाइट को काटते समय पानी की फुहार को काम में लिया जाता है। उसके कारण क्वालिटी में नुकसान हुआ है हमें। वह पहले जैसी क्वालिटी अब नहीं रही, लेकिन उसके लिये यदि कोई जिम्मेदार है तो ब्यूरोक्रेसी है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाये, मैनेज नहीं कर पाये।

खैर, अब भी 1,500 कटर वहां चल रहे हैं ग्रेनाइट के। वहां एक्सपोर्ट भी बहुत होता है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिये उन्हें सुविधा नहीं के बराबर है। हमें कंटेनर डिपो जालौर में चाहिये। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट्स के लिये कंटेनर डिपो बन गया ड्राई पोर्ट। जालौर में नहीं बन रहा है। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए तो बोले, जालौर से लोड नहीं होगा, जालौर से कंटेनर जोधपुर जायेंगे और जोधपुर से ट्रेन लोड होगी और वह भी पूरा रैक एक साथ लोड होगा तो

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मिलेगा। एक साथ पूरा रैक लोड होना सम्भव नहीं। वह थोड़ा-थोड़ा ही मिलेगा ग्रेनाइट तो। फिर हमने उसे उपयोग करने से मना कर दिया। अब मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में कन्क्लूड कर दीजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उसे हमें बागरा में या जागनाथ स्टेशन पर, थोड़ा-सा रेलवेज के साथ आपके अफसर बात करें और वहां पर कंटेनर डिपो बने और वहीं से हमारा कंटेनर लोड हो जाये एक्सपोर्ट वाला सीधा काण्डला के लिये तो हमें बहुत बड़ी सुविधा मिल जायेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रेनाइट तो बहुत अच्छा हमारा चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे कुछ उद्योग होने चाहिये। उसमें नया इंडस्ट्रियल एरिया आपने दिया बीठन में, मेरे एरिया पाथेड़ी में दिया है, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन वहां पर इंडस्ट्री कौन-सी लगे, इस बारे में मंत्री जी, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देशभर में स्टील बर्तन बनाने वाले मैन्युफेक्चरर हैं, बाल्टियां, लोटे, थालियां, कटोरियां बनाने वालों में अधिकांश हमारे जालौर जिले के हैं। उनको थोड़ा ढंग से आप इनवाइट करिये, वे जालौर में इण्डस्ट्री लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक गुड्स की बड़ी-बड़ी कम्पनियां उन मालिकों की हैं जो मूल निवासी हमारे जालौर के हैं, प्रवासी हैं। उनसे यदि सम्पर्क करेंगे तो इलेक्ट्रिक की इण्डस्ट्री भी यहां आ सकती है। रेडीमेड गारमेंट्स के जो व्यापारी हैं, पूरे देश में बड़े-बड़े व्यापारी होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स हमारे जालौर के मूल निवासी हैं। उनसे यदि सरकार ढंग से एप्रोच करे तो वे लोग भी यहां आकर अपनी कुछ यूनिट्स लगा सकते हैं।

एक और नयी बात आ गयी। गैस की पाइप लाइन आ गयी है, जालौर से होकर निकल गयी है। यह जो बीठन में आप रामसिंह के पास में बना रहे हैं वह बिलकुल हाईवे के पास में है। वहां पर यदि उस गैस का उपयोग करना शुरू करेंगे तो क्योंकि जो सेरेमिक इण्डस्ट्री है उसका रॉ मैटेरियल सारा राजस्थान से जाता है चाहे सिरोही से जाये, चाहे उदयपुर जिले से, राजसमन्द जिले से जाये पर वहीं से जा रहा है और वह मोरवी जाता है और वहां से सेरेमिक टाइल्स बनकर यहां आती है। वहां पर इसलिए होता है कि उस सेरेमिक इण्डस्ट्री को काम करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई टेम्परेचर कोयले से नहीं मिलता, गैस से मिलता है। अब गैस हमारे

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

यहां आ गयी तो वह जो सेरेमिक इण्डस्ट्री मोरबी में बनी हुई है वैसी इण्डस्ट्री जालौर में लगने की गुंजाइश बन गयी है इसलिए उसका सदुपयोग किया जाये, उस दृष्टि से सोचा जाये तो यह बहुत जरूरी है।

मैं एक मिनट में एग्रो इण्डस्ट्री की बात करूंगा। रायड़ा हमारे यहां खूब होता है, ऑयल मिल लगी थी, बहुत पहले लगी थी पर दुर्भाग्य से उस ऑयल मिल की जो मशीनरी खरीदी गयी, उसमें कमीशनबाजी हो गयी और वह मशीनरी सब-स्टैण्डर्ड खरीद ली जिससे वह 60 परसेंट से ऊपर की कैपेसिटी में काम कर ही नहीं सकती थी और वह इण्डस्ट्री फेल हो गयी जिससे वह ऑयल मिल आपको बेचनी पड़ गयी। हमारे वहां ऑयल इण्डस्ट्री बहुत अच्छी चल सकती है क्योंकि हमारे वहां मूंगफली भी हो रही है रायड़ा भी हो रहा है। जीरा भी बहुत हो रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का जीरा हमारे यहां होता है लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट सारी ऊंझा में हैं, हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां ईसबगोल बहुत अच्छा होता है, बहुत होता है पर सारा ऊंझा जा रहा है। उसके लिए कोई यूनिट हमारे लग सकती है पर वह नहीं लग रही है। आज की तारीख में तो अनार बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है जिसके कारण अभी मुख्य मंत्री जी से भी हमने मांग की थी कि वहां पर अनार मण्डी खोली जाये और आपने मण्डी खोलने की घोषणा की है उसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन उसके साथ-साथ अनार से फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पल्प निकल सकता है या जूस बन सकता है, इस तरह की भी इण्डस्ट्री वहां एस्टेब्लिश हो तो एक नयी चीज हमको मिल जायेगी।

अन्तिम बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां के बड़े-बड़े, जिनका अरबों में टर्न ओवर है ऐसे व्यापारी बाहर काम कर रहे हैं और वे हमारे यहां इण्डस्ट्री क्यों नहीं लगाने आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहां पर उनको ईज आफ डूइंग बिजनस नहीं मिल रहा है। हम जब इण्डस्ट्री समिट करते हैं, बड़े-बड़े आयोजन करते हैं उनमें उनको जो वेलकम मिलता है उससे वे खुश होकर आते हैं और आने के बाद जैसे ही रीको के आफिस में, आरएफसी के आफिस में, उद्योग के आफिस में घुसते हैं और उसके बाद जो उनके साथ बदतमीजी शुरू होती है, उनको नॉन कॉपरेशन शुरू होता है, पिओन से लेकर बड़े अफसर तक उनका जो शोषण होता है तो उससे वे भाग जाते हैं। इसलिए यह जो वातावरण भी आप ठीक नहीं कर सकते, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली वातावरण हमको क्रियेट करना पड़ेगा और पूरी मशीनरी को उस मूड में और उस मोड में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लाना पड़ेगा ताकि हम उनको अच्छा वातावरण दे सकें, वेलकम उनका कर सकें तब जाकर वे लोग इन्वेस्ट करेंगे।

आखिर में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि दूदू से आने वाले माननीय विधायक ने काफी कुछ बोल दिया है, एससी के लिए रिजर्वेशन माइंस और इण्डस्ट्री, रीको में होता तो है लेकिन वह लगभग नाममात्र का ही रहता है और वास्तव में नहीं मिल पाता क्योंकि प्रक्रिया आपने ऐसी कर रखी है कि नीलामी में बोली लगायेंगे, नहीं लगने वाली नीलामी में बोली। नीलामी में बोली लगाने लायक लोग होते तो वे पहले ही ले लेते इसलिए उनके लिए नीलामी की बजाय लाटरी प्रक्रिया से आबंटन किया जाये। ऐसे ही इण्डस्ट्रियल एरिया में जो कॉमर्शियल प्लाट्स हैं, दुकानें हैं या और इस तरीके के होटल, रेस्टोरेंट जैसे कुछ हो सकते हैं तो उनमें आरक्षण नहीं है इसलिए वह आरक्षण भी किया जाये। इसके अलावा आबंटित भूखण्डों का जो पैसा भरना है उसमें बकाया पर जो दस प्रतिशत ब्याज लिया जाता है वह एससी, एसटी के लिए जीरो परसेंट ब्याज किया जाये। साथ ही पांच साल ही बेच सकते हैं इस तरह की जो बाध्यता है वह एससी, एसटी पर लागू नहीं की जाये और रिटेंशन चार्ज जो लगता है उसकी गणना भी एससी, एसटी के लिए रियायती दर पर की जाये।

लास्ट पाइंट इसमें यह है कि जो प्रोसेसिंग फीस लगती है किसी भी प्रकार के आवेदन करने पर, उसमें हर बार प्रोसेसिंग फीस लगती है चाहे नाम परिवर्तन करने पर लगे, चाहे उत्पाद परिवर्तन करने पर लगे, चाहे बंटवारा करने पर लगे तो वह प्रोसेसिंग फीस एससी और एसटी के लोगों से नहीं ली जाये तो उनमें से एंटरप्रिन्योर डवलप कर पायेंगे। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन जी प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42-उद्योग के समर्थन में मैं भावना प्रकट कर रहा हूं, आपका आभार।

कई विधायकों ने उद्योग के सम्बन्ध में सुझाव रखे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं कि तीन साल पहले आप सत्ता में थे तब आपने कौनसा तीर मार दिया और हमारी सरकार आने के बाद में, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने कौनसा नुकसान कर दिया? जहां उद्योग है वहां प्रगति है, रोजगार है। मेरा मानना है कि उद्योग के ऊपर गम्भीरता से मन्थन करते हुए सुझाव दें।

श्री सभापति: इस तरह ग्रुप नहीं बनाइये आप। माननीय सदस्या, प्लीज, ऐसे नहीं। No. It would not be allowed. अपनी-अपनी सीट पर बैठिये आप लोग।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह तेरी-मेरी करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंने आपका विरोध कर दिया, आपने हमारा कर दिया, इससे उद्योग को कोई फायदा होने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान आबादी और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा देश है और इसमें सबसे बड़ी कोई समस्या है, सबसे बड़ी कोई प्रोब्लम है तो वह रोजगार की है। बेरोजगार घूम रहे हैं। जहां उद्योग लगेंगे वहां प्रगति होगी, वहां विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे और क्षेत्र की प्रगति होगी, भला होगा। जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया कि तीन साल पहले और अब इसमें कोई चैंज नहीं है लेकिन आज राजस्थान में उद्योगों की जो अपार सम्भावना है उसमें तरह-तरह के खनिज के बावजूद में जितने उद्योग होने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने खूब रियायतें दी हैं। पाली से आने वाले माननीय विधायक जी बहुत बड़ा ज्ञान बांट रहे थे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि टैक्सटाइल पाली और बालोतरा की एक समस्या है, हमारी सेम प्रोब्लम है और उसमें कौनसा परिवर्तन हुआ, वह मुझे तो दिखता नहीं है। जो आपने बात की उससे मैं अपनी सहमति जताता हूं कि आपने टैक्सटाइल, कपड़ा उद्योग के बारे में तमाम जो सुझाव दिये, उनका मैं समर्थन करता हूं कि वास्तव में जायज बातें हैं। माननीय सभापति महोदय, उद्योग के मामले में जब नोटबंदी हुई तो हर व्यापारी की कमर टूटी, व्यापारियों को नुकसान हुआ। माननीय सभापति महोदय, आज कई कह रहे थे कि कमाल कर दिया पर मुझे तो कोई कमाल नहीं दिखता है, कमाल उन दो लोगों का भले ही हुआ हो, लेकिन आज व्यापारी का कोई कमाल नहीं हुआ। आज मैं यह भी कह सकता हूं कि आपकी सरकार उद्योग विरोधी है और उद्योग विरोधी होने का यह प्रूफ मैं दे सकता हूं कि आपने हमारी रिफाइनरी को समीक्षा के नाम पर चार साल तक रोककर रखा। अगर चार साल तक रिफाइनरी को नहीं रोका जाता तो आप रिफाइनरी का निर्माण पूर्ण हो जाता और नये पेट्रो केमिकल्स इण्डस्ट्री हब में कई लाखों-हजारों उद्योग लग जाते जिसकी वजह से वहां युवाओं को रोजगार मिलता। माननीय सभापति महोदय, उस समय बात कही गयी कि तेल हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी, भागीदारी कम है। क्या सरकार व्यापार

(श्री मदन प्रजापत)

करती है या जनता की सेवा करती है या विकास करती है? हिन्दुस्तान में यह राजस्थान पहला प्रदेश है जहां सबसे बड़ी भागीदारी 26 प्रतिशत है। हिन्दुस्तान में आसाम के उदाहरण के अलावा किसी भी रिफाइनरी में राज्य सरकारों की कहीं कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कि माननीय मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया है इसलिए समीक्षा के नाम पर 4 साल तक रिफाइनरी को रोक कर रखा। उनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ और आज यदि वह शुरू होती, रोजगार मिलते, प्रगति होती, खुशहाली आती।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आज कहते हुए गर्व होता है कि एक समय था डेजर्ट रेगिस्तान, पिछड़ा जिला बाड़मेर, सज़ा के रूप में बोलते थे, बाड़मेर भेज दूंगा और आज मुझे गर्व है कि तरह-तरह की खनिजों की वजह से बाड़मेर प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान में एक नम्बर पर है। घर-घर, ढाणी-ढाणी लग्जरी गाड़ियां हैं। इससे ज्यादा गर्व होता है। आज बाड़मेर ने जो प्रगति की है, उसका सबसे बड़ा कारण खनिज है, कोयला है, ग्रेनाइट है, जिप्सम है, वोलस्टोनाइट है और बालोतरा का कपड़ा उद्योग है, तेल है, रिफाइनरी है। आज इस मौके पर माननीय सभापति महोदय, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि पीसीपीआईआर में 01 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा है। इससे 383 वर्ग किलोमीटर में पूरा जिला ही नहीं आस-पास के तमाम क्षेत्रों का विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, बालोतरा हो या पाली हो या जोधपुर हो, टैक्सटाइल उद्योग से यहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। मेरा सुझाव है, मुझे खुशी भी है कि सूरत और अहमदाबाद को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो बालोतरा और पाली के व्यापारी दे रहे हैं। यहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। माननीय ज्ञानजी ने जो बात कही यहां सौर ऊर्जा 80 परसेंट देने का प्रावधान है, अनलिमिटेड किया जाये, क्योंकि 24 घन्टे उद्योग चलते हैं, 8 घन्टे बिजली का उत्पादन होता है, तो 80 घन्टे का मतलब 35 परसेंट बिजली उत्पादित होती है। उन्हें रियायत देकर अनलिमिटेड किया जाये तो राज्य आत्मनिर्भर बन सकता है। आज जो कच्चा माल कॉटन, कपड़ा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात से आता है। इस नाम से भी पांच साल तक हम रियायत दे सकते हैं कि राज्य को कपड़े में आत्मनिर्भर बनाना है। व्यापारी लोग मन चाहे जितनी सौर ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं, उत्पादन वे

(श्री मदन प्रजापत)

खुद कर रहे हैं, हमें कुछ देना नहीं है। हम एक तरफ कह रहे हैं, व्यापारी आये, उद्योग आये और दूसरी तरफ अधिकारियों के तरह-तरह के कानून की वजह से इतनी अड़चनें कि आज वह चाहते हुए, पैसा खुद लगा रहा है, उत्पादन खुद कर रहा है, कपड़ा खुद बना रहा है। यदि ये लूम्स लगते हैं तो आज जो लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसमें तीन गुना वृद्धि हो सकती है। चाहे बाड़मेर जिले में, चाहे पाली में हो, बहुत-बड़ी अपार सम्भावनाएं हैं और इस कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सौर ऊर्जा में पूरी छूट दी जाये, ताकि यहां लूम्स लगेंगे और लूम्स लगेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र से कपड़ा लाने की जरूरत नहीं होगी। यहां बिजली महंगी है, वहां बिजली में छूट की वजह से अपने व्यापारी लूम्स, कपड़ा बनाने में उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो इसमें रियायत और छूट देनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, आज से 10 साल पहले फोर्थ फेज बना, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बालोतरा में शहरी क्षेत्र में जो इकाइयां लगी हैं, उनको शिफ्ट किया जाय, शहरों में प्रदूषण नहीं फैला सकते। माननीय मुख्य मंत्री जी जब गत बार मुख्य मंत्री बने थे और मैं विधायक था, मात्र 39 प्लाट आबंटित किये, उसके बाद 53 प्रक्रियाधीन हैं, आज भी पेंडिंग हैं। अधिकारियों की हठधर्मिता और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि 800 रुपये कम पड़ते हैं।

माननीय सभापति महोदय, 44 लोगों को 800 रुपये में दे दिया, 53 पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त भूमि थी, उससे करोड़ों-अरबों की रीको ने इनकम कर ली तो 53 लोगों को 800 रुपये में देने में क्या फर्क पड़ता है? 10-12 साल पहले अगर देते तो वे उद्योग पनपते और खाली जिद की, हम नहीं दे सकते हैं, मार्केट 6 हजार चल रहा है तो क्या आप व्यापारी हो? राजस्थान में व्यापार को बढ़ावा देने के लिये माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करता हूं, अधिकारी सुन रहे हैं, उनका तुरन्त निस्तारण करें, 12 साल में भी ये निर्णय नहीं कर सके तो जवाबदारी तय हो, यह किसकी लायबिलिटी बनती है? क्यों व्यापारियों को झांसे में रख रहे हैं? न तो वे उद्योग लगा सके, शहर से बन्द हो गये, आज वे बेरोजगार हो गये हैं, उनके परिवार का पालन-पोषण मुश्किल हो गया है। ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लग गयी, हम अपने आप रियायत नहीं दे सकते हैं तो

(श्री मदन प्रजापत)

किसको पावर है? माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उनका जो भी है, 800 करें या 1000 करें, उनका निस्तारण तो हो, ताकि बालोतरा में एक अच्छा मैसेज जाये।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, आज दस साल बाद भी फोर्थ फेज सीईटीपी, निस्तारण प्लान्ट नहीं बना और अगर प्लान्ट नहीं बनेंगे तो बाकी उद्‌योग भी नहीं लगेंगे। लाखों-करोड़ों की कीमत में भूखण्ड ले लिये, न तो प्लान्ट बना, न बाकी वालों को प्लाट मिले। आज फोर्थ फेज में बनी हुई फैक्ट्रियों में भी काम चालू नहीं हुआ और चालू नहीं होने से उनका कोई फायदा नहीं हुआ।

माननीय सभापति जी, इस मौके पर लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का आभार इस बात के लिये करता हूं कि आज पर्यटन को भी उद्‌योग का दर्जा दिया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज पर्यटन सर्किट ब्रह्मधाम, आसोतरा को भी बजट दिया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। राठौड़ों की कुल देवी मां नागाणा धाम, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, उसके लिये भी तीन करोड़ रुपये दिये, इसके लिये भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

इस बार बजट में खेड़ तीर्थ स्थल रणछोड़राय वहां भी दिये, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मालाणी में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। चाहे कनाना गैर मेला हो, चाहे विश्व प्रसिद्ध मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला हो, जहां पूरे देश के कोने-कोने से लोग आते हैं। चाहे जैन तीर्थ नाकोड़ा हो, चाहे नागेणा धाम हो, चाहे रणछोड़राय खैर तीर्थ हो, मातारानी भटियाणी हो, ब्रह्धाम आसोतरा हो, वहां के नृत्य, वहां की कलाएं, वहां की संस्कृति इसमें बहुत बड़ी सम्भावना है। जो बजट दिया उसके लिये भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला को बढ़ावा देने के लिये, क्योंकि कोरोना के कारण दो-तीन साल बन्द था।

माननीय सभापति महोदय, आज प्रदूषण निस्तारण करने के बाद जो पानी है, पाली में तो छूट दी जाती है कि रिवर फ्रन्ट में छोड़ा जाये और बालोतरा में एनओसी में लिखा है नदी में नहीं छोड़ सकते तो कई लोगों का सुझाव भी है कि जोधपुर, पाली और बालोतरा यहां से निस्तारित करने के बाद में, अगर इसको पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ के रण में छोड़ा जाये तो यह प्रोब्लम ही मिट जायेगी और कई गुना उद्‌योग यहां बढ़ सकते हैं और सबकी

(श्री मदन प्रजापत)

भावना की कद्र करें। एक तरफ उद्योग के लिये प्रयास कर रहे हैं, ये लूम्स का मैंने सुझाव दिया है, इनका भी दिया है, फोर्थ फेज के अलावा।

श्री अध्यक्ष: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि इस फोर्थ फेज मामले को थोड़ा गम्भीरता से लेते हुए तुरन्त निस्तारण करें।

माननीय सभापति महोदय, रिफाइनरी सीएसआर फण्ड से आज दिन तक एक रुपया भी न तो पर्यावरण के नाम पर कहीं लगाया, न ही सफाई, सीवरेज में, जो सड़क सैंक्शन हो रखी थी, उसको भी बन्द कर दिया है। उसको भी साल भर से पूरी नहीं कर रहे हैं। किसका दबाव है? उस सड़क का जल्दी निर्माण हो और आसपास के जितने भी गांव लगते हैं, कम से कम सीवरेज क्योंकि पचपदरा, बालोतरा में हजारों लोग, इंजीनियर किराये के मकानों में रह रहे हैं, गन्दगी फैला रहे हैं तो यह जरूरी है कि साफ-सफाई के मामले में तुरन्त बजट दें।

माननीय सभापति महोदय, अन्तिम बात कहते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, आगे गर्मी आ रही है, शरीर खराब हो जायेगा, पैर खराब हो जायेंगे। मैंने उनसे एक ही बात कही, न मैंने जिद की है, न मैं नाराज हूं। आज मुझे गर्व है कि मैं सत्ता का एमएलए हूं, मुख्य मंत्री जी का एमएलए हूं और मैं मुख्य मंत्री से मांग नहीं करूंगा तो कहां जाकर करूंगा? मैंने उम्मीद के ऊपर प्रण लिया है और मुझे उम्मीद है, चाहे शरीर खराब हो, चाहे पैर खराब हो।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जो वचन किया है, उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता और मुझे उम्मीद है और मुझे एक साधारण व्यक्ति को दूसरी बार राजस्थान की विधान सभा में भेजा है कि ये जवान है, मेहनती है, हमारी आवाज बुलन्द करेगा। मुझे मात्र जिला बनाने के लिये यहां भेजा है, ताकि बालोतरा की सीट जो हैं, पूरे राजस्थान की नजरें हैं कि वह सीट किस विचारधारा की है। मुझे सिर्फ जिला बनाने के लिये भेजा है। मुझे कोई परवाह नहीं शरीर खराब हो या पैर खराब हो। मेरा एक ही मकसद है अगर जिला नहीं बना तो एमएलए बनने का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिये पद मायने नहीं रखता है। मैंने पहले भी कहा कि मंत्री बनने की दौड़ में हैं। मैं एक ही मांग

(श्री मदन प्रजापत)

करता हूं मेरा जिला बने और जब तक नहीं बनेगा संघर्ष और जनता का जो विश्वास है, आज भी जनता को, 36 कौम को उम्मीद है, उस उम्मीद पर खरा उतरना मेरा मुख्य उद्देश्य है। मेरे लिए एमएलए मायना नहीं रखता है। मेरा प्रथम दायित्व है, मुख्य उद्देश्य है कि बालोतरा जिला बने, बालोतरा का उद्योग पनपे और युवाओं को रोजगार मिले और सभी ने जो सुझाव दिये कि एससी/ एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, इनकी उद्योग में जितनी भागीदारी होनी चाहिये वह नहीं है क्योंकि वह कमजोर है उन कमजोरों को भागीदारी देने के लिए कुछ विशेष रियायत देकर एससी/एसटी और ओबीसी को भी उद्योग में भागीदार बनायें। आपने समय दिया, पुन: आप सबका आभार व्यक्त करते हुए माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा सबका एक ही सपना है बालोतरा जिला बने अपना, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपना आत्म बलिदान देने का संकल्प यहां दोहराया है, हम सबकी सहानुभूति उनके साथ है और जिस दिन अगर गलती से यह बलिदान हो गया आपकी मूर्ति पर बालोतरा के चौक में माला पहनाने के लिए सबसे पहले यह बन्दा आयेगा।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य की मांग पर मुख्य मंत्री जी ने कमेटी बना दी है आगे का प्रोसेस चालू है तो निश्चित रूप से आपको मौका ही नहीं देंगे ऐसा। ऐसा मौका नहीं देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप एक दिन बिना चप्पल के चल कर देखो। एक दिन बिना चप्पल के चलकर देखो। आने वाले दिनों में बालोतरा में 48 डिग्री तापमान होगा और ये नंगे पांव चलेंगे वहां।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): इनकी मांग पर आपको मौका नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, प्लीज विराजें। आप बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये आप। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 13 और मांग संख्या 42-उद्योग पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, देवस्थान विभाग अपने आप में एक ऐसा स्थान है क्योंकि जितनी मान्यता एक परिवार अपने माता-पिता की हम रखते

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हैं उतनी ही देवस्थानों की भी रखते हैं और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वहां केशोराय भगवान का मन्दिर अपने आप में अहम भूमिका निभाता आया है और बहुत ही श्रद्धा का केन्द्र हमारा वह मन्दिर है। कार्तिक का मेला वहां पर एक महीने तक लगता है और एक महीने में कम से कम दो लाख पब्लिक वहां दर्शन के लिए आती है, लेकिन उस मन्दिर की जिस तरह से हमने सोचा था कि गत सरकार के समय 4 करोड़ 97 लाख रुपये वहां स्वीकृत हुए हम सोच रहे थे कि उसका कायापलट होगा, लेकिन एक-सवा करोड़ रुपये का काम हुआ, उसके बाद तीन साल में अभी तक उस बजट का कुछ अता-पता नहीं है। मेरा करबद्ध सम्माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो बजट बाकी बचा था उसे लैप्स न किया जाये क्योंकि वह मन्दिर वह स्थान एक ऐसा स्थान है जो चम्बल नदी के किनारे है। वहां पूरे राजस्थान से और अनेकों प्रदेशों से लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं। उस बजट से दुबारा से उसका काम शुरू करवायें। इतना सा मेरा निवेदन है और जो सवा करोड़ रुपये उसमें खर्च हुए हैं उससे क्या काम हुआ है किस तरह से हुआ है, उसकी भी अगर जांच करवायेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हकीकत पता लगेगी।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि कभी-कभार क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम लोग उसको शूटिंग के लिए दे देते हैं। ये लोग आते हैं और उसको डेमेज करके चले जाते हैं। उसके दोनों तरफ बड़े-बड़े हाथी बने हुए हैं उनको भी तोड़ दिया गया है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे हालातों में हमारा मन्दिर निश्चित तौर पर जनता के लिए एक बहुत बड़ा घातक हो सकता है तो इसके लिए ध्यान दें। चौकीदार वहां देवस्थान विभाग से रखा जाये। देवस्थान विभाग का ही वह मन्दिर है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मन्दिर माफी की जो जमीनें हैं उन्हें भी अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाये। लगातार मेरे विधान सभा क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में हम लोगों को इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं और जो हमारे पुजारी हैं उनका भी मानदेय उनको दिया जाये। उन्हें भी कर्मचारियों की भांति जो हमारे देवस्थान विभाग के मन्दिर के जो पुजारी हैं, उन्हें पेंशन का प्रावधान भी अगर सरकार करती है तो उन्हें बहुत लाभ होगा और पिछली बार हमने देखा है कि देव मन्दिर जो हमारे हैं हमें मन्दिर में वहां तक जाने के लिए काफी 5-5, 4-4 सड़कें देवस्थान विभाग से मिली हैं। मेरा दुबारा से

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

निवेदन है कि ये हमारी सड़कें बनें ताकि हमारी जो धार्मिक आस्था है वह जारी रहे। वहां तक जाने के लिए एक सुगम रास्ता हम लोगों को मिले।

(समय: 15.54 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

साथ ही, मेरा यह भी निवेदन है कि इन्द्रगढ़ बीजासन माताजी का मन्दिर है। आप सब जानते हैं कि नवरात्र का वहां मेला लगता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां आते हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वहां पर जो आपने राशि स्वीकृत की है, 99.94 लाख रुपये का जो प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है उसमें से 20 लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग अभी खर्च करने भी जा रहा है तो सारी की सारी राशि उसमें खर्च हो और अलग से बजट हम लोगों को दिया जाये ताकि रोप-वे का निर्माण वहां हो सके, इतना मेरा निवेदन है।

साथ ही मैं मांग संख्या 42 पर कहना चाहूंगी कि बड़ी खुशी की बात है कि जिस हाड़ौती से मैं आती हूं कोटा, बूंदी बड़े-बड़े उद्योग वहां पर लगे हुए हैं। हम सबने देखा है सभापति महोदय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि राज्य का औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता के आधार पर निर्माण में इसका उल्लेखनीय योगदान है। विशेष रूप से रोजगार सृजन की हम बात करें तो इसमें योगदान के लिए भी इसकी व्यापक रूप से मान्यता मिली है। मैं वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जो 30 जून, 2020 तक 29,195 औद्योगिक इकाइयों का न्यूटन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन किया गया था किन्तु इसके बावजूद भी अभी भी रोजगार के मामले में राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य में निवेश करने वाली कम्पनियों को पाबन्द किया जाये क्योंकि हमने देखा है अभी कुछ दिनों पहले ही कोटा की धरती पर रोजगार मेला लगा था। 22 हजार बेरोजगार बन्धुओं ने जो पढ़े-लिखे थे, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा था कोई आईटीआई होल्डर थे, कोई पोलीटेक्निक करने वाले बच्चे थे, 22 हजार बच्चों ने दो दिन में वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तो इससे हम अन्दाज लगा सकते हैं कि जब एक जिले के अन्दर इतनी संख्या है तो पूरे राजस्थान में कितने बन्धु ऐसे हमको मिल सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि रीको क्षेत्र की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड जिसको हम रीको बोलते हैं जिसके बारे में हम सब भली-भांति परिचित हैं राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली यह संस्था है और यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के साथ हमें वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। कई जिलों में इसके हालात अगर हम देखेंगे तो बद से बदतर हैं। रीको में स्थानीय बेरोजगारों को हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें स्थानीय मजदूरों को रोजगार दिया जाये क्योंकि हमने देखा है कि मजदूरों को बाहर से लाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये इस बात के लिए भी हम उनको पाबन्द करें। साथ ही मैं मांग करती हूं कि रीको के जो प्लाट हैं उनमें भले ही आपने पांच प्रतिशत से बढ़ा कर एससी/एसटी के बन्धुओं के लिए 6 प्रतिशत का लाभ देने का प्रावधान किया है। मेरा निवेदन है इसके लिए तो मैं धन्यवाद देती हूं लेकिन इसको बीस प्रतिशत किया जाये ताकि हम देख रहे हैं कि आज भी हमारा यह वर्ग वास्तव में कल्पना से परे है और कितने बन्धु जो मजदूरी के लिए इधर उधर भटकते हैं और पढ़ा-लिखा बन्धु होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकता। अगर वह उद्योग लगायेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में एक परिवर्तन की लहर आयेगी। यह मेरा निवेदन है।

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि रीको एरिया का मैंने कोटा में भी देखा, मैंने रामगंज मंडी में भी देखा, लगातार रीको एरिया में चोरियां होती जा रही हैं। इसके ऊपर भी हमारा अंकुश होना चाहिये। रीको एरिया में कई अवांछित लोगों के द्वारा जगह-जगह, कोटा की मैं बात करूं, पत्थरों का स्टाक जमा करके और गैरकानूनी तरीके से किस तरीके से अधिकारी उनको परमिशन देते हैं वो लगातार इसका प्रयास करते हैं, लेकिन हटा नहीं पाते हैं तो इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बड़े-बड़े उद्योग लगते हैं चाहे एसीसी उद्योग मेरे विधान सभा क्षेत्र का क्यों न हो चाहे हमारा मंगलम सीमेन्ट प्लान्ट जो मैं कहूंगी कि एसीसी हमारी स्टेट टाइम की सीमेन्ट फैक्ट्री है, और मंगलम उद्योग प्लांट वर्षों से लगा हुआ है। एसीसी हमारी ऐसी कम्पनी है झालावाड़ और बारां के उद्योग हैं बूंदी में भी हमारे गोदरेज उद्योग इस तरह के उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन एक भी स्थानीय व्यक्ति को कहीं भी उसमें किसी तरह की कोई मजदूरी तक नहीं मिलती। बड़े दु:ख के साथ मैं इस बात को बोल रही हूं जब कोरोना काल आया तो मैंने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

देखा उड़ीसा से बांग्लादेश से इतने मजदूर मेरे विधान सभा क्षेत्र में आये तब जाकर मुझे पता लगा। मेरा निवेदन है कि जब हमारे किसानों की जमीन ली जाती है, स्थानीय लोगों की जमीनें ली जाती हैं तो बाकायदा लिखित में उस समय एग्रीमेंट किया जाता है कि हम स्थानीय लोगों को इसमें 75 प्रतिशत आरक्षण देंगे, यह देंगे, लेकिन किसी तरह का उनको कोई लाभ नहीं दिया जाता तो इस बात के लिए भी मैं मांग करूंगी कि हम यहां से उन्हें पाबन्द करें ताकि लोगों को रोजगार मिले। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि कोटा में लगातार हम देख रहे हैं कि जे.के. हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी है उसे भी चालू किया जाये। ग्लास फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है और मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की शुगर मिल है जो बंद पड़ी है हमारे पास दो सौ करोड़ रुपये उसके खुद के अपने सरकार के खाते में पड़े हुए हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी

(समय: 16.00 बजे)

है, क्या राजनीति है जिसकी वजह से हम उसको चालू नहीं कर सकते। हम भले ही उसको चालू नहीं कर पाये, लेकिन क्या उसमें किसी तरह का कोई नया उद्योग नहीं लगा सकते? जमीन पड़ी है, पैसा पड़ा है और वहां के हमारे बेरोजगार बंधु इधर उधर भटक रहे हैं। किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने विधान सभा में उठाया था, सम्माननीय मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था। यहां से कुछ अधिकारी और कुछ लोगों ने वहां जाकर पूरा विजिट किया और किस तरह का उन्होंने डिसीजन लिया, उसका अभी तक कुछ अता-पता नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये, ताकि रोजगार मिल सके।

साथ ही साथ केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कुम्हार जाति को हमारे परम्परागत मिट्टी के बर्तन बनाने, मिट्टी खनन की छूट प्रदान की गई थी। उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह की परेशानी आ रही है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्रदेश में इनके संरक्षण एवं विकास के प्रति गतिशील होना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा काम उन लोगों के लिये होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, मुझे 15 मिनट का समय दिया था।

श्री सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): जी। माननीय सभापति महोदय, साथ के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे कोटा जिले में इंडस्ट्रियल एरिये की जमीनों को मास्टर प्लान से बाहर निकाला जाना चाहिये। इसकी वजह से लगभग 3000 बीघा जमीन व्यापारी तुरंत कन्वर्ट करा सकते थे, लेकिन अब बहुत समस्या आ रही है। मास्टर प्लान में आने के बाद इसमें 31 गांव जुड़े हैं और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन को कन्वर्ट कराने के लिये पहले एक बीघा जमीन के लिये राजस्व विभाग को लगभग 20 हजार रुपये देने पड़ते थे और अब साढ़े तीन लाख रुपये उन्हें देने पड़ते हैं, इसमें भी छूट दी जाय।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर कोटा स्माल स्केल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुझे भी बताया गया और हम सबको मालूम है, सभी ने इस बात को उठाया भी। पोल्यूशन विभाग के रीजनल आफिस को, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रदूषण विभाग फैक्ट्रियां सीज करने के बजाय उनके नियमों का सरलीकरण करेंगे तो उन लोगों को, उन व्यापारियों को निश्चित तौर पर बड़ी आसानी से पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिलेगा और उनके छोटे-छोटे उद्योग चल पायेंगे।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे कोटा स्टोन की एक बहुत बड़ी खदान रामगंजमंडी में है। वहां वेस्ट मैटेरियल के बड़े-बड़े पहाड़ बने हुए हैं। उस वेस्ट मैटेरियल का काफी बार हम लोगों ने परीक्षण करवाया कि किस तरह से उससे सीमेंट बनाया जा सकता है या उससे अन्य उद्योग लगाये जा सकते हैं। जो करोड़ो टन वेस्ट मैटेरियल है, उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है, सरकार इस ओर ध्यान दे। ...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, मुझे 15 मिनट का कहा था और उसी हिसाब से मैंने ...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आपका 10 मिनट का समय है, आप समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): एक मिनट। सीएसआर की राशि के बारे में भी देखें कि जहां के लोग मिट्टी खाते हैं, जिन लोगों को परेशानी आती है, जो उद्योग जिस विधान सभा क्षेत्र में है, वहीं उस राशि को

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

खर्च किया जाय, न कि इसको अन्यत्र खर्च किया जाय। साथ ही साथ यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो एनओसी जारी की जाती है, उसका भी हम सरलीकरण करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत आसानी होगी। 2009 में मंगलम सीमेंट फैक्ट्री द्वारा हमने करबद्ध निवेदन करके हमारे लाखेरी में एक उद्योग लगाने के लिये कहा था। उन्होंने जमीन खरीदी, हम लोगों ने उनको राज़ी किया, सारा सब कुछ कार्यक्रम तैयार हो गया, उन्होंने बाउंड्री करवा दी, भूमि पूजन होने वाला था लेकिन सरकार को किसने गुमराह किया कि एनओसी जारी होने के चक्कर में उस कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा और आज तक वह जमीन वैसे के वैसे पड़ी है, वहां उद्योग नहीं लग पाया। कम से कम ऐसे उद्योगों के लिये हम लोग कहीं न कहीं छूट दें और हमारे उद्योग लग पाये।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती गायत्री त्रिवेदी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

सूचना

चौहटन में नसबन्दी कैम्प के अवसर पर घटित मृत्यु

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, विधान सभा चौहटन मुख्यालय पर परसों नसबंदी कैम्प था। गीता देवी पत्नी कूंपाराम मेघवाल, निवासी राणासर अपने मायके दवातलां आई थी, उस कैम्प में आपरेशन के समय उसकी मृत्यु हो गई।

श्री सभापति: आपकी बात सरकार की जानकारी में आ गई, आप बैठें।

श्री पदमाराम (चौहटन): उसकी डैड बॉडी उठाई नहीं है। लोग तीन दिन से धरने पर बैठे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी बात पाइंट आफ इन्फार्मेशन के जरिए सरकार की जानकारी में आ गई है, अब आप बैठें। श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 11 पर विचार

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 11 व 42 पर विविध सामाजिक सेवाएं तथा उद्योग पर जो चर्चा हो

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

रही है, चर्चा में मुझे भी भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खेमाणा और खांखला में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिये आभार व्यक्त करती हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरगामी सोच है कि उद्यमियों को राजस्थान में सहज एवं सुरक्षित वातावरण देने के लिये राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कर 2 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती की जायेगी जिससे एक तरफ उद्यमियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर ग्राम कारोई में सांवरिया लेटे हुए बालाजी मंदिर स्थित है। यहां मंगलवार, शनिवार को भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर को देवस्थान विभाग द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाये तो मंदिर का चहुंमुखी विकास होगा। साथ ही नेशनल हाईवे पर एक नया देवस्थान विकसित होगा जिससे पर्यटकों का आवागमन होने से ग्राम वासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

वहीं ग्राम पंचायत भरक के ऊंचे पहाड़ों में भरका माताजी का मंदिर स्थित है। दिवंगत विधायक श्री कैलाशचन्द्र त्रिवेदी द्वारा भरका माताजी के मंदिर तक सड़क बनवाई जा चुकी है लेकिन मंदिर की सीढ़ियां ज्यादा होने के कारण दर्शनों के लिये आने वाले बुजुर्ग लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: भरका माताजी के मंदिर पर रोप-वे, उड़नखटोला स्थापित कराने हेतु माननीय मंत्री महोदया जी का ध्यान आकर्षित करती हूं। बोलने का अवसर मिला, उसके लिये धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आदरणीय सभापति महोदय, देवस्थान विभाग हिन्दू मंदिरों पर राजकीय स्वामित्व का विभाग है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण भारतीय संविधान की घोर अवहेलना है। हिन्दू मंदिरों पर राजकीय स्वामित्व करके सेक्यूलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के नटराज मंदिर प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकारों को मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का कोई कांस्टीट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार नहीं है। जगन्नाथपुरी मंदिर के

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिरों का प्रबंधन भक्तों के द्वारा होना चाहिये न कि सरकार के द्वारा। आदरणीय सभापति महोदय, प्रदेश में लगभग सभी प्रमुख मंदिरों पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना नियंत्रण कर लिया है किन्तु इन्होंने एक भी मस्जिद, चर्च अथवा गुरुद्वारे पर कोई नियंत्रण नहीं किया है। राज्य सरकार को सभी मंदिरों से अपना स्वामित्व, अपना नियंत्रण हटाना चाहिये या फिर सभी को इसके दायरे में लाना चाहिये। एक हाई लेवल कमेटी का गठन करके आल्टरनेटिव सिस्टम की जरूरत है, जहां पर इस समस्या का समाधान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का एक विश्व विख्यात मंदिर है। मंदिर बोर्ड की आय लगभग 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। सत्र 6 में मैंने नाथद्वारा मंदिर बोर्ड द्वारा दर्शनार्थियों के लिये क्या-क्या कार्य किये गये हैं, इसके संबंध में प्रश्न पूछा था। राज्य सरकार के उत्तर में बताया गया कि नया प्रवेश द्वार, रेम्प बनाना, प्रवेश मार्ग को चौड़ा करना, टर्नस्टाइल मशीन आदि कार्य किये गये। यह बताया गया कि ये सभी व्यवस्थाएं दानदाता वैष्णव, सभापति महोदय, आप नोटिस करें कि दानदाता वैष्णव द्वारा दी गई हैं। इसमें मंदिर मंडल ने कोई भी राशि स्पेंड नहीं की। आदरणीय सभापति महोदय, मंदिर मंडल की इनकम करोड़ों रुपये में है, किन्तु विगत तीन वर्षों में इसने दर्शनार्थियों की सुविधा पर कोई भी धनराशि व्यय नहीं की। सरकारी नियन्त्रण का यह साइड इफेक्ट है। नाथद्वारा मन्दिर की भारत के लगभग सभी राज्यों में अरबों रुपयों की सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति पर अतिक्रमण हो रहे हैं, किन्तु मन्दिर मण्डल को इसकी कोई चिन्ता नहीं है। टेम्पल बोर्ड, मन्दिर के डवलपमेंट के लिये कुछ भी खर्च नहीं करता है किन्तु जो कार्य सरकार को करने हैं, उन पर जमकर पैसा लुटाता है। मन्दिर की करोड़ों रुपयों की भूमि वैष्णव भक्तों की भावनाओं की अनदेखी करके सरकार को दे दी गयी। विद्यालय और चिकित्सालय का बनाने का काम सरकार का है, किन्तु मन्दिर कोष से बनाये गये हैं। मन्दिर मण्डल ने हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि मन्दिर की भूमि मूर्ति में निहित होती है। मूर्ति को शाश्वत अर्द्ध वयस्क माना गया है। मन्दिरों की आय और सम्पत्ति का उपयोग सरकारी कार्यों के लिये नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अभी पशु चिकित्सालय के नाम पर दी गयी श्रीनाथ जी मन्दिर की भूमि भी सरकार को मन्दिर को लौटानी चाहिये।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

आदरणीय सभापति महादेय, गढ़बोर के चारभुजा धाम में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिये 1172 लाख रुपयों के विकास कार्यों की स्वीकृति वर्ष 2018 में जारी की गयी, किन्तु सरकार ने कुल 450 लाख रुपये का ही बजट आबंटित किया और वास्तविक व्यय एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो केवल 368 लाख रुपये का ही किया गया। इसी प्रकार से रूप नारायण मन्दिर के विकास कार्यों के लिये 750 लाख रुपये की स्वीकृति के विरुद्ध 100 लाख रुपये का बजट जारी किया गया और खर्च तो मात्र 30 लाख रुपये किये गये। सरकार स्वीकृत कार्यों के लिये सम्पूर्ण बजट शीघ्र जारी करे, ताकि यह सिर्फ घोषणा मात्र न रह जाये। मेरे राजसमन्द के द्वारकाधीश मन्दिर में भी जाने का रास्ता बहुत संकरा है और इसके डवलपमेंट के लिये विभाग को कुछ ठोस कदम जरूर उठाने चाहिये।

आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान, विशेषकर दक्षिणी राजस्थान में रिलिजस कन्वर्जन धर्मान्तरण एक गम्भीर समस्या है। 4 अप्रैल, 2019 में छपा हुआ यह आर्टिकल साफ-साफ बताता है कि करीबन 447 इंसीडेंस एक्रोस राजस्थान रिपोर्ट किये गये, जिसमें यह बताया गया कि धर्मान्तरण के इतने केसेस दायर किये गये। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये तो वे इंसीडेंस हैं, जो रिकार्ड किये गये हैं। इसमें क्लीयरली स्टेट किया गया है कि ऐसे कितने ही इंसीडेंस हैं, जो डर के मारे, गांव के प्रेशर के मारे रिकार्ड नहीं किये जाते। इस समस्या को सॉल्व करें। नाथद्वारा और सांवरिया जी मन्दिर बोर्ड राजस्थान के सर्वाधिक आय वाले मन्दिर बोर्ड हैं। ये मन्दिर मण्डल दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचलों में हैं। यदि एक-एक नये मन्दिर का निर्माण करें और उन मन्दिरों को सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार और धर्म शिक्षा के केन्द्र की तरह संचालित करें तो इस समस्या का बड़ा समाधान हो सकता है। आदरणीय सभापति महोदय, मन्दिरों के मैनेजमेंट में सरकारी अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ मन्दिर प्रकरण के बाद यह बात साफ-साफ कही थी, टैम्पल ट्रस्ट में जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को मन्दिर की प्रबन्ध व्यवस्था से तुरन्त हटाया जाना चाहिये। मन्दिरों के सेवकों और पुजारियों को बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। राज्य सरकार मदरसा शिक्षकों को तो अच्छा मानदेय देती है, किन्तु मन्दिर के सेवकों और पुजारियों को मानदेय देने में अनदेखा करती है। अंशकालीन पुजारियों को 12 हजार रुपये एवं पूर्णकालिक पुजारियों को 30

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाये। मन्दिरों में भोग सामग्री के लिये मन्दिरों के महत्व एवं छोटे-बड़े आदि वर्गानुसार 500 रुपये प्रतिदिन से 1500 रुपये प्रतिदिन की धनराशि दी जाये। सभापति महोदय, हिन्दू धर्म के तीर्थ नगर रोजगार, व्यवसाय, पर्यटन एवं राजकीय राजस्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रमुख तीर्थ नगरों के ओवर आल डवलपमेंट के लिये विशेष योजनाएं बनायी जायें। तीर्थ स्थानों में आवागमन, यात्रियों के ठहरने की सुविधा, पार्किंग व्यवस्था, खान-पान और चिकित्सा व्यवस्था के लिये तीर्थ क्षेत्रों के विकास की विशेष योजना बनायी जाये। इससे धार्मिक पर्यटन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ रोजगार भी बहुत बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के प्रत्येक गांव में अलग-अलग समाजों के देवालय हैं। इन देवालयों में स्थानीय जनता की बड़ी आस्था होती है। देवालयों के समीप सामुदायिक भवन बनाने की ग्रामवासियों की एक बड़ी मांग रहती है। ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति सक्षम न होने के कारण मन्दिरों में मूलभूत सुविधाओं का विकास वे अपने स्तर पर नहीं करवा पाते हैं। गांवों में सामाजिक और मांगलिक कार्यों के लिये आवश्यक सुविधायें तक उपलब्ध नहीं होतीं। राज्य सरकार विधायक निधि से देवालयों के विकास और वहां पर सामुदायिक भवन बनाने की अनुमति दे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग एवं मांग संख्या 11-देवस्थान पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

अभी मांग संख्या 42-उद्योग चर्चा कर रहे थे। उद्योग अपने आप में ऐसा विषय है कि किसी भी राष्ट्र या प्रदेश का विकास इस उद्योग की वजह से ही आगे बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर आज से 15 साल पहले कालेपानी के नाम से जाना जाता था, बाड़मेर में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की कोई पोस्टिंग करनी होती थी या यहां से निकालना था तो कहते थे कि इसको काले पानी की सज़ा दे दो, इसको बाड़मेर भेजो।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर वही बाड़मेर है, जहां आज तेल के अथाह भण्डार, गैस के अथाह भण्डार, लिग्नाइट के भण्डार, यूरेनियम, सोलर, विण्ड, जिप्सम, ग्रेनाइट, हैंडीक्राफ्ट, नमक, जीरा

(श्री मेवाराम जैन)

आदि हैं। इस तरह के खनिज निकलने की वजह से भारत में ही नहीं, विश्व में भी बाड़मेर का नाम उद्योग की वजह से आज सबसे आगे है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में जो तेल और ऑयल निकला है, वह 80 प्रतिशत तेल बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में निकल रहा है। सभापति महोदय, लिग्नाइट के अथाह भण्डार हैं, पावर प्लांट हैं। दिन में लिग्नाइट और कोयले की तीन सौ से ज्यादा ट्रकें बाहर जाती हैं और उसमें हजारों लेबर काम करती है। सभापति महोदय, चाहे सोलर की बात करें। वहां सोलर और विण्ड खूब लग रहे हैं। वहां पर गैस, जिप्सम भी है। कपड़े के उद्योग हैं। बाड़मेर, पाली, जोधपुर के लिए मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने भी बात कही। ये छोटे-छोटे उद्योग हैं, जिसमें कशीदा, चाहे हैंडीक्राफ्ट है, जितने भी उद्योग हैं, उसकी वजह से बाड़मेर जाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी और हमारी मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं। इनकी इच्छाशक्ति है कि किस तरह से राजस्थान को उद्योग में किस तरह से प्रथम लायें और लोगों को रोजगार मिले और उद्योग किस तरह से ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और बाहर से लोग यहां पर उद्योग लायें। उनको सारी फैसिलिटी देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी घोषणाएं भी की हैं, जिसमें 64 उपखण्डों पर उद्योग विकसित करने की घोषणा भी की है। काफी क्षेत्र हैं, जहां ब्लाकों पर उद्योग खोलने की घोषणा की।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मदन जी भाई रिफाइनरी के बारे में बोल रहे थे। कितनी मेहनत के बाद, देर आये दुरुस्त आये। रिफाइनरी का काम पांच साल पहले शुरू हो जाना चाहिये था, परन्तु उसमें राजनीति होने से देरी हुई, उसकी वजह से काफी नुकसान राजस्थान को हुआ। बाद में तीव्र गति से रिफाइनरी का काम चल रहा है। यहां लाखों मजदूर हैं, जो बाहर की कम्पनी है, उसमें काम करते हैं। रिफाइनरी का काम जल्दी पूरा होगा, क्योंकि तीव्र गति से चल रहा है। इसके साथ-साथ बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पचपदरा के 383 किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम, कैमिकल एंड पेट्रोकैमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की घोषणा की है, उसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि 80 प्रतिशत तेल बाड़मेर तहसील, बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में है। रिफाइनरी पचपदरा में लग रही है। बहुत खुशी की बात है, पर ये जो

(श्री मेवाराम जैन)

उद्योग लग रहे हैं। इनके अन्दर मैं चाहूंगा कि बाड़मेर के अन्दर उतरलाई और जालीपा के बीच में सरकारी जमीन है, वहां एक रीको का एरिया डवलप हो। पास में ही तेल, खनिज, सारा वहीं है। उस एरिये में एक रीको एरिया डवलप किया जाये। सरकारी जमीन भी है। वहां के लोगों को फायदा मिले, वहां के मजदूरों के लिए और छोटे-मोटे लोग जो वहां उद्योग लगाना चाह रहे हैं, उनके लिये इस जगह एक रीको एरिया डवलप करे। हमारी मंत्री जी बहुत जुझारू भी हैं, हमारी बहिन के दिल में इच्छाशक्ति है। हमारे मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि हमारे इस एरिये का कैसे विकास हो? कैसे राजस्थान आगे बढ़े? मैं निवेदन करूंगा कि आप रीको एरिया बाड़मेर में जरूर खोलें, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले।

माननीय सभापति महोदय, जो सी.एस.आर. फंड है। बाड़मेर में इतना लिग्नाइट है, उसकी माइनिंग है। इतना तेल और गैस है, इसकी माइनिंग है। इसकी रायल्टी है। सी.एस.आर फंड, सभी बात कर रहे थे कि जिस क्षेत्र में माइनिंग या रायल्टी जो मिलती है, उस क्षेत्र में खर्च होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस एरिये को प्राथमिकता दें जिस एरिये में रायल्टी मिले, उस एरिये में ज्यादा विकास हो। यहां छोटी-मोटी जितनी भी कपड़े की और जो इंडस्ट्रीज हैं, कैसे आगे बढ़ें? चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे चद्दरा पेंट है, अन्य छोटी इंडस्ट्रीज को हम कैसे आगे बढ़ाएं? उनके सामने की समस्याएं, प्रदूषण है, हालांकि राजस्थान सरकार उसके लिए खूब रियायतें भी दे रही है। सात साल तक किसी की जमीन पर कन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं करना, कोई चैक नहीं करेगा। पानी, बिजली, सड़क की सारी व्यवस्थाओं की बात सरकार कर रही है और चाहती है कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगें। यह हमारी सरकार की मंशा है। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में एक तो रिडाना में और बाखासर में नमक खूब वहां हो सकता है। वहां एरिया डवलप कर उद्योग लगाएं, ताकि वहां हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता का नमक भी मिलेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में करीबन सात साल पहले जीरो मंडी की घोषणा हुई थी। प्लाट भी अलाटमेंट हो गये। किसी कारण वह अभी लग नहीं पा रही जिसके कारण काफी मजदूर, छोटे व्यापारी जो उद्योग लगाना चाह रहे हैं, वह इसके कारण बंद पड़ी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी ही वह जी कृषि मंडी शुरू हो ताकि लोगों को रोजगार मिले।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय सभापति महोदय, एक अभी जो यूजर चार्ज लगाया है, उसकी वजह से कृषि मंडियों का व्यापार पूरा चौपट हो रहा है। व्यापारी और मजदूर उससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि इस यूज़र चार्ज को बिलकुल खतम करें या फिर लगे तो सभी पर लगे ताकि कृषि मंडियां खतम नहीं हों। अभी केन्द्र सरकार जो विशेष कानून लाई थी, वह भी निरस्त हो गये, इसलिए अब वह भी प्रभावित नहीं हो रहा है। इसलिए यूज़र चार्ज को खतम करावें, ताकि कृषि मंडियों में वापस व्यापारियों को दिक्कत नहीं हो।

सभापति महोदय, आज देवस्थान पर भी चर्चा हो रही है। हमारे बाड़मेर जिले में चाहे चौहटन में विरात्रा माता का मंदिर हो, नाकोडा जी का मंदिर हो, रानी भटियानी जी का मंदिर हो, खेड़ का मंदिर हो, चौहटन में सुईंया धाम हो, ईसरदास जी का मंदिर हो, यह सारे आस्था के केन्द्र हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुईंया धाम जहां पर साल में मेला भरा जाता है वहां चौबीस घंटे, बारह मास ही झरना चालू रहता है। वहां पर मेला लगता है। जब मेला भरा जाता है तो एक रात में 20 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। इतनी भीड़ और इतना आस्था का प्रतीक है। वहां पर व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस जगह को डवलप करें, ताकि लोगों को उस मंदिर में दर्शन करने, आने-जाने में तकलीफ नहीं हो। वहां रोड बने, रेलिंग लगे। इसकी व्यवस्थाओं के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपये सेंक्शन हों। बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक ये धाम है। ये अच्छी तरह से डवलप हो। एक विरात्रा माता का मंदिर है। वहां पर हजारों श्रद्धालु आते-जाते हैं। रोड टूटी हुई है। उसका नवीनीकरण कराया जाए ताकि वह रोड ठीक हो सके।

सभापति महोदय, एक संत ईसरदास जी का मंदिर है। वहां पहले पैनोरमा बनाने के लिए घोषणा भी हो चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर जमीन भी अलाटमेंट हो चुकी है और पहले कहा भी था कि उस जगह हम बना देंगे। इसके लिए आप फंड की घोषणा करावें ताकि मंदिर का पैनोरमा बन सके।

मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी यही चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का विकास हो, यहां के लोगों को रोजगार मिले, यहां की इंडस्ट्रीज आगे बढ़े। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो तेल है, गैस है, चाहे रिफाइनरी है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, यहां के जो लोकल लोग हैं जिनकी जमीनें गयी हैं, उन लोगों को यहां रोजगार में प्राथमिकता दें। ये लोग

(श्री मेवाराम जैन)

बाहर से लाते हैं तो कम से कम वहां के लोगों को जितने भी मजदूर हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, वहां के लोकल लोग हैं, उनको प्राथमिकता दें। उनको काम मिले और वे इसका फायदा उठा सकें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा माननीया हमारी मंत्री महोदया, जिन्होंने घोषणा की है कि मैं हर जिले में जाऊंगी और सभी अधिकारियों को साथ में ले जाऊंगी। वहां पर जो भी समस्या है, उसका हाथोंहाथ समाधान कराऊंगी। माननीय मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42 और 11 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उद्योग के विषय में संस्कृत में एक उक्ति है 'उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी' अर्थात जहां उद्योगी पुरुष सिंह रहते हैं, वहां लक्ष्मी का वास होता है। राजस्थान इस मामले में पूरे देश में अग्रणी स्थान रखता है कि पूरे देश में यहां के उद्योगपति जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह का विकास उन्होंने वहां जाकर किया है, निश्चित रूप से मैं राजस्थान के उन सभी उद्योगपतियों को साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस संस्कृत की उक्ति को चरितार्थ किया है। लक्ष्मी का वास वहीं रहता है जहां उद्योगिनं पुरुषसिंह, जो पुरुष सिंह हैं, जो उद्योगी हैं, वे वहां निवास करते हैं।

आज देश का जो औद्योगिक वातावरण है, मोदी जी के आने के बाद निश्चित रूप से देश में उद्योगों के प्रति बहुत भरपूर विश्वास आया है। जिस तरह से हमारे विरोधी लोग चिल्लाते हैं कि दो का साथ है, दो का साथ है, उन दोनों ने जो पूरे देश का नाम विश्व में किया है, वैसा नाम तो हमारे यहां राजस्थान में अभी उद्योगपति आएंगे, तब जाकर होगा। मोदी जी ने उद्योगों का प्रचार-प्रसार करने के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं इस देश में, आज ईज आफ डूइंग बिजनस में विश्व में भारत का स्थान बहुत ऊपर आने लगा है। आज से आठ-दस वर्ष पहले हम सत्तर-अस्सीवें नंबर पर थे। आज हम तीस-पैतीसवें नंबर पर आ गये हैं, ईज आफ डूइंग बिजनस में। निश्चित रूप से हम चायना से कम्पीटिशन में हैं, हम पूरे विश्व से कम्पीटिशन में है। हमारा रक्षा क्षेत्र जिस तरह से आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, ऐसा उद्योग का

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

विकास सम्भव नहीं था अगर मोदी जी की प्रेरणा और मोदी जी का विजन नहीं होता। लेकिन इसके उलट राजस्थान में क्या हो रहा है? उद्यमियों के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है ऊर्जा और जमीन। आज राजस्थान में ये ऊर्जा देश में सबसे महंगी है। हमारे राजस्थान में, जहां कच्चे माल के अपार भण्डार हैं, विपुल भण्डार हैं, जहां व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। प्रकृति ने हमारे राजस्थान को इतना दे रखा है कि हम चाहें तो देश में उद्योग के क्षेत्र में, कहां महाराष्ट्र, कहां गुजरात, कहां आन्ध्रप्रदेश, कहां तमिलनाडु, इन सबको पीछे छोड़ते हुए, हम राजस्थान को सबसे ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन हमको वह सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी। इसमें राजनीतिक विषय नहीं है। हमारे देश में, राजस्थान में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम किस तरह से, कच्चे माल को किस तरह से उपयोग कर सकें, उसके लिये हमें जो सुविधाएं देनी हैं, अगर हम उद्योगों की बिजली थोड़ी सस्ती कर दें, तो निश्चित रूप से उद्योग में, नम्बर एक राजस्थान बन सकता है।

जमीन के मामले में, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई बार कहा है। रीको एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करने लगा है। जमीन की बहुत बड़ी परेशानी है। राजस्थान में इतनी महंगी जमीन है कि हमको इस बार पुनर्विचार करना चाहिये कि किस तरह से हम उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिये, ज़मीनों को किस तरह व्यवस्थित कर सकें, पर्याप्त कर सकें।

आज मेरा भीलवाड़ा, औद्योगिक शहर कहलाता है। वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। वहां भी ज़मीनों की हालत यह है कि वहां उद्योगपतियों को जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। इतनी महंगी जमीन है कि लोग वहां से पलायन करके जाना चाहते हैं। गुजरात, एमपी वस्त्र उद्योग ले जाकर, चार-चार उद्योगपति, जो हज़ारों-करोड़ों का निवेश करने को तत्पर हैं, आज वे उधर जा रहे हैं। हमने उनसे बात भी की कि आपको क्या सुविधाएं चाहिये, आप वहां क्यों जाना चाहते हो। हमारे भीलवाड़ा में जो लोग स्थापित हैं, वे अपना एक्स्टेंशन वहां जाकर करना चाहते हैं।

मेरा उद्योग मंत्री महोदया से निवेदन है। जैसा आपने कहा है कि मैं प्रत्येक ज़िले में जाऊंगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भीलवाड़ा ज़िले में सबसे पहला स्थान रखिये। आज वह पूरे देश का मैनचेस्टर कहलाता है। वहां पर 10-12 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिमाह का उत्पादन है। वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। डेनिम जैसा कपड़ा, देश में जिससे जींस बनती है, जींस की पेंट

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

वगैरह बनती है, पूरे देश में दूसरे नम्बर पर भीलवाड़ा आ गया है। यह सब सरकार की मेहरबानी से, हमारी हो या आपकी हो, उसकी मेहरबानी से नहीं आया है। यह आया है वहां के उद्योगपतियों की अंत: प्रेरणा से, एंटरप्रेन्योरशिप के कारण से। हमारे वहां उद्योगपतियों को कोई कमी नहीं है। सरकारी साधन व व्यवस्थाएं हैं, वह इस तरह की, आज बिजली के कारण भीलवाड़ा के उद्योगों को बहुत नुकसान हो रहा है। उद्योगों को बिजली में हम किस तरह से रियायत प्रदान कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिये।

उद्योग मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। सवा सौ-डेढ़ सौ करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिवर्ष वहां उत्पादित होता है। केन्द्र सरकार ने पूरे देश में सात टैक्सटाइल पार्क देने का निर्णय किया है। उन सात टैक्सटाइल पार्क में राजस्थान को एक मिलना निश्चित है। भीलवाड़ा एक ऐसा शहर है, जहां कपड़ा उद्योग की अपार सम्भावनाएं हैं। आज रेडीमेड के क्षेत्र में अगर हम काम करना चाहें, तो वहां के लोग तैयार हैं, तत्पर हैं, केवल थोड़े से सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। वहां डेनिम की और विपुल सम्भावनाएं हैं, हम विश्व में प्रथम स्थान पर आ सकते हैं। वहां जो कपड़ा उद्योग है, शूटिंग शर्टिंग बनता है, वहां का कपड़ा उद्योग, हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विदेशों में जा रहा है।

मेरा आपसे निवेदन है, टैक्सटाइल पार्क के मार्ग में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करते हुए, उसका एकमात्र हक, केवल भीलवाड़ा शहर में वह टैक्सटाइल पार्क आना चाहिये। मैंने पहले भी निवेदन किया था। आज भी निवेदन कर रहा हूं। इतना वस्त्र उत्पादन कहीं पर नहीं होता है, जितना भीलवाड़ा में होता है।

आज 400-400 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, 20-20 प्रोसेस हाउस लगे हुए हैं। कई व्यापारी, उद्योगपति वहां काम करने को तत्पर हैं। हमारे कई राजस्थानी जो बिहार में रहते हैं, आसाम में रहते हैं, वह भीलवाड़ा आकर, अपना व्यापार और धन्धा करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा-सा सहयोग प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान को हम वस्त्र उद्योग में, व्यापार में, विश्व में सर्वोच्च स्थान पर ले जा सकते हैं।

हमारे साथी, राजाखेड़ा से आते हैं, वे कह रहे थे बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। आज हमारे भीलवाड़ा में कोई कमी नहीं है। केवल थोड़ा-सा बिजली का, जमीन का सहयोग और सरकारी सुविधाएं हैं, लालफ़ीताशाही है, उनमें

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

अगर थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाये, तो भीलवाड़ा दो-चार साल में इतना चलकर जायेगा कि आप देखेंगे कि आपके कार्यकाल में चार चांद लग जायेंगे, अगर आपने भीलवाड़ा में थोड़ा-सा ध्यान दिया तो।

मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जब भी भीलवाड़ा पधारें, निश्चित रूप से आपकी पूरी व्यवस्था वहां के उद्योगपति करेंगे। मंत्री जी, स्वयं विराजमान हैं, जो भीलवाड़ा से आते हैं। हम सब आपके सहयोग में तत्पर हैं। आपसे निवेदन है कि आप भीलवाड़ा पधारकर भीलवाड़ा के उन उद्योगपतियों की समस्याओं का निवारण करें जिससे भीलवाड़ा का वस्त्र उद्योग पनप सके।

उसके अलावा, टैक्सटाइल पार्क। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यह जोधपुर जा सकता है। यह पाली जा सकता है। हमारे सभापति महोदय भी पाली और जोधपुर कोरिडोर को जोड़कर वहां टैक्सटाइल पार्क ले जाना चाहते हैं। सवा सौ से डेढ़ सौ करोड़ मीटर कपड़ा, जहां प्रतिवर्ष उत्पादित होता है, टैक्सटाइल पार्क का एकमात्र हक अगर बनता है, तो वह भीलवाड़ा शहर का बनता है। इसलिये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि टैक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा को मिलना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपको सिरेमिक उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सिरेमिक उद्योग, हमारे भीलवाड़ा का, कच्चे माल का भण्डार है। राजसमन्द, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सोडा, फेल्सपार, क्वार्ट्ज के विपुल भण्डार हैं। सारा माल सिरेमिक सिटी मोरबी में जाता है। वह सारा इन चार ज़िलों से जाता है।

आज गैस की बात हो रही है। हमारे भीलवाड़ा में गैस आ चुकी है। मंत्री महोदय, आपसे भी निवेदन है, आसीन्द में निम्बाहेड़ा क्षेत्र है, उसमें 500 बीघा जमीन पड़ी है। आपके माण्डल के एकदम नजदीक लगता हुआ इलाका है। 500 बीघा जमीन की कार्यवाही की फाइल भी चल रही है, वहां सिरेमिक ज़ोन स्थापित करने के लिये। अगर वह सिरेमिक जोन वहां स्थापित होता है तो सारा कच्चा माल वहां उपलब्ध है। सबसे सस्ता सिरेमिक आइटम, अगर दे सकता है तो वह मेवाड़ अंचल दे सकता है। भीलवाड़ा में इसके विपुल भण्डार हैं, जहां सोडा फेल्सपार, क्वार्ट्ज उत्पादित होता है। सारा माल मोरबी भेजना पड़ता है। मोरबी वाले मनमाना रवैया अपनाते हैं, किसका लेते हैं, किसका नहीं लेते हैं, किसकी रेट देते हैं, किसकी नहीं देते हैं, इस कारण से राजस्थान को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर सिरेमिक उद्योग पर आप ध्यान देंगे, तो जब आप भीलवाड़ा पधारें तो इसके बारे में भी, वहां के कई उद्योगपति तैयार हैं, जो सिरेमिक उद्योग लगाना चाहते हैं। आप निम्बाहेडा क्षेत्र को रीको क्षेत्र में लेकर या जिस तरह भी करना

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

चाहें, अगर औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दें, पांच-सात साल से फाइल चल रही है, निश्चित रूप से हम आपका बहु त आभार ज्ञापित करेंगे।

मेरा एक निवेदन देवस्थान के विषय में है। अभी माननीय सदस्य, जोगेश्वर जी गर्ग ने भी मामला उठाया था। जो ज़मीनें देवस्थान विभाग की मन्दिरों को दी गयी हैं, वह कोई सरकार ने नहीं दी हैं। वह जागीरदारी प्रथा के समय से उनके पास हैं। आज उन मन्दिरों की दुर्दशा है। उन पुजारियों की भी दुर्दशा है। मेरा निवेदन है, कई जगह हाईवे वगैरह निकल रहे हैं, वे ज़मीनें सरकार अवाप्त कर रही है। सरकार के अवाप्त करने के बाद, जब उनका मुआवजा आता है, वह देवस्थान विभाग में जमा होता है। न तो उस मन्दिर को मिलता है, न पुजारी को मिलता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि अगर नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो तो उन ज़मीनों का मुआवजा, उस सम्बन्धित मन्दिर और सम्बन्धित पुजारी को मिलना चाहिये, जिससे उनका रोजगार, जीवनयापन भी सही तरीके से हो सके। मन्दिरों की व्यवस्था भी माकूल हो सके।

ग्रेनाइट भीलवाड़ा ज़िले में अभी विकसित हो रहा है। विशेषकर, मंत्री जी के एरिया में और हमारे आसीन्द क्षेत्र में ग्रेनाइट उद्योग की अपार सम्भावना है। इसके बारे में भी, आप जब पधारेंगे या आप अगर अपनी तरफ से शुरुआत कर सकें तो उस एरिया को भी हम जालौर की तरह, ग्रेनाइट का डवलपमेंट एरिया बना सकते हैं। भीलवाड़ा ज़िले में, ग्रेनाइट के विपुल भण्डार हैं। उन भण्डारों का, हम किस तरह से दोहन कर सकें, किस तरह से हम उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, उन पर विचार करें।

भीलवाड़ा उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है, लेकिन वह अपने कपड़ा उद्योग पर ही आश्रित है। वहां पर सेरेमिक उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग और अन्य तरह के उद्योग किसी तरीके से, जिस तरह से यू.पी. सरकार ने यह व्यवस्था की है, मंत्री महोदय, कि जिस जिले में जो चीज उत्पादित होती है, वहां पर उन सारे उद्योगों को लगाने का उन्होंने किया है और इसी कारण से यू.पी. आज ईज आफ डूइंग बिजनस में देश में दूसरे स्थान पर आया है तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि हमको भी जिलेवार योजना बनानी चाहिए कि किस जिले में हम किस तरह का उद्योग स्थापित कर सकते हैं तो अगर हमने यह इस तरह की योजना बनाकर जिलेवार अगर हमने यह योजना बनायी तो राजस्थान को हम निश्चित रूप से आने वाले समय में उद्योगों के क्षेत्र में सबसे आगे ले जा सकेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। आप समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 42 एवं 11 पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग पर डिबेट हो रही है कि राजस्थान में उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाये और सभी साथी लोग यह कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र डवलप करें। सभी का यह कहना है कि हमारे यहां पर उद्योग नहीं लग पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में नीमराना में, हमारे अलवर जिले में भिवाड़ी में, गिलोट में खूब उद्योग लगे हुए हैं। रोजगार चाहे एक भी लोकल व्यक्ति को वहां पर नहीं दिया जा रहा है, पोल्यूशन हम झेल रहे हैं, जमीन हमारी चली गयीं, पानी का इतना दोहन हो गया कि पूरा क्षेत्र डार्क जोन में आ गया, गांव के गांव वीरान हो गये, पीने तक का पानी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, वह भी पानी खरीदकर पी रहा है।

मैंने पहले भी यह मांग रखी और आज भी मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि अगर हम वास्तव में राजस्थान में उद्योग लगाना चाहते हैं इनको बढ़ावा देना चाहते हैं, सब कुछ है राजस्थान में, किसी ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि राजस्थान में कमी है, सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है राजस्थान को, सबसे ज्यादा जिस चीज की, वह है पानी की। जहां पर पानी ही नहीं होगा तो वहां पर कौन उद्योग लगायेगा और कैसे वह उद्योग आपका चलेगा? अगर बहुत जल्दी अलवर जिले में भी पानी नहीं आया तो आपने जो जापानी जोन बनाये, कोरियाई जोन बनाये, ये सब बंद होने वाले हैं क्योंकि पीने का पानी ही नहीं रहेगा।

(समय: 16.43 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

मैंने यह पहले भी कहा, बात रोजगार की होती है। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार यहां के लोगों को खेती से मिलता है और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। किसान बरबाद होता जा रहा है जो हमारे पास है, उसको हम छोड़ रहे हैं, वह हमारे गांवों में कहावत है कि गोदी वाले बच्चे को पटककर पेट वाले की आशा में चल रहे हैं। उसकी कोई सुध नहीं ले

(श्री बलजीत यादव)

रहा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने एक शुरुआत की थी कि सभी नदियों को जोड़ा जाये, लेकिन वह वहीं की वहीं बात रह गयी, उसके बाद में जो भी कोई आये, उस बात को किसी ने आगे ही नहीं बढ़ाया।

माननीय सभापति महोदय, हमारी नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। हमारी नदियों का पानी समुद्र में गिर रहा है। जे.जे.एम. में हजारों करोड़ रुपये लगाकर हम सपना दिखा रहे हैं कि घर-घर नल से पानी पहुंचायेंगे, बोरिंग खुद रहे हैं, पर सारे ड्राई निकल रहे हैं डार्क जोन में और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है जनता के पैसे को, सिर्फ कमीशन खाने के चक्कर में। जो एक करोड़ रुपये में काम होता है, जे.जे.एम. के तहत वही सुविधा कुछ गांव वालों को पन्द्रह से बीस लाख रुपये में मिल सकती है। नदियों को जोड़ लो या नहर से पानी ले आओ, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, बीकानेर के महाराजा गंगासिंहजी ने दूरदृष्टि रखी और वे गंगनहर लेकर आये तो क्षेत्र आबाद हो गया। मोहनलाल सुखाड़ियाजी ने नहरों का जाल बिछाया तो पूरा पश्चिमी राजस्थान आबाद हो गया। हरिदेव जोशीजी ने बांसवाड़ा में माही बांध बनाया तो जहां पर भुखमरी थी, वह पूरा क्षेत्र आबाद हो गया इसलिए वास्तव में हम अगर राजस्थान को आबाद करना चाहते हैं, वास्तव में हम हिन्दुस्तान को आबाद करना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान के किसान को पानी और बिजली उपलब्ध करवानी पड़ेगी तब जाकर हमारा हिन्दुस्तान आबाद होगा और अगर हम यूं ही सिर्फ चर्चा करते रहे, हम विदेशों में कटोरा लेकर घूमते रहे कि आ जाओ, उद्योग लगाओ, आ जाओ, उद्योग लगाओ और यहां पर पीने का पानी ही नहीं है तो कोई नहीं आने वाला है। कितनी ही चाहे चर्चा कर लो, प्राइवेट आदमी तब ही आयेगा जब उसको प्रोफिट मिलेगा। उसको बैटर फैसेलिटी मिलेगी तो वह आयेगा, अदरवाइज कोई नहीं आयेगा।

सरकारी जो भी उपक्रम हैं सब बरबाद होते जा रहे हैं। ट्यूरिज्म को, ठीक है, इंडस्ट्री घोषित किया, लेकिन हमारे यहां पर देखो कि ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट का क्या हाल है? उन्हीं होटल्स की लोकेशन देखो, वह अगर किसी प्राइवेट आदमी को हम दें तो वह आबाद हो जाये, पैसा बरसने लगेगा, लेकिन हम बरबाद होते जा रहे हैं हर क्षेत्र में।

आपका रीको, एक रीको अगर कोई मन लगाकर काम करे, साफ मन

(श्री बलजीत यादव)

से काम करे तो पूरे राजस्थान में, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जो निराशा का भाव है, एक रीको, अगर वह मन लगाकर काम करे, मात्र एक साल में एक माहौल बना दे, पॉजिटिव एनर्जी आने लगे कि हां साहब, काम हो रहा है लेकिन यहां पर जुनून के साथ काम किया नहीं जाता, टाइम पास होता रहता है। सिर्फ चर्चाएं होती हैं और मैं यह देखता हूं कि जब जिस ढंग से यह पैसा खर्च होता है, यहां जाकर मैंने कई बार बोला कि जिस ढंग से यह पैसा बरबाद होता है, जिस ढंग से यह लुटता है क्योंकि सरकार में जो पैसा होता है वह जनता का पैसा होता है, कोई आदमी को दर्द ही नहीं होता कि यह पैसा ज्यादा क्यों लग रहा है या बारगेनिंग की जाये कि यह पैसा हमारा बेवजह यहां पर खर्च हो रहा है, उसको बचाया जाये, इसकी किसी को कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि वह अपना नहीं लगता है।

माननीय सभापति महोदय, गांव में छोटे-छोटे उदाहरण से देख सकते हैं। एक घर में चार भाई होते हैं, शादी हो जाती है चारों की और चार बहुएं घर में आ जाती हैं। साझे का काम रहता है खेती का भी तो वह सोचती है कि मैं लेट जाऊंगी खेत में, वह सोचती है कि मैं लेट जाऊंगी, मुझे क्या जल्दी है, मुझे क्या जल्दी है? उसने देखा कि मेरे बच्चों के लिए यह चीज ले ली तो दूसरी कहती है कि मैं इससे ज्यादा लूंगी, तीसरी कहती है कि मैं ज्यादा लूंगी और वह घर बरबाद सा होने लगता था और यह कलियुग है, वे ही जब अलग-अलग हो जाती हैं बहुएं तो वह सुबह उठकर दिन उगने से पहले खेत में पहुंच जाती हैं, उससे पहले वह पहुंच जाती और वह सारी फसल भी तगड़ी करती है और बचत भी करते हैं और लगे रहते हैं क्योंकि उनको यह अहसास हो जाता है कि यह तो मेरा नुकसान हो रहा है। ऐसी भावना डवलप करनी पड़ेगी सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पॉलिटिशियन हो, कि जो सरकार का पैसा है वह हमारा पैसा है। इस देश का पैसा है, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है।

श्री सभापति: आप दो मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): बिलकुल, सर। इसलिए मेरी बार-बार यह विनती है कि एक बार और जगह खर्च कर रहे हैं, बिना रोड के भी चल लेंगे, पहले कोई रोड नहीं थे, कच्चे रास्ते थे तो भी सुकून में थे, चल लेंगे। पेट में आटा नहीं है, रोटी नहीं है, भूख लग रही है, पीपा खाली है और फिर सड़कों पर चलकर कौनसा आबाद हो रहे हैं? इसलिए मैं तो कहता हूं कि राजस्थान

(श्री बलजीत यादव)

में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। नहर से पानी पहुंचाया जाये। बरसात में जो पानी व्यर्थ बह जाता है, केन्द्र सरकार भी कोर्डिनेट करे राज्य सरकारों से। जो बाढ़ राहत में पैसा खर्च होता है और जो कहीं पर सूखे के रूप में खर्च होता है, उसके लिए कोम्बिनेशन ठीक से कर ले तो उसका उपयोग हो सकता है। बिना पानी के कोई भी कल्पना करते रहें, चाहे कुछ भी हो, खनिज सम्पदा है, उसको बेच-बेच कर खाते रहो बाकी कुछ होना नहीं है। बजरी बिक रही है, जा रही है, खा रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ खोद दिये, हम सब चीज को बेच रहे हैं। धीरे-धीरे सब चीज खतम होती जायेगी। जैसे रहीमजी ने भी कहा कि 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून' सदियों से पानी के महत्व को समझते आ रहे हैं और जब सब कुछ खतम हो गया है तब भी अगर हम उस पानी की कीमत को नहीं समझेंगे और हम उस आने वाले खतरे को नहीं भांपेंगे तो फिर आगे हमारे बहुत कठिन समय होगा।

सभापति महोदय, जिस गांव में मैं देखता था, हरियाली होती थी, पानी होता था। इतना ज्यादा कुएं के अन्दर हम खोदते थे तो कुएं में पानी मोरियों से कूदता था, कुआं भर जाता था। कुछ जगह ऐसा भी था कि जरा सा खोद कर पानी निकाल कर पानी पी लेते थे, जो गाय भैंस चराते थे। साबी नदी को जरा सा खोदा, पानी आ जाता था। हमारे वहां बांध में खोदते थे, पानी आ जाता था और अब वहां पर 1200-1200 फुट नीचे खोद देते हैं तब भी पानी नहीं है। 1500-1500 फुट गहरा खोद देते हैं, पानी नहीं है और पूरे गांव वीरान हो गये। हम जाते हैं गांव में तो लोग सोचते हैं कि ये कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले जाते ही कहेंगे कि साहब, कुछ भी मत करो, एक बार पानी ला दो। कहीं से भी पानी ला दो। चम्बल का ला दो, यमुना का ला दो, कहीं से भी ला दो, पानी ला दो।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): पानी खरीद कर मजदूर को पीना पड़ गया। हमारे बचपन में कहा करते थे कि पैसे वाले लोग पानी खरीदकर पीते हैं, इतने ओपटे करते हैं, आज जो मजदूरी करता है, पत्थर तोड़ता है, वह पानी खरीदकर पी रहा है। इससे ज्यादा बुरी हालत क्या होगी जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए मेरा कहना है कि अगर उद्योगों को आबाद करना चाहते हो, हमारा किसान आबाद हो गया तो सब कुछ आबाद हो जायेगा। उद्योग नहीं भी लगाओगे तो भी चल जायेगा और आप उद्योग

(श्री बलजीत यादव)

लगाना भी चाहते हो तो वह भी पानी के बिना नहीं लग पायेंगे इसलिए सबसे ज्यादा पानी के ऊपर जोर देने की आवश्यकता है कि राजस्थान के किसानों को पानी कैसे भी पहुंचाया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवानजी पूनियां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटा बढ़ा कर 7 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 11 पर विचार

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 11 पर बोलने का आपने मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं देवस्थान पर अपनी बात रखूं।

सभापति महोदय, आज प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन मन्दिर माफी की, मन्दिर मूर्ति के नाम से जमीन है जो पुजारी और पुजारियों के परिवार के लोग काश्त करते हैं। उनका क्या गुनाह है? न तो वह फसल बीमा का फायदा ले सकते हैं, न वह डिग्गी बना सकते, न उसका समतलीकरण कर सकते और न ही कृषि कनेक्शन के नाम पर कुएं का कनेक्शन ले सकते हैं। सभापति महोदय, क्या एक प्रावधान यह नहीं कर सकते? आज स्थिति यह है कि एक आदमी दो साल कोई शहर में रह जाये, किराये के नाम से, उस शहर के नाम से आरसी बनवा लेता है। जो आदमी पीढ़ियों से उस मन्दिर की सेवा कर रहे हैं, उनके परिवार के पांच-पांच, दस-दस खाते फंट गये लेकिन उस जमीन पर वह कुछ नहीं कर सकते। मेरी पुरजोर मांग है कि यूं किसान को जलील न करा जाये। मन्दिर माफी की जमीन में उनके परिवार का एक

(श्री बलवान पूनियां)

आदमी सेवा करता है बाकी वह किसान है इसलिए देवस्थान विभाग इस पर ध्यान दे।

सभापति महोदय, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव गोगामेड़ी में भरता है। गोगाजी का नाम गोगा पीर के नाम से लोग बोलते हैं। साम्प्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा संगम होता है वहां। वहां हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाब के सब लोग आते हैं। उस मेले की दुर्दशा यह है कि आज से पांच साल पहले इतनी ज्यादा गर्मी थी और भीड़ ज्यादा हो गयी, सात लोग लाइन में मर गये। देवस्थान विभाग को कोई चिन्ता नहीं। हकीकत तो यह है कि मेरे पहले विधान सभा सत्र में दो प्रश्न लगे और दोनों प्रश्नों के जवाब में उत्तर पोजिटिव आया। पानी की व्यवस्था तो हो गयी। मुझे आश्वासन दिया गया कि इसकी पूरी लाइन के ऊपर छत लगायेंगे और इसकी बेरिकेडिंग करेंगे और इस पर, पूरे पर फर्श करेंगे। अभी तक एक रुपया सैंक्शन नहीं हुआ।

सभापति महोदय, लाखों लोग आते हैं। रेलवे लाइन है गोगाना और गोगामेड़ी के बीच में। क्रोस नहीं कर पाते। आजकल ट्रेनों के फेरे बढ़ गये। और भी फेरे बढ़ेंगे। ज्यों ज्यों कोरोना मुक्त होंगे, ट्रेनों के फेरे और बढ़ेंगे। श्रद्धालु खड़े रहते हैं। भीड़ बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है। ओवर ब्रिज निर्माण करने की मांग है। सभापति महोदय, वहां पर पीने के पानी का इतना बड़ा संकट होता है, यह तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन में उनकी पाइप लाइन पीछे से आ गयीं, नहीं तो एक माइनर में ही श्रद्धालु आते हैं, नहाते हैं और गोगामेड़ी के लोग वाटर वर्क्स के नीचे पानी पीने वाले लोग दो महीने इतना गन्दा पानी पीते हैं, मेले के एक महीने पहले और मेले के एक महीने बाद, आदमी सोच नहीं सकता। देवस्थान विभाग गौर करे। मैं कहता हूं कि भगवान को मानने वाला विभाग इतना लापरवाह, भगवान राज़ी हो जाये, ये राज़ी न हों। मैंने मेरी जिन्दगी में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं देखा जो मन्दिर की मूर्ति बोल पड़े, भगवान बोल पड़े, ये न बोलें। मंत्रीजी, यूं गर्दन न हिलायें, अपने आपको ऐसे समझते हैं जैसे बुद्ध तुम ही हो, तुम्हारे अन्दर से गोगाजी बोलेंगे। ऊंटों का मेला भरता है, उस समय मेले का अगर कोई आदमी निरीक्षण कर ले तो हैरान रह जाये। यह स्थिति, पास-पास के लोग उस समय गोगामेड़ी दूध का काम करने वाले, दुकान करने वाले लोग ही जाते हैं। दो साल से कोरोना की वजह से मेला नहीं भर रहा। उससे पहले मेला भरता था।

(श्री बलवान पूनियां)

मेरे कार्यकाल में मैंने दवाई का छिड़काव करवाया। इतनी मक्खियां हो जाती हैं कि मेले के एक महीने बाद तक पूरे इलाके में पोल्यूशन रहता है। सफाई के नाम पर ठेका 12 महीने, अभी भी कोई ऐसा दिन नहीं कि 10 हजार से लेकर 15 हजार लोग नहीं आयें। अभी 01 जनवरी को रात-रात में 5 लाख लोग आये थे। 15 जनवरी तक लिफाफे उड़ते रहे। मैं कहना चाहता हूं देवस्थान विभाग से, आप अपनी स्थितियों से बाज आयें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी का, कि उन्होंने वहां पीएचसी से सीएचसी बना दी। वहां के लोगों की मांग है कि गुरु गोरखनाथ के नाम से सीएचसी का नामकरण किया जाये।

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 42 पर कुछ बात रखना चाहता हूं। जैसाकि मेरे साथी अवस्थीजी ने कहा कि आप जिलों के हिसाब से उनकी स्थितियां देखकर औद्योगिक विकास का ध्यान करें। हमारे जिले में कोई लम्बा चौड़ा उद्योग नहीं है। एक थी स्पिन मिल। उसके राठौड़ साहब ने ताला जड़ दिया। ताला कहां से लाये थे, पता नहीं। इतना बड़ा ताला। वह अभी खुला नहीं है। आपसे भी नहीं खुला अभी। उसके अलावा हनुमानगढ़ जिले में कोई लम्बा चौड़ा उद्योग नहीं है। एक उद्योग विकसित हो सकता है, वह है डेयरी उद्योग। कुछ इलाका भाखड़ा अमर सिंह ब्रांच व हरियाणा सिद्धमुख नहर नोहर फीडर से, आप तो वहां पर कलेक्टर रहे हैं, सभापति महोदय, कुछ इन्दिरा गांधी नहर से, कुछ घग्घर फ्लड से। यह समझो कि वहां पर हरा चारा 12 महीने उपलब्ध रहता है। डेयरी उद्योग को विकसित किया जा सकता है। एक फाइल किसी किसान ने लगा दी कि मुझे डेयरी लगानी है, लोन दिला दो। सैंक्शन नहीं करेगा बैंक। कैसे विकसित होगा डेयरी उद्योग? सही बात तो यह है कि आप बाहर से निवेशक बुलाते हैं और उद्योग का नाम आता है तो हम सोचते हैं कि हमारे सब्जैक्ट का काम नहीं है। जब हम यह देखते हैं भीलवाड़ा में उद्योग विकसित हो रहा है और वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारे व्यापारी की देन है। बालोतरा के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां तरह-तरह के उद्योग विकसित हो रहे हैं। हमारे नजदीक गंगानगर के रावला क्षेत्र में नीचे से भूमि

(समय: 17.00 बजे)

तेल उगलना शुरू कर चुकी। हम उसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र, जो हरियाणा से नजदीक लगता हुआ है, 2007 से सी.सी.आई. की खरीद के अन्दर बन्द हुए थे, हमें नरमा कपास

(श्री बलवान पूनियां)

बेचने के लिए वहां जाना पड़ता था। अब दो सी.सी.आई. के खरीद के मंजूर हुए। सरकारी दाम से ऊपर 200 रुपये नरमे का भाव रहता है। वहां पर सी.सी.आई. खरीद करती है, तो उसकी वजह से कॉम्पीटिशन हो गया। 10 सी.सी.आई. की खरीद के अन्दर मंजूर क्यों नहीं कर देते, जिससे रूई की फैक्टरी विकसित होगी। माननीय सभापति महोदय, रूई की फैक्टरी विकसित हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मोरबी से सारी टाइल्स आती हैं। पूरे पंजाब में सप्लाई मेरी भादरा कर रही है। यहां से सारे का सारा कच्चा मैटेरियल राजस्थान से जाता है और मोरबी से टाइल्स बनकर आती है हमारे यहां और यहां से पूरे पंजाब में जाती है, हरियाणा में। देखते-देखते पांच-सात साल में टाइल्स का बाजार विकसित हो गया। सरकार का कोई रोल नहीं है। लोगों के आइडियाज थे, वह लाए।

माननीय सभापति महोदय, मैंने तीन साल पहले मांग की कि रीको का क्षेत्र घोषित करो। भादरा में रीको एरिया पैदा करो। उत्तर आया कि गुणावगुण के अवलोकन पर करेंगे। अभी तक वहां पर रीको स्थापित नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, इतनी बड़ी फौज बेरोजगारों की तैयार हो रही है, जिसको लोगों ने और ही काम पर लगा रखा है। मंत्री महोदय, उनको हाथ से काम दो ताकि वह अंगुली से काम नहीं करते रहें और अंगुली से काम कर रहे हैं तो वह उल्टे-पुल्टे ही कर रहे हैं। सही बता रहा हूं आपको। पता नहीं वह यूनिवर्सिटी में क्या-क्या पढ़ रहे हैं? दो हाथों को रोजगार दो। डायकिन, जापानी जोन पैदा हुआ। डायकिन में मजदूरों ने अपने अधिकारों को लेकर हड़ताल की। मजदूरों को पीटा उनके बाक्सरों ने, मुकदमा दर्ज हुआ और वह मुकदमा वापस नहीं हुआ। यूनियन का झण्डा नहीं लगा सकते। ऐसे निवेश, अभी बलजीत जी जो बात बोल रहे थे, इनके क्षेत्र में, नीमराणा क्षेत्र में डायकिन, मैं वहां पर गया, मजदूरों को बाक्सरों ने पीटा। एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी। मैं मुकदमा वापस करने की मांग करता हूं। उन मजदूरों का कोई कसूर नहीं था। उनका एक ही कसूर था कि ड्यूटी के घंटे तय करो। असेम्बली में बम मजदूर विरोधी कानून आया, तब भगतसिंह और उसके साथियों ने फेंका था। जिस भगतसिंह को हम, लीजेंड आफ भगत सिंह, सारे शहीदों का सरदार समझते हैं, उसने मजदूर विरोधी बिल, जब अंग्रेजी हुकूमत लेकर आयी तो असेम्बली में बम फेंका था। धमाका इसलिए किया था कि उन तक बात

(श्री बलवान पूनियां)

जाए। आज डायकिन जोन में, आज जापानी जोन में और कोरियाई जोन में हिन्दुस्तान का किसी भी, यह नहीं सीटू, कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित यूनियन फ्लैग नहीं लगा सकती, न इंटक लगा सकती, न इनकी बी.एम.एस. लगा सकती। ऐसे कौनसे मजदूर कानून में संशोधन हो गये?

माननीय सभापति महोदय, उद्योग चलाने के साथ-साथ, निवेशक के साथ-साथ हर उद्योग को कामयाब करने के लिए लेबर की भी जरूरत होती है। अब निवेशक का ध्यान रखें। निवेशक को सही स्थिति नहीं मिलेगी तो वह नहीं आएगा। लेकिन उसको मजदूर उपलब्ध नहीं होंगे तो काम भी वह कैसे कर पाएगा?

श्री सभापति: कृपया कंक्लूड करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आज हर कोई हिसाब से जीना चाहता है। आज हर कोई नौजवान, जो थोड़ा बहुत पढ़ा-लिखा है, वह आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले वाले मजदूर की तरह नहीं जीना चाहता। थोड़ा-सा लेवल मेंटेन रखना चाहता है, इसलिए उसकी मांग होती है, वह मांग पूरी करने का अधिकार रखता है, क्योंकि उसका कांस्टीट्यूशनल राइट है, उसे संवैधानिक अधिकार है। इसलिए सदन से मेरी पुरजोर मांग है कि डायकिन में करे हुए लाठीचार्ज की तो जांच हो और उन मजदूरों पर लगे हुए मुकदमे वापस हों।

माननीय सभापति महोदय, एक लास्ट बात के साथ मैं मेरी बात पूरी करूंगा। एशिया की सबसे बड़ी चने की मंडी थी नोहर। न चना विकसित, पूरे इलाके में जो चना पैदा होता वह नोहर की मंडी में आता था। वहां पर दाल की मिलें लगीं। आज चैक करवाओ, क्या स्थिति है? चने का उत्पादन बढ़ा है, घटा नहीं है। साहवा लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में, पूरे इलाके में जहां फव्वारे से खेती शुरू हुई, चने का उत्पादन बढ़ा। चने की मिलें नोहर में, भादरा में, सरदारशहर में, तारानगर में नहीं लगीं। तारानगर का बहुत बड़ा बैल्ट चने के रूप में विकसित हुआ। हमारे यहां ग्वार पैदा होता है पूरे इलाके में। बी.डी. अग्रवाल साहब ने ग्वार को लेकर माहौल पैदा किया। उन्होंने गंगानगर में ग्वार-गम की मिल खोली थी, वह दिवंगत हो गए, मिल बन्द हो गयी। मिल में बैठे मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, 20 दिन पहले मजदूर धरने पर बैठे थे, उनको जूते मारकर बाहर निकाल दिया। उनके पुराने बकाया नहीं दे रहे और मिल का सामान एक-एक करके बाहर जा रहा है, सिवानी

(श्री बलवान पूनियां)

शिफ्ट हो रहा है। पता नहीं कहां शिफ्ट हो रहा है? हमारे से ज्यादा वीरानी है सिवानी। हमारे से पास लगती है, आपके भी नजदीक लगती है। वहां हरियाणा में मिल शिफ्ट हो रही है। हमारे यहां से मिल बन्द हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्री से कहना चाहता हूं कि इससे लोगों का रोजगार भी छिन रहा है, लोगों का भरोसा भी टूट रहा है और हमारी मंडियां भी बरबाद हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी और जनता की इन बातों पर आप ध्यान करेंगे और उद्योग को विकसित करने का काम करेंगे और गोगामेड़ी से सम्बन्धित जो मैंने मांग की है, उन सारी मांगों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग एवं मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, उसका मैं हृदय के अन्तर्मन से आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चाहे वह वर्ष 2019-20 का बजट हो, चाहे 2020-21 का बजट हो, चाहे 2021-22 का बजट हो और अब हाल ही में 2022-23 का बजट, जो आपने इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया है, बजट की घोषणा की है, उसमें हर बजट के अन्दर राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले पर उपखण्ड स्तर पर नये औद्योगिक क्षेत्र खोलने की माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गयी है। यदि मैं अलवर जिले की बात करूं तो अलवर जिले में पहले से ही बहरोड़ हो, नीमराणा हो, गिलोट हो, भिवाड़ी हो, चौपानकी हो, खुशखेड़ा हो, राजगज हो, अलवर शहर का मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र हो और जो नये हमारे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे, जिन पर काम चल रहा है, वह माननीय उद्योग मंत्रीजी का खुद का स्वयं का क्षेत्र हो, बानसूर हो, रामगढ़ हो, मालाखेड़ा हो, रैणी हो और इस बजट में आपने नई घोषणा की कैरवा, जो कोटकासिम क्षेत्र में आता है, उद्योग लगें, विकास हो, अच्छी बात है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, उद्योग के साथ जब किसान की जमीन ली जाती है और अभी जो पीड़ा बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यक्त की, और लगभग-लगभग मेरी इस बात से सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य सहमत होंगे कि उद्योग लगने चाहिए, विकास होना

(श्री संजय शर्मा)

चाहिए, लेकिन जब किसान की जमीन ली जाती है और उद्योग के प्रदूषण का गन्दा पानी निकलता है तो उसके आस-पास की जो जमीन है, वह भी खेती लायक नहीं रहती और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब पैदा होती है, माननीय सभापति महोदय, जब उस उद्योग में उस किसान के बेटे को स्थानीय युवा बेरोजगार को रोजगार के नाम पर धक्के मिलते हैं और वह उद्योग के अन्दर घुस भी नहीं पाता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि हरियाणा में जिस प्रकार से, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों में स्थानीय को रोजगार मिले, उसके लिए जो 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की है, तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात करें और चूंकि आप स्वयं अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं। पूरे राजस्थान का भार आपके ऊपर है। राजस्थान आपको देखना है लेकिन अलवर जिले का बेरोजगार युवक विशेष रूप से आपकी तरफ आशाओं भरी निगाहों से देख रहा है। माननीय मंत्री महोदय, वह बेरोजगार युवक उस उद्योग में रोजगार चाहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस बेरोजगार युवक की परेशानी को आप समझेंगी।

माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र में उद्योग तो लग जाता है लेकिन सीएसआर फंड का उपयोग कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि चाहे वह उद्योग बड़ा हो, चाहे छोटा हो, सीएसआर फंड का जो उपयोग है, वह उसी जगह हो जहां वह उद्योग लगा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि वैसे तो आप अलवर शहर की बेटी हैं। अलवर जिले की बेटी हैं। अलवर जिले की बहन हैं। आप अलवर जिले के बारे में सब कुछ जानती हैं। मैं अलवर शहर से चुनकर आता हूं। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र किसी जमाने में राजस्थान का नम्बर एक का औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था लेकिन पहले कनेक्टिविटी का अभाव, फिर रेल से हमारा जुड़ाव हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली-मुम्बई जो एक्सप्रेस हाई-वे है, वह हमारे मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के बिलकुल नजदीक से निकलकर जा रहा है। सौभाग्य की बात है कि शीतल से ही वाहन चढ़ेंगे भी और वाहन उतरेंगे भी। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मीणापुरा गांव होते हुए यदि उस

(श्री संजय शर्मा)

हाई-वे से मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ेंगे तो हमारे उद्योगपतियों को भी फायदा होगा।

उसके साथ-साथ मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि अलवर में प्राकृतिक सम्पदा का अकूत भण्डार है। अलवर जिला खनिज मार्बल उद्योग के रूप में जाना जाता है। लगभग 152 माइनिंग लीज अलवर जिले में स्वीकृत थीं लेकिन सरिस्का बाघ अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन का निर्धारण नहीं होने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा कंसेंट टू आपरेट का नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण लगभग 124 खानें अभी तक बन्द हो चुकी हैं। आगामी जुलाई माह तक शेष बची खानों का भी बन्द होना निश्चित-सा लग रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अलवर जिले में खनिज आधारित उद्योग मूर्ति निर्माता, वाल पुट्टी, डिटर्जेंट उत्पादन के लगभग 01 हजार उद्योग संचालित हैं, जिनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति केवल इन्हीं माइनिंग लीजों की ओर से की जाती है। खानें बन्द होने के कारण इन उद्योगों के समक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि सरिस्का बाघ अभयारण्य के बाहर बनाये जाने वाले ईको सेंसेटिव जोन के फाइनल नोटिफिकेशन के लिए लम्बित प्रक्रिया को वन विभाग के माध्यम से जल्द से जल्द पूर्ण कराकर भारत सरकार से अन्तिम अधिसूचना जारी करवाने की कृपा करें ताकि उपरोक्त स्थानों पर कन्सेंट टू आपरेट जारी की जा सके।

श्री सभापति: कृपया 2 मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, अलवर एनसीआर जोन में आता है लेकिन एनसीआर के कारण हमें अलवर जिले में कोई फायदा नहीं हुआ। एनसीआर के कारण अलवर जिले के रहने वाले आम जन को पेट्रोल, डीजल भी महंगा मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में आप अलवर जिले के उद्योगपतियों और अलवर जिले की जो आम राय है, उसको पुरजोर तरीके से उठायें। अलवर के औद्योगिक क्षेत्र और अलवर को एनसीआर से बाहर करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से अलवर के उद्योगपतियों और आम जन को फायदा मिलेगा।

(श्री संजय शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, अलवर में प्रदूषण दिल्ली के मुकाबले बहुत कम है। यह एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो आंकड़ा है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अलवर के मुकाबले दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, "Weather Online data shows that only 5 per cent of wind from South-East direction (Matsya Industrial area, Alwar, Rajasthan) travels towards Safdarganj Airport, here which hardly affect any change in the Delhi Air Quality Index." यह बात आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने के लिये जहां एक और दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार बड़े से बड़ा वकील करके एयर कमीशन के सामने उनकी बात रखती है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी वकील वहां खड़ा नहीं होता जो हमारे उद्योगपतियों की रक्षा कर सके। मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में यदि इस प्रकार की कोई बात आये तो हमारी तरफ से भी कोई बड़ा वकील खड़ा हो जो उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करे।

मैं एक बार पुन: आपसे मांग करूंगा कि अलवर को एनसीआर से मुक्त करके बहुत बड़ी राहत देने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा देवस्थान विभाग से एक मामला है। अलवर शहर स्थित धोबी गट्टा क्षेत्र में दाई की गुमटी के पास बहुत प्राचीन शिव मन्दिर है। हनुमान जी महाराज का मन्दिर है लेकिन सेना ने वहां बाड़बन्दी करके, तारबन्दी करके उस मन्दिर में आम जन का, श्रद्धालुओं का प्रवेश बन्द कर दिया है। उस कारण न तो वहां शिवरात्रि पर पूजा हो सकी और लगभग 20 दिन से हमारे श्रद्धालु गण धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह सेना के अधिकारियों से बात करके मन्दिर का रास्ता खुलवाने का आदेश जारी करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया। श्रीमती रमीला खड़िया। (अनुपस्थित)। श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्री सुरेश टाक)

सभापति महोदय, मैं मार्बल नगरी किशनगढ़ से आता हूं जो विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मण्डी है। अब वह मार्बल और ग्रेनाइट की मण्डी है। धीरे-धीरे टैक्सटाइल की मण्डी भी बनने जा रही है। वहां 2 टैक्सटाइल पार्क हैं।

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी का ध्येय है कि राजस्थान में उद्योगों का विस्तार हो, उद्यमियों की, व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण हो। उसी क्रम में कुछ सुझाव हैं, कुछ बातें हैं मेरी किशनगढ़ मार्बल मण्डी को लेकर, टैक्सटाइल पार्क को लेकर, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री महोदय चली गयीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो भी लिख रहे हैं, उनका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि विशेष तौर पर लिखें कि किशनगढ़ विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मण्डी है। वहां कम से कम 5 हजार ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने मार्बल और ग्रेनाइट की इंडस्ट्रियां लगा रखी हैं। सरकार को रेवेन्यू देने के साथ-साथ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उनको छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जूझना पड़ता है।

मैं सबसे पहले किशनगढ से शुरुआत करुंगा कि रीको का जो कार्यालय है, वह उप इकाई बना हुआ है जबकि उसके अंडर में किशनगढ़ के 6 चरण हो चुके हैं। 5 चरण कट गये, छठा चरण अभी कटा है। 6 चरणों में कम से कम 4 हजार बीघा जमीन है जहां पर 100 परसेंट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट हो चुका है। इसके बाद रूपनगढ़ के 2, फर्स्ट और सैकण्ड फेज हैं। सिलोरा का फर्स्ट और सैकण्ड फेज है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में 2 नये रीको इंडस्ट्रियल एरिये रघुनाथपुरा अरांई और खोड़ा गणेश बनाये हैं, जिनका डवलपमेंट हो चुका है। ऐसा करके 5 बड़े रीको इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिनमें बहुत बड़ा कारोबार है। छोटे-छोटे कामों के लिये भी इन उद्यमियों को अजमेर जाना पड़ता है। यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं पिछले बजट में भी इस बात का आग्रह कर चुका हूं और उसके बाद 2 इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ गये हैं। अब तो वहां यह नितान्त आवश्यक है कि वहां पर इकाई कार्यालय खुल जाये ताकि उद्यमी अजमेर के चक्कर नहीं लगायें। इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिये में यदि इकाई कार्यालय नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि हम अभी भी उद्योग और उद्यमियों की समस्याओं के प्रति सजग नहीं हैं। सभी अधिकारी यहां बैठे हैं। मैं विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि किशनगढ़ में इकाई कार्यालय स्थापित हो ताकि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान हो सके।

(श्री सुरेश टाक)

साथ ही मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अभी एमनेस्टी स्कीम 2022 लागू की। अभी उद्योग विभाग द्वारा उसको जमीन पर नहीं उतारा गया है। मैं यह चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी की घोषणा जमीन पर उतरे। शीघ्र ही यह जितनी भी स्कीम्स हैं, आपने धारण शुल्क, आरसी पर 3 साल के बाद का ब्याज माफ किया है। रैन वाटर हार्वेस्टिंग में जो 31 मार्च, 2021 तक की डेट थी, उसको बढ़ाकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने ड्यू टू कोरोना इस उद्योग पर बहुत बड़ी तकलीफ आयी थी, लोगों ने रैन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाये, अब उन पर जो पेनल्टी लगनी है, उसकी माफी की घोषणा भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर दी है। उसकी समय सीमा बढ़ा दी है। उसको भी लागू किया जाये।

लैंड ट्रांसफर का जो चार्ज था, उसका ब्याज भी माफ कर दिया है। सर्विस चार्ज और आर्थिक किराया जो इकोनोमिक रेंट है, उस पर भी ब्याज की 100 परसेंट छूट कर दी गयी है। मैं यह चाहूंगा कि यह जो स्कीम्स माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की हैं, इनको लागू करें और उद्यमियों को इस बात का फायदा मिले।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है, सिलोरा पंचायत, किशनगढ़ पंचायत समिति का एक गांव है काचरिया, वहां टैक्सटाइल पार्क के लिए 145 बीघा जमीन आरक्षित करने की प्लानिंग अभी रीको कर रहा है। मेरे पास पूरा गांव इकट्ठा होकर आया था। मैंने तुरन्त माननीय मंत्री महोदया और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को चिट्ठी लिख दी थी, शायद आपके पास आ गयी होगी क्योंकि उसका मेरे पास जवाब आ गया। मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, उद्योगों का विस्तार भी होना चाहिए लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चरागाह उद्योग में तब्दील हो जाये और हमारे गांवों के पशुओं को चराने के लिए जगह नहीं मिले, इसलिए बीच का रास्ता निकले और वहां पर एक कमेटी बनायी जाये, उस कमेटी में मुझे भी शामिल करें ताकि मैं गांव की तरफ से पक्ष रख सकूं, उद्यमियों की तरफ से पक्ष रख सकूं और बीच का एक रास्ता निकले, टैक्सटाइल पार्क भी बने और चरागाह भी बच जाये। ऐसा कोई रास्ता निकालें। जिससे हमारे क्षेत्र का औद्योगिक विस्तार भी हो, सरकार की जो सोच है उसके अनुरूप काम हो। जब तक दोनों पक्षों का विश्वास नहीं होगा तब तक ये स्कीम आगे नहीं

(श्री सुरेश टाक)

बढ़ेगी। उद्योग विस्तार होना भी जरूरी है और हमारा चरागाह बचना भी जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाह रहा हूं कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया काट रहा है, हर इंडस्ट्रियल एरिया में करोड़ों रुपये लगाकर डवलपमेंट कर रहा है। परन्तु अभी तक, मैं पिछले बजट में भी बोला हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं और इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क कट रहे हैं, जितने भी काटने वाले आ रहे हैं, जो लैंडलोर्ड हैं या जो भी यह काम करने वाले लोग हैं, जमीन खरीदते हैं, एक बड़ी प्लानिंग करते हैं, लोगों को कागजों में सपने दिखाते हैं, यह सड़क बना देंगे, यहां सीवरेज लगा देंगे, यहां नालियां बन जायेंगी, यहां स्ट्रीट लाइट लग जायेगी और जमीन औने-पौने दामों में बिक जाती है। सारी जमीन बिकने के बाद इंडस्ट्रियल पार्क वाला वहां से नदारद हो जाता है और वो उद्यमी ठगा-सा महसूस करता है। वहां सड़क कौन बनायेगा, न वहां रीको बनायेगा और न वहां पर व्यावसायिक संगठन बनायेगा। आज भी बहुत सारे हजारों बीघा के इंडस्ट्रियल पार्क किशनगढ़ में हैं, जहां पर कानून नहीं बनने की वजह से इस तरह के प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने वाले कालोनियां काट जाते हैं, इंडस्ट्रियां वहां लग जाती हैं और वहां सुविधाओं का अभाव रहता है। ईवन बिजली की आपूर्ति के लिए जीएसएस के लिए भी जगह आरक्षित नहीं है। जीएसएस नहीं लगेगा तो उस पार्क को बिजली कहां से मिलेगी? जब रीको काट रहा है तो आप जीएसएस के लिए भी जमीन आरक्षित करते हैं, आप पार्क के लिए भी जमीन आरक्षित करते हैं, आप सड़कें भी बनाते हैं, आप स्ट्रीट लाइट भी लगाते हैं, आप सारी सुविधाएं डवलप करते हैं तो प्राइवेट क्यों नहीं करते? जब वो इनकम कर रहा है वहां से तो उसके लिए भी यह मेंडेटरी होना चाहिए और कानून में इन सब चीजों का प्रावधान कराया जाये कि कोई भी इंडस्ट्रियल पार्क काटे तो वो सबसे पहले सुविधाएं उपलब्ध कराये वहां पर और जीएसएस के लिए जगह आरक्षित करे, उसके बाद ही वो प्लाट बेच पाये अन्यथा उसका कन्वर्जन रोक दिया जाये ताकि ये जो परेशानियां बाद में सरकार के सामने खड़ी होती हैं वो खड़ी होने से कम से कम बच जायें। इस पर विशेष ध्यान दिया जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया दो मिनट में समाप्त कर लें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे 15 मिनट आरक्षित किये गये हैं।

(श्री सुरेश टाक)

माननीय सभापति महोदय, किशनगढ़ विश्व की सबसे बड़ी मार्बल की मण्डी है। मेरे दो-तीन पोइंट और हैं, मुझे थोड़ा विस्तार से बोलने दिया जाये ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।

माननीय सभापति महोदय, आज उद्योग का मकसद है, औद्योगिक क्षेत्र के विकास की बात करना, अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो समस्या यहां तक नहीं पहुंचेगी।

माननीय सभापति महोदय, अभी मन्दिर माफी जमीन की बात हो रही थी। किशनगढ़ में भी एक बड़ा प्रकरण है। 95 बीघा जमीन मन्दिर माफी की है जो चारों तरफ से रीको इंडस्ट्रियल एरिया से घिरी हुई है। पूरी चारों तरफ उस जमीन के इंडस्ट्रियल एरिया लग गया। पुराने टाइम में, आज के चालीस साल पहले, तीस साल पहले जो पुजारी थे, उन पुजारियों ने वो जमीन इंडस्ट्रियल विस्तार को देखते हुए उद्यमियों को लीज पर दे दी, लोगों ने उस लीज के भरोसे वहां पर इंडस्ट्रियां लगा लीं, होटलें बन गयीं, बहुत सारे शोरूम बन गये, बहुत सारी दुकानें वहां बन गयीं और हजारों लोग व्यापार कर रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और करोड़ों रुपयों का इंवेस्टमेंट हो गया। पिछली सरकार के समय इस बात को मैंने रखा था, तब इस पर काम भी हुआ। एके पाठक साहब जब सीएमओ में थे तब इस पर डिटेलिंग हुई थी और ये एक अमेंडमेंट करने का प्रयास किया गया था कि मन्दिर माफी की जमीन जिस तरह से रूरल में एक पालिसी बनी हुई है मन्दिर माफी की जमीन के लिए, उसी तरह की पालिसी अरबन के लिए भी बने ताकि ये जो मन्दिर माफी की जमीनें हैं, जो शहर के बीच में आ गयी हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज लग गयी हैं, लीज पर चली गयी हैं, ऐसी जमीनों का कोई न कोई ऐसा रास्ता सरकार निकाले जिससे करोड़ों रुपयों का इंवेस्टमेंट बने और लाखों लोग बेरोजगार होने से बचें।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जमीन है, ये किशनगढ़ में एंट्री के साथ ही है। जैसे ही मार्बल एरिया, ग्रेनाइट एरिया स्टार्ट होता है, ये जमीन वहीं स्थापित है, एनएच 8 जो बाईपास गुजर रहा है, उस एनएच-8 पर ये पूरी जमीन है। करोड़ों रुपये की जमीन है, सरकार को रेवेन्यू लोस हो रहा है, पर पालिसी के अभाव में व्यापारी परेशान हो रहा है, मजदूर परेशान हो रहा है और कोर्ट की तलवार लटकी हुई है। अभी लगातार चार बार से प्रशासन जा रहा है और इतना नुकसान हो गया है, इतनी तोड़-

(श्री सुरेश टाक)

फोड़ हो गयी है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रशासन की भी मजबूरी है कि कोर्ट का लिटिगेशन है, कोर्ट के आर्डर की कम्प्लायंस करनी पड़ेगी। उस कम्प्लायंस के लिए वो वहां पर अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। मेरा सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से माननीय मंत्री महोदया से आग्रह है कि इस पर विशेष ध्यान दें। अरबन की पालिसी बने देवस्थान की, मन्दिर माफी की जो जमीनें हैं, जिस तरह रूरल की पालिसी बनी है उसी तरह से बने। चाहे तो ये जमीन रीको को दे दी जाये, उनको लैंड फोर लैंड अलग से जितनी लैंड है उतनी अलग दे दी जाये, यहां करोड़ों रुपये की आय होनी है और यह डवलपमेंट टूटेगा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ रूपनगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग विभाग ने जमीन दी थी, बड़ी समस्या आयी 2009 में, उस समय तत्कालीन एसीएस महोदय रुक्मणी हल्दियाजी द्वारा आदेश भी कर दिये गये थे कि रूपनगढ़ के प्रथम और द्वितीय चरण को जिला उद्योग केन्द्र से रीको को स्थानान्तरित कर दिया जाये। माननीय मंत्री महोदया अजमेर पधारी थीं अभी मंत्री बनते ही, तब भी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने आकर इस समस्या से अवगत कराया था और आज मैं फिर इस हाउस में इस बात को रख रहा हूं कि रूपनगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया जो अभी जिला उद्योग केन्द्र के तहत है, वहां पर कोई डवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहां पर लोनिंग की दिक्कत आ रही है, ऋण नहीं मिल रहा है और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो इसको उद्योग विभाग से रीको में ट्रांसफर करने की कार्यवाही की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं उम्मीद करूंगा, आज इस पवित्र मन्दिर में रूपनगढ़ के उद्यमियों की बात को इस बात को रख रहा हूं। माननीय मंत्री महोदया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, माननीय मंत्री महोदया।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदया सुन रही हैं, आप समाप्त कीजिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय मंत्री महोदया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि आपको वहां पर प्रजेंटेशन भी दिया गया था। आप इस पर विशेष ध्यान दें कि रूपनगढ़ के प्रथम और द्वितीय चरण हैं, ये जिला उद्योग केन्द्र से रीको में ट्रांसफर हो जायें ताकि वहां के उद्यमी जिन्होंने वहां पर उद्यम लगा रखे हैं, उनको ऋण मिले, उस एरिये का

(श्री सुरेश टाक)

डवलपमेंट हो। रीको और भी आ जायेगा, रीको का और भी विस्तार यदि आप करना चाहेंगे तो वहां पर बहुत सारी जगह है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहकर अपनी बात को विराम देना चाहता हूं।

किशनगढ़ नगर परिषद् द्वारा 120 बीघा जमीन पर नया रीको द्वारा एक नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अभी भी रीको में छठे चरण में 200 प्लाट बिकना बाकी है, विभाग के पास ये रिकार्ड उपलब्ध होगा। मैं दस साल उस मार्बल एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूं। जो डवलपमेंट मेरे टाइम पर मैंने किया है, मुझे एक-एक चीज का पता है, वहां पर अभी विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अब वहां पर आक्सीजन की जरूरत है। इतना बड़ा एरिया कर दिया है वहां छह चरण रीको ने काट दिये हैं, हजारों बीघा जमीन प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क वालों ने काट दी है, उसके बाद वहां पर आक्सीजन ही खतम हो गया है। वहां के जानवरों को बैठने के लिए ही जगह नहीं है। मैंने वहां पर 50 हजार पेड़ लगाये, वो भी कम पड़ रहे हैं। जहां पर ये जमीन है वहां पर डम्पिंग यार्ड बना हुआ है वहां ये जमीन काटना चाह रहे हैं। मेरा आग्रह है, माननीय मंत्री महोदया, कि इसमें से आधी जमीन तो कम से कम बायोलोजिकल पार्क के लिए आरक्षित की जाये और वहां पर एक बायोलोजिकल पार्क बनाया जाये जिससे वहां पर आक्सीजन मिले और हम वहां पर आराम की सांस ले सकें। सरकार और आप सब मिलकर सिलिकोसिस बीमारी के उपचार में लगे हुए हैं। वो रोग बढ़े नहीं, यह रोग तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हम हरित क्रान्ति नहीं लायेंगे और हरित क्रान्ति तभी आ पायेगी जब हम ये पार्क डवलप करेंगे। यहां ये बायोलाजिकल पार्क बनेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर फोकस करके इस समस्या का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे।

श्री सभापति: थैंक यू, कृपया आप समाप्त करिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): लास्ट वन मिनट, सर। माननीय सभापति महोदय, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के सन्दर्भ में एक छोटी-सी बात कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने औद्योगिक इकाइयों का विस्तार और रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ रुपये तक के ऋण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोरोना के बाद में 31 मार्च, 2021 से पहले के तो मंजूर कर लिये लेकिन अप्रैल, 2021 माह से जिला उद्योग केन्द्र अजमेर ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया है, इसके पीछे क्या

(श्री सुरेश टाक)

कारण है? माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा को अधिकारी नहीं मानेंगे तो इस योजना का क्या होगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, इससे उद्योगों में निराशा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें और इन सब चीजों के बारे में मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन पर फोकस करेंगे और मेरे उद्यमियों को आप राहत प्रदान करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि सात बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे तो काफी लोग बोलने वाले रह गये हैं। मुख्य-मुख्य बातें अपनी जरूर कहिये, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सात बजे माननीय कटारिया साहब बोलेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीच में आपको कन्क्लूड करने के लिए कहूंगा, आप सहयोग कीजिये प्लीज। श्री मंजीत।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति निवेशकों द्वारा वहां स्थापित किये गये उद्योगों से ही बदलती है। निवेश वहीं होता है, जहां पर विकास की सम्भावनाएं होती हैं। निवेशकों को हम पर विश्वास होना चाहिये कि उनके द्वारा लगायी गयी एक-एक पाई सुरक्षित है, तभी निवेशक राजस्थान की धरा से जुड़ेंगे। इसके लिये हमें उन्हें बेहतर माहौल देना होगा। अगर बात करें राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तो उसके कार्ड पर खुद मुख्य मंत्री जी का नाम न होना बेहद आश्चर्यजनक है। और तो और मुख्य मंत्री जी के सलाहकार सवाई माधोपुर के माननीय सदस्य ने भी यह मामला उठाया। यह बात मेरे हिसाब से बिलकुल ठीक है कि मुख्य मंत्री जी और जन प्रतिनिधियों को नजरअन्दाज करके इन्वेस्टमेंट समिट सफल नहीं हो पायेगा। क्या इस तरह से हम राजस्थान में इन्वेस्टमेंट ला पायेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि शुरुआती टकराव के बाद हालात बदले होंगे और राजस्थान में निवेशकों को रिझाने में हम कामयाब होंगे। आज जरूरत है आपसी समन्वय की। इसके लिये नौकरशाहों को लालफीताशाही वाले रवैये को छोड़कर निवेशकों के लिये पलक-पांवड़े बिछाने होंगे। आपने मुझे मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 11-देवस्थान पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, निवेशक चाहता है कि सरकारी कार्यालय में काम के लिये समय बरबाद न करना पड़े। आज राजस्थान की स्थिति इससे बिलकुल विपरीत है। यहां पर निर्णय लेने की गति अत्यन्त धीमी है। बात करें भूमि आबंटन से लेकर भूमि रूपान्तरण तक की तो प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है। इस प्रक्रिया को एकल खिड़की योजना कुछ बदल सकती थी, पर उसकी भूमिका केवल मात्र एक सामान्य पोस्ट आफिस के रूप में बनकर रह गयी है। उद्यमियों को काम कराने के लिये खुद ही सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे वे हतोत्साहित होते हैं। निवेश बढ़ाने के लिये हमें बिजली, पानी, जमीन, आधारभूत ढांचा और कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता अति आवश्यक होती है। नहीं तो सरकार उद्यमियों के साथ एमओयू करती रहेगी, वाहवाही लूटती रहेगी, लेकिन पांच से दस प्रतिशत से अधिक एमओयू धरातल पर नहीं आ पायेंगे। अत: आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, Ease of doing business and single window system पर सरकार को इन्वेस्टमेंट समिट-2022 से पहले काम कर लेना चाहिये, नहीं तो आने वाला समिट केवल कागजों में रह जायेगा, धरातल पर कुछ नहीं आ पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक ओर एनसीआर में राजस्थान का हिस्सा 13446 वर्ग किलोमीटर से घटकर 6777 वर्ग किलोमीटर होने जा रहा है तो दूसरी ओर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले नीमराणा, शाहजहांपुर, गिलोट, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया से कम्पनियां पलायन कर रही हैं। इसका मुख्य कारण है केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के आदेशों की पालना नहीं करना। दरअसल, उद्योगों को प्रदूषण के लिहाज से चार श्रेणियों में बांटा गया, जिनमें रेड, ओरेंज, ग्रीन और व्हाइट श्रेणियां रखी गयीं।

इस मण्डल ने एक आदेश जारी कर प्रदूषण की श्रेणी के लिये अपने पैमाने निर्धारित किये और सभी राज्यों को इसकी पालना के लिये कहा ताकि पूरे देश में प्रदूषण का पैमाना एक समान हो। इसके बाद हमारे पड़ोसी राज्य, जैसे- हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात ने इन श्रेणियों का अनुसरण किया, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया और अपने अलग से आदेश जारी कर दिये, जिसकी वजह से केवल बात करूं मेरे लगते हुए औद्योगिक क्षेत्र की तो पिछले तीन साल में 22 से अधिक बड़ी कम्पनियां वहां से पलायन कर दूसरे राज्यों में चली गयीं।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व में बोलने वाले अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी बात रखी। माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा तो करते हैं कि हर उप-खण्ड स्तर पर औद्योगिक इकाइयां खोली जायेंगी, लेकिन आज धरातल पर वहां काम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर उप-खण्ड पर एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। बात करूं, रायपुर और रानोठ गांव पड़ते हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, वहां पर सैकड़ों भूमि चरागाह उपलब्ध हैं और वह क्षेत्र उस नेशनल हाईवे पर पड़ता है, जो कि भारतमाला के दो प्रोजेक्ट हैं- दिल्ली और बाम्बे और पनियाला मोड़ से लेकर चंडीगढ़ तक दो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उन्हें जोड़ने के लिये केन्द्र सरकार ने एक हाईवे प्रस्तावित किया है। ये दोनों गांव उसी हाईवे पर पड़ते हैं।

आपसे आग्रह है, जब आप आज रिप्लाई करें तो माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछकर मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर उप-खण्ड पर इन गांवों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का आप काम करें, जिससे कि आने वाले समय में वहां पर लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): साहब, दस मिनट तो हो जाने दें, अभी तो तीन मिनट भी नहीं हुए। माननीय सभापति महोदय, आज बात करें प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की तो हर दूसरा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने यह बात रखी। मैं भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पड़ोस के राज्यों की तर्ज पर हमारे प्रदेश में भी जो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं, जैसे कि मान लें, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर, नीमराणा, शाहजहांपुर, गिलोट के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं तो वहां पर प्राथमिकता के आधार पर वहीं के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिये, जिससे आने वाले समय में प्रदेश में खुशहाली आ सके और जो क्राइम प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, उस पर भी कहीं न कहीं अंकुश लग सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कृषि भूमि पर बहुतसी औद्योगिक गतिविधियां चालू हैं। मैं बात करूं नीमराणा जैपनीज जोन से लगते हुए एक क्षेत्र की तो वहां टोरेंट गैस नाम से एक कम्पनी है, जिसने अपने स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का प्लांट लगा रखा है। वह

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

प्लांट बिलकुल ही रिहायशी क्षेत्र से लगता हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गैस कितनी ज्वलनशील रहती है। अगर आने वाले समय में कोई हादसा हो गया तो जवाबदेही किसकी होगी? मेरे बार-बार आगाह करने और निवेदन करने के बाद जो भी स्थानीय प्रशासन वहां पर है, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की।

साथ ही, कुछ कम्पनियां हैं- नीमराणा, शाहजहांपुर, गिलोट और बहरोड़ में स्थापित, जो जल का अत्यधिक दोहन करती हैं। जैसा कि बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया, उनकी वजह से हमारे क्षेत्र में जल स्तर दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है और आज 1500 फीट बोर करने के बाद भी वहां पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं यहां पर दो कम्पनियों का नाम लेना चाहूंगा। शाहजहांपुर में किंगफिशर बीयर की फैक्ट्री है, जिसमें अवैध रूप से सैकड़ों बोर चालू हैं। इसी तरह से कारोड़ा में पेर्नो रिकार्ड नाम से एक कम्पनी है, जो दारू बनाती है, उसमें भी सैकड़ों बोर करके अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इन दोनों कम्पनियों को विशेष तौर से आप चेक कराएं। अगर ये कहीं गलत हैं तो आप इन पर कार्रवाई करें। आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी कम्पनियां, जो जल का अत्यधिक दोहन करती हैं, उन्हें वहां पर बन्द किया जाये, क्योंकि यह क्षेत्र डार्क जोन में आ चुका है। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र नीमराणा की बहुत सारी कम्पनीज हैं, जो पोल्यूशन बहुत अधिक फैलाती हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इनकी भी जांच करवाकर इन पर उचित कार्रवाई की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के करीब 45 गांव पहले यूआईटी में लगते थे, उन्हें यूआईटी से हटाकर बीडा करा गया। बीडा से हटाकर 42 गांवों को केबीएनआईआर में और 2019 में केबीएनआईआर की स्थापना के बाद आज तक एक भी रुपये का काम नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, केबीएनआईआर के अधीन जो गांव आते हैं, उनमें विकास कार्य करवाये जाएं। गिलोट इंडस्ट्रियल एरिया न तो केबीएनआईआर में आता था और न ही बीडा में आता था। इसे बीडा से जोड़ा जाये, जिससे वहां पर और अधिक विकास हो सके।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा,

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

मास्टर प्लान शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड़ जो बना है, उसके लिये सड़कें विकसित की जाएं। ये क्षेत्र एनसीआर के बहुत नजदीक लगते हैं, तो आने वाले समय में बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियां वहां पूरी हो पायेंगी।

माननीय सभापति महोदय, एक विशेष मुद्दा है। पांच गांव की जमीन पहले डीएमआईसी में एक्वायर की गयी। उसे फिर रीको के अधीन दे दिया गया और फिर वापस डीएमआईसी के पास भेज दिया गया, लेकिन आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करवाकर उन किसानों को मुआवजा दिलवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, सीएसआर का मुद्दा सभी जन प्रतिनिधियों ने उठाया। मैं भी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन बड़े औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, पर एक भी फैक्टरी वहां सीएसआर के माध्यम से पैसा नहीं लगाती है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जब वे कम्पनियां सीएसआर का फंड रिलीज करती हैं और अपना एस्टीमेट बनाती हैं कि उन्हें पैसा कहां-कहां लगाना है तो स्थानीय जन प्रतिनिधि से एक बार चर्चा करके उन्हें वह पैसा लगाना चाहिये।

आखिर में केवल देवस्थान की मांग माननीय मंत्री महोदय से करना चाहूंगा। अलवर जिले में पाण्डुपोल, जो कि एक बहुत ही बड़ा देवस्थान है और यहां पर अलवर जिले के दो-दो मंत्री बैठे हैं। एक तो स्वयं माननीय मंत्री हैं और दूसरे अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य हैं, जो कि सरकार के अन्दर मंत्री हैं। वहां पर पहले मंगलवार और शनिवार को दो दिन श्रद्धालुओं के लिये बस चलायी जाती थी, पर कुछ समय पूर्व उसे बन्द कर दिया गया। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम अलवर जिले के वासियों के लिये उस बस को पुन: दो दिन के लिये चलाया जाये, जिससे वे आराम से वहां पर पहुंचकर दर्शन कर सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री गोपाल लाल जी मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42-उद्योग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य

(श्री गोपाल लाल मीना)

मंत्री जी को उन्होंने उद्योग में एक नयी क्रान्ति लाकर जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में हर ब्लाक में उद्योग और रीको लगाने का जो काम किया है, इसके लिये मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्य मंत्री जी की जो सोच है वह हर ब्लाक में, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बैठे हैं और दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं उनका पलायन रोकने के लिए उन्होंने हर ब्लाक में जो औद्योगिक एरिया लगाने का काम किया है, इस बात के लिए पूरे राजस्थान की जनता उन्हें धन्यवाद देती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा प्रदेश इण्डस्ट्री फ्रेंडली होने के कारण देश-विदेश के निवेशकों को पसन्द हुआ है। इसमें इन्वेस्ट राजस्थान 2022 व राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों एवं प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिली है जो कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति का एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है।

राजस्थान में बहुत कम जगह औद्योगिक क्षेत्र लगे हुए थे लेकिन आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 2018 में शपथ ली है, तब से उन्होंने एक ही बात रखी है और जिस प्रकार से लोग पहले पलायन कर दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना धंधा करने के लिए जाते रहे और जब कोरोना हुआ तो पैदल आकर अपने क्षेत्र में पहुंचे और इनको रोकने के लिए उन्होंने हर ब्लाक में औद्योगिक क्षेत्र खोलकर उन लोगों को रोजगार देने का काम किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र से वंचित 147 उप खण्डों में से गत वर्ष के बजट में प्रथम चरण में 64 उप खण्डों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जा रहे हैं तथा इसी वर्ष के बजट में 32 उप खण्डों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये जिससे राजस्थान के आर्थिक विकास में गति आयेगी और रोजगार के नये अवसर मिलेंगे।

अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने बताया कि वहां के क्षेत्र के लोग हैं, युवा हैं, वहां के बच्चे हैं उनको वहां रोजगार मिलना चाहिए, तो इसका मैं भी समर्थन करता हूं और आदरणीय मुख्य मंत्री जी की सोच भी यही है कि वहां के स्थानीय लोगों को उस औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों में रोजगार मिलना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी युवा साथी हैं, जो बेरोजगार रहते हैं, उनको रोजगार देने का काम हो।

माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 64

(श्री गोपाल लाल मीना)

उप खण्डों में से माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो रीको मातासूला और थौलाई दिये हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मेरे विधान सभा क्षेत्र की पूरी जनता और मेरी तरफ से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद देता हूं। मेरे क्षेत्र में मातासूला रीको औद्योगिक एरिया है जो ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र के नाम से है क्योंकि वहां पर अभयारण्य क्षेत्र होने की वजह से बिना प्रदूषण का औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है और थौलाई में औद्योगिक क्षेत्र है। इस प्रकार दो जगह हमारे औद्योगिक क्षेत्र हुए हैं।

मैं तो माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में माणोता और डांगरवाड़ा दो जगह करीब हजार-हजार बीघा जमीन है। अगर वहां पर औद्योगिक क्षेत्र लगेंगे तो जो बांदीकुई से जयपुर रोड आ रहा है दिल्ली-बड़ौदा, उस रोड के ऊपर एक हजार बीघा जमीन माणोता में है। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर डांगरवाड़ा-चतरपुरा में जमीन है और वहां पर औद्योगिक क्षेत्र होगा तो वहां के क्षेत्र के लोगों और स्थानीय बच्चे हैं, युवा साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस वित्तीय वर्ष में बजट में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल आरआईएसएफ का गठन करने तथा इसके अन्तर्गत दो हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती का जो प्रावधान किया गया है वह स्वागत योग्य है। इससे औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा औद्योगिक वातावरण की उपलब्धता होगी।

मैं एक बात और रखना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रीको औद्योगिक क्षेत्र में जो प्लाट आबंटन होते हैं उनमें पहले एससी, एसटी को आरक्षण दिया जाता था। मैं पुन: माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि एससी, एसटी को आरक्षण दिया जाये, उसको रोका नहीं जाये जिससे पूरे प्रदेश में एससी और एसटी के लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में जाने का अवसर मिलेगा। इसको आप पुन: जिस प्रकार से आरक्षण देते आ रहे हैं उसी प्रकार इसका आरक्षण देते रहें। मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित)। श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 11-देवस्थान के विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। मैं चार-पांच मिनट देवस्थान विभाग की बात करूंगा और उसके बाद दो-तीन मिनट उद्योग की बात करूंगा इसलिए मेरा जो निर्धारित समय है वह पूरा दें।

श्री सभापति: समय तो आपका ध्यान है कि सात बजे प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोलेंगे।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मुझे दस मिनट पार्टी ने दिये हैं, मुझे न्याय दिलायें और दस मिनट का अवसर प्रदान करें।

श्री सभापति: प्लीज, बोलिये आप।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, भारत एक आस्थाओं का देश है और उसके कारण हमारे जो मन्दिर हैं वे हमारे आस्थाओं के केन्द्र हैं। आज मन्दिरों का सरकारीकरण कर दिया गया है। यहां सारा नियंत्रण प्रशासन और सरकार का है तो फिर वहां जो अव्यवस्था हो रही है उसके लिए जिम्मेदारी किसको सम्भलाओगे? स्टाम्प पर अधिभार है गो-संरक्षण का, लेकिन वह गौशालाओं पर खर्च नहीं हो रहा है। देवस्थान विभाग केवल मात्र कर्मचारियों को वेतन देने वाला विभाग बन गया है। हमारे भगवान को बाल स्वरूप माना है। न्यायालय ने उनको नाबालिग माना है, वे कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकते हैं तो मन्दिरों की जो आय है, मन्दिरों की जो जमीनें हैं वे हजारो-लाखों बीघा जमीनें लोगों ने बेच दी है, खुद-बुर्द कर दी है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि मन्दिरों की जमीन को पोर्टल पर डालें और पोर्टल पर डालकर जो मन्दिर के पुजारी हैं उन पुजारियों को जहां-जहां वे कृषि वगैरह करते थे वह उनके जिम्मे करें और बेचने का अधिकार नहीं दें।

अभी हमारे उदयपुर में घाणेराव की घाटी में एक मदन मोहन जी का मन्दिर है, वहां पर मैं गया। पुजारी से मिला तो पुजारी ने कहा कि हमारे भगवान को जो भोग धराते हैं उस भोग में सरकार ने कटौती कर दी है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मैं उसी सूची में निवेदन करता हूं कि हमारे यहां महीने के दीपक का घी 600 ग्राम देते थे उसको इस सरकार ने 400 ग्राम कर दिया, भोग हेतु घी 22 किलोग्राम देते थे जिसको 11 किलोग्राम कर दिया। अन्य सामग्री 18 किलोग्राम देते थे जिसको 9 किलोग्राम कर दिया, आटा 84 किलोग्राम दे रहे थे जिसको 42 किलोग्राम कर दिया। इतना ही नहीं, जो सामग्री देते थे, फूल

(श्री धर्मनारायण जोशी)
और फल का जो प्रावधान था उसको अब बन्द कर दिया। पान बीड़ा देते थे वह भी बन्द कर दिया, सब्जी का प्रावधान था वह भी बन्द कर दिया, दूध का प्रावधान भगवान के भोग के लिए, उसको भी बन्द कर दिया। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप जबरन भोग कैसे कम कर सकते हो? क्या सरकार ऐसा मानती है कि ठाकुर जी खा नहीं सकते, अस्वस्थ हैं? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे यहां जो पुजारी काम करते हैं उनकी तनख्वाह का पता नहीं तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उनके लिए वेतन निर्धारण किया जाये। मेरा तो यहां तक निवेदन है कि उन पुजारियों के वेतन की श्रृंखला निर्धारित की जाये, उससे उनको ठीक प्रकार से वेतन मिल जाये। एक सामाजिक विचारक ने कहा है, सत्ता आगे, समाज पीछे हो तो सर्वत्र विनाश होता है और समाज आगे, सत्ता पीछे हो तो समाज का सर्वत्र विकास होता है। इतना ही निवेदन है कि सरकार सामाजिक सहभागिता बढ़ाये, लालफीताशाही को कम करे। देवस्थान विभाग नहीं हमारे आस्था का केन्द्र है।

माननीय सभापति महोदय, आज मैंने पुजारियों के वेतन की समस्या, बाकी समस्याएं निवेदन की हैं। मेरा एक और निवेदन है कि देवस्थान की भूमि पर हजारों खदानें हैं, खदान का काम हो रहा है। आपके माध्यम से मेरा राज्य सरकार से निवेदन है, राजस्थान को खानों द्वारा जो आय होती है, आय का कुछ अंश तय करके देवस्थान विभाग को दिया जाये। अभी सरकार ने एक और नियम बनाया, देवस्थान के जितने किरायेदार थे वे माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे, 20 साल में किराया बढ़ाया 250 प्रतिशत और अभी 2021 में राज्य सरकार ने एक ही साल में उन दुकानों का किराया 250 प्रतिशत बढ़ा दिया।

मेरी प्रार्थना है कि एक पर्यटन उद्योग बनाया जाये। आपने देखा होगा माननीय वसुन्धरा जी ने त्रिपुरा सुन्दरी का मन्दिर, श्रीनाथ जी का मन्दिर, सांवलिया जी का मन्दिर, चारभुजा जी का मन्दिर, आज हजारों पर्यटक वहां आते-जाते हैं, वहां बड़ा काम हो गया। वहां पर सरकार की जिम्मेदारी है पानी की व्यवस्था करे, सड़क की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे, पर सरकार की दृष्टि क्या है? अभी बेणेश्वर धाम का मेला था, सरकार ने अजमेर में कार्यक्रम करने की परमिशन दे दी और बेणेश्वर धाम के लिये कोरोना है, परमिशन नहीं दी। सरकार की छाती पर वहां के हमारे आदिवासी भाइयों ने मेला किया, सरकार ने क्या कर लिया? सरकार उसके लिये कुछ नहीं कर सकती है।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

राजस्थान से बाहर हमारी सम्पत्तियां हैं, हमारी सम्पत्तियां वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन में, बनारस में, हरिद्वार में, नैनीताल में, उत्तरकांक्षी में, घराली में, गंगोत्री में, द्वारका जी में, औरंगाबाद अमरावती में सारी सम्पत्तियां हैं। सरकारी मीटिंग होती है और मीटिंग में 20-20 रुपये की पानी की बोतल पीते हैं और ठाकुर जी के लिये पान-बीड़े के पैसे आपने बन्द कर दिये, सरकार को पान-बीड़े का काम भारी लगता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, वह वापस चालू किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 पर दो-तीन मिनट निवेदन करूंगा। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के तहत, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, सदन में मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था हमारे यहां अंकल चिप्स, जो ढाई सौ रुपये में खरीदते हैं, आलू हमारे यहां 5-10 रुपये किलो किसान को मिलता है, क्यों नहीं आलू की चिप्स आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत बना सकते हैं? आज हमारे देश के जवानों की वर्दी भारत में बन रही है, शस्त्र भारत में बन रहे हैं, हम एप्पल का फोन उपयोग करते हैं, एप्पल की कम्पनियां भारत में खुल गयी हैं, अनेक मोबाइलों के नाम पर हम आत्मनिर्भर हो गये हैं।

श्री सभापति: वे अपनी बात कह रहे हैं, उनको कहने दीजिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): एक तरफ सरकार ईज आफ डूंइग बिजनस की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार उद्योगों पर माइनिंग लागू होने, टीपी के नाम पर उद्योग खान विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाये, पोर्टल शुल्क लेने की तैयारी कर उद्योगों को परेशान कर रही है। अभी नया कानून आ रहा है, खान का कानून आ रहा है। राज्य सरकार की नीयत का निवेदन करूं, कलड़वास औद्योगिक एरिया है, माननीय रावत मैडम, मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): उस एरिया में 10 साल पहले माननीय गहलोत साहब ने एक मैनकाइन्ड फार्मा, केडिरा फार्मा दो गुजरात की कम्पनियां हैं, उनको दस वर्ष पहले औद्योगिक भूखण्ड मात्र 700 रुपये प्रति मीटर में आबंटित कर दिया। आज दिन तक दोनों फैक्ट्रियों में 10 साल हो गये, एक रुपये का भी काम नहीं हुआ है। अब स्थानीय उद्योगपतियों को 9 और 10 हजार प्रति मीटर के हिसाब से आक्शन में आबंटित कर रहे हैं।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

मैडम, मेरा एक और निवेदन है, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र में एक ही दिन में बार-बार पावर ट्रिपिंग से लेबर तथा कच्चे माल का नुकसान होता है तो मेरा निवेदन है उसको भी ठीक करें।

औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास में भी और बाकी औद्योगिक क्षेत्र में सुलभ काम्प्लेक्स नहीं है, मजदूर कहां जायेगा? उसकी व्यवस्था करें। पुलिस चौकी खुर्द-बुर्द हो रही है, भवन नहीं है, उसकी व्यवस्था करें। हमारे मेवाड़ में टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। माननीय सभापति महोदय, मेवाड़ में गरीबी रही है। लगभग 20 वर्ष से हमारे सेण्ड स्टोन के कारण, मार्बल के कारण, होटल इंडस्ट्री के कारण मेवाड़ में थोड़ा पैसा बढ़ा है। अब उस उद्योग को प्रोत्साहन देकर मेवाड़ की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में मदद करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री रफीक खान जी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे उद्योग पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी देर से चर्चा हो रही है और अभी-अभी मेरे साथी विधायक कह रहे थे कि आलू की चिप्स बाहर से आती है। मैं इनकी नालेज के लिये बता दूं कि आलू की चिप्स हिन्दुस्तान में ही बनती है और यहां से एक्सपोर्ट भी होती है और बहुतेरी तादाद में आलू की चिप्स यहां बनती है थोड़ा ज्ञान वृद्धि करके बोला करें।

सभापति महोदय, उद्योग एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है, सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन अगर कोई करता है तो वह इंडस्ट्री करती है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एक ऐसा बजट दिया, ये सब बोलते हैं। इस बात की चर्चा करते हैं सदन में तो अच्छा लगता कि कोई क्षेत्र इंडस्ट्री का ऐसा नहीं छोड़ा, जिसमें इंडस्ट्री को कुछ न कुछ देने की कोशिश नहीं की हो। चाहे वह लैण्ड एक्विजिशन का मसला हो, चाहे भू-रूपांतरण का मसला हो, चाहे कैपिटल सब्सिडी का मसला हो और यहां तक कि हमारे राजस्थान में जो पालिसी बनी, इंडस्ट्री के ऊपर जिसमें यह स्पेसिफाई किया गया कि तीन साल तक किसी भी उद्योगपति को, किसी भी आदमी को, जो नयी इंडस्ट्री राजस्थान में लगाता है, उसको किसी प्रकार के लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार के इंस्पेक्टर राज में आने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के किसी विभाग को जवाब देने की जरूरत नहीं है

(श्री रफीक खान)

और तीन साल के बाद में उसको, फिर 6 महीने का टाइम मिलेगा और मुझे खुशी है यह कहते हुए कि इस तीन साल के पीरियड को इस बजट में उन्होंने बढ़ाकर 5 साल कर दिया है।

सभापति महोदय, इससे क्या होगा, यह एक ऐसी पालिसी थी जो पूरे हिन्दुस्तान में सबसे पहले राजस्थान सरकार ने सरकार बनते ही लांच की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी राजस्थान में इंडस्ट्री लगाता है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगाता है तो उसको राजस्थान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आयेगी। छोटा-सा एक पेच जमीन के मामले में है, एक उद्योग मंत्रालय में एक डिविजन जरूर है कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट अलग है, उद्योग डिपार्टमेन्ट अलग है, रीको की बॉडी अलग है। अगर भू-रूपांतरण का मसला भी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाये और कोई इंडस्ट्री अगर राजस्थान में लगाता है, अधिकारी भी यहां बैठे हैं, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट राजस्थान में इंडस्ट्री लगाता है तो उसको सबसे पहली जरूरत फाइनेंस की पड़ती है और फाइनेंस के लिये फाइनेंस डिपार्टमेन्ट के पास जायेगा तो वे उससे जमीन का पट्टा मांगते हैं। एक टाइम बाउण्ड प्रक्रिया तय होनी चाहिए कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट राजस्थान में जमीन लेता है तो उसको 3 या 6 महीने के अन्दर पट्टा दे देंगे, तो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस मिल सके और उसकी इंडस्ट्री में जो फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत आये, वे सारी दूर हो सके और राजस्थान में इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एटमोस्फियर बन सके।

बहुत सारी बातें अभी विपक्ष के साथियों ने कहीं, पिछले हफ्ते कुछ रिजल्ट आये देश के अन्दर, उसको लेकर बहुत जोश में हैं। मुझे खुशी होती मैं इनकी बात को मानता, जो बजट इंडस्ट्री के लिये राजस्थान सरकार ने दिया, वैसा बजट हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। मैं एक शेर कहना चाहता हूं:-

कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आयेगा,
हमारा दौर था और हमारा दौर आयेगा।

एक और बोलूंगा, दूसरा बोलूंगा तो उठकर भाग जाओगे।

श्री सभापति: आप मेरी तरफ देखकर बोलिये, उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): राजस्थान एक ऐसी जगह है, जहां हर चीज बहुतायत में है। बहुत सारे लोगों ने बोला, अभी सांगानेर से आने वाले साथी विधायक....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सदस्य कलेजेदार हैं। इस प्रकार की शर्मनाक हार के बाद भी क्या शेर परोसा है, वाह इसी तरह शेर परोसते रहें आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): "हमारा दौर था और हमारा दौर आयेगा। थोड़ी सी देर की खामोशी है। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर था और हमारा दौर आयेगा।" यह बात दिल से निकल रही है, पढ़कर नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: उद्योग पर बोलिये।

(समय: 18.00 बजे)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान खनिजों के मामले में बहुत सम्पन्न है और जयपुर जैसा शहर और राजस्थान की इंडस्ट्री, राजस्थान के अन्दर बहुत सारे कुटीर उद्योग जयपुर और राजस्थान में रहे हैं। जयपुर बहुत सारे छोटे-छोटे उद्योगों की नगरी रही है। जैम एंड ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जयपुर के अन्दर और पूरे हिन्दुस्तान में उसकी ख्याति है और पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी कोविड के समय जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी और सब जगह व्यापार और फेयर बंद थे तो मुझे खुशी है कि यहां के उद्योग मंत्रालय ने यहां पहला फेयर आर्गेनाइज किया और उसमें एक हजार करोड़ का धन्धा हुआ। उसको देख कर पूरी दुनिया ने फेयर खोले तो यह शुरुआत जयपुर में हुई और राजस्थान में हुई और राजस्थान के उद्योग मंत्री ने सबसे पहले परमिशन दी। मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके आगाज करने से पूरी दुनिया में शो होने लगे और फिर से एक इंडस्ट्री का और एक बिजनस का एटमोस्फेयर पूरी दुनिया में फैला उसकी शुरुआत जयपुर से हुई। मैं आपकी नालेज के लिए यह बात बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय, छोटी-छोटी इंडस्ट्री लाख की चूड़ी टाइनी इंडस्ट्री, मूर्ति कला उद्योग, हैंडीक्राफ्ट का बिजनस, रंगाई-छपाई का, सांगानेर से आने वाले विधायक निकल गये वो जिक्र कर रहे थे छपाई के बारे में। मुझे खुशी होती वो यह कहते कि छपाई का उद्योग जो राजस्थान और सांगानेर का परम्परागत उद्योग है उसके अन्दर जो परेशानियां आ रही हैं, अगर केन्द्र सरकार और हम साथ मिलकर चलें तो राजस्थान के उस उद्योग को फिर से डवलपमेंट मिलेगा और फिर से ऊंचाइयों पर जायेगा। यह एक ऐसा उद्योग है जिसने न केवल जयपुर में, राजस्थान में, हिन्दुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में

(श्री रफीक खान)

अपना नाम रोशन किया है और अपनी कार्यकुशलता के नम्बर पूरी दुनिया में बढ़ाये हैं। रजाइयां, पूरी दुनिया जानती है कि जयपुर की रजाइयां बहुत फेमस रही हैं। फर्नीचर उद्योग, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, कलर स्टोन, जैम कलर स्टोन, कारपेट इंडस्ट्री, मेरे साथी विधायक रोहित बौहरा ने बहुत सारी डिटेल इस पर बोली। कारपेट उद्योग, ऊन की राजस्थान में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, कच्चे माल की इंडस्ट्रीज हैं जो ऊन बनाती हैं और पूरे हिन्दुस्तान में जाता है और कहीं-कहीं विदेशों में भी जाता है। मार्बल उद्योग, ऐसी सब इंडस्ट्री का एक समावेश राजस्थान में रहा और जयपुर में बहुत छोटी-छोटी इंडस्ट्री, टाइनी इंडस्ट्री रही है जो परम्परागत इंडस्ट्री है राजस्थान की और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। आज जो यह हमारा बजट है इसमें इन सबको स्पेस मिला। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसी पालिसी बनाई कि छोटे से छोटा उद्यमी भी अपनी इंडस्ट्री लगाकर और अपने आपको एस्टेब्लिश कर सकता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें न केवल इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी बल्कि पूरे जगत में एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा और रोजगार डवलपमेंट होगा, एम्प्लायमेंट जनरेशन होगा। इस पालिसी के तहत हम राजस्थान को पूरे दुनिया के नक्शे पर खींच सकेंगे।

सभापति महोदय, कुछ प्रोब्लम्स हैं जिनको सोल्व किया जाना जरूरी है। बहुत सारी बातें होती रही हैं। जैम एंड ज्वेलरी का एक बिजनस है। हमारे साथी लोग मानते हैं कि जैम एंड ज्वेलरी का बिजनस राजस्थान का बहुत बड़ा बिजनस है और उसके डवलपमेंट की बहुत जरूरत है बहुत बड़ेबड़े शोज दुनिया में होते हैं। जस नाम का एक शो जयपुर में भी होता है जिसने अपनी पहचान बनायी है पूरी दुनिया में। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे शोज जो जयपुर की एसोसिएशन और जयपुर के उद्यमी लगाते हैं और जिनसे पूरी दुनिया माल खरीदने आती है हमें इनको सब्सिडाइज्ड करना चाहिये, इनको प्रमोट करना चाहिये और राज्य सरकार के स्तर पर उनको कुछ न कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिये ताकि न केवल राजस्थान के व्यापारियों को बुला सकें बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारियों को बुला सकें।

सभापति महोदय, एक छोटी सी प्रोब्लम पिछले कुछ सालों में हुई है। यह इंडस्ट्री ऐसी है कि बाहर से रफ स्टोन आती है। यहां कोई जवाहरात के नगीने नहीं होते हैं जयपुर शहर में और राजस्थान के अन्दर जयपुर में सबसे बड़ा अगर एम्प्लायमेंट किसी सेक्टर में है तो जैम एंड ज्वेलरी सेक्टर में है

(श्री रफीक खान)

और खास तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के अन्दर करीब डेढ़ से दो लाख लोगों का परिवार इस बिजनस के ऊपर डिपेंड करता है और अभी क्या कर दिया कि जो बाहर से रफ आती है, जाम्बिया से आती है, ब्राजील से आती है...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी शुरू ही नहीं हुआ, सभापति महोदय।

श्री सभापति: दो मिनट।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ऐसे मत करो आप तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रफ स्टोन बाहर से आते हैं उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है, जीएसटी जब लगाया गया तो यह बात हुई कि वन नेशन वन टैक्स और वन नेशन वन टैक्स की बात पर जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो इम्पोर्ट ड्यूटी वैव आफ होनी चाहिए। इस इंडस्ट्री से जिस इंडस्ट्री में बाहर से माल लाकर यहां के आदमी उसमें वैल्यू एडिशन करके और यहां से बाहर भेजते हैं और न केवल एम्प्लायमेंट जनरेशन करते हैं बल्कि फोरेन एक्सचेंज और फोरेन करेंसी भी यहां हिन्दुस्तान में आती है तो ऐसी इंडस्ट्री को जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर इम्पोर्ट अलाउ करना चाहिए ताकि वह इंडस्ट्री ग्रो हो सके, एम्प्लायमेंट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अगर हम सब लोग मिल करके केन्द्र सरकार से यह प्रयास करेंगे कि इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी खतम की जाये क्योंकि वन नेशन वन टैक्स के ऊपर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी है तो कस्टम ड्यूटी खतम होगी तो ट्रेड को और ऊंचाई मिलेगी और एम्प्लायमेंट जनरेशन में बढ़ावा होगा क्योंकि यह बिजनस धीरे-धीरे चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, थाईलैंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है अगर आज हम इस पर ध्यान देंगे और इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो करेंगे तो यह जयपुर की मदर इंडस्ट्री रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती रही है। हम सब मिलकर प्रयास करें कि इसको जीरो टैक्स के दायरे में लेकर आ पायें।

सभापति महोदय, इलेक्ट्रिसिटी का एक मसला है इसी इंडस्ट्री के अन्दर। जयपुर शहर के अन्दर उद्योग मंत्री बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री अभी हैं नहीं यहां पर। शहर के अन्दर छोटे-छोटे मकानों में टाइनी इंडस्ट्री है, कलर स्टोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है और बिजली विभाग का आदमी जाता है और बोलता है कि मैं कामर्शियल चार्ज लगा दूंगा जबकि उसको मालूम है कि

(श्री रफीक खान)

इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है तो ऐसे कैसेज में जब आइडेंटिफिकेशन यह हो रहा है कि यहां मशीन लगी है उसको एसएसपी कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाये, कामर्शियल चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए किसी सूरत के अन्दर ताकि इंडस्ट्री की बढ़ोतरी हो सके। बारह करोड़ की टोटल रेवेन्यू है इनकी, चौबीस सौ करोड़ का बिजनस है और टैक्सेशन जो कलर स्टोन के ऊपर इम्पोर्ट पर टैक्स है उसकी रेवेन्यू सिर्फ बारह करोड़ है। अगर बारह करोड़ वैव आफ कर दें, इनको टैक्स फ्री कर दें तो ये चौबीस सौ करोड़ का मैं दावा करता हूं कि पांच हजार करोड़ से ऊपर का बिजनस होगा।

सभापति महोदय, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जयपुर शहर में।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सबसे बड़ा एम्प्लायमेंट जनरेशन अगर किसी इंडस्ट्री में होता है तो गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में होता है। दुनिया की कोई तालीम, कोई एजुकेशन सिस्टम यह गारंटी नहीं देता कि यहां एक आदमी बैठेगा पास में किसी कारीगर के साथ में और उसको 6 महीने बाद में किसी रोजगार का एश्योरेंस मिलेगा लेकिन गारमेंट इंडस्ट्रीज इस बात की गारंटी देती है। एक टेलर आता है उसके बराबर में काम सीखता है और 6 महीने बाद में वह अपने साथी कारीगर के बराबर या उससे ज्यादा रुपये का काम कर रहा होता है तो ऐसी इंडस्ट्री को जो एम्प्लायमेंट जनरेशन करती है हमें बढ़ावा देना चाहिये और इसमें एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, इसमें एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है। प्रोब्लम यह है कि हमने धागे का एक्सपोर्ट चालू कर रखा है और पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान का कपास धागे के रूप में यहां से बाहर जा रहा है और बाहर के व्यापारी हमसे कंपीटिशन के रूप में हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं माल हमारा होता है एक्सपोर्ट वो करते हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सदन के माध्यम से और मेरी साथियों से कि केन्द्र सरकार को गुहार करें कि धागा एक्सपोर्ट नहीं होने दें ताकि यहां की इंडस्ट्री को बल मिले यहां की इंडस्ट्री डवलप हो जैसे अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि भीलवाड़ा में टैक्सटाइल फैक्ट्री है, अजमेर में किशनगढ़ में टैक्सटाइल फैक्ट्री है तो इन सबको बढ़ावा तभी मिलेगा जब हम इस बात को तवज्जोह देंगे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे

(श्री रफीक खान)

फायदा मिले। एक लास्ट बात मैं माइनिंग पर और बोलना चाहता हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माइनिंग इंडस्ट्री और हमारे पास इतनी मात्रा में सम्पत्ति है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं बहुत से देशों में घूमा हूं। चिली एक कंट्री है दुनिया के आखिरी छोर पर और कोपर माइन है वहां। कोपर माइन गवर्नमेंट की कम्पनी है, नाम है कुदेलको, उस कम्पनी का प्रोडक्शन जब ऊंचाई पर होता है तो पूरे देश की इकोनोमी उस एक माइन के ऊपर सर्वाइव करती है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी सारी माइनिंग इंडस्ट्री यहां राजस्थान के अन्दर और हमें उसका फायदा नहीं मिल पाता। हिन्दुस्तान जिंक एक अकेली कम्पनी ऐसी है जो वैल्यूवाइज भी और क्वांटिटीवाइज भी उस चिलियन कम्पनी की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। क्वांटिटी भी ज्यादा है और अगर उसके प्रोडक्शन की वैल्यू काउंट करे तो वह भी ज्यादा है लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। एक जो राजस्थान की सम्पत्ति है जिसके ऊपर पूरे राजस्थान की इकोनोमी सर्वाइव कर सकती है तो ऐसी इंडस्ट्री को राजस्थान में होने के कारण राजस्थान की सम्पदा यूज करने के कारण उसको रेवेन्यू में फायदा मिले, प्रोफिट शेयरिंग मिले, ऐसा काम जरूर होना चाहिये।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। थैंक यू।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं, देवस्थान पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने बोला कि हमारा दौर था, है और रहेगा। मैं चाहूंगा कि आपका दौर रहे।

श्री सभापति: उद्योग और देवस्थान।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आपका दौर रहे। यूपी में आपने लगभग 395 सीटों पर चुनाव लड़ा....

श्री सभापति: प्लीज, उद्योग और देवस्थान पर बोलिए। मैंने उनको भी यही कहा था be confined to the subject.

श्री अविनाश (जैतारण): 395 सीटों पर चुनाव लड़कर अगर करीब 385 सीटों पर आपकी जमानत जब्त होती है और फिर आप कहते हो कि हमारा दौर है, हम चाहेंगे कि आपका यह दौर मुकम्मल रहे और इस दौर के लिये बहुत-बहुत मुबारकबाद कि आपका यह दौर चलता रहे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिए, शुरू कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपनी बात शुरू कीजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि प्रदेश में औद्योगिक विस्तार के हिसाब देखा जाय तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास अगर हम देखेंगे तो यह औद्योगिक निवेश पर तय होता है। उद्योग लगे और उससे क्षेत्र के लोगों को जब तक फायदा नहीं मिलेगा तब तक उस क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव होगा। सभापति महोदय, मैं प्रदेश में संचालित उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को ही अधिकतम रोजगार प्राथमिकता के साथ दिये जाने की मांग करता हूं। जिस प्रकार राजस्थान में उद्योग तो संचालित हो रहे हैं लेकिन यूपी के, बिहार के, राजस्थान के बाहर के लोग जो मजदूर के रूप में आते हैं और स्थानीय व्यक्ति जिनमें काबिलियत है, योग्यता है, जो डिप्लोमाधारी हैं, उनको इस क्षेत्र में रोजगार नहीं देकर बाहर के लोगों को लगाया जाता है। मेरा निवेदन रहेगा कि स्थानीय व्यक्तियों को जिस क्षेत्र में उद्योग संचालित है, वहां पर उनको योग्यता के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में रीको की घोषणा करें क्योंकि मेरे वहां सीमेंट के बड़े उद्योग हैं, ईंट भट्टे हैं, क्रेशर स्टोन है, चाइना क्ले हैं, बहुत सारे उद्योग हैं और जैतारण बहुत बड़ा इलाका है तो वहां रीको की घोषणा आप करें। इसके साथ में क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों, मजदूरों, अधिकारियों एवं उसके परिवार के सदस्यों की लगातार स्वास्थ्य जांच के लिये प्रतिमाह स्वास्थ्य जांच शिविर लगायें और उनके स्वास्थ्य की अच्छी तरह से जांच हो। इसकी भी मैं आपसे मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैं यह भी मांग करूंगा कि पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से जिन उद्योगों में अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर काम कर रहे हैं, उनके वेतनमान में प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि की जाय। माननीय मंत्री

(श्री अविनाश)

महोदय, आज उद्योगों की स्थिति इस प्रकार की है कि वहां 200 रुपये पर-डे के दिये जाते हैं। इस दौर में जो व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करेगा तो उसके परिवार का 200 रुपये में कैसे गुजारा होगा। उद्योगों को आप इस निर्देश की पालना करने के लिये पाबंद करें कि जिन्होंने तीन साल से ज्यादा का समय उद्योग में दिया है, उनका इन्क्रीमेंट प्रतिवर्ष लगाया जाय और उनका बीमा कराये जाने की भी मैं मांग करता हूं ताकि कोई ऐसी अनहोनी दुर्घटना हो जाय तो उससे उनका परिवार सुरक्षित रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो जमीनें अलाट हो रखी हैं चाहे वह माइन्स की हो, चाहे उनके क्वार्टज की हो, चाहे वह 91 की सरकारी पड़त जमीन हो, गोचर हो, ओरण हो, अंगोर हो, उस पर यह कंपनियां कब्जा कर के रखती हैं और लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि प्रशासन की मिलीभगत होती है। उसके कारण क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार यह ज्ञापन भी दिये जाते हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। मेरा निवेदन रहेगा कि इन जमीनों से अतिक्रमण को हटाया जाय।

माननीय सभापति महोदय, अभी जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन चल रहा है। अवैध बजरी खनन के कारण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ और नदी से 5 किलोमीटर के दायरे में जो सारे प्राइवेट माइन्स थे, उनको बंद कर दिया गया लेकिन आज दिन तक क्षेत्र में इस प्रकार का कोई अवैध बजरी खनन का कारोबार बंद नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि उसको भी बंद कराया जाय।

सभापति महोदय, अभी बर से लेकर बिलाड़ा जोधपुर तक नेशनल हाई वे 125 फोर लेन सीसी सड़क का निर्माण हुआ। उसमें सीसी सड़क फोर लेन का बना और उसमें 2 लाख टन बजरी की टीपी की परमिशन ली गई। वहां करोड़ों टन बजरी और मिट्टी काम आई। राजस्व का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। गांव वालों ने लगातार शिकायत की, मैंने खुद ने शिकायत की कि यह सीधा राजस्व को नुकसान है। उसकी भरपाई के लिये कम्पनी पर पैनल्टी लगाई जाय और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। मेरा आपसे यह भी निवेदन रहेगा कि इसमें विभागीय कार्यवाही कराने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग में जितना प्रदूषण होता है, जिला स्तर पर आरओ बैठता है। लगातार शिकायतों के बावजूद आज दिन तक आरओ ने जाकर वहां उद्योगों की विजिट नहीं की और अगर विजिट की है तो

(श्री अविनाश)

मात्र फार्मेलिटी करके उसको खतम कर दिया। किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। मेरा निवेदन रहेगा कि आरओ को पाबंद करें, उसको प्रतिमाह उद्योगों में भेजने की व्यवस्था करें ताकि प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सके। साथ में अवैध जल दोहन भी हो रहा है, उससे जैतारण ड्राई जोन हो गया है, शुष्क जोन में आ गया है और पेयजल की इतनी भारी दिक्कत हो गई है कि लगातार शिकायतें करने के बावजूद कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि जो ग्रामीणों की लगातार समस्याएं आती हैं, इस पर भी आप गौर फरमावें।

इसके अलावा माइन्स एरिया में ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्ट के कारण मकानों में दरारें आ जाती हैं। वेस्ट मैटेरियल को यह किसानों की जमीन पर जो सरकारी पड़त जमीन होती है, उस पर डालते हैं। बारिश के समय में वह कैमिकल बहकर किसानों की जमीन पर आ जाता है, वेस्ट मैटेरियल आ जाता है। उससे उनकी जमीन बंजर हो जाती है और बारिश के समय में फसल खराब हो जाती है तो किसानों को बहुत भारी नुकसान होता है। माननीय मंत्री महोदय, इन समस्याओं पर आप गौर फरमावें।

इसके अलावा मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वहां अंबुजा सीमेंट लिमिटेड मल्टीनेशनल सीमेंट उद्योग है। इसमें ग्राम पंचायत के द्वारा 12.10.2021 को नोटिस दिया गया, कंपनी का मुख्य गेट और सड़क उन्होंने गोचर भूमि में बना दी। ग्राम पंचायत ने कंपनी को नोटिस दिया कि इसको हटाया जाय, इसके बदले हमें कोई जमीन दी जाय। यह खसरा नंबर 47 है, गैर मुमकिन गोचर, राजस्व ग्राम बलुपुरा, ग्राम पंचायत अमरपुरा। आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि प्रशासन की मिलीभगत है। आपसे निवेदन रहेगा कि यह जो फैक्ट्री के बाहर गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाय।

माननीय मंत्री महोदय, इसके अलावा इसी अंबुजा सीमेंट ने आज से 25-30 वर्षों पहले बलाड़ा ग्राम पंचायत की 934 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया। 15.11.1994 को ग्राम पंचायत ने एक एप्लीकेशन दी कि यह 934 बीघा जमीन हमें दी जाय। ग्राम पंचायत ने इस आधार पर एनओसी दी कि अगर इसके बदले 934 बीघा जमीन हमें वापस अन्य जगह पर दी जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बार-बार शिकायत करने के बावजूद आज दिन तक ग्राम पंचायत की 934 बीघा जमीन अंबुजा सीमेंट के

(श्री अविनाश)

कब्जे में है और उसकी किसी प्रकार की भरपाई अभी तक नहीं की है जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि गोचर में कहीं कोई किस्म परिवर्तन नहीं हो सकता है न कोई हस्तांतरण कर सकता है। इसके अलावा 33.10 बीघा गैर मुमकिन ओरण जमीन खसरा नंबर 1463/1 ग्राम पंचायत बिलाड़ा को नामांतरण कराकर अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री ने अपने नाम करा लिया है। यह ग्रामीणों की शिकायत है, ग्राम पंचायत का लैटर है। यह मेरा विधान सभा का प्रश्न भी है लेकिन बड़े शर्म की बात है कि दो साल बाद भी मुझे इसका कोई जवाब आज दिन तक विभाग के द्वारा नहीं मिला है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा ...

श्री सभापति: कृपया एक मिनट में समाप्त करें, अब टाइम हो गया है।

श्री अविनाश (जैतारण): 934 बीघा गैर मुमकिन गोचर की और ओरण की जो जमीन है, इसको भी मुक्त कराकर उसको दिया जाय।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, जैसलमेर की पंचायत समिति फतेहगढ़ की ग्राम पंचायत उत्तम नगर के राजस्व ग्राम कराड़ा में किसान परिवार के खसरा नंबर 106, 187, 187/475 में सोलर प्लांट लगाने के लिये वहां रिन्यू पावर सोलर कंपनी ने जमीन को लीज पर लिया है। माननीय मंत्री महोदय, वह दर्जी समाज से लोग आते हैं, बहुत गरीब हैं। जब मैं विधान सभा में आ रहा था तीन-चार दिन पहले मेरे पास आये थे, वह रो रहे थे। मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे तकलीफ पूछी। उन्होंने मुझे यह बताया कि हमारे खेत की जमीन पर जबरदस्ती यह कंपनी तारबंदी कर रही है, हमारी पटिया हटा रही है, हमें बेदखल कर रही है। किसानों ने वहां मुकदमा दर्ज कराया है। उक्त कंपनी द्वारा किसानों पर पुलिस थाना सागर, जैसलमेर में एक असत्य एफआईआर नंबर 110 करवाई गई और किसानों द्वारा कंपनी पर जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई 112, उसमें पुलिस ने मिलीभगत कर एफआर लगा दी। मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि जैसलमेर की रिन्यू पावर सोलर कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कराकर उन गरीब किसानों की जमीन को वापस दिया जाय।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में

(श्री अविनाश)

अपनी देवस्थान की मांग पर खतम करूंगा। मैं मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा और बस एक-दो मिनट में खतम करूंगा। जैतारण में जितने भी मन्दिर हैं, उनको अनुदान देकर उनका सौंदर्यीकरण करके उन्हें विकसित करने की मांग करता हूं क्योंकि जैतारण क्षेत्र में मकर मण्डी माताजी का बहुत पौराणिक ऐतिहासिक मन्दिर है, जिसके लिये मैंने पहले भी डिमाण्ड की है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद मैंने अपना पहला प्रस्ताव यहां दिया था, 80 लाख रुपये की उसकी रोड बनाने के लिये। सरकार ने प्रस्ताव मांगा, लेकिन आज दिन तक उसकी स्वीकृति नहीं हुई। एमएलए एमपी लैड से किसी मन्दिर के निर्माण के लिये चार दीवारी या रोड के लिए अगर हम देते हैं तो वहां पर विभागीय अनुमति नहीं होने कारण वह रिजेक्ट होकर आ जाता है। आपसे निवेदन रहेगा कि या तो आप देवस्थान विभाग से करवाएं या ऐसा संशोधन पेश करें, जिससे एमपी और एमएलए लैड के माध्यम से देवस्थान विभाग के मन्दिरों का निर्माण कर सकें, चारदीवारी कर सकें और उसका सौंदर्यीकरण कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मन्दिर माफी की जमीन के बारे में सब लोगों ने बताया तो वापस उन पुजारियों के हक में खातेदारी अधिकार उनको दिये जायें। इसके अलावा मन्दिर और डोली की जमीन है, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उनसे भी मेरा निवेदन है कि या तो देवस्थान विभाग अपने कब्जे में ले या अतिक्रमण किया है, तुरन्त प्रभाव से उस अतिक्रमण को हटाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में रुणिचा में बाबा रामदेवजी का बहुत बड़ा मन्दिर है। दूसरा मन्दिर छोटे रूणिचा के नाम से मेरे जैतारण के बिराटिया खुर्द में जाना जाता है। वहां लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। मेरा निवेदन है कि उसको विकसित करने के लिये, मैं पैसे भी देना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि देवस्थान विभाग की अनुमति नहीं होने के कारण पैसे नहीं लेते। इसलिये आपसे निवेदन है कि उसके अन्दर भी थोड़ा-सा संसोधन हो जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्षेत्राधिकार की बात है। नीलकंठ महादेव मन्दिर, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सैंधरा में है। वहां पर पूर्व में ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने विकास भी करवाया। क्षेत्राधिकार में जो विवाद हुआ, इसमें जो जैतारण के अलावा दूर गांव

(श्री अविनाश)

के हैं, जिनका स्थायी निवास जैतारण विधान सभा क्षेत्र से बाहर का है, वे आकर अतिक्रमण कर रहे हैं। यह प्रसिद्ध मन्दिर है। माननीय मंत्री महोदय आप पता करेंगे तो आपको पता लग जायेगा कि हर सोमवार व श्रावण मास में हजारों लोगों की भीड़ वहां पर रहती है। 2008 में एक आर्डर हुआ, जिसमें इसे ग्राम पंचायत सेंधरा को सुपुर्द किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। खसरा नम्बर 223 में 0.29 हैक्टेयर।

श्री सभापति: श्री सुदर्शन सिंह रावत।

श्री अविनाश (जैतारण): एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह नीलकण्ठ महादेव का ऐतिहासिक मन्दिर है। इसके बारे में भी मेरा निवेदन यह है कि आप इसको ग्राम पंचायत सेंधरा को सुपुर्द करें या देवस्थान विभाग के अन्दर लेकर इसको विकसित करने का मेरा निवेदन रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं मेरी बात इस बात के साथ खतम करूंगा कि अभी हाल ही में 'द कश्मीर फाइल्स' एक मूवी आयी है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि उसे राजस्थान में टैक्स फ्री करें। मध्य प्रदेश ने कर दिया है, यूपी ने कर दिया है, गुजरात ने कर दिया है और प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी इसकी तारीफ की है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि क्षेत्र की भावना को देखते हुए, हिन्दू सनातन की संस्कृति को, कश्मीर का जो विभाजन हुआ था, उसके बाद हमने जो दृश्य देखा था और 1990 में जिस प्रकार से कश्मीरी पण्डितों को भगाया गया, उसके ऊपर यह मूवी है। इसे पूरे राजस्थान में टैक्स फ्री करके, हिन्दू सनातन संस्कृति की भावनाओं के साथ में सम्मान करें। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुदर्शन सिंह रावत।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42-उद्योग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पिछले बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में बघ्घड़ में एक इंडस्ट्रीयल एरिया दिया और वह आज बनकर तैयार है। उसके अलावा भी, इस बजट में भी तकरीबन 32 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा हुई है, उसमें राजसमन्द जिले का राछेटी, जो कि हमारे विधान सभा क्षेत्र से बहुत नजदीक है और साकरड़ा में भी दो नये औद्योगिक क्षेत्रों की

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

घोषणा हुई है। ग्रेटर भिवाड़ी, बोरानाडा जोधपुर में 250-250 करोड़ रुपये की लागत से मल्टीस्टोरी इंडस्ट्रीयल काम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की है। आने वाले समय में पेट्रोलियम कैमिकल में राजस्थान को एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। इस क्षेत्र में भी पेट्रोलियम, कैमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन (PCPIR) की घोषणा हुई है। जहां आज सब लोग रोजगार को लेकर सब लोग कंसर्ड हैं। तकरीबन 1 लाख 40 हजार लोगों को इसमें रोजगार के अवसर आने वाले समय में मिलेंगे। सीएसआईएफ की तर्ज पर आरएसआईएफ की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्रिलाइजेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसके माध्यम से हमारे देश-प्रदेश के युवाओं को हम लोग निश्चित तौर पर रोजगार दे सकते हैं। इससे टैक्सेज मिलते हैं, एक्साइज मिलती है, सीएसआर मिलता, डीएमएफटी का फंड भी मिलता है, फोरेन करेंसी भी। इनडायरेक्टली डवलपमेंट के लिये बहुत बड़ा सेक्टर इंडस्ट्री को माना जाता है। राजस्थान सरकार ने भी इंडस्ट्रीयल पालिसी के अन्दर उद्योगों को बहुत सारे रूल्स और लॉ से एग्जेम्प्ट किया, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम इकोनामी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में पूरा देश शामिल है। हमने अर्थव्यवस्था का हाल देखा है। किस तरह से जीडीपी की हालत बिगड़ी हुई है? हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनामी की बात करते हैं। इसका पहले टारगेट 2025 रखा गया था। सीतारमण जी के बजट के बाद लेटेस्ट कांफ्रेंस में अभी इसमें कुछ अमेण्डमेंट किया गया है, इसको 2026-27 तक प्रलोंग करने की बात की गयी है। जब हम जीडीपी की बात करते हैं, अगले साल के लिए इसको 8.5 परसेंट फोरकास्ट किया गया है। नारे तो हम बड़े-बड़े दे देंगे, पर इंडस्ट्रिलाइजेशन और जीडीपी के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया।

जहां तक इंडस्ट्रिलाइजेशन का सवाल है, इंडस्ट्रिलाइजेशन का मतलब ही इन्वेस्टमेंट है। कोई भी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के बाद ही स्टार्ट होती है। जैसे कि 60-65 साल के अन्दर कांग्रेस की सरकारों ने प्रीवियस गवर्नमेंट ने, इसमें बीजेपी की सरकारें भी रहीं, उन 65 सालों में जो पीएसयूज में जो इंडस्ट्रिलाइजेशन हुआ, उनको सबको डिसइन्वेस्ट करने का पिछले आठ सालों से एक षड्यन्त्र चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, किसी भी चीज को बनाना मुश्किल है और उसको बन्द करना बहुत आसान है। दिल्ली की केन्द्र

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

सरकार इसमें लगातार लगी हुई है। इंडस्ट्रिलाइजेशन को एक और झटका तब लगता है, जब पीएसयूज के अलावा जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कम्पनीज हैं, उन कम्पनीज का भी भारत से जाने का सिलसिला जारी है। उसमें चाहे जनरल मोटर्स हो, चाहे मान ट्रक्स हो, चाहे हार्ले डेविडसन हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर्स हो, चाहे फोर्ड हो। ये तमाम कम्पनियां भारत से वापस से गयीं। उसका कोई न कोई कारण हमें तलाशना होगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम एक तरफ इंडस्ट्रिलाइजेशन की बात कर रहे हैं और हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि इंडस्ट्रिलाइजेशन में हम बहुत आगे जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये उलटा ही है। इस अवसर पर गालिब का एक शेर कहना चाहूंगा-

'उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा,
धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा'

यह बात हमारे प्रधान मंत्री जी पर लागू होती है। न तो वे इंडस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं। उसके कारण उसका असर स्टेट पर भी आ रहा है। जब दिल्ली का बजट आता है तो कई अख़बार लिखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था राम भरोसे है। यानी कोई उसको देखने वाला नहीं है। पिछले चार-पांच सालों में क्या हुआ? चाहे डिमोनिटाइजेशन की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे इकोनामी का स्लोडाउन हुआ हो, चाहे कोविड आया हो, चारों चीजों के बीच में जो सबसे ज्यादा पिसा है, वह भारत का नौजवान पिसा है, भारत का रोजगार खतम हुआ है। उस रोजगार को लाने के लिये कुछ नहीं किया। यह बजट, एक बोगस बजट साबित हुआ, जिससे कि पूरी इकोनॉमी का एक तरह से भट्टा बैठ गया। किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। आज इंडस्ट्रिलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पोलिटिकल कमिटमेंट्स भी हैं। किसी की भी सरकार आये, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की, पर हम जो संस्थाएं बनायें, न तो उनको बेचें और न ही उनके काम को अवरुद्ध किया जाये। जोधपुर की रिफाइनरी का क्या हुआ? सरकार ने इसको क्यों रोका? पांच साल तक इसको क्यों डिले किया? मेमू कोच फैक्ट्री हमारे अध्यक्ष महोदय और तत्कालीन केन्द्र सरकार के प्रयासों से भीलवाड़ा में आयी थी। उसको वापस क्यों भेजा? यह एक गलत प्रैक्टिस है। चाहे कोई भी लेकर आये, उसको कंटीन्यू करना चाहिये। मेरे ख्याल से यह परम्परा हमको बनानी चाहिये। जहां तक इकोनामी की बात करें तो भारत में 500 मिलियन लोग पावर्टी लाइन के आगे-पीछे ही हैं। हम कहते तो हैं कि 28 परसेंट लोग

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

बीपीएल में हैं, पर कुछ लोग बीपीएल से जस्ट बाहर हैं, परन्तु यह डेटा बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, जिसको हम गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्रिलाइजेशन को लेकर भारत की जो रैंकिंग है, उसमें हम कहां पर स्टेण्ड कर रहे हैं। चाइना 28 परसेंट के साथ दुनिया में नम्बर-वन पर है। हम 3.1 परसेंट के साथ बैठे हैं। दोनों की पोपुलेशन 1.4 बिलियन और 1.3 बिलियन है, दोनों कंट्रीज लेबर इंटेंसिव हैं, मास पोपुलेशन है, पर हम बहुत नीचे हैं। 24 परसेंट का गैप है, 25 परसेंट का गैप है, जिसको मीट-आउट करने में 50 साल लग जायेंगे। दिल्ली की सरकार के 8 साल के नेतृत्व में कोई भी ऐसा कारगर काम नहीं हुआ, जिससे कि राजस्थान को और दूसरे स्टेट को रोजगार में कोई मदद मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया को रीको, उद्योग, स्टेट से सम्बन्धित कुछ सजेशन भी देना चाहूंगा कि यहां पर सिरेमिक को लेकर बहुत प्रचुर सम्भावनाएं हैं। मेरे ख्याल से यहां सदन में आने वाले 10-20 माननीय सदस्यों के इलाकों में फैल्सपार, क्वार्टज, चाइनाक्ले और बहुत सारी माइनिंग लीजेज हैं। सारा रॉ-मैटेरियल राजस्थान से गुजरात में जाता है और गुजरात से सिरेमिक टाइल बनकर पूरे वर्ल्ड में जा रही है। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि सिरेमिक की सारी इंडस्ट्रीज राजस्थान में लगे। यह क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर सोचना पड़ेगा। कई सरकारें बन गई पक्ष व विपक्ष दोनों की परंतु गैस की जो नेचुरल लाइन है, वह नहीं आ पायी। नेचुरल गैस नहीं आने के कारण हमारे यहां पर सिरेमिक इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो पायी। इसका कारण भी समझना चाहिये। आठ साल से दिल्ली में सरकार है नरेन्द्र मोदी जी की। अगर कुछ प्रोग्रेस की होती तो 2014 में नेचुरल गैस मिलनी थी। हमारे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य के यहां पर भी बहुत फेल्सपार की यूनिट्स हैं। अगर इस पूरे इलाके में नेचुरल गैस आ जाती तो निश्चित तौर पर हमारे यहां पर एक इंडस्ट्री डवलप हो जाती जिससे हमको आगे बढ़ोतरी मिलती, एम्प्लायमेंट में। ये जरूर है कि आपके साथी बोल रहे थे कि हम इतने वोटों से जीत गये, इतनी सीटों पर जीत गये।

श्री सभापति: आप दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): जीतना बहुत आसान है, परंतु जीतने के बाद लोगों का काम करना बहुत मुश्किल है। यह जो 25 के 25 एमपी दिल्ली में बैठे हैं, इस नेचुरल गैस के लिए ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं कभी भी आपके बीच में नहीं बोलता हूं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): भगवान राम का मंदिर बन ... (व्यवधान) मंदिर बन रहा है।

श्री सभापति: आप बैठिए प्लीज, माननीय सदस्य। कंटीन्यू प्लीज।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): आप हमेशा बोलते हैं, मैं कभी नहीं बोलता। इतने एमपी जीते हैं। अगर गैस पाइप लाइन के लिए काम किया होता और आ जाती, 2014 से लेकर 2022 हो गया, हम इंतजार ही कर रहे हैं। रीको के लिए मैं चाहता हूं कि रीको के अन्दर जो इंडस्ट्रीयल प्लाट्स हैं, उन सबको हमने ई-ऑक्शन पर ले लिया। ई-आक्शन पर सारे के सारे लेना जरूरी नहीं है। इनमें से कुछ को हम फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व पर भी करें क्योंकि ये इंडस्ट्रीयल एरिया इंवेस्टर फ्रेंडली हो जाएगा। इंवेस्टर फ्रेंडली होने से इनके लिए आसानी रहेगी। इनकी रेट्स को भी अफोर्डेबल किया जाये। एक फ्री होल्ड के लिए कोई पालिसी बनाकर रीको के प्लाट फ्री होल्ड पर दिये जायें।

एम.एस.एम.ई. को लेकर मैं कहना चाहूंगा, एम.एस.एम.ई. को हमको बढ़ाना है परंतु इसके लिए बड़ी मदर यूनिट्स लानी पड़ेगी। न तो आप कामयाब हो पाए, न हमारे को अभी तक कोई सफलता मिली है। हजार-दो हजार करोड़ के इंवेस्टमेंट की कोई मदर यूनिट्स आएंगी तो ही एम.एस.एम.ई. सैक्टर आगे बढ़ेगा, अकेला नहीं बढ़ सकता। चाहे रिसर्जेंट राजस्थान हो, इंवेस्ट राजस्थान हो, आंकड़ों से नहीं चलता। 1 लाख 38 हजार करोड़ का आप लोगों ने बनाया आंकड़ा, 12 हजार करोड़ आया। हम भी इंवेस्ट राजस्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं परंतु इसको ईमानदारी से करना पड़ेगा, इस नौजवान के लिए, इस इलाके के लिए कि इंडस्ट्रीयल ईमानदारी से आएं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): इसके लिए लैंड अलाटमेंट को ईजी करना पड़ेगा और बैटर इलेक्ट्रिसिटी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो कि उन इंडस्ट्रीज को भी तकलीफ आए, परंतु लोकल लोगों को भी रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिये। इसके लिए भी कोई प्रावधान हो। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल जी शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 व 11 के विषय में विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, आपका हृदय से आभार।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

मान्यवर, जैसा हम जानते हैं कि उद्योग व विकास एक दूसरे के पूरक व पर्याय है। जिस क्षेत्र में नये औद्योगिक क्षेत्र लगवाने की योजना बनती है, वहां के बेरोजगार युवाओं की आशाओं को मानो नये पंख लगने लग जाते हैं। हमारा भी भविष्य सुधरेगा लेकिन होता क्या है कि उन गांव वालों की, जहां रीको बनता है, उनकी जमीन छीन लेते हैं। खेती का रहा-सहा आसरा भी छिन जाता है। उस गांव की भूमि पर लगे उद्योगों में उन गांव वालों को रोजगार व योगक्षेम की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। एक ओर तो जमीन छिन जाती है और रोजगार नहीं मिलता है। वहीं उद्योग प्रारम्भ होने लगते हैं, उसका दंश उस क्षेत्र का निवासी जिन्दगी भर झेलता रहता है। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में सरकार कोई ठोस नीति बनाए। जो ग्रामीण उद्योगों के लिए जमीन देते हैं और जमीन देकर प्रदूषण का दंश भी झेलते हैं, उन उद्योगों में उनके रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन रीको स्थिति हैं। परन्तु तीनों ही रीको नाममात्र के हैं। वहां सरकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक बीगोद में बहुत पुराना तीस साल पुराना रीको चालू है। परंतु वहां कोई सुविधा नहीं है। एक बिजौलिया में रीको है और एक मेरे माण्डलगढ़ बाईपास पर रीको है परंतु अब तक वहां पर कोई भी सुविधा नाम की चीज सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मेरे क्षेत्र में सेंड स्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वहां रोज 100 कंटेनर विदेश में एक्सपोर्ट होते हैं। सरकार के द्वारा उनको कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है। लाइट इतनी महंगी है कि हर आदमी वहां पर स्ट्रगल करके आगे नहीं बढ़ पाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां की जो भी समस्याएं हैं, इस सेंड स्टोन के उद्योग के बारे में, वहां पर लाइट की रेट थोड़ा कम करके, उद्योग की भूमि जो बहुत महंगी है, उसको सस्ती की जाए तो शायद मेरा क्षेत्र आने वाले समय में बहुत तरक्की करेगा। पूरे विश्व में सेंड स्टोन की डिमांड है जो आपको भी पता है। अभी 100 कंटेनर रोज जाते हैं। अगर सरकार द्वारा व्यवस्था पूरी की गई तो 200-300 कंटेनर पर-डे जाएंगे। यह सरकार की बहुत अच्छी उपलब्धि होगी।

मेरे क्षेत्र में सोप स्टोन, चाइना क्ले और फेल्सपार सभी उपलब्ध है जबकि यहां का माल, जैसे सोप स्टोन चेन्नई, गुड़गांव की फैक्ट्री में जाकर प्रोसेस होता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

हमारे क्षेत्र में भी फैक्ट्रियां लगें तो यहां रोजगार का साधन मिलेगा और इतना ट्रांसपोर्टेशन लगेगा जो आम जनता पर भार कम पड़ेगा और सस्ता उत्पाद होगा। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अभी सेंड स्टोन प्रचुर मात्रा में है। परन्तु सरकार की पालिसी नहीं है, एग्रीमेंट नहीं होते तो अभी भयंकर रूप से, अवैध रूप से सेंड स्टोन का दोहन हो रहा है। बंदूक की नोक पर दोहन कर रहे हैं। इस सरकार में कोई नुमाइन्दा सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पूरी सीमाएं लांघ चुका है। मैं 40 साल से इस धंधे में हूं। मैंने कभी जिन्दगी में नहीं देखा कि इतना भ्रष्टाचार हुआ हो। ऐसा भ्रष्टाचार हुआ न होगा। मैं मंत्री जी से इसकी रोकथाम के लिए कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में, भीलवाड़ा जिले में हर खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सिरेमिक की टाइलें, पूरे गुजरात में जो कच्चा माल जाता है, वह पूरा हमारे भीलवाड़ा क्षेत्र में निकलता है। मंत्री जी से निवेदन है कि निम्बाहेडा के पास जो भूमि पड़ी है, पहले चिह्नित भी की है लेकिन आज दिन तक उसका विकास नहीं हुआ। भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है। वह अपने राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। परन्तु सरकार की उदासीनता के कारण, सरकार की उधर नजर नहीं होने के कारण वहां पर रीको इंडस्ट्रीयल पार्क नहीं होने से कोई ज्यादा विकास नहीं हो रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर रीको इंडस्ट्रीयल पार्क की घोषणा करें तो शायद बहुत जल्दी हमारा भीलवाड़ा पूरे भारत में नहीं विश्व में प्रथम आएगा। यह आपके सामने है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए जिलों में जिला उद्योग केन्द्र खुले हुए हैं। सरकारी कोष की बड़ी धनराशि उन पर व्यय हो रही है। ये जिला उद्योग केन्द्र मेरी राय में केवल सफेद हाथी बनकर रह गये हैं। ये विभाग केवल लाल फीताशाही में उलझा है। कई बार तो लगता है कि ये केन्द्र उद्योगों को बढ़ाने के लिए है या बैरियर लगाने के लिए? ये विचारणीय बिन्दु है। उद्योग केन्द्र शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। युवा कौशल विकास प्रशिक्षण करके उनका मार्गदर्शन करे। कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएं तो उनकी सार्थकता होगी। बड़े पूंजीपति तो सभी समर्थ हैं। वह तो अपना काम कैसे भी करा लेंगे, वह सामर्थ्यवान हैं लेकिन जिन युवाओं को सहायता व

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

सम्बल की आवश्यकता है, उनका मददगार कौन बनेगा? इस पर विचार करना जरूरी है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): दो मिनट साहब। आज सामाजिक जीवन में सामाजिक सुरक्षा उद्योग क्षेत्र की व्यवस्था युवा वर्ग की प्राथमिक आवश्यकता है या प्राथमिकता। यही कारण है कि युवा वर्ग सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित है। फलस्वरूप बेरोजगारों की कतारें बढ़ती जा रही हैं। अगर नीति बनाकर युवा वर्ग को उद्योगों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का विश्वास दिला पाये तो सरकार चलाने की सार्थकता सिद्ध होगी।

मेरी राय में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन बेरोजगारी का सहज व सरल उपाय है। सरकार इस ओर पहल करे, यह मेरा निवेदन है। एक पंक्ति बोलता हूं-

'युवाओं के हाथ को काम, वक्त की पुकार है, वक्त की आवाज है,
वक्त को जिसने न समझा, उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है,
समस्याएं क्यों न कितनी बड़ी हों, क्यों न कितनी कठिन हों,
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है।'

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): एक मिनट साहब। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक प्रसिद्ध सिंगोली चारभुजा ऐतिहासिक मंदिर है। वह देवस्थान के अधीन है। विभाग द्वारा वह संचालित है। वहां पर दानपात्र में व अन्य स्रोत से करोड़ों रुपये प्राप्त होते हैं परंतु उस जगह के लिए, विकास के लिए एक पैसा भी सरकार नहीं देती है। पूरा वहां का खजाना लेकर मदरसों में और दूसरी जगह पर उस पैसे को लगा रही है, लेकिन हिन्दू धर्म के देवी-देवताओं के लिए एक पैसा भी नहीं लगा रही है। वहां का पैसा उलटा कहीं ओर लगाया जा रहा है। यह हमारे लिए सोचने का विषय है। मंत्री जी आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर अभिषेक के लिए भी एक रुपया भी नहीं दिया जाता है।

मेरे क्षेत्र में बाण माता जी का स्थान, गोवटा डैम पर स्थित है, जहां

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

पर किसी भी आदमी के लकवा मारता है तो हाथोंहाथ वहां पर इलाज होता है। ऐसे चमत्कारी स्थान पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है।

एक हमारे तिलस्वा महादेव का स्थान है, जहां पर कुछ हैसियत वाले आदमी अपनी दादागीरी से, वहां पर करोड़ों रुपये महीने के आते हैं, वह मनमाना उपयोग कर रहे हैं। किसी की उस क्षेत्र में सुनते नहीं हैं। जातिवाद का वहां जहर घुला हुआ है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि उस मन्दिर में जो पैसा आता है, उसका हिसाब-किताब पूछा जाए। दस साल-बीस साल में जो पैसा आया, वह कहां लगाया? इसका पता लगाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): एक मिनट साहब, बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। वहां लाखों पशु आते हैं। हज़ारों-लाखों आदमी आते हैं, परन्तु वहां सरकार की तरफ से एक परसेंट भी कोई व्यवस्था नहीं है। रात-दिन लगातार मेला चलता है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं पूरा गुर्जर समाज का क्षेत्र है, वहां देवनारायण उनके आराध्य देव हैं। वहां पर कोई सुविधा नहीं है। आप उसी समाज के हैं। आप वहां पर कुछ व्यवस्था करें, तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री सभापति: श्री जगसी राम जी कोली।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जगसी राम जी कोली।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने ही उनको किसी काम से भेज दिया। जगसी राम जी को मैंने ही भेजा है।

श्री सभापति: रमिला जी, आपको थोड़े ही बोलना है अभी? बोलना है?

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): नहीं।

श्री सभापति: ठीक है, थैंक यू। सर, आप शुरू करिये। आप में सबका सन्निहित है। आप बोलेंगे, तो सब शामिल हो रहे हैं, उसमें क्या है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने ही उनको किसी काम से भेज दिया है। आ रहे हैं।

श्री सभापति: चलिये, कोई बात नहीं, बुलाइये। प्लीज, प्लीज बुलाइये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आ रहे हैं।

श्री सभापति: गोपीचंद मीणा।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 व मांग संख्या 11 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर मेरे क्षेत्र की तीन-चार बात आपके सामने रखूंगा। मांग संख्या 42 में, हमारा डूंगरपुर जिला गरीबी रेखा से बहुत नीचे जीवनयापन करता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से, हमारी बहन बैठी, जिनके पास उद्योग मंत्री का दायित्व है, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वहां पर कई बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी तो नहीं मिलती लेकिन छोटे-मोटे रोजगार, उद्योग सम्बन्धी लेना चाहे, उसके लिये आप हमारे डूंगरपुर ज़िले को जरूर अग्रसर करें, मैं आपसे यह विनती करता हूं। इस प्रकार के उद्योग सम्बन्धी जो भी काम काज आते हैं, जिसमें आप हमारे ज़िले को प्राथमिकता देंगे, तो उस क्षेत्र के अन्दर जितने बेरोजगार लोग हैं, उनको सहायता मिलेगी। यही निवेदन करूंगा।

विशेषकर, मैं मेरे क्षेत्र की बात कहूंगा। मेरे वहां पर देवस्थान विभाग के अन्दर तीन मन्दिर हैं। पहला मन्दिर देव सोमनाथ है, जिसके बारे में आपके सामने थोड़ा जिक्र करूंगा। देव सोमनाथ मन्दिर, प्राचीन काल से वहां पर स्थापित है। उस मन्दिर को कोई जति उड़ाकर लाया था। उस मन्दिर के बारे में, मैंने कई बार, इस विधान सभा में भी बातें रखी होंगी। इस तीन साल के दरमियान, वहां एक रुपया भी नहीं दिया गया। पूर्ववर्ती सरकार वसुन्धरा राजे सिंधिया के टाइम वहां 50 से 60 लाख रुपये का प्रावधान रखा था। उसका एस्टीमेट बनाकर विभाग को भेजा गया, लेकिन विभाग ने उसकी स्वीकृति जारी नहीं की और सरकार बदल गयी। मैं चाहता हूं हमारा देव सोमनाथ मन्दिर है, उसका वहां जीर्णोद्धार किया जाये। वहां विकसित करने के लिये बजट रखा जाये।

मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में लिया जरूर है। देव सोमनाथ, विजवा माता मन्दिर, बेणेश्वर धाम, लेकिन उसके लिये राशि के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। खाली, विकसित किया जाये, ऐसा लिखा है। इन मन्दिरों को विकसित करने के लिये, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप वहां पर बजट आबंटन करें। देव सोमनाथ मन्दिर के पास एक एनीकट बनाया जाये जिससे उस मन्दिर का सौन्दर्य बढ़ेगा, मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं। आपके मार्फत इस बात को पहुंचाये ताकि देव सोमनाथ मन्दिर का काम हो सके। उस एनीकट के बनने से उस पूरे क्षेत्र के अन्दर जल स्रोत बढ़ेगा और वहां के लोगों की पानी की परेशानी है, उसका भी समाधान होगा।

(श्री गोपीचंद मीणा)

इसके बाद मैं कहना चाहूंगा। हमारे वहां विजवा माता जी का मन्दिर है, उस मन्दिर के लिये पूर्ववर्ती सरकार ने 80 लाख रुपये का बजट आबंटन किया था। बजट आबंटन करने के बाद विभाग द्वारा उसका तकमीना बनाकर राजस्थान सरकार को भेजा। सरकार बदल गयी और वह कागज ठण्डे बस्ते में डाल दिये गये। वह बजट वहीं का वही पड़ा रहा। उस मन्दिर परिसर में राजस्थान व गुजरात के लोग, जो लक़वे से ग्रस्त हो जाते हैं, वे सभी लोग वहां आकर ठहरते हैं। वे लोग एक-एक महीने तक रहते हैं, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की धर्मशाला वगैरह बनी हुई नहीं है। मैं चाहूंगा 80 लाख रुपये जिसका पूर्व के बजट में आबंटन किया गया था, वसुन्धरा जी के टाइम पर, वह पैसा भी मिल जाये, तो हमारे वहां लोगों के लिये धर्मशाला बन सकती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विजवा माता मन्दिर को विकसित करने के लिये आप उस बजट को दें, ताकि हमारे जनजाति क्षेत्र के लोगों की ठहरने व रहने की समस्या का समाधान हो सके।

मैं बेणेश्वर धाम के बारे में कहना चाहूंगा। मैं इस सदन में सभी महानुभावों से कहूंगा कि बेणेश्वर धाम विश्व पटल पर कहीं न कहीं माना जाता है। देश आजादी के बाद, कई राज आये गये, मैं उसका उदाहरण नहीं दूंगा। मैं इस अवसर पर यह जरूर कहूंगा कि जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होगी, उस बेणेश्वर धाम टापू पर तीन पुलिया बनाई गयीं, जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम बने।

इसके बाद मैं कहना चाहूंगा। वह भूमि अनसैटलमेंट थी, उस अनसैटलमेंट को सैटलमेंट कराई। राजस्व घोषित कराई। 255 करोड़ का मास्टर प्लान बनाकर देवस्थान विभाग के मार्फत भेजने के लिये हमने प्रस्तुत किया था, लेकिन उसका भी आज तक किसी भी प्रकार का इन तीन साल में कुछ नहीं हुआ है।

मैं चाहूंगा देवस्थान विभाग के द्वारा 255 करोड़ का मास्टर है, वह लागू करके उस बेणेश्वर धाम का विकास करने में आप सहयोग प्रदान करें। मैं कहना चाहूंगा, उस मन्दिर परिसर में 18 करोड़ रुपये जनजाति विभाग की ओर से राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी द्वारा भेजे गये थे। स्वीकृति हुई, वहां अलग-अलग काम दर्शाये गये, जिसमें से आधे-अधूरे काम हुये हैं, आधे-अधूरे काम आज भी पड़े हैं। मैं चाहूंगा, वह पैसा वहां लगाकर उस कार्य को पूरा किया जाये। हमारे बेणेश्वर धाम में सारे हिन्दुस्तान से अस्थि विसर्जन

(श्री गोपीचंद मीणा)

के लिये वहां लोग अस्थि लेकर आते हैं। आज तक वहां पर कुण्ड भी आधे-अधूरे पड़े हैं। यह सरकार की कहीं न कहीं लापरवाही है। हमने अनुरोध भी किया, लेकिन इस बात को सुनने के लिये, ऊपर के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा टीएडी विभाग का पैसा है, उसको वहां लगाकर, उसको विकसित किया जाये।

मैं आपके बीच कहना चाहूंगा। सरकार आई-गई। कांग्रेस सरकार के टाइम हमारे वहां मात्र दो घाट बनाये हैं। वह भी 129 करोड़ के दो घाट बने। अभी जनजाति मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था, 80 लाख की बाउण्ड्री बनाई। यह दो काम ही उस बेणेश्वर धाम पर हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, उस धाम के बारे में पूरे राजस्थान का ध्यान वहां रहना चाहिये। लोग हरिद्वार जाते हैं, हमारे राजस्थान का हरिद्वार यह माना जाता है। मेरा अनुरोध है बेणेश्वर धाम को विकसित किया जाये।

यही बात कहता हुआ, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आप सब बेणेश्वर धाम आकर दर्शन करें। जहां पर भगवान कृष्ण ने मावजी के रूप में अवतार लिया था। मावजी महाराज ने 300 साल पहले भविष्यवाणी की थी। वह सारी भविष्यवाणी आज हमारे हिन्दुस्तान क्या, विश्व पटल पर होती हुई आ रही है।

आप सभी सदस्य महानुभावों से निवेदन करूंगा, आप बेणेश्वर धाम के दर्शन करें और राजस्थान की सरकार को आपकी ओर से भी प्रस्ताव भेजा जाये ताकि हमारा बेणेश्वर धाम विकसित हो सके।

मैं इस अवसर पर ज्यादा समय नहीं लेकर सभापति महोदय से कहना चाहूंगा। खाटूश्याम मन्दिर सीकर ज़िले में है, फाल्गुनी एकादशी के दिन हेलीकाप्टर द्वारा पुष्प वर्षा करने का प्रावधान था, जिसको वर्तमान में सीकर के जिला कलेक्टर ने रोक दिया। पुष्प वर्षा नहीं की गई। इससे यह साबित होता है कि हिन्दू समाज के जितने भी मन्दिर हैं, उस पर यह सरकार कभी भी, किसी भी प्रकार के ऐसे काम नहीं होने देना चाहती है तो इस मन्दिर के विरोध में क्यों जाती है? मेरा आपसे यह निवेदन है। मैं आज कहना चाहूंगा..

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): आप सब जानते हैं, अजमेर में दरगाह है, वहां पर हिन्दू समाज के लोग भी जाकर चादर चढ़ाते हैं। ऐसा क्या हो गया, जो उस मन्दिर पर पुष्प वर्षा करने के लिये आपने रोक लगाई? यह बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं चाहता हूं आप ऐसा काम नहीं करें।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): यही बात कहता हुआ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस प्रकार की विरोधी सरकार जिसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। यही बात कहता हुआ, मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जगसी राम जी।

श्री अविनाश (जैतारण): जिला कलेक्टर सीकर का आर्डर है। आज की तारीख में ... (व्यवधान)

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय...

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जगसी राम जी, एक मिनट।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पहले लगाई क्यों थी। देनी नहीं तो लगाई क्यों थी ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय...

श्री सभापति: बोलिये आप।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जगसी राम जी एक मिनट बैठो, मैं टाइम बढ़ा रहा हूं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पुष्प वर्षा के लिये... (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बोलिये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 11 पर विचार

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग एवं मांग संख्या 11-देवस्थान पर मुझे आज बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

आज पूरे प्रदेश में उद्योगों के बारे में और पूरे माननीय सदस्य जो अपने-अपने क्षेत्र की बात रख रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले जो उद्यमी होता है, वह यह चिन्ता करता है कि हमारे पास में बजट की, सरकार और बैंकों के माध्यम से जिसमें सहयोग मिले तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने के अन्दर कई प्रकार की ऐसी जो कठिनाई आती है, उसमें सरकार सरलीकरण करने के लिए उसमें व्यापारियों का सहयोग करेगी तो मैं यह समझता हूं कि अपने क्षेत्र के अन्दर, एक औद्योगिक क्षेत्रों के अन्दर बढ़ावा जरूर मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, रेवदर उपखण्ड जो है वह पूरा तहसील स्तर का है लेकिन अभी तक उपखण्ड स्तर पर उप जिला उद्योग कार्यालय नहीं होने की वजह से सिरोही जाना पड़ता है और सिरोही से सौ किलोमीटर की दूरी है तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि रेवदर उपखण्ड पर एक जिला उप उद्योग कार्यालय खोला जाये। आबू रोड औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे सिरोही जिले के प्रभारी मंत्रीजी सम्माननीय महेन्द्रजी चौधरी पधारे थे और उसके अन्दर आपने बहुत अच्छी बैठक ली और सारी व्यवस्था भी देखी थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि सड़कों की वहां पर स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर नवीनीकरण के लिए और मरम्मत करवाने के लिए वहां पर क्षेत्र की मांग के अनुसार मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सिरोही जिले के उद्योग कार्यालय के अन्दर विभिन्न योजनाओं को लेकर लम्बे समय से वहां पर फाइलें लगी हुई हैं।

श्री सभापति: उद्योग और देवस्थान की मांग पर बोलना था आपको तो, आप तो कार्यालयों पर बोलने लग गये।

श्री जगसी राम (रेवदर): जी?

श्री सभापति: उद्योग और देवस्थान पर बोलना था। आप तो कार्यालयों पर बोल रहे हैं।

श्री जगसी राम (रेवदर): नहीं-नहीं, सर, यह जो औद्योगिक क्षेत्र है न रीको वाला वहां की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एस.डी.एम. के दफ्तर के बारे में बोलने लग गये आप तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): घूमकर आ रहे हैं।

श्री सभापति: अच्छा, घूमकर आ रहे हैं? आप घूमकर आइये लेकिन सात बजे माननीय नेता, प्रतिपक्ष बोलेंगे, सात बजे।

श्री जगसी राम (रेवदर): जी। मैं वह ही बता रहा हूं और यहां पर समस्या जो है क्षेत्र के अन्दर, वह ही मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं। इसके उपरान्त मैं मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा कि यहां पर औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर आये दिन कम से कम डेली, आज भी वहां पर चोरियां हुई हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वहां पर कम से कम, आज तक दो महीनों के अन्दर पचास लाख की चोरियां हो गयीं। वहां पर केबल, कॉपर की वायर जो है, वहां पर चोरों ने प्रतिदिन, आज भी अपने आबू रोड के अन्दर यह वी.के. मार्बल और अभिषेक ग्रेनाइट के अन्दर आज रात को, 13 तारीख को शाम को ही चोरियां हुई हैं तो मैं सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहूंगा कि इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

देखिये, आबू रोड और रीको एरिया के अन्दर मार्बल, ग्रेनाइट के अन्दर डम्पिंग यार्ड नहीं है। उसकी वजह से स्थानीय मार्बल व्यवसायियों को प्रदूषण करने के लिए वहां पर नोटिस दिये जा रहे हैं तो सरकार द्वारा उनकी भी व्यवस्था की जाये तो मैं यह समझता हूं कि यह एक अच्छा काम होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो यह उद्योग की बात कह रहे हैं तो यहां पर उद्यमी हमारे रेवदर में सेलवाड़ा माइन्स के अन्दर से, कम से कम दो सौ जो माइन्स हैं, वहां का जो मार्बल है, पत्थर जो रिजेक्ट है, वह भरकर गुजरात जाता है और उसके अन्दर अन्य राज्यों के अन्दर भी जाता है। ग्रेनाइट माइन्स का जो पत्थर है वह केल्साइट निकलने के बाद में बड़ी संख्या के अन्दर पाउडर बनाकर और यह मोरबी को जाता है तो क्यों नहीं हमारे सिरोही जिले के अन्दर यह औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर बढ़ावा देकर इनको बढ़ावा दिया जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदया, प्लीज सुनिये इनको।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिरोही जिले के अन्दर हमारे आबू रोड और पूरे सिरोही जिले के अन्दर वहां पर यह बीटी सीटी वाली जांच मशीन जो है, औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर एक भी नहीं है। वहां पर उनको जांच के लिए पाली जाना पड़ता है तो मैं सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहूंगा कि एक तरफ तो अपनी सरकार यह चिन्ता कर रही है कि औद्योगिक क्षेत्रों के अन्दर हम यह चिन्ता करें लेकिन पाली, सिरोही और आबू रोड का कितना डिस्टेंस है, इसके लिए सरकार, व्यवस्था कराने के लिए मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अपन उद्योग की बात करें तो यह अरंडी और सरसों वाला है क्योंकि यह गुजरात से लगता हुआ क्षेत्र है तो उसके लिए यह आयल मिल के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वहां पर क्यों न यह मेन पाइंट स्थापित करके व्यापारियों को भी फायदा दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर रेवदर, आबू रोड और मंडार के अन्दर वहां पर एक वृक्षारोपण के माध्यम से सरकार का लक्ष्य जो था कि हम वहां पर एक वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए उसके अन्दर, माननीय सभापति महोदय, 24-24 लाख की लागत से उन्होंने वृक्षारोपण का जो लक्ष्य तय किया था, वहां पर यह पेड़ नहीं लगे हैं तो मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वनस्पति के साथ में जो इस टाइप का जो किया है, उसकी भी जांच करवाकर उनको लगवाने की व्यवस्था करायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर कार्यरत श्रमिक जो हैं, उन कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए ई.एस.आई. की वेतन में से कटौती की जाती है और उसके उपरान्त भी इसके लिए एक भी डिस्पेंसरी नहीं खोली जाती है तो उसके लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की जाये ताकि यह वहां के जो मजदूर वर्ग है, वहां के जो कर्मचारी लोग हैं, उनके लिए भी वहां पर व्यवस्था हो सके क्योंकि उनका आलरेडी वेतन में से पैसा काटा जा रहा है तो उसके लिए व्यवस्था करें।

श्री सभापति: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र के

(श्री जगसी राम)

अन्दर, मैंने यह तो बता दिया। उपखण्ड स्तर पर हजारों बीघा जमीन होने के उपरान्त भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, पूरे रेवदर तहसील के अन्दर तो मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि पूरे रेवदर के अन्दर जो सरकारी जमीन है वह काफी पर्याप्त मात्रा में है तो वहां आबू रोड में औद्योगिक क्षेत्र है, उसके बाद में सिरोही में भी है लेकिन रेवदर क्षेत्र के अन्दर कहीं पर भी नहीं है तो सरकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि आप उसके अन्दर, अभी सरकार जो चिन्ता कर रही है तो उस वाजिब चिन्ता को देखते हुए हमारे क्षेत्र के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र लगायें ताकि सभी प्रकार के व्यापारी, मैं यह समझता हूं कि सिरोही जिले और राजस्थान के अन्य राज्यों के अन्दर अपना-अपना बिजनस लेकर जो एक व्यापार करने के लिए जाते हैं तो हमारे आबू रोड के अन्दर जालौर के व्यापारी जो हैं, मैं यह समझता हूं कि बाम्बे, महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में भी थे लेकिन उसके अन्दर अभी बड़ी इंडस्ट्री डाली है। हर प्रकार के, माननीय मंत्री महोदय, हमारे प्रभारी मंत्रीजी वहां पर देखकर, बड़ा एम.ओ.यू. जब हुआ था तो वहां पर जिला कलेक्टर महोदय भी थे, एस.पी. साहब भी थे और उस पूरे प्रशासन की मौजूदगी में हमने खुद ने स्वयं ने देखकर उस दिन वहां का विजिट किया है तो उसको आगे बढ़ोतरी करने के लिए सरकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि आबू रोड के साथ-साथ में रेवदर में भी एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करें ताकि आने वाले समय के अन्दर पूरे इस क्षेत्र के सभी वर्ग के चाहे व्यापारी हो या किसान वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो, सभी को अपना रोजगार भी मिलेगा और आने वाले समय के अन्दर इनको बढ़ोतरी भी होगी।

मैं मेरी बात को वापस न कहते हुए लेकिन यह कहना चाहूंगा कि जहां पर यह विद्युतीकरण जो है, लाइट वाली जो व्यवस्था है सरकार उस पर ध्यान दे क्योंकि यह उद्योगों को बढ़ावा तो दे रही है लेकिन उन फाइलों के अन्दर और जिला उद्योग केन्द्र के अन्दर वहां पर फाइलों के लिए यानी, कि ढेर सारी लगी हुई है हमारी सिरोही जिले की तो उसके अन्दर निश्चित तौर पर मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि उसमें चिन्ता करके उनको वापस से, नये सिरे से जिले के अधिकारियों को पाबन्द करें ताकि किसानों को, पूरे क्षेत्र को, हमारे व्यापारियों को यह फायदा मिले।

देवस्थान की जब बात करें तो हमारे यहां पर ऋषिकेश जो आबू रोड के अन्दर एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें सैंक्चुअरी के हिसाब से वहां पर किसी

(श्री जगसी राम)

प्रकार का नया काम नहीं होने जा रहा है या यू.आई.टी. के या किसी भी माध्यम से क्योंकि यह अति प्राचीन मंदिर है। एक भद्रकाली वाला मंदिर जो है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देवस्थान के बारे में जब कहें, प्रत्येक थानों के अन्दर पहले एक परम्परा थी कि वहां पर एक पूजा की जाती थी लेकिन आज हमारे क्षेत्र के अन्दर वहां पर पाबन्दी की है कि थानों के अन्दर पूजा न की जाये तो यह इस प्रकार की सरकार, क्यों इस प्रकार का व्यवहार रखती है? हम पहले क्या, वहां थाने के अन्दर यह कहते थे कि अपनी आस्था को लेकर कि भाई, थाने के अन्दर, मंदिर के अन्दर हाथ कर ले यदि सच्चा है या झूठा है तो एक बड़ी आस्था को लेकर बैठे थे लेकिन आज इसके साथ-साथ में मैं यह समझता हूं कि यह करना अच्छा नहीं है। मंदिरों को जो है, उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और मंदिरों के लिए, पुजारियों के लिए जो व्यवस्था है वह सरकार निश्चित तौर पर करे। मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: 19.00 बजे)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, सीकर कलेक्टर को निलम्बित किया जाये क्योंकि खाटूश्यामजी में रात को पुष्प वर्षा होनी थी।

श्री सभापति: प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, बैठिए। सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उन्होंने अनुमति दी थी। क्यों निरस्त कर दी गई? कारण बताना पड़ेगा। कौनसे एसडीएम ने अनुशंसा की? कौन एडिशनल एसपी है? उसको भी निलम्बित किया जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, ये किस पर बोल रहे हैं? कोई मतलब नहीं है। आपने समय दिया है क्या इनको बोलने का? अपने नेता को ही नहीं सुन रहे हैं।

श्री सभापति: नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सुनिए। बैठिए आप, बैठिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मांग संख्या 11 पर ही मैं अपने आपको सीमित रखूंगा, विविध सामाजिक सेवाएं के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अन्तर्गत देवस्थान विभाग। देवस्थान आजादी के पूर्व भी चाहे कोई राजा महाराजा थे, रियासतें थीं या कोई भी थे, लेकिन वह हमारे आस्था के केन्द्र थे और उन सब लोगों ने पूर्णत: उसको सशक्त बनाया। मैं सोचता हूं कि जितने भी मन्दिर हैं, उनके साथ जमीन देने और उनकी आमदनी का सोर्स बनाकर पूजा करने वाले व्यक्ति का भरण-पोषण भी हो और भगवान की सेवा पूजा भी ठीक प्रकार से हो सके। यही नहीं, इतने आभूषण उस जमाने में इन मन्दिरों पर चढ़ाने के लिए उस क्षेत्र की जो भी रियासतें थीं, उन्होंने बेशुमार धन दौलत भगवान के नाम पर देकर मन्दिरों को लोगों का आस्था का केन्द्र बनाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं कि देश की आजादी के साथ ही जैसे ही रियासतों का विलीनीकरण हुआ तो सारे के सारे मन्दिर जो इस प्रकार के पूजा के स्थान थे, सरकार को ट्रांसफर हुए और देवस्थान विभाग का निर्माण हुआ।

मैं सोचता हूं कि इसको दुर्भाग्य समझें या क्या है, मालूम नहीं। इस विभाग की महत्ता तो बहुत है। भले ही हम उद्योग को एक तरह से रोजगार का साधन मानें लेकिन आज भी हमारे जितने भी मन्दिर और आस्था के केन्द्र हैं, अगर इनके बारे में, इनमें आने वाले यात्रियों की गिनती करें और यात्रियों के आने के कारण से लोकल लोगों को जिस प्रकार का व्यवसाय मिलता है, उनकी संख्या को अगर गिनें तो कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार है तो उन धार्मिक स्थानों पर लोगों को मिल रहा है। वहां पर छोटे-छोटे लोगों को मिल रहा है तो उसमें यह बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया ठीक नहीं है या हम इस डिपार्टमेंट को कोई महत्व देना नहीं चाहते हैं। जिस किसी को भी इस डिपार्टमेंट में लगाते हैं तो वह सोचता है कि सज़ा का डिपार्टमेंट मिल गया, लेकिन सच में यह है कि इसके पास करोड़ों, खरबों रुपये की सम्पत्ति है। अगर इसको ठीक प्रकार से देखना हो, ठीक प्रकार से इसका निरीक्षण हो, ठीक प्रकार से इसका संचालन हो तो रोजगार भी देगा और साथ ही विकास की दृष्टि से भी बहुत बड़ा नजर आता है।

मैं आपसे कहता हूं कि आज भी रामदेवरा का जब मेला लगता है तब राजस्थान की कोई सड़क ऐसी नहीं होती है जिस सड़क पर हजारों लोग पैदल जाते हुए, मोटर साइकिल पर जाते हुए दिखाई नहीं देते हों। लोगों की श्रद्धा की भी एक पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि रास्ते में उनके भोजन की व्यवस्था लोग करते हैं तो मैं सोचता हूं कि मन्दिर हो, चाहे अजमेर का दरगाह शरीफ भी ले लो, अगर केन्द्र बना तो उसकी धार्मिक आस्था के कारण से बना। आज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खाटूश्यामजी के विषय पर जिस बारे में चर्चा की, लाखों लोग जहां जाते हैं तो यह भी एक तरह से इण्डस्ट्री के रूप में ही है, उद्योग के रूप में है, लेकिन हमारा इसके प्रति जो दुराग्रह है या उसके प्रति दुर्लक्ष्य है। इतना मजबूत और अच्छा काम होने के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं केन्द्रित हो रहा है।

आज की तारीख में मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मन्दिर हैं। इनकी कुल संख्या 390 है। 365 तो राजस्थान में है और 25 अलग-अलग स्थानों पर हैं। हमारी राजस्थान की बाउण्ड्री के बाहर भी ऐसे मन्दिर हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। राजकीय आत्मनिर्भर मन्दिर में भी 203 में से 187 हमारे पास हैं और 16 अन्य राज्यों में हमारे मन्दिर हैं। यह सारा मिलाकर राजस्थान के अन्दर मन्दिरों की जो संख्या है वह 59413 है। उनमें से 59260 राजस्थान में हैं और 153 मन्दिर अन्य राज्यों में हैं। उन राज्यों में हमारे यहां के राजा महाराजाओं ने उन स्थानों पर भी चाहे गंगोत्री हो, चाहे वृन्दावन हो, चाहे उत्तराखंड है, उन स्थानों पर धार्मिक आस्था के लिए अपनी प्रोपर्टी वहां बनाकर भगवान के साथ इस क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आपस में बात नहीं करें। सुनिए। बोलिए प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन इन सब बातों के बारे में कोई बहुत ज्यादा किसी की चिन्ता नहीं है। कारण क्या है कि इस विभाग को देखने का नजरिया, सरकार में मैं भी रहा हूं, मैं सोचता हूं इस विभाग को सब बहुत ज्यादा चिन्तापूर्वक नहीं देखते हैं। जबकि यह सब दृष्टि से, विकास की दृष्टि से मापदण्ड तय कर सकता है।

अब आप इसकी दशा देखिये। इसकी दुर्गति क्यों हो रही है, मैं उसका कारण बताता हूं। बड़े पदों को छोड़ दीजिए। राजस्थान में निरीक्षक प्रथम के कुल 15 पद हैं, केवल 15, उसमें से 13 खाली हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो। बड़ा ग्रेड का नहीं है। निरीक्षक पद की जो 15 पोस्ट हैं, उनमें से 13 खाली पड़ी हैं। मैनेजर-प्रथम श्रेणी के 11 पद हैं, 11 खाली पड़े हैं। मैनेजर-द्वितीय श्रेणी का 14 हैं, उसमें से 12 खाली हैं। बिना पुजारी के भगवान की पूजा कौन करेगा, मन्दिर बन्द रहते हैं, ताले लगे रहते हैं, सफाई नहीं होती है। पुजारी के 94 पद हैं। उनमें 76 पद आज की तारीख में खाली हैं। मैं आपको केवल ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम इस ओर अगर ध्यान दें तो मैं सोचता हूं कि भगवान की सेवा पूजा भी होगी और उसके साथ आने वाले लोगों की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सन्तुष्टि भी बढ़ेगी। इसमें जो सेवागीर हैं 144 पद कुल हैं, उनमें से 106 पद खाली हैं। अगर इस विभाग का सारा हिसाब लगायें तो कुल 467 पद हैं, उनमें से 285 पद खाली हैं। इसका मतलब हमारा नजरिया इस डिपार्टमेंट को देखने का कितना ठीक है, यह हमारी तस्वीर और हमारे रिक्त पद बता देते हैं कि हम कितने सीरियस हैं। भगवान की सेवा पूजा से लेकर उन स्थानों पर, अगर संख्या की दृष्टि से तो करोड़ों लोग साल भर में, चाहे आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, हजारों, लाखों लोगों की जो भीड़ रहती है वह किसी आस्था के कारण से रहती है लेकिन इन सबको देखने का जो हमारा नजरिया है, वह ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय, अगर कुछ समय निकाल सको तो ठीक रहेगा। विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको अगर इसमें लगाते हैं तो उनके कांटे चुभते हैं। वह सोचते हैं कि कहां लगा दिया, देवस्थान। देवस्थान कमिश्नर लगाते हैं तो वह सोचता है कि मुझे कहां खड्ढे में लाकर डाल दिया और वास्तव में जितना काम करने का यहां अवसर है और अगर वह ईमानदारी से काम करे तो केवल भगवान की सेवा नहीं करेगा, मैं सोचता हूं राजस्थान के सब लोगों को आस्था के केन्द्र से जोड़ने का बहुत बड़ा काम करेगा। बस दुर्भाग्य है।

मैं आपको एक नमूना बताता हूं चाहे सरकार हमारे टाइम की ही थी, 8 साल पहले मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को हमने इन पदों को भरने के लिए अधिकृत किया था। इसके पहले भर्ती हुई थी 1989 में। उसके बाद इन पुजारियों की भर्ती 25 साल बाद निकली और वह उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय को भर्ती का काम दिया। परीक्षा हो गई। परीक्षा होने के बाद आज तक रिजल्ट नहीं निकल सका। आप अन्दाज लगा सकते हो कि इसकी मानिटरिंग करने वाला क्या करता है। यहां जो इतने अधिकारी बैठे हैं, ये आखिर देखते क्या हैं? इनके देखने का नजरिया क्या है? उसमें भी आश्चर्य होगा, उसका कारण क्या है कि जो उनका पैसा जमा होना चाहिए था, वह पैसा जमा नहीं हुआ और सारे सदन को सुनकर आश्चर्य होगा कि 31 दिसम्बर, 2021 के दिन सुखाड़िया विश्वविद्यालय को 60 लाख रुपये का पेमेन्ट किया, उसके बाद अब रिजल्ट निकलेगा। छोटे-छोटे पद हैं, 94 पुजारियों के पद हैं और 144 पद सेवागीर के हैं। इन पदों की भर्ती होगी। मैं सोचता हूं कि कई लोगों की तो उम्र क्रॉस कर गई। यह हमारा जो काम करने का तौर तरीका है, 1989 के बाद यानी 25 साल बाद तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय को दिया भर्ती के लिए। वह भी छोटे-छोटे दो आदमियों का दिया। उसका भी आज तक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रिजल्ट नहीं आया। इस प्रकार की स्थिति है। वित्तीय स्थिति के बारे में भी मैं आपको बताऊं। मैं आपको इसलिए नहीं कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरे मन की पीड़ा है, चाहे वह सरकार हमारी रही, चाहे आपकी रही, लेकिन इसमें पहले ही बजट कम मिलता है और जो बजट मिलता है, उसमें से भी खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो डिपार्टमेंट करता क्या है? मैं 2015 से ही बताता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन करता हूं सुनिए आप जब नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनको गम्भीरता से सुनें, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 2015-16 में इस डिपार्टमेंट को अलाटमेंट हुआ 31 करोड़ 57 लाख, खर्चा किया 23 करोड़ 49 लाख, 2016-17 में 43 करोड़ 19 लाख, खर्चा हुआ 35 करोड़ 91 लाख, 2017-18 में हुआ 60 करोड़ रुपया, उसकी जगह खर्चा हुआ 43 करोड़ का, उसके बाद 2018-19 में 24 करोड़, खर्च हुआ 19 करोड़। आपके 2019-20 में 20 करोड़, अलाटमेंट घटता-घटता चला गया, 60 करोड़ से घटते-घटते इस डिपार्टमेंट में सालाना, इस डिपार्टमेंट की बहबूदी के लिए, इसके काम के लिए सरकार इतनी कंगाल हो गयी है कि हमारे मन्दिरों के बारे में उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो 60 करोड़ से आ गये हम 20 करोड़ में 2019-20 में और उस 2019-20 में भी 20 करोड़ में से केवल 17 करोड़ खर्च हुआ और 2020-21 में आपने बजट रखा केवल 21 करोड़, उसमें से मात्र खर्च हुआ 8 करोड़ 75 लाख। मैं आपको दोष नहीं दे रहा, पर मेरे मन में इस बात की पीड़ा है कि जब हम बजट को घटाते-घटाते यहां 20 करोड़ तक आ गये और उसमें से भी अगर हम पूरे साल केवल 8 करोड़ 75 लाख कर दिये और इससे भी आगे हद हो गयी, 2020-21 जो अभी अपना जिस साल में है, 31 दिसम्बर तक आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 16 करोड़ का कुल ही अलाटमेंट था, उसमें से केवल 88 लाख रुपया खर्च हुआ। इसका मतलब इस डिपार्टमेंट को देखने का नजरिया कैसा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बार-बार बीच में मत बोलिए। सुनिए आप, सुनिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं, जब आपको इतना-सा बजट मिला, उस बजट में से भी आप 31 दिसम्बर तक केवल 88 लाख रुपया खर्च कर सके विकास के लिए, इसका मतलब आपको बजट देने का औचित्य है क्या? आप लोगों को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
नौकरी का पैसा मिल रहा है, इतनी तो आपकी तनख्वाह बन गयी होगी। इसके अलावा भी पैसा होते हुए भी आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट क्या मोनिटरिंग कर रहा है?

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आप देखिए, यह मंदिर के जीर्णोद्धार, मरम्मत और विकास के लिए जो आपको केवल 28 कामों के लिए पैसा मिला 40 करोड़, इसकी गति देखो आप। मैं अध्यक्षजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देवस्थान जैसे विभाग को, जिसको हम सब नहीं लेते, कभी हाउस में एकाध बार चर्चा हुई हो, बाकी इसकी चर्चा ही नहीं होती है। अगर इसकी खुलकर चर्चा हो और सब लोग ठीक प्रकार से भाग लें तो इसके विकास के साथ राजस्थान की जनता का भी विकास है और जब तक मन मन्दिर में यह मन्दिर बने हुए हैं न, तब तक आप और मैं ठीक इंसान हैं, अगर इन सबको ताला लगा दो, तो आपके दिमाग के ताला लग जाएगा, याद रख लेना, इस बात को समझ लेना ठीक तरह से। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिए प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट बैठ जाओ, बार-बार क्यों उठ रहे हो? क्या हो रहा है? इससे कोई मन्दिर की सेवा हो रही है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं केवल 28 कामों का 40 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। मैं चार के आपको नाम बताता हूं। एक काम 2015 में स्वीकृत हुआ 2 करोड़ 67 लाख 92 हजार का, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। 2016 का एक काम चला जिसमें 11 करोड़ 72 लाख रुपये का अलाटमेंट हुआ, वह अभी भी पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2017 में दो काम स्वीकृत हुए, उसके लिए 17 करोड़ 65 लाख मिले, वह काम भी पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार इन 40 करोड़ में से यह जो मैंने आपको चार काम गिनाए हैं, इनमें आपको 32 करोड़ रुपये खर्च करना था, वह पांच से लेकर सात साल से काम चल रहा है। अब आप सोच सकते हो कि इस डिपार्टमेंट की मोनिटरिंग करने वाले यह बड़े-बड़े दिग्गज लोग आंख बन्द करके बैठते हैं या कुछ इसको देखने की कोशिश भी करते हैं? मुझे इस बात का बहुत दुख है, यह जो 28 में से चार तो मैंने गिनाए आपको, और यह जो 24 काम स्वीकृत हुए जो आपके इस समय में 2022 में स्वीकृत हुए 22 काम स्वीकृत हुए 2019 में बजट में, उसका आज तक भी काम पूरा नहीं हो पाया। 2020 में 2 काम स्वीकृत हुए वह भी आज दिन तक पूरा नहीं हुआ। आपको इतने-से काम, जो स्वीकृत होते

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं और इतना-सा पैसा स्वीकृत होता है, उसको भी आप जमीन पर नहीं उतार सकते हो।

मैं सोचता हूं कि यह जीर्णोद्धार के बारे में मैंने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, 2018-19 में आपको 34 करोड़ 90 लाख रुपया मिला, उसमें से केवल खर्च कर पाए 11 करोड़ रुपया, 23 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ। उसके बाद आपका 2019-20 में आपने दिया 15 करोड़ 71 लाख रुपया, केवल 7 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाए, 8 करोड़ आप खर्च ही नहीं कर पाए। इसके बाद आपको 2020-21 में दिया 12 करोड़ 79 लाख, उसमें से आपने केवल 9 करोड़ रुपया खर्च किया और इस साल तो हद पार कर गए। इस साल आपको 18 करोड़ 77 लाख रुपये का आबंटन हुआ इन मन्दिरों की मरम्मत के लिए, आपने खर्च कितना किया, केवल 42 लाख रुपया। 18 करोड़ 35 लाख रुपया तो पैसा होते हुए खर्च नहीं कर पाए। यह है आपका देखने का नजरिया इन मन्दिरों को और इन मन्दिरों की व्यवस्था को। इसका मतलब आपको और मेरे को, सबको समझ में आ रहा है कि हम इसको तो बेकार का डिपार्टमेंट समझते हैं। इस आस्था के केन्द्र के अन्दर भगवान की झाडू और बुहारा हो जाए, उनको पूजा सामग्री मिल जाए, उनको प्रसाद चढ़ जाए या उनके छोटे-मोटे कुछ विकास के काम हों, उसके विकास के बारे में आपका ध्यान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सहायता का जो पैसा देते हैं, हम मन्दिरों को हर साल में सहायता देते हैं। उस सहायता की दशा देखिए। 2018-19 में आपको सहायता कितनी देनी थी, केवल 15 लाख रुपया सहायता देनी थी, उसकी जगह 12 लाख दे पाए। 2019-20 में आपको सहायता देनी थी फिर 15 लाख रुपया, केवल 2 लाख रुपया दे पाए। मन्दिरों को सहायता देनी है, पैसा केवल ट्रांसफर करना है। कोई नया क्रिएट किसी को नहीं करना है। इसी तरह से आपको 2021-22 में भी वही 15 लाख रुपया आपको मिला, उसमें से आप 4.15 लाख रुपया दे पाए। पैसा आपके पास है, खजाने में आपका अलाटमेंट है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया यह है कि कोई इसके बारे में देखता नहीं। मैं सोचता हूं इस बेणेश्वर धाम के बारे में, यह एक तरह से हमारे आदिवासी क्षेत्र का हरिद्वार है। यह आस्था का ऐसा केन्द्र है, जहां लाखों लोग उस जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसको इतने सालों तक आप लोगों की सरकार रही, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि वहां पर बारिश के दिनों में जाना भी असम्भव होता था, क्योंकि तीनों तरफ नदी का पानी आ जाता था और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक तरह से सावला से न वहां से जा सकते, न घाटोल से जा सकते, न धरियावद से जा सकते। उस जगह अगर पहली बार पुल किसी ने सावला-बेणेश्वर का, पहली बार पुल बनाया तो भैरोंसिंह शेखावत के समय में बना सावला से जाने के लिए। उसके बाद दोनों साइड के पुल माही पर भी और जाखम पर भी पुल अगर बनाया तो सैकण्ड टाइम में भैरोंसिंहजी बने और ललित किशोर जी मंत्री बने थे, तब उन्होंने दोनों साइड के पुल बनाए। उसके बाद वसुन्धरा जी के टाइम पर फिर आपने देखा होगा कि वहां पर यह सारा का सारा पैसा 1 करोड़ 80 लाख रुपया उन्होंने देकर घाट बनवाए थे। बेणेश्वर टापू पर, जहां लाखों दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन वहां उनको बैठने के लिए पानी नहीं, शौचालय करने के लिए जगह नहीं, उस सबके लिए भी 50 लाख रुपये देकर ये सब करवाए। मैं सोचता हूं इसके बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि ओ.पी.जी, जहां वहां से आते हैं, कनकमल जी कटारा ने पहली बार इस जगह अपने TAD फण्ड से 4 करोड़ रुपया देकर माही के ऊपर उन्होंने एक एनीकट बनाया, जिसके कारण से आज वहां साल भर तक पानी भरा रहता है और उस स्थान की पवित्रता और वहां के प्रति जो श्रद्धा है, उसको उन्होंने ठीक तरह से आगे उठाने का प्रयास किया।

माननीय सभापति महोदय, आपने देखा होगा, वसुन्धरा जी के राज में 2013 से 2018 में फिर 5 करोड़ रुपया लगाकर सावला से जाने वाली रोड को पांच मीटर चौड़ी किया। वह तो उन्होंने थोड़ा-सा बता दिया, आपके कार्यकाल में, आप इतने साल से सरकार में हो, 54 साल तो पहले रहे और अभी भी सरकार में हो, इन 54 सालों में आपका इस बेणेश्वर धाम पर जो पैसा लगा वह बताओ। अशोक गहलोत जी ने दूसरे कार्यकाल में 2008-2013 में TAD मंत्री, श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया द्वारा सोम-जाखम नदी पर 1.29 अर्थात् 1 करोड़ 29 लाख लगाकर दो घाट बनाए। यह तो रहे आपके खाते का। एक और है अशोक गहलोत जी के वर्तमान कार्यकाल में TAD मंत्री यहां बैठे होंगे, आपके बामणिया जी बैठे होंगे, उन्होंने 80 लाख रुपये का एक परकोटा बनाया, यह है आपकी उपलब्धि। उस बेणेश्वर धाम की जिसके बारे में गीत गाते-गाते आपका गला सूख गया। इतने सालों तक आपने उसको लिया लेकिन आपके पूरे कार्यकाल में यहां जो पत्थर लगा, वह मैंने आपको बताया।

अब एक योजना तीर्थ यात्रियों की निकाली। उस तीर्थ यात्रियों की योजना में पहली कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा थी। यह 2011 से प्रारम्भ हुई थी। उस तीर्थ यात्रा में प्रति यात्री के हिसाब से रुपया खर्च करना था क्योंकि प्लेन से जाना था।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से सिन्धु दर्शन 2016 में शुरू किया। उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने का काम 2013 से 2016 के बीच में हवाई जहाज से शुरू हुआ और इसमें प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपया सरकार की तरफ से था। सिन्धु यात्रा में 50 परसेंट उसको लगाना पड़ता है और 50 परसेंट आप लगाते हो, जिसमें अधिक से अधिक 01 लाख होता है।

इन्होंने केवल एक काम शुरू किया, वह अभी मोक्ष कलश योजना बनायी है। उसके लिए भी स्वागत है। कोरोना काल में लोगों ने अगर गंगा जी में जाकर के अस्थियों का विसर्जन नहीं किया तो आप जाने वाले 2 व्यक्तियों को अपनी रोडवेज की बस से फ्री लेकर गये। लगभग 24 हजार लोग गये। मैं आपका अभिनन्दन करता हूं। यह एक अच्छी योजना है। आपने अच्छा काम किया। यह आपके खाते की है।

अब मैं आपकी दशा बताता हूं कि किस तरह से आप लोग काम करते हो। कभी देखने की कोशिश नहीं करते हो। कैलाश-मानसरोवर में 2018-19 में 68 लाख रुपया खर्चा हुआ। 2019-20 में कैलाश-मानसरोवर जाने के लिए खर्चा 72 लाख हुआ। 2020-21 में जीरो और 2021-22 में जीरो। कोरोना आया और चला गया 2021 में तो। अगर आपकी मंशा होती तो इतना हम घूम आये, कहीं कोरोना नहीं हुआ, लेकिन आप देखो।

सिन्धु दर्शन, 2018-19 में आपका खर्चा हुआ 20 हजार रुपया। 2019-20 में हुआ 50 हजार रुपया। 2020-21 में जीरो और 2021-22 में जीरो।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, इसमें पहले साल में 11 करोड़ 43 लाख खर्च हुआ। 2019-20 में 12 करोड़ 65 लाख हुआ। 2020-21 में जीरो और 2021-22 में जीरो।

केवल आप यह जो मोक्ष कलश योजना में 24 हजार लोगों को ले गये हैं, इसमें 3 लाख 77 हजार रुपया आपके खर्च हुए हैं।

मंत्री महोदय, बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि देवस्थान की भूमि को लोग अपनी जागीर समझते हैं। उस जागीर पर कब्जा करके वर्षों से आनन्द लूटते हैं लेकिन विभाग अपने आपमें असहाय है। कुछ कर नहीं सकता है।

आपको मैं बताता हूं कि सहायक आयुक्त, ऋषभदेव के क्षेत्र में 299.07 बीघा भूमि पर पुजारियों का कब्जा है तथा 52 बीघा भूमि पर अन्य अतिक्रमणियों का कब्जा है। यहां पिछले एक वर्ष से कोई अधिकारी ही नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लगा हुआ है। इसी तरह से सिद्धि विनायक जो बांसवाड़ा का मन्दिर है, इसकी 1 बीघा भूमि पर अतिक्रमी है।

वृन्दावन में हमारी बहुत बड़ी प्रोपर्टी है, लेकिन उस प्रोपर्टी को कोई ठीक प्रकार से देख ही नहीं रहा है। वृन्दावन के जो ललित स्मारक, यह 3 बीघा 2 बिस्वा जो जमीन है, इसमें न्यायालय से हम जीत चुके हैं। न्यायालय से हमारे पक्ष में फैसला निकल गया, लेकिन उसके बाद भी हम उस पर कब्जा लेने में अभी तक समर्थ नहीं हुए हैं। अभी न तो उनको आगे का कोई स्टे मिला है। डिपार्टमेंट कुछ देखना ही नहीं चाहता। एक तरह से वहां जाते हैं और घूम-फिरकर वापस आ जाते हैं।

सहायक आयुक्त, अजमेर में विभाग की 1902 बीघा भूमि है। विभाग के कब्जे में केवल 87 बीघा जमीन है। बाकी सारा लोगों ने कब्जा कर रखा है। मन्दिर माताजी आसीन्दराय जी की 11 बीघा जमीन पर कब्जा है। इसी तरह से एक नया मन्दिर है, 17.02 बीघा भूमि पर अनधिकृत कब्जा है।

सहायक आयुक्त, कोटा क्षेत्र में 447.12 हैक्टेयर भूमि देवस्थान विभाग की है, जिस पर हुए कब्जे हटाने के लिए 65 मुकदमे लम्बित हैं। इसी प्रकार 179 हैक्टेयर भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम, खातेदारों में गलत चढ़ गयी, जिसे पुन: मन्दिर के नाम दर्ज कराने के लिए 44 मुकदमे चल रहे हैं। मतलब, एक बार जाकर कोर्ट में मुकदमा डाल दो और जिन्दगी भर तक उस प्रोपर्टी को खाओ।

सहायक आयुक्त, उदयपुर के क्षेत्र में अतिक्रमणियों को हटाने के लिए 54 मामले हैं। यह 2010 से लम्बित हैं। इनमें से केवल 12 का निस्तारण हो पाया है।

सहायक आयुक्त, जयपुर द्वितीय के क्षेत्र में 176 हैक्टेयर भूमि अन्य व्यक्तियों के कब्जे में है। इसी तरह से अलवर में 6.61 हैक्टेयर भूमि पर पुजारियों ने कब्जा कर रखा है।

हमारी सरकार ने मन्दिर माफी की जमीनों से कब्जा हटाने के लिए भू-राजस्व नियमों 1956 के 91 में तहसीलदार को पूरा अधिकृत कर रखा है। लेकिन कागजी कार्यवाही करते हैं। कोई इसमें रुचि नहीं रखते हैं और घूम-फिरकर वापस आ जाते हैं। इसके बारे में कोई सख्ती करिये।

मुझे तो बहुत दुख इस बात का है कि इन मन्दिरों के पास अरबों, खरबों के आभूषण हैं। इसकी साल में एक बार कोई इंवेंट्री भी कोई नहीं देखता है कि वास्तव में वही हैं या नहीं हैं। वह सही सलामत हैं या नहीं हैं। इसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बारे में भी किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सारा मिलाकर के हमारे पास 20875 आभूषण हैं। जो हमारी पुरानी एंट्री से हैं। अभी 2021-22 तक में 56 आभूषण डोनेशन में, भेंट-पूजा में लोगों ने चढ़ाये, वह और हैं। इन आभूषणों का भौतिक सत्यापन इन 3 वर्षों में एक बार भी नहीं हुआ है जबकि नियमों के तहत हर साल इन आभूषणों की इंवेंट्री बननी है। इसका वैरीफिकेशन होना है लेकिन विभाग में किसी को भी किसी बात की चिन्ता नहीं है। न तो कोई पूछने वाला है और न ही कोई देखने वाला है।

सबसे बड़ी इस विभाग की जो कमजोरी है, वह है किराया कानून। यह 60-60, 70, 80 साल से कोई 25 रुपये में बैठा है, कोई 200 रुपये में बैठा है। यह जो बड़ी चौपड़ के मन्दिरों की दुकानें हैं, वह कोई 250 में है, कोई 300 में है, कोई 500 रुपये में है। हम मुकदमे लड़-लड़ करके थक गये लेकिन हम इन प्रोपट्री पर कब्जा नहीं कर पाये। हमने अपने किराया कानून को भी इस तरह से सख्त नहीं बनाया। बनाया जरूर, प्रयत्न किया, लेकिन उस कानून को हम धरातल पर नहीं ला पाये।

हमारी जो प्रोपर्टीज हैं वह उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तरांचल में हैं, दिल्ली में हैं, गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं। यह सारी सम्पत्तियां हैं। मैं सोचता हूं कि अगर इनकी कीमत को आंकें तो कई हजार करोड़ों में निकलेंगी। इस प्रकार की सम्पत्तियां हैं। इसमें 1964 का बेदखली का कानून है लेकिन इसका कोई लाभ हमें अभी तक मिल नहीं पाया है। हम कब्जा नहीं ले पाये हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट की एक खण्डपीठ ने 3 वर्ष पहले आपको एक डायरेक्शन दिया। एक जन सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से देवस्थान विभाग की देश भर में स्थित सम्पत्तियों, आमदनी के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। 3 साल पहले मांगी। अभी तक भी डिपार्टमेंट ने उनको उसकी पूरी सूचना नहीं दी। 3 साल पहले उन्होंने मांगी थी कि आपकी सम्पत्तियां कहां हैं? कम से कम इसको तो हमें बताओ।

माननीय उच्च न्यायालय ने देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले मन्दिरों की दुर्दशा को लेकर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया था। न्यायालय ने जानना चाहा था कि विभाग की कितनी सम्पत्तियां हैं? इन सम्पत्तियों से कितना किराया प्राप्त होता है? वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है? यह कोई बताने वाला नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि इस विभाग की विभिन्न श्रेणियों के जो मन्दिर हैं, इसके किराये के बारे में नीतियां हमने जरूर बनाईं। हर बार कोशिश की कि इन नीतियों के आधार पर हम अपने किरायेदारों से अधिक किराया वसूल करें। पीडब्ल्यूडी की रेट्स से वसूल करें। नियम बनाने का प्रयास किया है लेकिन उसको जमीन पर उतार करके उन लोगों के कब्जे से हम नहीं छुड़ा पाये। एक ने दूसरे को बेच दिया। दूसरे ने तीसरे को बेच दिया। आज चौथा बैठा है। जो हमारा ओरिजनल किरायेदार है, उसकी जगह भी नहीं है।

मैं सोचता हूं कि सबसे पहले 1949 में ही हमने इस पर कानून बनाया। 1958 में इन सम्पदाओं को लीज पर देने का अधिकार लिया। 1977 में भी किराया निर्धारण हेतु समिति का गठन किया। उसके बाद 1993 में सरकार द्वारा पहली बार किराया नीति जारी की गयी। इस नीति के अन्तर्गत भी कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली। हम कुछ नहीं कर पाये। पीडब्ल्यूडी के आधार पर जो भी उसकी रेट तय होती है, उसका किराया तय होता है, उसके आधार पर किराया लिया जाये और उसके बाद फिर हमने 2000 में एक नीति बनायी और उसके तहत हमने इनसे किराया वसूल करने के लिए प्रयत्न किया, उसमें भी हमको असफलता मिली।

अभी आपने एक नई नीति निकाली है, नई किराया नीति 2021, इसमें आपने प्रयत्न किया है। इसमें आपने ड्राफ्ट में लिखा है, हर साल 5 परसेंट पीडब्ल्यूडी के आधार पर बढ़ेगा। अगर कोई पुराना आदमी इसका फैसला करना चाहे तो आपने उसमें काफी छूट भी दी है कि अगर वह 30 परसेंट पैसा भी जमा करायेगा तो भी हम उसको रेगुलराइज कर देंगे। हमने उसको कई प्रकार की छूट दी हैं, लेकिन आज भी आप जैसे ही किराया नीति लागू करते हैं वैसे ही वो लोग जाकर कोर्ट में केस डाल देते हैं और एक स्टे लेकर बैठ जाते हैं। न तो उसको कोई खारिज कराने वाला और न कोई उसकी पैरवी करने वाला, मतलब एक तरह से मिलकर इस तरह से डिपार्टमेंट की दुर्गति हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, आप सभी बन्धुओं से मेरी प्रार्थना है, मैं सोचता हूं कि अरबों-खरबों रुपयों की सम्पत्ति वाला अगर कोई विभाग है तो वो यह देवस्थान विभाग है। इसके पास इतने आभूषण है कि जिनकी कीमत आप आंक नहीं सकते, इस-इस प्रकार के हैं, लेकिन इस विभाग को देखने का किसी के पास नजरिया नहीं है। जो आज की तारीख में जनता को सबसे ज्यादा आकर्षित अपनी ओर करता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अभी खाटूश्यामजी के मेले के बारे में कल-परसों ही अख़बार में पढ़ा कि 17 लाख लोग पहुंचे हैं। ऐसे ही आप सालासर के बारे में देखो। ऐसे ही आप ऋषभदेव के बारे में हमारे मन्दिर के बारे में देखो। ऐसे ही आप नाकोड़ाजी के बारे में देखो। इन धार्मिक स्थानों के प्रति लोगों की इतनी आस्था है, जहां-जहां भी प्राइवेट ट्रस्ट हैं वहां पर ठहरने की व्यवस्था है, सब कुछ है लेकिन आपके तो बाथरूम भी नहीं हैं। आदमी वहां पर इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद सड़क ही उसका बाथरूम है और खुला मैदान ही उसका शौच का घर है। क्या इस प्रकार की हम गरीबी में हैं? जब हम इतने विकास के कार्य कर सकते हैं, इतना बजट खर्च कर सकते हैं, हमारे पास बजट उपलब्ध है, लेकिन हम बजट का उपयोग नहीं कर पाते हैं, कम से कम मेरी प्रार्थना है कि आप इस विभाग को तवज्जोह दो और इस विभाग में एफिशिएंट अधिकारी को लगाओ जिसकी धर्म के प्रति आस्था हो। जिसकी धर्म के प्रति आस्था ही नहीं है वो इस डिपार्टमेंट को भंगार डिपार्टमेंट समझता है और इसके कारण से डिपार्टमेंट की दुर्गति होती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं किसी की आलोचना के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं कि इस डिपार्टमेंट में बहुत क्षमता है इस डिपार्टमेंट में बहुत कुछ किया जा सकता है और यह डिपार्टमेंट आपके 5 डिपार्टमेंट चलाने की क्षमता रखता है यदि आप इसका ठीक प्रकार से दोहन करें। इससे राजस्थान का भी भला होगा, जनता के संस्कारों में भी भला होगा और आने वाला टूरिस्ट जो आता है हमारे इन धार्मिक स्थानों पर वो कम से कम वो एक अच्छी धारणा लेकर जाये कि राजस्थान की सरकार ने इन मन्दिरों की देखभाल और उसकी व्यवस्था में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय सभापाति महोदय, आज का दिन सोमवार है और दोनों मांग उद्योग 42 और देवस्थान 11, देवस्थान से जुड़ा हुआ है। आज का दिन इतिहास में भी, आज की तारीख, फाल्गुन शुक्ल की एकादशी और खाटूनरेशजी का जो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मेला लगता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, राजस्थान के और भारत देश के रहने वाले विदेशों से भी वहां पर मेले में आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अनुदान की पहली मांग है उद्योग, मांग संख्या 42, नाम सुनने पर ही लगता है कि देश और प्रदेश में उद्योग एक

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ऐसी कड़ी है जो कि एक विकास की महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक तन्त्र है, उद्योग के महत्वपूर्ण हिस्सों में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की साझेदारी होती है क्योंकि उद्योग को स्थापित करने के लिए सारे डिपार्टमेंट मिलकर जब कार्य करते हैं तो ही कोई उद्योग स्थापित हो सकता है। चाहे उसमें राजस्व हो, बिजली हो, पंचायती राज हो, पर्यटन हो, श्रम विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, अनेकों विभाग मिलकर सामूहिक रूप से जब एक होकर काम करते हैं तो ही कोई एक उद्योग सुचारु रूप से चल सकता है। उद्योग स्थापित होंगे तो राजस्थान के युवा, महिला आदि सब आत्मनिर्भर बनेंगे।

राजस्थान प्रदेश एक शुद्ध वातावरण वाला प्रदेश है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान निराला है, कहीं रेत के टीले हैं, तो कहीं पहाड़ के शिखर आसमान को चूम रहे हैं। राजस्थान में प्रकृति की अनोखी सुन्दरता, सुरक्षा, इंवेस्टर्स को आकर्षित करती है। इतना ही नहीं प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथ राजस्थान के सम्माननीय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोतजी ने औद्योगिक क्षेत्र में जो नई योजना, जो नई नीति बनायी है, चाहे सब्सिडी देना हो, ब्याज अनुदान राशि देना हो, ये जो नई योजना बनाकर, नई सोच के साथ नये आयाम स्थापित किये हैं, इंवेस्टर्स की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करने से पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने सभी व्यापारी संगठनों से, सामाजिक संगठनों से वीसी के जरिये उनकी राय जानी। तभी उन सबकी राय को अपने बजट में शामिल किया कि किस तरह से उद्योग अधिक से अधिक हमारे यहां पर स्थापित हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंवेस्टर्स यहां पर आ सकते हैं।

सम्माननीय सभापति महोदय, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से निवेश को प्रदेश में लाने के लिए हमारे द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं। इंवेस्ट राजस्थान 2022 आयोजन माह जनवरी में होना था लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। एक नया आयाम राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किया कि पहली बार राजस्थान में प्रत्येक जिले में इंवेस्ट रोड शो किये गये जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों, उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों को जोड़ा गया। राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर रोड शो का आयोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान में निवेश का जबर्दस्त माहौल बना। अब तक 10 लाख 41 हजार करोड़ रुपये के कुल 4,016 एमओयू और एलओआई हस्ताक्षर किये गये हैं जिनमें लगभग 9 लाख 4

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हजार लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। इनको धरातल पर उतारने के लिए हमारी यह योजना थी कि इनकी सारी औपचारिकताएं साथ-साथ पूरी करते हुए चलें।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 7 लाख 98 हजार करोड़ रुपये की राशि 92 एमओयू, एलओआई हस्ताक्षरित हुए जिनमें 2 लाख 20 हजार व्यक्तियों को रोजगार सम्भावित होगा।

जो जन घोषणाओं की अनुपालना में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 जारी की गयी, जिसमें समावेशी सतत औद्योगिक विकास, औद्योगिक आधारभूत संरचना, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय प्रोत्साहन, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, उद्यमिता, नवाचार, ऋण प्रवाह, नियमों का समावेश किया गया है। आधारभूत संरचना निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई विकास, निर्यात संवर्धन, दस्तकारी, हस्त शिल्प योजना प्रोत्साहन। आधारभूत संरचना यथा भूमि, वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन इत्यादि आवश्यक होती है। रीको का इस क्षेत्र में कार्य काफी अच्छा और सराहनीय रहा है। औद्योगिक आधारभूत संरचना को स्थापित करने के लिए रीको का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रीको ने अभी तक 370 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये हैं। लगभग 88 हजार एकड़ से अधिक भूमि अवाप्त कर 50 हजार एकड़ से अधिक भूमि विकसित की गयी है, रीको द्वारा 58,700 भूखण्ड आबंटित किये गये हैं जिसमें 41,600 इकाइयां अभी वर्तमान में उत्पादनरत हैं, कार्यरत हैं, चल रही हैं, ऐसी कम्पनियां हैं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार के गठन के पश्चात् रीको ने अपने क्षेत्र में अद्भुत जो कार्य किये हैं, नवाचार किये हैं, राजस्थान को पूरे देश में एक नई पहचान दिलायी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सोच के साथ अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किये जायें, राज्य को औद्योगीकरण की ओर ले जायें। पहली बार देश में राजस्थान ने अभिनव प्रयोग करते हुए प्रत्येक उपखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने का निर्णय लिया है, यह राजस्थान सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से वंचित 153 उपखण्डों से 129 उपखण्डों में भूमि चिह्नित कर ली गयी है। 45 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं। एक यह राजस्थान में नया अचीवमेंट होगा। इसी का परिणाम है जहां गत सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में 2,138 औद्योगिक भूखण्डों का

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

आबंटन किया गया था, हमारी सरकार के मात्र तीन वर्ष में लगभग 4,000 औद्योगिक भूखण्डों का आबंटन किया गया है, जिसमें नये उद्यमियों को नये अवसर प्राप्त होंगे। दो वर्ष के कोरोना काल होने के बाद उद्यमियों को सम्बल देने के लिये कोविड के दौरान मुख्य मंत्री महोदय ने समय-समय पर एमनेस्टी स्कीम को लागू किया, जिसके माध्यम से अभी तक लगभग 54 करोड़ रुपये की राहत प्रत्यक्ष रूप से उद्यमियों को दी जा चुकी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट 2022-23 में एमनेस्टी स्कीम की भी घोषणा की है, जिसमें पूर्व में घोषित एमनेस्टी स्कीम से ज्यादा लाभ दिया जायेगा ताकि कोविड में जो उद्यमी अपने काम को अधिकतर नहीं कर पाये, उन्हें राहत मिल सके। आबंटित भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार अतिरिक्त भूमि लागत में 75 प्रतिशत की छूट दी गयी है। भूखण्ड/उप-विभाजित भूखण्ड के हस्तान्तरण पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गयी है। ये सब चीजें कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए की गयी हैं। 30 जून, 2021 तक भूमि प्रीमियम बकाया किश्तों को जमा कराने पर देय ब्याज की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाना प्रस्तावित है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से राजस्थान को रिफाइनरी मिली और इसका राज्य को अधिकाधिक लाभ कैसे मिल सके, यह राज्य में 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन (PCPIR) बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका नोटिफिकेशन जारी करने की कार्रवाई भारत सरकार के समक्ष प्रक्रियाधीन है। सभापति महोदय, इन्वेस्टमेंट रीजन बनने के बाद डाउनस्ट्रीम रिफाइनरी पेट्रोकैमिकल उत्पादों पर आधारित उद्योगों के सर्विस इंडस्ट्रीज तथा इम्पोर्ट सब्स्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज भी लगेंगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। सभापति महोदय, हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार मिलेगा।

मेडिकल डिवाइस पार्क, जोधपुर- कोरोना काल में राजस्थान में अभूतपूर्व कार्य किये गये। माननीय मुख्य मंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है, इस हेतु हमारी सरकार ने राज्य में एक मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जोधपुर में स्थापित किया है। अभी तक 28 उद्यमियों ने अपनी इकाइयां स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है। सभापति महोदय, इसकी स्थापना से उन्होंने भूखण्ड

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

आबंटन के लिये रुचि दिखाई है कि जल्दी हमें आप भूमि आबंटित कर दें तो हम डिवाइस पार्क यहां पर स्थापित करेंगे। इससे मेडिकल उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि होगी। अपने यहीं पर राजस्थान में बनाने का यह प्रयास रहेगा।

फिनटेक पार्क- माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के युवक और युवतियां प्रतिभावान हैं, चाहे सी.ए. हो, सी.एस. हो, आई.आई.टी. हो, मेडिकल हो, हर क्षेत्र में राजस्थान का युवा सर्वोच्च शिखर पर पाया जाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। युवक-युवतियां पढ़ने के बाद उन्हें अपने पेशेवर रोजगार के लिये राजस्थान से बाहर जाना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ऐसे बच्चों की परेशानी को गम्भीरता से लिया है। राजधानी में एक फिनटेक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। रीको द्वारा हवाई अड्डे के पास लगभग 94 एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाले पार्क में देश की प्रमुख वित्तीय, बीमा, आई.टी. कम्पनियां अपनी गतिविधियां प्रारम्भ करेंगी, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर पढ़े-लिखे बच्चों को यहां पर रोजगार दिया जायेगा।

प्लग एंड प्ले सेंटर, सीतापुरा, जयपुर- माननीय सभापति महोदय, जो पेशेवर उद्यमी हैं, उन्हें अपनी इकाई तुरन्त स्थापित करने के लिये रीको ने एक नयी पहल की है। रीको सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में 4,167 वर्ग मीटर भूमि पर प्लग एंड प्ले सेंटर विकसित किये जा रहे हैं, जिसमें आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उद्यमियों को एक ही छत के नीचे प्राप्त हो जायेंगी और वे वहां अपनी छोटी इकाई प्रारम्भ कर सकते हैं। उन्हें सारी सुविधाएं वहां मिलेंगी। यह नहीं रहेगा कि यह काम नहीं हुआ। पूरा एक फ्लैट के आधार पर बनाया जायेगा, सारी सुविधाएं उन्हें दी जायेंगी।

रीको का एक सराहनीय प्रदर्शन रहा। देश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की उन्नति की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिये दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 को पुडुचेरी में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में काउंसिल आफ स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्ट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा भारतवर्ष का उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह हमारे राजस्थान के लिये गर्व की बात है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के डी.पी.आई.आई.टी. विभाग द्वारा जारी की गयी आई.पी.आर.एस. की रेटिंग में चिह्नित देश के कुल 68 उत्कृष्ट औद्योगिक पार्कों में से 25 पार्क हमारे रीको ने विकसित किये हैं। यह बहुत ही सराहनीय बात है। पूरे भारत की परफोर्मेंस जो अभी सुन रहे थे कि इस तरीके की है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

माननीय सभापति महोदय, रीको में कार्मिकों की कमी को देखते हुए अभी पिछले दिनों 213 पदों पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भर्ती की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी सदन को, कि मुख्य मंत्री महोदय ने आधारभूत संरचना के विकास हेतु बजट 2022-23 में राज्य में औद्योगिक क्षेत्र से वंचित 147 उप-खण्डों में से 2021-22 में प्रथम चरण में 64 उप-खण्डों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की घोषणा की थी। इन्हें विकसित करने का कार्य तीव्र गति से प्रारम्भ हो चुका है। बजट घोषणा संख्या 49 वर्ष 2022-23 के क्रम में 17 जिलों में 33 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी।

टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रीज लगाने के लिये सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र- ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरानाड़ा- जोधपुर में 250-250 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स विकसित किये जायेंगे। इन परिसरों में IT, ITeS, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी एवं सर्विस सेक्टर इकाइयों को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ स्थापित किया जायेगा। साथ ही, जोधपुर में एक अतिरिक्त इनलेंड ड्राई पोर्ट की स्थापना की जायेगी।

आगामी वर्ष में रीको के माध्यम से भिवाड़ी शहर, ग्रेटर भिवाड़ी, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर-पाली, सीतापुरा-जयपुर, बोरानाड़ा-जोधपुर एवं पाली सहित 20 औद्योगिक क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपये की लागत के विकास के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। साथ ही, भिवाड़ी शहर व औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज सम्बन्धी समस्या निवारण हेतु 100 करोड़ रुपये की लागत से एक वृहद् प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा। जो वेयरहाउस के लिये अभी बात चल रही थी, रीको क्षेत्र में वेयरहाउस प्रयोजनार्थ भूमियों का आबंटन वर्तमान में औद्योगिक दरों के डेढ़ गुना पर किया जाता है। इसे घटाकर अन्य दरों के समान ही किया जायेगा।

उद्योग के सुगम संचालन हेतु रीको क्षेत्रों में विभिन्न कारणों को निरस्त भूखण्डों के बहालीकरण तथा वसूल किये जाने वाले शुल्क को भविष्य में तर्कसंगत बनाने के लिये एक नीति बनायी जायेगी। डा. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन, 2022 में एससी-एसटी के उद्यमियों के लिये रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटन के निर्धारित 5 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 6 प्रतिशत आरक्षण किया जायेगा। जो अभी माननीय सदस्य ने चिन्ता जतायी कि 5 परसेंट जो आरक्षण दिया जायेगा, उसमें एससी-

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

एसटी महिला के साथ अन्य महिलाओं को भी जोड़ा जायेगा, ऐसा नहीं है। 5 परसेंट प्लस 1 परसेंट अभी मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है, 6 परसेंट सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी का होगा। उसमें उन महिलाओं की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। 5 परसेंट अलग से महिलाओं का है और 6 परसेंट एससी और एसटी महिलाओं का है। यह भी एक सोच थी, उसके लिये यह साफ कर दिया गया है कि जनरल महिला की भागीदारी उसमें नहीं है। जनरल का 5 परसेंट अलग से है।

वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर परियोजना, इसके दोनों तरफ 150 किलोमीटर तक पट्टी का क्षेत्र दिल्ली और मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर को यह जोड़ता है। इसके तहत पांच औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे, जिसमें खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा क्षेत्र, जोधपुर-पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, राजसमन्द-भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-दौसा औद्योगिक क्षेत्र। सम्माननीय सभापति महोदय, इस क्षेत्र के विकास के लिए भिवाड़ी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण (BIDA) का गठन किया गया। सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.02.2018 द्वारा राजस्थान विशेष विनिर्धारण रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 9 की उप धारा द्वारा किया गया। इस प्राधिकरण क्षेत्र में अलवर लोक सभा के 4 विधान सभा क्षेत्र, 6 तहसीलें जिनमें कुल 321 गांव सम्मिलित किये गये हैं जिससे उन गांवों का भी विकास हो सके। सड़क बनाने का हो, चाहे स्कूलों में मदद करने का हो, हास्पिटल में मदद करने का हो, BIDA में शामिल करने से इन गांवों को ये फायदे मिल सकते हैं।

सभापति महोदय, प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4 योजनाएं उन्नति लोकल शापिंग काम्पलेक्स भिवाड़ी, प्रगति लोक शापिंग काम्पलेक्स भिवाड़ी, मनोहर विहार आवासीय योजना, अशोक विहार आवासीय योजना नीमराना विकसित की गयी हैं। भिवाड़ी में शहर की मुख्य सड़कों का निर्माण आदि महत्वपूर्ण कार्य किये गये जिन पर 28 करोड़ रुपये की लागत आयी है और अगले वित्तीय वर्ष में 80 करोड़ रुपये इस पर व्यय किया जायेगा।

अलवर बाईपास का सौन्दर्यीकरण, नीमराना की मुख्य सड़क का विकास, भिवाड़ी शहर की मुख्य समस्या दूषित जल निकासी हेतु मास्टर ड्रेनेज प्लान आदि जैसे विकास के कार्य किये जायेंगे जिन पर 250 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अभी माननीय सदस्य वस्त्र का कह रहे थे। वस्त्र उद्योग में राज्य में पाली, बालोतरा, जसोल, जोधपुर, सांगानेर, बगरू, भीलवाड़ा, किशनगढ़ आदि अत्यन्त महत्वूर्ण विख्यात प्रासंगिक हब हैं। इनके लिए विशेष योजना के तहत ड्रेनेज बनाये जायेंगे।

सभापति महोदय, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 200 करोड़ रुपये का कॉर्पस फण्ड बनाया गया है। योजना में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा 50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। पाली में सीटीपी यूनिट संख्या 4 के अपग्रेडेशन हेतु 167.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य सीटीपी जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी स्थापित किये जायेंगे।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय का जा उद्देश्य है कि राजस्थान को भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गन्तव्य के रूप में स्थापित किया गया है, रोजगार के अवसर सृजित करना है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 लागू की गयी है। इस योजना के तहत निवेश अनुदान राशि जीएसटी का 75 प्रतिशत, रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के ई.पी.एफ., ई.एस.आई. के नियोक्ता के अंशदान 50 प्रतिशत पुनर्भरण, विद्युतीकरण पर 100 प्रतिशत छूट 7 वर्षों के लिये, मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत छूट रहेगी 7 वर्षों के लिए, भूमि कर छूट 100 प्रतिशत 7 वर्षों के लिए, भूमि रूपान्तरण शुल्क 100 प्रतिशत छूट रहेगी। ये सारी छूट राजस्थान के सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दी हैं कि इन्वेस्टर्स आकर्षित हों और हमारे राजस्थान में अपना उद्योग-धन्धा स्थापित करे। यह सारी छूट देना राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री महोदय का नया अचीवमेंट है। आज से पहले कभी भी किसी भी सरकार ने इस तरीके की योजनाएं नहीं की थीं। योजनान्तर्गत विनिर्माण में 30 एवं सेवा क्षेत्र में 14 थ्रस्ट सेक्टर के लिए पिछड़े, अति पिछड़े क्षेत्र हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है।

सभापति महोदय, गत बजट की घोषणा में अनुसूचित जाति, जनजाति उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्पेशल पैकेज लागू किया जिसमें अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

रिप्स, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 23.02.2022 को बजट भाषण में रिप्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

घोषणाएं की थीं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के अन्तर्गत थ्रस्ट सेक्टर में 6 नवोदित विनिर्माण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के अन्तर्गत जेम्स एण्ड ज्वेलरी थ्रस्ट सेक्टर में पूंजी अनुदान अधिकतम सीमा 25 लाख से एक करोड़ की गयी है। इनलैंड कंटेनर डिपो, आई.सी.डी. की पात्र इकाइयां न्यूनतम निवेश 50 करोड़ व 10 एकड़ भूमि क्षेत्र को सेवा क्षेत्र की पात्र गतिविधियों व थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 स्पोर्ट्स एकेडमी को पात्र सेवा क्षेत्र में शामिल अधिकतम पूंजी अनुदान एक करोड़ रुपये, थ्रस्ट सेक्टर में स्पोर्ट्स सेक्टर अधिकतम पूंजी अनुदान एक करोड़ रुपये किया गया है। सभापति महोदय, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 से 2014 कोविड संकट के कारण इकाइयों को अतिरिक्त एक वर्ष का परिलाभ देय होगा। निवेश को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए अधिक आकर्षक सरल प्रावधानों के साथ राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना, 2022 लागू की जायेगी। वन स्टाप शाप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह प्रगति प्रतिवेदन पूरा ही पढ़ेंगी आप? त्राहिमाम्-त्राहिमाम् सभापति महोदय, 116 पेज, बचाओ। बचाओ, सभापति महोदय, घोषणा कराओ इनसे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): आपको पूरा ही बताना पड़ेगा, मैंने पूरा सुना है। सभापति महोदय, अभी तो मेरी शुरुआत है। अभी शुरुआत है, देवस्थान तो बाकी है। इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए सभापति महोदय।

श्री सभापति: पढ़िये आप। मंत्री महोदय, आप कंटीन्यू करिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): पढ़ा हुआ नहीं माना जायेगा।

'एक-एक तिनका जोड़कर घर बनाती है, उस चिड़िया को बया कहते हैं।

एक-एक विकास की योजना बनाता है उसे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत कहते हैं।'

तो ये योजनाएं तो सुननी पडेंगी आपको, हमने भी तो सुना है आपका। थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है।

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें। आप अपनी बात कहना चालू रखें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): अब वन स्टाप शाप है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सभापति महोदय, यह व्यवस्था की गयी है कि इन्वेस्टर्स की जो समस्याएं होती हैं कि ऑफिस टू आफिस चक्कर काटेगा, वह वहां जायेगा, उस विभाग में जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी का यह उद्देश्य है कि कोई भी इन्वेस्टर परेशान नहीं हो तो सोमवार और बृहस्पतिवार को एक ही छत के नीचे वन स्टाप शाप के आफिस में 14 विभाग के अधिकारी वहां पर उपस्थित रहेंगे। वह राजनिवेश पोर्टल पर अपने कागज ऑनलाइन डालेगा और उस पर उसे सारी सुविधाएं अवेलेबल हों तो यह एक नया अचीवमेंट है सभापति महोदय। अभी तक इनके कार्यकाल में चक्कर काटता फिरता था। (व्यवधान) लोन तो हम दिला देंगे, आप लेने आ जाना।

2022-23 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की कि तीन वर्ष से बढ़ाकर जो हमारी एम.एस.एम.ई. फैसेलिटीज आफ एस्टेब्लिशमेंट एण्ड आपरेशन अधिनियम, अब ये नाम तो पढ़ने ही पड़ेंगे। 2019 फ्लैगशिप योजना, जिसमें एम.एस.एम.ई. इकाई की सरल स्थापना की है जिससे कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग फैसेलिटीज आफ एस्टेब्लिशमेंट एण्ड आपरेशन अध्यादेश लागू किया गया जिससे कि कम्पनी स्थापित करने वाले को जो भी मात्र एक पृष्ठ के सरल आवेदन पर प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसे जारी कर दिया जायेगा और तीन वर्ष नहीं, अब पांच वर्ष तक उससे किसी तरीके की कोई जांच पड़ताल नहीं होगी जिससे अपना उद्योग-धन्धा स्थापित कर सकते हैं। इसको अब पांच साल कर दिया है।

मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, फ्लैगशिप, सभापति महोदय, उद्यमों की सरल स्थापना के लिए कि उद्यमी और इन्वेस्टर्स किस तरह से हमारे राजस्थान में अपना उद्योग-धन्धा स्थापित कर सके, इसके लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने 25 लाख रुपये तक पर 8 प्रतिशत जिसे बढ़ाकर अब 9 कर दी गयी है, 5 करोड़ पर 6 प्रतिशत, 10 करोड़ पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि देय होगी जो भी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में अपना उद्योग-धन्धा स्थापित करेगा। योजनान्तर्गत 2019-20 (11 मार्च, 2022 तक) में 11 हजार 607 उद्यमियों को 2,603 करोड़ रुपये का ऋण वितरित

(समय: 20.00 बजे)

किया गया है एवं 43.80 करोड़ की ब्याज अनुदान राशि दी गयी है। अभी आपने पूछा था न, दिया है क्या, तो उसका जवाब है कि कितना दिया गया है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

राज्य में इन योजनाओं के अन्तर्गत समाधान के लिये जो छूट दी गयी है, एक हजार इकाइयां, जिन्होंने ऋण प्राप्त कर लिया है, किन्तु संशोधित प्रावधानों के कारण पात्रता पूरी नहीं की है। वे भी अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के वृहद् रूप के लिये आगामी वर्ष में ब्याज, अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

सभापति महोदय, कुछ विशेष वर्गों के ब्याज अनुदान में वृद्धि की गयी है। इस प्रकार से कृषि आधारित एम.एस.एम.ई. इकाई की स्थापना, विस्तार, एक्सपेंशन हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इंट्रेस्ट सब्सिडी को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में 25 लाख रुपये के ऋण पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत राशि का अनुदान कर दिया गया है।

डा. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पात्र उद्यमियों को मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत ब्याज अनुदान में एक प्रतिशत और अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

सभापति महोदय, राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद्, राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्ब से भुगतान के प्रकरणों का निस्तारण करने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत 4 सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषदों का पुनर्गठन कर 9 सुविधा परिषदें गठित की गयी हैं। नवगठित 9 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों द्वारा जनवरी, 2022 तक 97 बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें 719 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

सभापति महोदय, ये पूछते हैं न, सुविधा परिषद् में क्या किया गया है, सी.एस.आर. फण्ड के सदुपयोग के लिये अभी कई पूछ रहे थे। राज्य में सी.एस.आर. फण्ड के सदुपयोग हेतु राजस्थान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए देश में सर्वप्रथम 'मिशन निर्यातक बनो' का शुभारम्भ 29.07.2021 को किया गया है। मिशन निर्यातक बनो, जिलों में उद्यमियों, दस्तकारों, हस्तशिल्प नवीन निर्यातक बनाने के लिये प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें आयात-निर्यात कोड दिया जायेगा, उससे उन्हें सुविधा मिलेगी।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

राज्य में अब तक 6 हजार से अधिक उद्यम हस्तशिल्प निर्यातकों को आयात कोड जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्यात सम्बन्धी प्रक्रियाएं एवं दस्तावेजीकरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके फलस्वरूप राज्य का कुल निर्यात 46 हजार 476 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2021 में बढ़ाकर 52 हजार 764 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जनवरी, 2022 तक इसे बढ़ाकर 57 हजार 803 करोड़ रुपये किया गया है, जो अब तक की निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिये सबसे बड़ी वृद्धि है। मिशन निर्यातक, जो शब्द है, उसको बढ़ाने के लिये किया है।

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि जोधपुर हस्तशिल्प में प्रथम स्थान पर आता है। 2017-18 में हस्तशिल्प का निर्यात 3,701 करोड़ रुपये था, 2021 में 6,205 करोड़ था। निर्यातक टैक्सटाइल में एग्रो फूड प्रोडक्शन, जैम्स एण्ड ज्वैलरी, इंजीनियरिंग सामान का प्रमुख योगदान रहा है। सम्बद्ध सेवाओं से राज्य में 31 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। आरईपीसीसी परिषद् की पहली बार जिला स्तरीय संवर्द्धन समितियां स्थापित की गयी हैं। इसी क्रम में निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना भी की गयी है। (व्यवधान) घबराओ मत, थोड़ा ही बोल रहे हैं।

राज्य के 22 जिलों में राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के माध्यम से हस्तशिल्प बुनकरों, दस्तकारों के 50 क्लस्टर बनाये गये हैं। वर्तमान में सात क्लस्टर परियोजनाएं स्वयं सहायता समूहों से चल रही हैं। जोधपुर में हाथ कशीदाकारी, वूडन, मेटल, क्राफ्ट क्लस्टर, जैसलमेर में हाथ कशीदाकारी क्लस्टर, बाड़मेर में चर्म शिल्प उत्पाद क्लस्टर, चित्तौड़ में चर्म शिल्प उत्पाद क्लस्टर गंगरार, भीलवाड़ा में फड़ पेंटिंग क्लस्टर, भरतपुर में मार्बल मूर्ति क्लस्टर।

राज्य की ओर से झालावाड़ जिले से कोटा स्टोन स्लरी, जोधपुर जिले से वूडन हैण्डीक्राफ्ट, सिरोही जिले में आयल मिल क्लस्टर, चार कामन फैसिलिटी सेन्टर एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति के लिये भेजे गये, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं आयी है।

माननीय सभापति महोदय, हथकरघा सहकारी समितियों के बुनकर के कौशल विकास के लिये विपणन में सहायता प्रदान करने, राजस्थान राज्य बुनकर सहकार संघ लिमिटेड की स्थापना 26 अगस्त, 1957 को की गयी थी। इसमें 500 से अधिक प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां राज्य में 16 व

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

राज्य के बाहर 1 चल रही है। सभापति महोदय, बुनकर संघ द्वारा जो बिक्री हुई है, जो इनकी सेल लगायी जाती है, प्रदर्शनियां लगायी जाती हैं, ऐसी 22 बुनकर सहकारी समितियां जिनके लिये 23 स्थानों पर प्रदर्शनी लगायी गयी और 11 बिक्री केन्द्रों पर 14 समितियां, इन्होंने 101.50 लाख वार्षिक बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया।

बुनकर पुरस्कार योजना दिसम्बर, 2018 से 2022 तक 272 बुनकरों को पुरस्कृत किया गया है। बाजार सहायता योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2018 से 2022 तक 901 शिल्पियों और दस्तकारों को लाभान्वित किया गया है। हैण्डलूम क्षेत्र में, बुनकर परिचय पत्र धारक बुनकरों को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 1 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार हैण्डी क्राफ्ट क्षेत्र के दस्तकारों के लिये भी 3 लाख रुपये तक के ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज राशि सरकार द्वारा वहन की जा रही है। उद्योग विभाग द्वारा वितरित राज्य के दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर एवं लघु उद्योग 2000 तक के विभिन्न योजना में 6248 में जो बकाया राशि थी, अधिसूचना 21.01.2022 द्वारा कुल मूलधन ब्याज सहित बकाया ऋण 8 करोड़ 37 लाख 4 हजार रुपये माफ किये गये हैं।

एमनेस्टी स्कीम में योजनान्तर्गत शर्तों की पालना करने में जो असफल रहा या नहीं दे पाया किसी कारणवश, सम्बन्धित इकाइयों द्वारा वसूलनीय मूल अनुदान की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष वसूलनीय मूल अनुदान समस्त ब्याज राशि माफ किये जाने की व्यवस्था की गयी है। राज्य में अब तक 25 से अधिक इकाइयों को इस स्कीम में लाभान्वित किया जा चुका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मानसिक त्रासदी से बचाओ आप।

श्री सभापति: मामूली बचा है, दिख रहा है मुझे। सारे सदस्य बहुत सावधानी से सुन रहे हैं।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मंत्री जी का पहला स्टेटमेन्ट है, पहला जवाब है। सुनो, फर्स्ट स्पीच है, आप सुनो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 31.01.2022 तक 151.44 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हैं। 177.11 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये हैं। सभापति महोदय, ज्यादा नहीं बोलूंगी। राजस्थान फाउंडेशन ने देश-विदेश से राजस्थान में आर्थिक, सामाजिक निवेश सुनिश्चित करने में बहुत अहम भूमिका निभायी है। राजस्थान फाउंडेशन ने अभी यूक्रेन में हुए घटनाक्रम में भी अपनी बहुत महती भूमिका निभायी है। तुलनात्मक, मैं थोड़ी-सी तुलना तो कर देती हूं, इन्होंने निवेश प्राप्त औद्योगिक भूखंडों की संख्या कितनी की है। सभापति महोदय, जो एम.ओ.यू. साइन हुए, पिछली सरकार में हुए और अब हुए वह थोड़ा-सा बता देती हूं। रिसर्जेंट राजस्थान में हुए 470 और अब हुए 4,016, रुपये 3 लाख 38 हजार करोड़ और ये 10 लाख 48 हजार के मात्र और रोजगार दिया जायेगा इनका 3 लाख 56 हजार का था, हमारा है 9 लाख 40 हजार का। जो एमओयूज हमारे साइन हुए हैं उनका जो आप कह रहे थे क्या करेंगे, उन सभी को धरती पर उतारा जायेगा।

जो आप सबने यहां पर बोला और जो कटौती प्रस्ताव लगाये गये थे, उन सभी के पास में उनका उत्तर पहुंच जायेगा। मैं सभी को आश्वस्त करती हूं कि सबके उत्तर आपके वहां पहुंच जायेंगे। फिर भी जो जैसा, अभी कई माननीय सदस्यों से मेरी बात हुई थी कि हमारे यह समस्या है, रीको की है या उद्योग से सम्बन्धित किसी भी तरीके की है, तो प्रत्येक जिले में जाकर के सभी को सूचना देकर के पक्ष-विपक्ष को बुला करके राय जानी जायेगी और जो छोटी-मोटी कमियां हैं उन्हें दूर किया जायेगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा।

'खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी,
हवाएं खुद तुम्हारा तराना गायेंगी।'

आप कहो तो इनका जवाब दूं, जो बोले हैं। अब मैं देवस्थान पर बोल दूं थोड़ा-सा। (व्यवधान)

श्री सभापति: बहुत मामूली सा है। पढ़िये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): राजस्थान प्रदेश देवों की भूमि है, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है...(व्यवधान) माननीय सदस्य की कोई भी शंका है आंकड़े की या कोई किसी तरीके की भी है तो मैं उनसे मिल करके और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि प्रदेश में इन्वेस्टर्स आयें उद्योग-धन्धे स्थापित हों, किसी एक-दूसरे पर टालें नहीं कि इसमें यह कमी रही है। कहीं अगर आपकी भी कमी रही या किसी की भी रही तो आप सबसे मेरा निवेदन है और जैसा कि अभी आगे बोल दूंगी उसमें कि हमारा देश और प्रदेश देवों की भूमि मानी

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जाती है। राजस्थान में ऐसी कई प्रसिद्ध जगहें हैं जहां पर अनोखी चमत्कारी कहानियों की किवदन्ती है। प्रदेश में सन्त भी ऐसे हुए हैं, गुरु भी हुए हैं क्योंकि वृक्षों को भी हमारे भारत देश में पूजा गया है, क्योंकि वृक्ष में भी देवताओं का स्थान माना है, चाहे पीपल हो, चाहे कल्पवृक्ष हो, चाहे बील हो, हमारे जीवन में यह अति महत्वपूर्ण है। देवी-देवताओं के लिए अभी जैसा बताया सभी ने यहां पर और जो भी कटौती के प्रस्ताव से रखा, अधिकतर मांग यही थी कि हमारे मन्दिरों का, सभी का जीर्णोद्धार कराया जाये। मैन पाइंट यही निकलकर आया कि सभी ने अपने मन्दिरों की स्थिति को ठीक करने की एक बात यहां सदन में रखी और सभी मन्दिरों में पूजा के लिए या सारी सुविधाएं उनको वहां पर उपलब्ध हों, यह मैन निकलकर आया है। जब से मैंने पदभार ग्रहण किया है उस दिन से आफिस में जाना, बैठना और जो अभी विपक्ष के नेता ने कहा कि किराये की नीति को चैंज किया जाये, बदला जाये। अभी जो भी फाइलें यहां पर आयी थीं हमने उनको देखने के लिए कि चैक करेंगे कौन-कौन कहां पर किस-किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से मन्दिरों की देखरेख हो रही है। ट्रस्ट के भी देखने के लिए हमने सभी को रोका है।

एक बात और, हर मन्दिर को खोल कर, जैसा अभी बात आई छतरी की और मजार की, ऐसा उस स्थान पर वहां पर मन्दिर है नीचे शिवजी का ऊपर छतरी है और वहां पर इस तरीके की कोई चीज नहीं है कि कोई मजार हो या कोई चीज मन्दिर के ऊपर तो कैसे बनेगी वह तो छतरी है वहां पर आज की तारीख में भी आप देख सकते हैं। उसमें कोई असत्य या सत्य बोलने की जरूरत नहीं है।

जो अभी कह रहे थे कि फूल नहीं बरसाने दिये हेलिकाप्टर से, तो ये जो ऐसे मैटर हैं, प्रशासन जनता की, जो वहां भक्त आ रहे हैं उनकी सुविधा अनुसार, क्योंकि दो साल जो कोरोना लग रहा था कोरोना काल के कारण पब्लिक मन्दिर नहीं जा सकती थी, मेले नहीं भरे दो साल से तो मेला नहीं भरने के कारण एकदम से पब्लिक बहुत ज्यादा उमड़ी है तो कहीं ऐसी कोई घटना न हो जाये कि कोई टैन्ट उड़ जाये, कोई भगदड़ मच जाये, उनको देखते हुए सब भक्तों की सुविधा को देखते हुए उसको स्थगित किया गया है न कि इस तरीके से कि श्याम जी भगवान नहीं हैं या ईश्वर नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पर देवता नहीं है या ऐसे कि वे भगवान को नहीं मानते

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हैं, प्रशासन नहीं मानता है, सरकार नहीं मानती है। ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहां कोई हवा नहीं हो और ऐसा कोई हृदय नहीं है जिसमें कोई भी ईश्वर या शक्ति विराजमान नहीं हो। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब क्या हो रहा है, थोड़ा-सा उलटा हो रहा है।

'देवता दिख रहे हैं आज सभी उनके इश्तहार में,
राम और शिव को भी लाना पड़ा है बाजार में।
कैसी यह प्रथा चलाई, देवों को भी उतारा है।
देव के रूप रख उतार, वो प्रचार में,
उंगली पकड़ कर चल रहे देवता उनके इश्तहार में।
कैसी यह प्रथा चलाई, देवों को भी उतारा इश्तहार में'।

तो देवी-देवता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौनसा देवता कहां पर नहीं है, मेरा मानना यह है कि चाहे कोई भी देवता हो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब, देवी, विराजो आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): थोड़ा-सा तो और सुना दूं।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): राठौड़ साहब, आपने महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा। आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, कोई महिला मंत्री जवाब दे रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने अपमान नहीं किया है, देवी कहा है। मैंने कहा है, देवी विराजो।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): नहीं-नहीं, क्यों विराजो। आप सुनिये उनको।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): थोड़ा-सा शोर्ट में बता देती हूं मैं देवस्थान के बारे में।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): भाई साहब, आप भी सुन रहे हो, ये नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो सुन लो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): थोड़ा-सा मैं बता देती हूं देवस्थान के बारे में, ज्यादा नहीं। यह नहीं बोलूंगी पूरा, थोड़ा-सा। पूर्व देशी रियासतों, राज्य द्वारा राजकोष के माध्यम से संचालित मन्दिरों, मठों,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

धर्मशालाओं आदि के प्रबन्धन को सुचारु रूप से चलाने के लिए 1949 में देवस्थान विभाग का गठन किया गया था। विभिन्न श्रेणी के मन्दिरों के नियंत्रण और उनके विकास के कार्य हो सकें, इसलिये राजस्थान, आप पूछें तो आपको मैं यह सारी डिटेल बता दूं कि कौन-कौनसा मन्दिर कहां पर है। देवस्थान विभाग द्वारा राज्य के बाहर के 390 प्रत्यक्ष प्रभार, 203 आत्मनिर्भर, 300 सुपुर्दगी श्रेणी के, कुल 936 मन्दिर प्रबन्धित हैं जिनमें राज्य के 857, राज्य के बाहर 79 मन्दिर स्थित हैं। उपरोक्त मन्दिरों में कुल...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह प्रगति रिपोर्ट तो पढ़ ली है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): तो अब ये पढ़नी तो पड़ेगी, साहब, कितनी हैक्टेयर भूमि है आप कहो तो बता दूं। देवस्थान विभाग में 10 हजार मन्दिरों में धूप के लिए और बत्ती के लिए पैसे दिये जाते हैं। यह सारा आपने बता दिया, फिर आप कहें तो थोड़ा-बहुत तो बोल दूं।

सभापति महोदय, आपने यह कहा कि पुजारियों की भर्ती वाला, मैं बोल देती हूं, ज्यादा तो नहीं, पुजारियों की भर्ती कब से चल रही थी, 2013 से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 2014 से।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): 2014, तो इतने दिन तक कोई परीक्षा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार के बाद में, दो साल कोरोना के बाद अभी साठ लाख रुपये डाल दिये और रिजल्ट उसका जारी होगा और वह भर्ती भी हो जायेगी, आप चिन्ता नहीं करें।

अगर कोई मन्दिर ऐसा है जहां पूजा-पाठ नहीं हो रहा, आपकी नॉलेज में हो, किसी भी माननीय सदस्य की नॉलेज में हो, तो आप और किसी को नहीं, तो आपके वहां कोई कह रहा है कि यह नहीं है, वह नहीं है, मुझे बताने का कष्ट करें। मेरा एक यह प्रण रहेगा कि हर मन्दिर में पूजा होना चाहिए और हर मन्दिर का जीर्णोद्धार भी होना चाहिए, ऐसा मेरा टार्गेट रहेगा। प्रयास करूंगी मैं, जहां तक हो।

आपने जो कहा और जो वृद्ध नागरिकों की यात्रा थी उसमें भी दो साल कोरोना के कारण जीरो परसेंट रहा है, बाकी, तो ऐसा नहीं है कि वह जीरो परसेंट रहा हो।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

इन पुजारियों का मानदेय 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया प्रतिमाह, 3,600 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

वृद्धजन यात्रा किसने शुरू की? मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की हर वर्ग को टच करने वाली, हर वर्ग को फायदा देने वाली सोच है। दो साल जीरो होने के बाद भी हमारा ज्यादा है। आपके पास तो आंकड़े होंगे ही, ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है। आपके थे 76,642, हमारे हैं 85,219, इसमें भी ज्यादा हैं। 5,178 या 12,060, यह भी ज्यादा हैं। 81,820 की जगह 97,239, ये सारे देखेंगे कि कितना फर्क है। 835 यहां 1537, 121 और 145, दो साल जीरो रहा, तब इतना है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वृद्धजन की यात्रा हो, चाहे मोक्ष कलश यात्रा हो, इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी है।

आपने जो देवस्थान मंदिरों की चर्चा की कि ऐसी स्थिति है, मेरे पास भी सारी डिटेल है कि कहां-कहां पर कितना पैसा खर्च किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदया, एक्सपीडाइट करें, प्लीज।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): अभी माननीय सदस्यों को इतना कहना चाहूंगी (व्यवधान) गोगामेड़ी में जो राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी का मंदिर है, जिसमें जीर्णोद्धार के लिये 25.27 करोड़ में से 22 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। मैं मोटा-मोटा बता देती हूं कि मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी मंदिर जीर्ण-शीर्ण नहीं रहेगा। माननीय कटारिया जी की जो भावना थी, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यह माना कि हम भी रहे, वास्तव में जो भी रहा, मैंने जब आफिस में जाकर देखा तो चाहे आपकी सरकार रही हो, मंत्री जी ने वहां जाकर मीटिंग की या नहीं की, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे यह सूचना मिली कि आपने नहीं की। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अभी विचार रखे कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने उद्योग में इस तरह से किया। स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। सभापति महोदय, कौनसा मेक इन इंडिया? चाहे परमाणु का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का हो, कम्प्यूटरीकरण हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे युद्ध जीतना हो, जिसने नक्शे तक बदल दिये, इस संसार का नक्शा बदल दिया। सभापति महोदय, भारत देश तो विकास की गति के शिखर पर खड़ा था। कौनसा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया? घोषणाएं कीं कि इतने औद्योगिक क्षेत्र, एक कोई ऐसा उदाहरण हो, जैसे कि नरेगा। कोरोना काल के बाद भी गांव और ढाणी का आदमी अपनी रोजी-रोटी कमा कर खा

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सकता है। सभापति महोदय, आप कोई एक योजना बता दीजिए। सभापति महोदय, चाहे पीपीपी मॉडल पर देना हो, कोई सरकारी संस्था छोड़ेंगे भी या नहीं छोड़ेंगे, मुझे लग नहीं रहा है। सबने सुना था, यह कोई मेरे बोलने की बात नहीं है कि कालाधन लेकर आयेंगे। कितना तो कालाधन आ गया? एकदम आदेश जारी कर दिया। सभापति महोदय, नोटबंदी कर दी, किसान की आय दोगुनी कर दी क्या?

श्री सभापति: आप अपने सब्जेक्ट पर आइए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, उद्योग के क्षेत्र में मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्या करा, जो औद्योगिक कंपनियां चल रही थीं, तेज गति से बढ़ रही थीं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अब यह असहनीय हो रहा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): (व्यवधान) हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। एकदम से लॉकडाउन कर दिया। सभापति महोदय, लेबर का ध्यान भी नहीं रखा कि मजदूर आदमी कहां जायेगा। कंपनियां किस कगार पर जायेंगी, एकदम लॉकडाउन कर दिया। एक बार तो सोचते उन लेबर के लिये, उन मजदूरों को लिये सोचते तो हम भी धन्यवाद देते। प्रधान मंत्री जी ने कंपनियों के लिये एक अच्छा काम किया, मजदूरों के लिये अच्छा काम किया, एकदम लॉकडाउन कर दिया। मजदूर जब चल-चलकर मरने की कगार पर आ गया, यह तो राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद है कि उन्होंने कहा कि कोई भूखा नहीं सोयेगा, कोई पैदल नहीं चलेगा, सबको घर तक पहुंचाया। सभापति महोदय, क्या ऐसे प्रधान मंत्री होते हैं? पूरे देश की कंपनियों का सर्वनाश कर दिया। सारी लेबर फुटपाथ पर आ गई। (व्यवधान) राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय की देखा देखी और उनकी सराहना करी। चाहे कोरोना काल रहा हो, राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने टीका लगाने की घोषणा की।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदया, अभी उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन्होंने आपकी सारी बात मान ली। अब आप देवस्थान पर बोलिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, कोरोना काल में सबसे पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि युवा को फ्री में टीके लगाये जायेंगे, लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने नहीं की। बाद में करी तो क्या करी? बाद में जब देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं। अभी कह रहे थे कि टैक्स माफ कर दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपका कोई दोष नहीं है। रस्सी जल गई पर अभी बल नहीं निकला।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं चाहती हूं कि देश के प्रधान मंत्री एक-एक किसान के लड़के को नौकरी दे दें, हम धन्यवाद दे देंगे। एक लाइन और बोल दूं।

'जहां कलम चलती है, स्याही अपना रंग छोड़ती है, उसे कागज कहते हैं।
जहां इंसान चलता है, कदम बढ़ाता है, उसे धरती मां कहते हैं।
जहां हर वर्ग को सुविधा मिलती है, उसे कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की सरकार कहते हैं।'

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग व अनुदान की मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं को पारित किया जाय।

मांग संख्या 42 का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,01,67,14,000/- (अक्षरे चार अरब एक करोड़ सड़सठ लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,01,30,000/- (अक्षरे उनहत्तर करोड़ एक लाख तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.28 बजे मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बालोतरा में अल्पसंख्यक छात्रावास की स्थापना

285. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं में कितनी राशि आबंटित की गई? उक्त आबंटित राशि में से कितनी राशि व्यय की गई व कितने प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति हुई? योजनावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला बाड़मेर के बालोतरा मुख्यालय पर अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं में आबंटित राशि, व्यय राशि तथा प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति का योजनावार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला बाड़मेर के बालोतरा मुख्यालय पर अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने हेतु अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कठूमर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

286. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2021 में कठूमर में औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा इस हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये?

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र चालू करने की सरकार की क्या कार्य-योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट 2021 में कठूमर उपखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र की

(उद्योग मंत्री)

स्थापना की घोषणा की गई है। कठूमर उपखण्ड क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु ग्राम रूंध सोंखरी की 25.30 हैक्टेयर राजकीय भूमि चिह्नित की गई है, जिसका स्थल चयन समिति द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 07.04.2021 को किया गया।

चिह्नित भूमि नेशनल कैपिटल रीजन, रीजनल प्लान 2021 में नेचुरल कन्जर्वेशन जोन (एनसीजेड) के अन्तर्गत आ रही है। इस भूमि को एनसीजेड से बाहर करने हेतु एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को लिखा गया है।

(2) भूमि एनसीजेड से बाहर/मुक्त होने पर औद्योगिक क्षेत्र के नियोजन एवं विकास की कार्यवाही की जावेगी।

तिजारा में अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना

290. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र तिजारा का अधिकांश क्षेत्र औद्योगिक होने के कारण क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पोलीटेक्निक कालेज व अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र तिजारा अलवर जिले के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में अलवर जिले में 02 राजकीय सह-शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय एवं 01 केन्द्र सरकार का पोलीटेक्निक महाविद्यालय तथा 06 निजी पोलीटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं। 02 राजकीय सह-शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय की प्रवेश क्षमता 364 एवं 01 केन्द्र सरकार के पोलीटेक्निक महाविद्यालय की प्रवेश क्षमता 40 तथा 06 निजी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता 1,185 है। इस प्रकार सत्र 2021-22 में कुल प्रवेश क्षमता 1,589 के विरुद्ध 525 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।

इसी प्रकार विभाग के अंतर्गत संचालित बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिला अलवर में पांच निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिसमें वर्ष 2021-22 में कुल प्रवेश क्षमता 990 के विरुद्ध 589 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली की Approval

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

Process Hand Book 2021-22 के अनुसार यदि किसी जिले में पूर्व में राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय संचालित है तो नये राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र तिजारा में पोलीटेक्निक कालेज एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

'पोस' मशीन के स्थान पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था

296. श्री रघु शर्मा (केकड़ी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर पोस मशीन की व्यवस्था संचालित है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या पोस मशीन की वर्तमान में संचालित व्यवस्था व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में उक्त व्यवस्था के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पोस मशीन के स्थान पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में उचित मूल्य की दुकानों पर पोस मशीन की व्यवस्था माह अगस्त, 2015 से सितम्बर, 2016 के दौरान तीन चरणों में (प्रथम चरण में 7 जिलों द्वितीय चरण में 8 जिलों एवं तृतीय चरण में शेष समस्त जिलों) चरणबद्ध रूप से लागू की गई है।

(2) जी हां। विगत 3 वर्षों में पोस मशीन के संबंध में 9,873 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

यह व्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DOIT) के माध्यम से संचालित की गई थी

(3) जी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लक्षित लाभार्थियों तक राशन सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने तथा वन

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

नेशन वन राशन कार्ड एवं जन आधार में आधार सीडिंग के पश्चात् उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरान्त ही किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

नवीन जी एस एस

300. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2015 से 2021 के मध्य कितने नवीन 33 केवी जीएसएस बनाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष 33 केवी जीएसएस पर नये ट्रांसफार्मर लगाये जाते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2019 से 2022 के मध्य कितने 33 केवी जीएसएस पर नवीन ट्रांसफार्मर लगाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने घोषणा की थी कि प्रदेश में किसानों को दिन के दो ब्लाक में बिजली उपलब्ध करवाई जावेगी? यदि हां, तो क्या जिला जयपुर के किसानों को दिन के दो ब्लाक में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2015 से 2021 के मध्य बनाये गये नये 33 केवी सब-स्टेशनों का वर्षवार व निगमवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वर्ष 2019 से वर्ष 2022 के मध्य 33 केवी सब-स्टेशनों पर लगाये नवीन ट्रांसफार्मरों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। बजट घोषणा 2020-21 में प्रदेश के किसानों को चरणबद्ध तरीके से विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण कर दिन के दो ब्लाक में कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है। जयपुर जिला द्वितीय चरण में सम्मिलित है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में जयपुर जिले में विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर है तथा माह अप्रैल, 2022 से दिन के दो ब्लाक में विद्युत आपूर्ति किया जाना लक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सोजत में किराये के भवनों में संचालित आयुर्वेद औषधालय

301. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती शोभा चौहान)

(1) वर्ष 2021-2022 में विभाग का कुल कितना वार्षिक बजट था? बजट मे वेतन एवं भत्ते के लिए कितनी राशि का प्रावधान था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में आयुर्वेद औषधालय किराये के भवनों में संचालित है? यदि हां, तो कितने? भवन रहित औषधालयों के लिए बजट 2021 में कितनी राशि प्रस्तावित थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में औषधालय नवनिर्मित भवनों में संचालित नहीं किए जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2021-2022 में आयुर्वेद विभाग का कुल बजट प्रावधान 107519.79 लाख है, जिसमें से वेतन एवं भत्तों पर राशि रु. 97157.95 लाख रुपये स्वीकृत है। वित्त वर्ष 2021-2022 में होम्योपैथिक विभाग का कुल बजट प्रावधान 4722.18 लाख है, जिसमें से वेतन एवं भत्तों पर राशि रु. 4542.00 लाख रुपये स्वीकृत है। वित्त वर्ष 2021-2022 में यूनानी विभाग का कुल बजट प्रावधान 3588.06 लाख है, जिसमें से वेतन एवं भत्तों पर राशि रु. 3539.00 लाख रुपये स्वीकृत है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सोजत में कोई भी आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय किराये के भवन में संचालित नहीं है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सालय/औषधालय सरकारी/दान में प्राप्त भवनों में संचालित हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसा कोई भी चिकित्सालय/औषधालय नहीं जो भवन निर्माण होने के पश्चात् भी उक्त भवन में संचालित नहीं हो रहा हो।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर में चिरंजीवी योजनान्तर्गत नि:शुल्क इलाज

289. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत नि:शुल्क इलाज किया जाता है? यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत क्या-क्या लाभ देय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार को जिला जयपुर में उक्त योजना के अंतर्गत नि:शुल्क इलाज नहीं करने वाले चिकित्सालयों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन चिकित्सालयों की तथा उक्त चिकित्सालयों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में दिनांक 01 मई, 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित है। योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों के मरीजों को नि:शुल्क इलाज का लाभ दिया जाता है। योजना में 25 स्पेशिलिटी के तहत 1597 पैकेज सम्मिलित है। प्रति परिवार प्रति पालिसी वर्ष साधारण बीमारी हेतु 50 हजार रुपये एवं गंभीर बीमारी हेतु 4.5 लाख रुपये तक का इलाज नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनमें एन.एफ.एस.ए. एवं एस.ई.सी.सी.-2011 में चयनित परिवार, सरकारी कार्यालयों में कार्यरत समस्त संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा कोविड महामारी में अनुदान प्राप्त परिवारों को नि:शुल्क तथा राज्य के शेष परिवारों (सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स को छोड़कर) को 850 रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार की दर से राशि जमा करवाये जाने पर सम्मिलित किया जाता है। राज्य में विभिन्न श्रेणी के 1.34 करोड़ परिवारों को योजना में सम्मिलित किया जा चुका है। योजना का लाभ राज्य में संचालित राजकीय चिकित्सालयों (मेडिकल कालेजों से संबद्ध चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, सैटेलाइट चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि) तथा निजी मेडिकल कालेज/ चिकित्सालय, केन्द्र सरकार के अधीन संचालित चिकित्सालय यथा रेलवे, ई.एस.आई. एम्स आदि में दिया जाता है।

(2) जी हां। योजनान्तर्गत पात्र मरीजों को नि:शुल्क इलाज नहीं देने

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

के संबंध में जयपुर जिले में योजना से संबद्ध 136 चिकित्सालयों की कुल 782 शिकायते कॉल सेन्टर/आनलाइन/सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त हुई हैं, जिनकी चिकित्सालयवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:-

शिकायतों का प्रकार/विषय	कुल प्राप्त शिकायतें	निस्तारित की संख्या
राशि लिये जाने के संबंध में	502	465
इलाज देने से मना करने संबंधी	163	161
पालिसी/तकनीकी/अन्य संबंधी	117	40
कुल	**782**	**666**

उपरोक्त 666 जो साधारण प्रकार की शिकायतें थीं, उनके लिये संबंधित चिकित्सालयों से तुरन्त वार्ता कर चिकित्सालय द्वारा वसूली गई राशि का उन्हीं चिकित्सालयों से पुनर्भरण करवा दिया गया। चिकित्सालयों द्वारा इलाज देने से मना करने वाले मरीजों को इलाज उपलब्ध करवाया गया तथा तकनीकी शिकायतों जैसे पालिसी दस्तावेज डाउनलोड नही होने/वॉलेट नहीं दिखने आदि के लिये तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा दी गई। जो शेष 116 शिकायतें रहीं उनमें मामला संदिग्ध होने पर (यथा डिस्चार्ज के पश्चात् वाद प्रस्तुत करना, भर्ती के समय मरीज द्वारा पालिसी दस्तावेज उपलब्ध नही होना या हास्पिटल द्वारा जबरदस्ती कागजात प्रपत्र-क पर हस्ताक्षर करवाना आदि) सभी शिकायतों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर (प्रथम/द्वितीय) को जांच कर निस्तारित करने हेतु भिजवाया गया है, जिनकी जांच पूर्ण होने पर एवं चिकित्सालयों के दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध योजना के प्रावधानों के अनुसार चिकित्सालय पर कार्यवाही की जायेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता का निर्धारण

290. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 436 दिनांक 28 अप्रैल, 2020 द्वारा जारी

(श्री बलजीत यादव)

की गई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (गैर अनुसूचित क्षेत्र) की नियुक्ति की सूची एवं आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश के बिंदु संख्या 18 में वर्णित शर्त के कारण कार्यमुक्त नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता किस दिनांक से निर्धारित की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 436 दिनांक 28 अप्रैल, 2020 द्वारा जारी की गई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के आदेश एवं अन्तिम चयन सूची की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 18 में वर्णित शर्त के कारण कार्यमुक्त नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण आदेश दिनांक 28.04.2020 को जारी मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

बस्सी में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन

291. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में चिकित्सा सेवाओं हेतु अस्पताल भवनों तथा चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के निवास हेतु आवास गृहों के कितने-कितने प्रस्ताव भेजे गये? उक्त में से कौन-कौनसा प्रस्ताव स्वीकार होकर भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी हुई हैं तथा कितने प्रस्ताव किस कारण से विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पीएचसी बड़वा, रोजवाडी तथा सांभरिया को सीएचसी में क्रमोन्नत करने तथा लालगढ़, भटेरी, काशीपुरा एवं रूपाहेडी में पीएचसी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं व किस-किस स्थान पर उक्त के भवन नहीं हैं या क्षतिग्रस्त

(श्री लक्ष्मण मीणा)

स्थिति में हैं? उक्त केन्द्रों में भवन कब तक बना दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में चिकित्सा सेवाओं हेतु 14 अस्पताल भवन, 10 चिकित्सा अधिकारी आवास, 12 नर्सिंग स्टाफ आवास एवं 1 वार्ड बाय आवास के निर्माण हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये हैं जिनमें से 6 अस्पताल भवन, 4 चिकित्सा अधिकारी आवास, 4 नर्सिंग स्टाफ आवास एवं 1 वार्ड बाय आवास के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है।

8 अस्पताल भवन, 6 चिकित्सा अधिकारी आवास एवं 8 नर्सिंग स्टाफ आवास के प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाये गये हैं।

विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़वा, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गई है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ग्राम रोजवाडी एवं सांभरिया पंचायत समिति तूंगा जिला जयपुर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्राम में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति तूंगा में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के विरुद्ध 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। इस प्रकार पंचायत समिति तूंगा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक सवास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ग्राम लालगढ़ पंचायत समिति बस्सी, ग्राम भटेरी, काशीपुरा पंचायत समिति तूंगा एवं ग्राम रूपाहेड़ी पंचायत समिति कोटखावदा जिला जयपुर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति कोटखावदा में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति कोटखावदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड के अनुसार

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्वीकृत होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति बस्सी एवं तूंगा में आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन की उपलब्धता, मरम्मत की आवश्यकता एवं नवनिर्माण/रिनोवेशन का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण एवं मरम्मत योग्य उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के रिनोवेशन कार्य पर आगामी वित्तीय वर्षो में भूमि, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट्स के स्वीकृत पद

292. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मेडिकल कालेज डूंगरपुर में एमबीबीएस जूनियर रेजिडेंट एवं सीनियर रेजिडेंट के कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पद भरे हुए हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों में से किस-किस वर्ग के लिये कितने-कितने पद आरक्षित हैं? भरे हुए पदों का नामवार व वर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मेडिकल कालेज, डूंगरपुर में एमबीबीएस जूनियर व सीनियर रेजिडेंट के पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
सीनियर रेजिडेन्ट	35	07	28
जूनियर रेजिडेन्ट	54	13	41

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

(2) रेजिडेन्ट के पद विषयवार व कार्यकाल आधारित (tenure base) स्वीकृत हैं, जिनमें तीन माह पूर्व भर्ती हुई थी। उस समय समस्त विभागों में तीन या तीन से कम पद थे इस कारण नियमानुसार कोई भी पद आरक्षित श्रेणी का नहीं बनता।

वर्तमान में भरे हुए पदों का नामवार, वर्गवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(3) आवश्यकतानुसार सीनियर रेजिडेन्ट एवं जूनियर रेजिडेन्ट की भर्ती लगातार प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैविक कृषि को प्रोत्साहन

293. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को जैविक विधि से कृषि उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के कितने किसानों ने जैविक विधि के माध्यम से फसल उत्पादन किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का क्रियान्वयन वर्ष 2015-16 से किया जा रहा है, जिसके तहत कृषकों को विभिन्न जैविक गतिविधियों यथा-भूमि का जैविक परिवर्तन, परम्परागत जैविक आदान इकाई का निर्माण, फसल पद्धति एवं जैविक बीज, वर्मीकम्पोस्ट इकाई का निर्माण, जैव उर्वरक/जैव कीटनाशी/वेस्ट डीकम्पोजर, फॉस्फेट रिच आर्गोनिक मैन्योर (प्रौम), कृषक प्रशिक्षण इत्यादि के क्रियान्वयन पर प्रति हैक्टेयर प्रथम वर्ष में 12,000/- रुपये, द्वितीय वर्ष में 10,000/- रुपये एवं तृतीय वर्ष में 9,000/- रुपये की अनुदान/सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना का संचालन वर्ष 2019-20 से राज्य मद से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत

(कृषि मंत्री)
कृषकों को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की विभिन्न गतिविधियों/तकनीकी की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु आमुखीकरण कार्यशाला, ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कराये जाते हैं एवं प्रशिक्षित कृषकों को जैविक आदान इकाई के निर्माण हेतु प्रति कृषक आदानों की कुल लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 800/- रुपये की सहायता/अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विगत 3 वर्षो में जैविक कृषि तथा जैविक विधि के माध्यम से फसल उत्पादन कर रहे कृषकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

रायपुर (सहाड़ा) में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना

294. श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय रायपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय रायपुर में सहायक निदेशक कार्यालय खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशानुसार एक जिले में अधिकतम दो ही कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में दो कृषि विज्ञान केन्द्र क्रमश: अगरपुरा चौराहा, सुवाणा-भीलवाड़ा एवं अरणिया घोड़ा, शाहपुरा-भीलवाड़ा स्थापित है। अत: वर्तमान में अन्य कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(2) क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नवीन कार्यालयों का सृजन किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय रायपुर क्षेत्र के कृषकों को कृषि संबंधी समस्त गतिविधियों का कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) भीलवाड़ा के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में

(तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री)
रायपुर मुख्यालय पर सहायक निदेशक कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डीडवाना में पशुओं का नि:शुल्क इलाज

295. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा योजना में कितने पशुओं का निःशुल्क इलाज किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय व पशु उप केन्द्र संचालित हैं तथा उक्त में कितने कार्मिक कार्यरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय एवं पशु उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण अब तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में मुख्यमंत्री नि:शुल्क पशु दवा योजना (पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना) में नि:शुल्क इलाज किये गये पशुओं का संख्यावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**इलाज किये गये पशुओं की संख्या**
1.	2019-20	2,67,346
2.	2020-21	1,93,672

(2) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थायें एवं कार्यरत कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:-

(पशुपालन मंत्री)

क्र. सं.	पशु चिकित्सा संस्था का प्रकार	संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिकों की संख्या
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	04	23	12
2.	पशु चिकित्सालय	13	48	16
3.	पशुधन आरोग्य चल इकाई	01	03	01
4.	पशु चिकित्सा उप केन्द्र	35	63	30
योग		**53**	**137**	**59**

(3) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में स्वीकृत 53 पशु चिकित्सा संस्थाओं में से 24 पशु चिकित्सा संस्थाएं राजकीय भवनों में संचालित हैं।

01 पशु चिकित्सा उप केन्द्र, बेरी खुर्द में वर्तमान में राजकीय भवन निर्माणाधीन है तथा 04 पशु चिकित्सा संस्थाओं हेतु वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं।

शेष 24 पशु चिकित्सा संस्थाओं में से 8 संस्थाओं के भू-स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं तथा 16 संस्थाओं के भू-स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होने शेष हैं।

जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार करवाये जाते हैं।

(4) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार करवाये जाते हैं।

संगरिया में गोताखोरों को मानदेय

296. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र संगरिया में इंदिरा गांधी नहर के गहरे व ठण्डे पानी में गिरे हुए इंसानों की लाश निकालने के लिए स्थानीय गोताखोरों की सेवा ली जाती है? क्या सरकार उक्त गोताखोरों को मानदेय देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

इंदिरा गांधी नहर के हनुमानगढ़ जिले से गुजरने के दौरान पशु, मवेशी, वाहन एवं इंसानों के शव निकालने के लिए स्थानीय गोताखोरों को उनकी सेवा के लिए पारिश्रमिक/मानदेय आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा रुपये 590/- प्रति सदस्य प्रति दिवस के हिसाब से भुगतान किया जाता है।

घाटोल में माही परियोजना से सिंचाई की योजना

297. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के तहत RMC/LMC माइनरों के माध्यम से सिंचाई के कार्य चल रहे हैं? क्या सरकार शेष जिले के बसे NON COMMAND व विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पीपलखूंट की 30 ग्राम पंचायतों एवं कुशलगढ़ को हाई लेवल कैनाल से पानी देने की योजना तथा माही परियोजना से सिंचाई कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बांसवाड़ा जिले में माही बांध के नॉन कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु विधान सभा क्षेत्र घाटोल में माही बांध से निकलने वाली खमेरा लघु सिंचाई परियोजना प्रथम से चतुर्थ, पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल तथा विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीदौरा में अपर हाई लेवल कैनाल के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत की गई है, जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

पिलानी में पेयजल की योजनाएं

298. श्री जे. पी. चन्देलिया (पिलानी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पिलानी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था किन-किन योजनाओं से किस प्रकार की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में पेयजल के गम्भीर संकट

(श्री जे. पी. चन्देलिया)

से निपटने के लिए विभाग ने क्या योजनाएं बनाई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिये सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनके माध्यम से कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पिलानी के पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित 02 कस्बों क्रमश: चिड़ावा एवं पिलानी में वर्तमान में की जा रही पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल सम्मिलित 132 आबाद राजस्व ग्रामों में से 17 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 114 ग्राम परम्परागत जल स्रोत (टी.एस.एस.) योजना तथा 01 ग्राम हैण्डपम्प जल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

उक्त ग्रामों में विभिन्न जल योजनाओं से की जा रही पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत इंदिरा गांधी मुख्य नहर को सतही जल स्रोत प्रस्तावित करते हुए झुन्झुनूं जिले के विधान सभा क्षेत्र पिलानी के उक्त 02 कस्बों एवं 132 ग्रामों सहित झुंझुनूं जिले के कुल 5 कस्बे एवं 269 ग्राम एवं 184 ढाणियां तथा सीकर जिले के 13 कस्बों, 864 ग्राम एवं 2672 ढाणियों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राशि रुपये 7649.38 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की गई थी। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की दिनांक 11.02.2021 को आयोजित 20वीं बैठक में उक्त परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व इसके तकनीकी अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

उक्तानुसार लिये गये निर्णय की अनुपालना में, उक्त परियोजना के सक्षम स्तर पर तकनीकी परीक्षण अंतर्गत पाई गई कमियों का निराकरण किया जाकर, राशि रुपये 8780.11 करोड़ की संशोधित परियोजना के प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही में वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(3) उपरोक्तानुसार राशि रुपये 8780.11 करोड़ की संशोधित परियोजना के प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही में

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा स्वीकृति उपरान्त इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा तथा कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आगामी ढाई से तीन वर्ष तक की अवधि में उक्त वर्णित कस्बों एवं ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जोधपुर में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पेयजल कनेक्शन

299. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पेयजल कनेक्शन जारी करने की कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? विधान सभा क्षेत्रवार कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में घर-घर नल कनेक्शन देने की योजना पर कार्य चल रहा है? यदि हां, तो अब तक कितने गांवों की योजना बनाई जा चुकी है एवं कितनों की विचाराधीन है तथा कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जोधपुर जिले के 1149 ग्रामों हेतु 14 वृहद् पेयजल परियोजनाओं एवं 651 ग्रामों हेतु 347 अन्य जल योजनाओं की स्वीकृति जारी की जाकर इन परियोजनाओं/ अन्य जल योजनाओं पर कार्ययोजना अनुरूप कार्य वर्तमान में किया जा रहा है।

उक्त स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं एवं अन्य जल योजनाओं की राशि, इनमें सम्मिलित ग्राम एवं इनकी पूर्णता का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सम्मिलित 419 आबाद राजस्व ग्रामों में उक्त मिशन के तहत घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत वृहद् पेयजल परियोजना एवं अन्य जल योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(अ) आर.डी. 134 देवानिया-नाथड़ाऊ-कनोडिया-54 मील-शेरगढ़-चाबा की राशि रुपये 330.92 करोड़ की स्वीकृत पेयजल परियोजना (कुल 280 ग्राम सम्मिलित) में उक्त विधान सभा क्षेत्र के 247 ग्राम सम्मिलित हैं। इस पेयजल परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त की गई निविदा सक्षम स्तर पर अनुमोदन की कार्यवाही में वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(ब) उक्त विधान सभा क्षेत्र के शेष 172 ग्रामों हेतु राशि रुपये 136.02 करोड़ की 89 अन्य जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

उक्त स्वीकृतियों के विरुद्ध 7 जल योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जाकर 11 ग्राम उक्त मिशन के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। 60 ग्रामों हेतु 37 जल योजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा 101 ग्रामों हेतु 45 जल योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इन जल योजनाओं संबंधी विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र, शेरगढ़ के समस्त 419 आबाद राजस्व ग्रामों हेतु उक्तानुसार वृहद् पेयजल परियोजना एवं अन्य जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है तथा कोई योजना स्वीकृति हेतु वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

विजयनगर (मसूदा) को चम्बल परियोजना से जोड़ने की योजना

300. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मसूदा के बिजयनगर को चम्बल परियोजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मसूदा के बिजयनगर कस्बे की वर्तमान कुल पेयजल मांग 4.50 मिलियन लीटर प्रतिदिन के विरुद्ध बीसलपुर बांध आधारित भिनाय-मसूदा फ्लोराइड नियंत्रण की द्वितीय चरण की परियोजना से कस्बे में 4.20 मिलियन लीटर प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति 90 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 48 घण्टे के अंतराल से वर्तमान में की जा रही है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त पेयजल परियोजना से बिजयनगर कस्बे में उक्तानुसार स्वच्छ पेयजल आपूर्ति किये जाने के कारण इस कस्बे को सतही जल स्रोत चम्बल नदी आधारित चम्बल-भीलवाड़ा वृहद् पेयजल परियोजना से जोड़ा जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचाराधीन नहीं है।

अजमेर में किसानों को कृषि ऋण

301. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में काश्तकारों को किन-किन संस्थाओं के माध्यम से कृषि ऋण दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला अजमेर में अजमेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ऋण दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि किसानों को दिया जाने वाला ऋण सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर नहीं कर व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार किसानों को दिये जाने वाले ऋण को सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने के आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में काश्तकारों को सहकारी संस्थाओं यथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, भूमि विकास बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण दिया जाता है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषि कार्यों हेतु सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत, केन्द्रीय सहकारी बैंकों से सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषकों को दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है।

(2) जी हां। अजमेर जिले में अजमेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है।

वर्ष 2020-21 में अजमेर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक एवं उससे सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा 71836 काश्तकारों को राशि रुपये 527.14 करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया।

(सहकारिता मंत्री)

(3) राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्‌वारा किसानों को दिया जाने वाला ऋण व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जाकर कृषक के बैंक खातें में हस्तांतरित किया जाता है एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्‌वारा ऋण रेखांकित चैक के माध्यम से वितरित किए जाते है।

(4) वर्तमान में राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्‌वारा किसानों को दिये जाने वाले ऋण उनके बैंक खातों में ही हस्तान्तरित किया जाता है एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्‌वारा ऋण रेखांकित चैक के माध्यम से वितरित किये जाते हैं।

सूरजगढ़ की क्रय-विक्रय सहकारी समिति का क्षतिग्रस्त भवन

302. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति सूरजगढ़ का भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत पर विगत पांच वर्ष में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षतिग्रस्त भवन की नये निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या?

(3) उक्त क्षतिग्रस्त भवन की कब-कब जांच कराई गई व जांच प्रतिवेदन के आधार पर क्या अनुशंसा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूरजगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति का भवन क्षतिग्रस्त है। उक्त क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत पर विगत 5 वर्षों में किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यय राशि
2016-17	1.50 लाख रु.
2017-18	निल
2018-19	निल
2019-20	निल
2020-21	निल

(सहकारिता मंत्री)

(2) क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के क्षतिग्रस्त भवनों के नये भवन निर्माण की कोई कार्ययोजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(3) सूरजगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति के क्षतिग्रस्त भवन के संबंध में कोई जांच नहीं करवाई गई है।

आहोर में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

303. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं? दुकानों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सुमेरगढ़ खेड़ा, बागुंदा दोनों गांवों में उचित मूल्य की दुकान नहीं होने से अन्यत्र जाना पड़ता है? यदि हां, तो उक्त गांवों में कब तक उचित मूल्य की दुकानें खोल दी जावेंगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में कुल 133 उचित मूल्य की दुकानें हैं। नाम सहित विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है

(2) सुमेरगढ़ खेड़ा में उचित मूल्य दुकान आबंटित कर दी गई है।

बागुंदा गांव मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 125 राशन कार्ड हैं जबकि विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं।

वन नेशन, वन राशनकार्ड योजना के तहत राज्य में पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रेवदर में नवीन राशन की दुकानें

304. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगसी राम)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गांव-ढाणियों में घनी आबादी होने के उपरांत कई किलोमीटर दूरी पर जाकर राशन सामग्री लेना पड़ रहा हैं? यदि हां, तो वर्तमान राशन सामग्री के अधिकृत विक्रेताओं के पास कहां से कितनी-कितनी दूरी से आना पड़ रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बीमार, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, अपाहिज, विधवा-विकलांग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर को लम्बी दूरी तय करने, कतार में खड़े रहने के पश्चात् राशन सामग्री मिल रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र का सर्वे करवाकर आवश्यकतानुसार राशन सामग्री वितरण हेतु नवीन राशन की दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रेवदर विधान सभा क्षेत्र की कुल 122 उचित मूल्य दुकानों में से 114 दुकान औसतन 0-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। शेष 08 उचित मूल्य दुकानों की दूरी 5 से 6 किलोमीटर है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकानदारों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है

(2) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान द्वारा बीमार, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, अपाहिज, विधवा-विकलांग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर लम्बी दूरी तय करने वाले पात्र लाभार्थी को राशन सामग्री मिलने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए दिनांक 05.01.2021 को नॉमिनी डिलीवरी के आदेश जारी किये गये हैं। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

साथ ही, वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य में पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

(3) विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र रेवदर में नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

खानपुर में खाद्य सामग्री की आपूर्ति

305. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर में ग्राम पंचायत गागरोन में डीलरों के माध्यम से खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि गागरोन ग्राम पंचायत में दर्रा अभयारण्य होने के कारण गांव कानपुरा दडिया व मशालपुरा के लोगों को गागरोन मुख्यालय में खाद्य सामग्री लेने आने में बड़ी परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा एक डीलर केवल कानपुरा दडिया एवं मशालपुरा के लोगों के लिए उन्हीं गांवों में नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि गागरोन ग्राम पंचायत मुख्यालय के ग्राम कानपुरा दडिया एवं मशालपुरा पहाड़ी क्षेत्र एवं दर्रा अभयारण्य के आरक्षित क्षेत्र में बसे होने से आवागमन हेतु पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को असुविधा होना सम्भव है परन्तु वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तहत राज्य में पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू है जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं।

ग्राम पंचायत गागरोन से ग्राम कानपुरा दडिया एवं मशालपुरा में नवीन राशन डीलर नियुक्त किये जाने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

डूंगरपुर में अल्पसंख्यक छात्रावास की स्थापना

306. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में संचालित मदरसा स्कूल के आधुनिकीकरण एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु अलग से बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास बनाने हेतु अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत ए-श्रेणी के मदरसों में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत, स्मार्ट क्लासेज, कम्प्यूटर व खेलकूद सामग्री आदि के तहत बजट प्रावधान है। अधिसूचित सभी 6 अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है।

श्री पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट, जोधपुर का चुनाव

307. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा श्री पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट जोधपुर में चुनाव कराने के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब? निर्देश पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण विगत दो वर्षों से निरन्तर विभागीय प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण के निस्तारण के लिये कौन-कौनसी सूचनाएं किस-किस अधिकारी के स्तर पर कब से लम्बित हैं व लम्बित रहने के क्या कारण

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

रहे तथा क्या सरकार अब उक्त चुनाव अविलम्ब करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। श्री पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट की शिकायतें प्राप्त होने पर सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर द्वारा दिनांक 05.12.2016, 18.02.2020 को कार्यवाहक अध्यक्ष को ट्रस्ट के विधान अनुसार चुनाव कराने के निर्देश दिये गये थे जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग जोधपुर द्वारा ट्रस्ट को नियमानुसार चुनाव कराने बाबत पत्र लिखे जाने के उपरान्त भी चुनाव नहीं कराने के कारण राजस्थान सार्वजनिक अधिनियम, 1959 की धारा 53 के तहत प्रबंधक समिति गठित करने हेतु कार्यवाही की गई। पूर्व में इस न्यास के विधान अनुसार चुनाव नहीं कराने की अनियमितता को देखते हुए शिकायतकर्ता श्री किशोर कुमार जोशी द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा-38 के तहत दावा दायर करने पर ट्रस्ट के विरुद्ध जिला न्यायालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु स्वीकृति दी गई थी। श्री किशोर कुमार जोशी द्वारा जिला न्यायालय, जोधपुर से मार्गदर्शन प्राप्त करने का दावा अभी तक सिविल न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है। ट्रस्ट पर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 धारा-53 के तहत प्रबंध समिति गठन करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) प्रकरण में राज्य सरकार स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में ग्रामीण बस सेवा से वंचित गांव

308. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारागढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कौन-कौन से गांव ग्रामीण परिवहन बस सेवा से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्रामीण परिवहन बस सेवा से वंचित उक्त गांवों को बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अधिकांश गांवों में संचालित परिवहन की बसों को विगत तीन साल के दौरान बंद किया

(श्री गोपाल लाल मीना)

गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त गांवों में परिवहन बस सेवा पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में निगम की वाहन सेवाओं से वंचित गांवों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के निगम सेवा से वंचित गांवों को निगम की बस सेवा से जोड़ने का फिलहाल विचार नहीं है।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत 3 साल के दौरान निगम द्वारा बंद की गई वाहन सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बन्द की गई परिवहन बस सेवा को पुन: संचालित किये जाने का फिलहाल विचार नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

भीलवाड़ा में राजस्थान लोक परिवहन बसों का संचालन

309. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा संचालित है? यदि हां, तो कितनी बसें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बसों में क्षमता से अधिक सवारियां यात्रा करती हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में ऐसी कितनी बसों के बस संचालकों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त बसों की गति सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, विगत तीन वर्षों में गति सीमा से अधिक चल रही बसों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त बसों से विगत दो वर्षों में उक्त जिले में कितनी दुर्घटनाएं हुईं व कितनी जान-माल की हानि हुई एवं कितने लोग प्रभावित हुए?

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा जिले में लोक परिवहन की जिले में पंजीकृत तथा अन्य जिलों में पंजीकृत 24 बसें निम्न मार्गों पर संचालित हैं:-

क्र.सं.	मार्ग का नाम	संचालित वाहनों की संख्या
1.	भीलवाड़ा से कोटा	5
2.	भीलवाड़ा से उदयपुर वाया चित्तौडगढ़ मार्ग	11
3.	भीलवाड़ा से प्रतापगढ़	2
4.	भीलवाड़ा से कानौड़	2
5.	भीलवाड़ा से नागौर	1
6.	भीलवाड़ा से उदयपुर वाया गंगापुर	3
योग		**24**

(2) उक्त बसों मे क्षमता से अधिक सवारियों के परिवहन की रोकथाम हेतु नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य किया जाता है। प्रवर्तन कार्य के दौरान उक्त बसों के क्षमता से अधिक सवारियां ढोने के साथ अन्य अपराधों के कुल 23 चालान बनाकर अब तक 82,500 रुपये प्रशमन राशि वसूल की गई। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	बनाये गये चालान	प्रशमन राशि
2019-20	7	35,000
2020-21	0	0
2021-22 (09.03.2022 तक)	16	47,500
योग	**23**	**82,500**

(3) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.04.2018 को अधिसूचना एस.ओ. 1522 (ई) जारी की गई, जिसमें वाहनों की अधिकतम गति सीमा का निर्धारण किया गया। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

इसके अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 8.1 में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर गति सीमाएं अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया है। जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

प्रश्नगत अवधि में लोक परिवहन बसों के विरुद्ध गति सीमा उल्लंघन संबंधी चालान नहीं किये गये हैं।

(4) उक्त बसों से विगत दो वर्षों में भीलवाड़ा जिले में एक (1) दुर्घटना हुई एवं इसमें एक (1) व्यक्ति की मृत्यु हुई ।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु किये गए प्रयास क्रमश: परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आसीन्द नगरपालिका में रोडवेज आगार की स्थापना

310. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की नगरपालिका क्षेत्र आसीन्द में रोडवेज आगार खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र से लम्बी दूरी की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ब्यावर से कोटा वाया माण्डलगढ़, भीलवाड़ा से अजमेर वाया आसीन्द, उदयपुर से जयपुर वाया भीम, कोटा से ब्यावर वाया आसीन्द, ब्यावर से कोटा वाया आसीन्द, आसीन्द से उदयपुर वाया भीम आसीन्द, जयपुर से सवाईभोज आसीन्द वाया ब्यावर, जोधपुर से आसीन्द वाया ब्यावर, आसीन्द से जोधपुर वाया ब्यावर मार्ग पर बसें संचालित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के नगरपालिका आसीन्द में निगम स्वामित्व की भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं निगम के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में रोडवेज डिपो खोलने का फिलहाल विचार नहीं है।

(2) वर्तमान में आसीन्द से जयपुर मार्ग पर निम्न समयानुसार बस सेवा संचालित है:-

क्र.सं.	मार्ग	समय सारणी	
		प्रस्थान समय	पहुंचने का समय
1	आसीन्द-जयपुर	07:00	12:55
2	जयपुर-आसीन्द	12:40	19:00

उपरोक्त के अतिरिक्त निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र आसीन्द से लम्बी दूरी की बसें संचालित करने का फिलहाल विचार नहीं है।

(3) निगम द्वारा उदयपुर से जयपुर वाया भीम मार्ग पर 09 बस सेवाओं एवं भीलवाड़ा से बदनोर वाया आसीन्द 01 बस सेवा का संचालन किया जा रहा है।

शेष प्रश्नगत मार्गों पर निगम के सीमित संसाधनों के कारण बसें संचालित करने का फिलहाल विचार नहीं है।

भीलवाड़ा में माडा योजनान्तर्गत संचालित छात्रावास

311. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में माडा योजना में किन-किन स्थानों पर अनुसूचित जनजाति के छात्रावास व राजकीय आवासीय छात्रावास संचालित हैं तथा उक्त में कितनी-कितनी छात्र क्षमता निर्धारित है व वर्तमान में उनमें कितने-कितने छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रहवास, कपड़े, भोजन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(3) क्या उक्त सुविधाओं का निरन्तर समुचित उपलब्धता का निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षो यथा: 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में कब-कब निरीक्षण किया गया? रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त सुविधाओं में संबंधित वार्डनों द्वारा किसी भी तरह की अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में माडा क्षेत्र अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के तीन छात्रावास संचालित हैं। छात्रावास का स्थान, प्रवेश क्षमता एवं वर्तमान लाभान्वित छात्र-छात्राओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	**पंचायत समिति**	**छात्रावास का नाम**	**वर्ग**	**छात्र/छात्रा क्षमता**	**छात्र/छात्रा प्रवेशित**
1	जहाजपुर	लुहारीकलां	बालक	90	43
2	बिजौलिया	श्यामपुरा	बालक	50	50
3	जहाजपुर	धौड	बालिका	50	46

(2) जी हां। यह सही है कि सभी छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रहवास, कपड़े और भोजन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रत्येक छात्रावासों में 2,500/- रु. प्रतिमाह प्रति छात्र-छात्रा की दर से निःशुल्क आवास, भोजन, पोशाक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। आश्रम छात्रावास में निवासरत जनजाति छात्र एवं छात्राओं को यूनिफार्म सिलाई, स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री की राशि छात्र एवं छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

(3) जी हां। जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरन्तर उपलब्धता का निरीक्षण समय-समय पर किया जाता है। गत तीन वर्षों में किए गए निरीक्षण विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	निरीक्षण कर्ता अधिकारी	निरीक्षण दिनांक
1.	आश्रम छात्रावास लुहारींकला	विकास अधिकारी, पंचायत समिति जहाजपुर, भीलवाड़ा	17.08.2019
2.	आश्रम छात्रावास लुहारींकला	श्री गोपाल लाल, सांख्यिकी अधिकारी एवं श्री ओमपाल निजी सहायक, टीएडी, जयपुर	08.01.2022
3.	आश्रम छात्रावास लुहारींकला	विकास अधिकारी, पंचायत समिति जहाजपुर, भीलवाड़ा	10.01.2022
4.	आश्रम छात्रावास श्यामपुरा	उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा	02.09.2019
5.	आश्रम छात्रावास श्यामपुरा	विकास अधिकारी, पंचायत समिति जहाजपुर, भीलवाड़ा	10.01.2022
6.	आश्रम छात्रावास धौड	स्वच्छ परियोजना के कर्मचारियों द्वारा	28.01.2020
7.	आश्रम छात्रावास धौड	परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना	30.01.2021
8.	आश्रम छात्रावास धौड	उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर, भीलवाड़ा	29.10.2021
9.	आश्रम छात्रावास धौड	श्री गोपाल लाल, सांख्यिकी अधिकारी एवं श्री ओमपाल निजी सहायक, टीएडी, जयपुर	08.01.2022
10.	आश्रम छात्रावास धौड	विकास अधिकारी, पंचायत समिति जहाजपुर, भीलवाड़ा	10.01.2022

(4) छात्रावास में दी जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में आश्रम छात्रावास लुहारीकंला के अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के सम्बन्ध में जिला परिषद् स्तर से विकास अधिकारी, पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। जांच रिपोर्ट के आधार पर छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में पाई गई कमियों के बारे में आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रानीवाड़ा में माडा योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य

312. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा से माडा योजना क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर को किस-किस ग्राम पंचायत से कौन-कौनसे कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? ग्राम पंचायतवार प्राप्त प्रस्तावों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र की जनजाति बहुल ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों में से सरकार द्वारा कितने कार्य स्वीकृत हुए? बकाया प्रस्तावों की क्या स्थिति है? स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण रहे व कब तक स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा माडा क्षेत्र अन्तर्गत नहीं होकर बिखरी क्षेत्र अन्तर्गत आता है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, कार्यालय जोधपुर को बिखरी क्षेत्र हेतु कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जालौर के पत्रांक 6814 दिनांक 11.02.2022 से प्रेषित किए गए प्रस्ताव बिखरी क्षेत्र हेतु 18 ग्राम पंचायतों के 2841.50 लाख रु. के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला परिषद् से विस्तृत तकमीने प्राप्त नहीं हुए, केवल कार्य के नाम एवं राशि अंकित की गई है। उपरोक्त 18 ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सीसी रोड, जीएलआर मय पाइप लाइन, सामुदायिक भवन, मिसिंग लिंक रोड, हैण्डपम्प कार्य, छात्रावास निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण, उप स्वास्थ्य केन्द्र आदि के प्रस्ताव हैं। बजट की उपलब्धता, कार्य की उपादेयता व क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्राथमिकता का निर्धारण कर उचित कार्यवाही की जाती है।

रानीवाड़ा मुख्यालय पर एक बालिका आश्रम छात्रावास (क्षमता 50) के निर्माण की अनुमानित लागत 280.00 लाख रु. में से राशि रुपये 140.00 लाख डीएमएफटी मद से एवं राशि रुपये 140.00 लाख टीएडी मद से प्रभारित किये जाने की सहमति उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति कार्यालय के पत्र क्रमांक 39362-77 दिनांक 27.12.2021 से जारी की गई। वर्तमान में

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

छात्रावास के भवन निर्माण हेतु उचित स्थल का चिन्हीकरण किया जा रहा है। चिन्हीकरण पश्चात् तकमीने तैयार कर वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

बूंदी शहर में अघोषित बिजली कटौती

313. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बूंदी में किसानों को किस समय व कितने घण्टे बिजली दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में विगत तीन वर्षों में सिंचाई करते हुए कितने किसानों की मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले के कई गांवों व बूंदी शहर में अघोषित बिजली कटौती व ट्रिपिंग की समस्या है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में किसानों को कृषि कार्य हेतु प्रतिदिन 6 घंटे दिन के 2 ब्लाक में यथा सुबह 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे एवं दोपहर 12:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) उक्त जिले में जनवरी, 2019 से फरवरी, 2022 तक सिंचाई करते हुए किसी भी किसान की विद्युत करंट से मौत नहीं हुई है।

(3) बूंदी जिले में शहरी क्षेत्रों में सामान्यता 24 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 से 24 घण्टे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में विद्युत की कोई कटौती नहीं की जा रही है। परन्तु यदा-कदा आंधी, तूफान, तेज बारिश अथवा तकनीकी कारणों से बाधित हुई विद्युत व्यवस्था को यथाशीघ्र दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल कर दी जाती है। साथ ही मरम्मत कार्य करवाने पर स्थानीय समाचार पत्र में विद्युत आपूर्ति बन्द रखने की सूचना प्रकाशित की जाती है।

लाडपुरा में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की योजना

314. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती कल्पना देवी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में विद्युत लाइनों का समय-समय पर उचित रखरखाव नहीं होने के कारण निरन्तर दुर्घटनाएं हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार आबादी क्षेत्रों में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक कितनी विद्युत दुर्घटनाएं हुई? उक्त दुर्घटनाओं में जान-माल की कितनी क्षति हुई है तथा कितनी-कितनी राशि का मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में समय-समय पर विद्युत लाइनों के जोखिम (हाई रिस्क) बिन्दुओं को चिह्नित कर विद्युत लाइनों का उचित रखरखाव किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

आबादी क्षेत्रों की विद्युत लाइनों को जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा अपने खर्चे पर भूमिगत करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

यद्यपि किसी विद्युत लाइन के सुरक्षा की दृष्टि से मानव जीवन अथवा सम्पत्ति के लिये घातक होने पर आवेदक/संस्था/स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन करने पर लाइन को शिफ्ट किये जाने पर होने वाले खर्चे का 50 प्रतिशत आवेदक/संस्था/स्थानीय निकाय द्वारा वहन करने एवं शेष 50 प्रतिशत वितरण निगम द्वारा वहन कर लाइन को शिफ्ट किये जाने का प्रावधान है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य 16 घातक व 10 अघातक, कुल 26 विद्युत दुर्घटनाएं हुई है, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। उक्त हादसों में मृतक प्रकरणों में से 01 प्रकरण में कुल 5 लाख रुपये का मुआवजा निगम द्वारा दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज में बिजली के बिलों में छूट

315. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरिया

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

समुदाय के लोग गरीबी के कारण रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं? क्या सरकार पलायन के कारण बिजली के बिलों में छूट देने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बिजली के बिल अधिक होने के कारण गरीब व्यक्तियों के कनेक्शन कट जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बिलों में शिथिलता देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पलायन के कारण बिजली बिलों में छूट दिये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्य के टीएसपी एवं सहरिया क्षेत्र के बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग किये जाने पर नि:शुल्क विद्युत (ऊर्जा प्रभार, स्थाई शुल्क एवं विद्युत कर- शून्य) उपलब्ध करवाई जा रही है।

साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत प्रति माह 100 यूनिट तक उपभोग किये जाने पर 50 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने, 51 से 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने पर तीन रुपये प्रति यूनिट का अनुदान एवं 151 से 300 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को दो रुपये प्रति यूनिट अनुदान देने की घोषणा की गई है।

(2) विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत आपूर्ति कोड की अनुपालना में निगम द्वारा जारी विद्युत आपूर्ति की शर्तें एवं निबन्धन के प्रावधानानुसार यदि कोई व्यक्ति विद्युत आपूर्ति के प्रभारों या बकाया किसी अन्य राशि के भुगतान की उपेक्षा करता है, तो बिल भुगतान की नियत तिथि के पश्चात् निगम द्वारा कम से कम 15 दिवस का लिखित नोटिस देकर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने का प्रावधान है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार 300 यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत देने के लिये बजट वर्ष 2022-23 में घोषणा की गई है।

बामनवास में संचालित आयुर्वेदिक औषधालय

316. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितने आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त औषधालयों में से कितने औषधालय, राजकीय भवनों में तथा कितने निजी भवनों में कब से संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आयुर्वेदिक औषधालयों में किस-किस श्रेणी के कितने पद कब से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बामनवास जिला सवाई माधोपुर में 23 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में आयुर्वेद विभागार्न्गत संचालित 23 औषधालयों में से 14 विभागीय/दान में प्राप्त, 01 सीएचसी, 07 अन्य सरकारी भवन एवं 01 अन्य निजी भवन (नि:शुल्क) में संचालित है। औषधालयवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(3) उक्त औषधालयों में नर्स/कम्पाउण्डर के 04 एवं परिचारक के 07 पद रिक्त हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

रिक्त पदों को निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर भरे जाने हैं-

नर्स/कम्पाउण्डर- 704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

परिचारक रिक्त पदों पर संविदा एजेन्सी के माध्यम से सेवाएं लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

छत्रपुरा के राजकीय आई टी आई भवन की रिक्त भूमि पर खेल मैदान

317. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राजकीय आईटीआई भवन छत्रपुरा के पीछे रिक्त भूमि पर बाग, खेल के मैदान इत्यादि के रूप में योजना बनाकर विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजकीय आईटीआई बिल्डिंग छत्रपुरा के पीछे रिक्त पड़ी जमीन नगर विकास न्यास, कोटा के खाते में दर्ज होने के कारण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटा को उक्त भूमि का आबंटन नहीं है। (परिशिष्ट-01)

इस संबंध में सचिव नगर विकास न्यास कोटा से उक्त के संबंध में जानकारी चाहने पर सचिव नगर विकास न्यास कोटा ने अपने पत्रांक एफ-9/ अ.अ. IV/ 21-22/ 2089 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि "राजकीय आईटीआई बिल्डिंग छत्रपुरा के पीछे रिक्त पड़ी जमीन की जंगल सफाई नगर विकास न्यास कोटा द्वारा करायी गई है। जंगल सफाई के पश्चात् भूमि की उपलब्धता के लिए टोटल स्टेशन सर्वे कराया जा रहा है। स्थान की उपलब्धता तथा नगर विकास न्यास कोटा की वित्तीय स्थिति के अनुसार उच्च स्तर पर विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया जा सकेगा।" (परिशिष्ट-02)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट 01

मांग संख्या 42 - उद्योग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42 - उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र (रीको) विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री मालिकों द्वारा बाउन्सर से मजदूरों पर हमला कराने तथा तत्संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

3. भादरा में औद्योगिक क्षेत्र (रीको क्षेत्र) का उन्नयन व विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

4. विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील उच्चैन के गहलऊ में रीको स्टोन उद्योग खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

5. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

6. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में छोटे-छोटे लघु उद्योग खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

7. प्रदेश में पुराने व नये लगने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिये।
8. प्रदेश में लगने वाले वृहद् उद्योगों के विकास में सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग उसी क्षेत्र में करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

9. जयपुर के बाइस गोदाम, सुदर्शनपुरा एवं करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र

घनी आबादी में स्थित होने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

10. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

11. प्रदेश में नये उद्योग लगाने में बैंकों द्वारा ऋण देने में आने वाली समस्याओं के निस्तारण एवं ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण करवाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. प्रदेश में नये लघु उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अतिरिक्त छूट देकर रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
13. विधान सभा क्षेत्र कपासन के रीको एरिया उपरेड़ा, तहसील राशमी तथा आकोला तहसील भोपालसागर के विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
14. कपासन में रीको एरिया के भू-खण्डों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाकर भू-खण्डों को नीलाम करने के संबंध में चर्चा के लिये।
15. सोनीयाना तहसील गंगरार में 15 वर्षों से स्वीकृत रीको एरिया का विकास करने पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

16. उदयपुर में इन्डस्ट्रीयल एरिया की रेजीडेन्सी कालोनी में साफ-सफाई और अन्य सुविधा नहीं मिलने से इस कालोनी को उदयपुर नगर निगम को स्थानान्तरित करने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
17. उदयपुर इन्डस्ट्रीयल एरिया में जल प्रदूषण की नियमित जांच करवाई जाने व इसे रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।
18. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कलड़वास रीको एरिया में केमीकल प्लान्ट नहीं लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।
19. प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आबंटन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटे के आरक्षण में सामान्य श्रेणी की महिला को सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए लघु उद्योग स्थापित कर रोजगार प्रदान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

21. बाड़मेर में तेल एवं खनिज उत्खनन क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय के पास बान्दरा में औद्योगिक जोन स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

22. बाड़मेर शहर के रीको क्षेत्र के विस्तार पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

23 विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में नागरिकों के पलायन को रोकने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

24. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में रीको एरिया में नये औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

25. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में जनजाति क्षेत्र में अधिक से अधिक लघु उद्योग एवं गढ़ी मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

26. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में औद्योगिक श्रमिकों के उपचार करने के लिए ई.एस.आई. हास्पिटल का भवन बनवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

27. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम छितौली में रीको का औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

28. बाड़मेर जिले के प्रमुख रिफाइनरी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए छोटे-छोटे उद्योगों के नामों को लेकर उत्पन्न स्थिति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. सिवाना क्षेत्र के मोकलसर (मायलावास) में निर्धारित रीको परिक्षेत्र के खाली भूखण्डों पर उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सिवाना से निकलने वाली भारत माला प्रोजेक्ट सिक्स लाइन सड़क पर रीको क्षेत्र निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. मोकलसर और मापलावास (सिवाना) में मटके निर्मित करने वाले लघु उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. बालोतरा, जोधपुर एवं पाली के उद्योगों से निकलने वाले गंदे एवं प्रदूषित पानी को किसानों के खेत-खलिहानों एवं कृषि कुंओं तक जाने से रोकने के संबंध में विभागीय पहल करने की चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

33. बाड़मेर के चौहटन व सेडवा में उद्योग इकाइयों को विकसित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

34. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में नये उद्योग खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

35. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए विशेष नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श):

38. प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

39. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में चल रहे हस्तशिल्प, कुटीर, प्रिन्ट, कांच, चूड़ी आदि उद्योगों को अनुदान राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में संचालित लकड़ी कारीगरी, कांच, मसाले, आचार, शहद, तेन्दू पत्ते एवं बांस का सामान आदि उद्योगों को अनुदान व बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सलूम्बर, सराड़ा एवं सेमारी में रीको की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सलूम्बर में रीको एरिया को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

43. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

44. मावली तथा फतहनगर में उप जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र मावली में बेरोजगार युवाओं के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र मावली में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

47. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के मूर्ति उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में रीको का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने तथा औद्योगिक क्षेत्र बामनवास हेतु जमीन आबंटित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

49. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की तहसील आंधी में रीको की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हु ड़ला (महवा):

50. विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत हिंगोरा, मण्डावर एवं खेडला बुजुर्ग में औद्योगिक क्षेत्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

51. प्रदेश में नये स्थापित होने वाले उद्योगों की स्वीकृतियों में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों के पदों पर अनुसूचित जातियों

एवं अनुसूचित जनजातियों के वर्गों के व्यक्तियों को नियमानुसार नियोजित करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

52. जिला अजमेर में 35 वर्ष पूर्व रीको द्वारा बसाये गये औद्योगिक क्षेत्र गेगल में पीने का पानी उपलब्ध करवाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. सरकार द्वारा रीको इण्डस्ट्री एरिया में स्थित कामर्शियल भूमियों पर कर वसूलने एवं रीको द्वारा भी सर्विस चार्ज वसूले जाने से उद्यमियों पर हो रही कर वसूली की दोहरी मार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. पालरा औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने हेतु वहां पर 132 केवी जी.एस.एस. बनाये जाने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

55. चूरू जिला मुख्यालय के औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें टूटी-फूटी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. प्रदेश में ग्वार गम उद्योग को विशेष अनुदान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. चूरू जिला मुख्यालय में रीको के नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. चूरू जिले में जिला उद्योग केन्द्र में विभिन्न योजनाओं में बड़ी संख्याओं में लम्बित आवेदन पत्र के संबंध में चर्चा के लिये।

59. चूरू जिले के रतननगर नगरपालिका क्षेत्र में रीको का औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

60. पीलीबंगा, रावतसर व गोलूवाला में नया रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

61. प्रदेश में नये उद्योग स्थापित करते समय युवा बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

62. ग्राम पंचायत सरसिया, पीपलुन्द, रावतखेड़ा तथा धौड़ में उद्योगों को

बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध भूमि में से उद्योग हेतु भूमि आरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर में उद्योग स्थापित करने एवं इनमें स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. उपखण्ड मुख्यालय मोटड़ी में उद्योग स्थापित करने व स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

65. अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र को दिल्ली-मुंबई हाईवे से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

66. केशोरायपाटन शुगर मिल की हिस्से राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

67. प्रदेश में नये उद्योग लगाने की नीति के संबंध में चर्चा के लिये।

68. प्रदेश में उद्योगों पर लगाये गये सेस (उपकर) के संबंध में चर्चा के लिये।

69. कोटा शहर में उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. कोटा-बूंदी में बंद पड़े उद्योगों को चालू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

71. वर्ष 2022-2023 की बजट घोषणा में विधान सभा क्षेत्र आहोर में रीको द्वारा चिह्नित औद्योगिक क्षेत्र के स्थान को बदलने के संबंध में चर्चा के लिये।

72. जालौर में ग्रेनाइट उद्योग के विकास के लिए सड़क बनाने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

73. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्थापित उद्योगों में 75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के गांव रायपुर व रानोठ में नये उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र मुण्डार के नीमराना व गिलोठ में उद्योगों से फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना व गिलोठ में स्थापित उद्योगों में पेट्रो कैमिकल पदार्थों से भरे ट्रकों का परिवहन पूर्ण मापदण्ड से न होने व विभागीय अधिकारियों द्वारा इसकी जांच नहीं किये जाने से स्थानीय आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

78. रीको औद्योगिक क्षेत्र बस्सी एवं हीरावाला (कानोता) में मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) तथा दौसा के मध्य विकसित किये जाने वाले रीको औद्योगिक क्षेत्र की अग्रेतर कार्ययोजना बनाये जाने एवं प्रगति के संबंध में चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र बस्सी-जयपुर के तूंगा के रीको औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर उद्योग लगवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र बस्सी एवं हीरावाला कानोता के पास ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

82. घड़साना औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. घड़साना औद्योगिक क्षेत्र जिला गंगानगर के द्वितीय चरण में रिक्त भूखण्डों को आबंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. रावला औद्योगिक क्षेत्र जिला गंगानगर के प्रथम एवं द्वितीय चरण के भूखण्डों का आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. रावला औद्योगिक क्षेत्र जिला गंगानगर के प्रथम व द्वितीय चरण की नवीन सड़कें बनवाने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. गंगानगर जिले के सी.एस.आर. (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) में निवेश फण्ड को सी.एस.आर. समिति द्वारा लिये गये निर्णय उपरान्त भी उपयोग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

87. रायपुर मुख्यालय पर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ (सेज) बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. सरदारसमंद में प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ (सेज) को शीघ्र शुरू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. सोजत उपखण्ड मुख्यालय पर उद्योग सेवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

90. सिरोही उद्योग विभाग के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

91. रीको औद्योगिक क्षेत्र आबूरोड में अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. रीको औद्योगिक क्षेत्र सिरोही में अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. रीको औद्योगिक क्षेत्र शिवगंज में अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. शिवगंज तहसील के बड़गांव रीको क्षेत्र में विकास कार्य ठप होने तथा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आबंटित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

95. बजट वर्ष 2021 में कठूमर में औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा होने के बावजूद भी अभी तक औद्योगिक क्षेत्र को चालू नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

96. कठूमर में स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट आबंटन प्रक्रिया शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

97. विधान सभा क्षेत्र आमेर में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र आमेर में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु आमेर शहर में हैण्डीक्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र आमेर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटक उद्योगों, लघु उद्योगों व घरेलू उद्योगों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. प्रदेश में एकल खिड़की योजना लागू होने के बावजूद भी उद्यमियों के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र आमेर में रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु नये उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

102. प्रदेश में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए रीको द्वारा तहसील एवं जिला स्तर पर लैंड बैंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. प्रदेश में रीको की भूखण्ड आबंटन नीति के संबंध में चर्चा के लिये।

104. प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को रीकों की पुरानी आबंटन नीति के अनुसार ही नयी आबंटन नीति में भी भूखण्ड निर्धारित दर की 50 प्रतिशत रियायती दर पर ही भूखण्ड आबंटित किये जाने का प्रावधान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र दूदू के कार्यक्षेत्र में स्थापित रीको औद्योगिक क्षेत्र बिचून (दूदू), कुंजबिहारीपुरा (फागी) एवं देवनगर (फागी) को तत्काल प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

106. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में चतुर्थ चरण सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु आवश्यक बजट का आबंटन कर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. बालोतरा के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु योजना बनाकर चरणबद्ध कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. बाड़मेर-जैसलमेर में सीमेन्ट आदि के उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

109. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह में रीको औद्योगिक क्षेत्र में विकास हेतु बजट आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में संचालित रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा के क्षेत्र को विस्तारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायत लाम्बा हरिसिंह में पंचायत मुख्यालय पर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

112. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम फतहपुरा में रीको औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के रीको औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा के ग्राम कानरपुरा, घिनोई आदि में विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. रीको औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा में अपशिष्ट पदार्थ खुले में डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के जैतपुरा, कालाडेरा, मण्डा-भिण्डा आदि में रीको द्वारा आबंटित भूखण्डों में निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं करने वाले आबंटियों के आबंटन निरस्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

116. प्रदेश में उद्योगों के संचालन हेतु जिला प्रशासन, उद्योग विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पर्यावरण विभाग) का आपस में समन्वय स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

117. प्रदेश में उद्योगों के संचालन हेतु एकल खिड़की योजना को सुदृढ़ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. प्रदेश में संचालित विभिन्न उद्योगों हेतु बिजली की दर कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में संचालित स्टोन कटिंग तथा पोलिश इकाइयों को स्लरी निस्तारण हेतु स्लरी डम्पिंग यार्ड उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

120. विधान सभा क्षेत्र नोहर के औद्योगिक क्षेत्र नोहर में पानी की निकासी, सड़कों का निर्माण, पुरानी पेयजल आपूर्ति की पाइप लाइन बदलने एवं रोड लाइटें ठीक करवाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र नोहर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. चूरू जिले के रतनगढ़ रीको क्षेत्र में से सरदारशहर-रतनगढ़ रूपान्तरित रेलवे ट्रेक से प्रभावित उद्यमियों को आबंटित भूखण्डों पर रेलवे रीको को आपसी सीमा विवाद के कारण उन उद्यमियों को विवाद रहित भूखण्ड आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. चूरू जिले के बीदासर रीको क्षेत्र के 132 केवी हाईटेंशन लाइन से प्रभावित उद्यामियों को नवीन भूखण्ड आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

124. राज्य के शहरी एवं ग्रामीण हस्तशिल्प एवं हस्तकारों को विपणन हेतु मंच उपलब्ध करवाए जाने हेतु विभागीय पहल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में मिट्टी की मूर्ति-कला, टेराकोटा एवं ब्ल्यूपोट्री के विकास की संभावनाओं पर सर्वे करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के दस्तकारों के समूह विकास के लिए कन्सोंटियम का विकास एवं तकनीकी कौशल प्रशिक्षण डिजायन विकास एवं विपणन सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने एवं औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के बुहाना उपखण्ड क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री रीटा चौधरी (झुंझुनूं):

129. झुंझुनूं के मलसीसर में घोषित रीको औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

130. कोटा जिले के कृषि प्रधान क्षेत्र इटावा एवं सुल्तानपुर में गेहूं, चना, सरसों, धनियां, लहसुन, उड़द एवं सोयाबीन आदि कृषि आधारित उद्योगों का विकास नहीं करने में विभागीय विफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्यों में बरती जा रही विभागीय उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों के आबंटन एवं उद्योग विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के प्रति किये जा रहे असहयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि प्राप्त करने में विभाग द्वारा बरती जा रही उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. कोटा जिला में कारपोरेट सामाजिक दायित्वों के अन्तर्गत संचालित वृहद् उद्योगों द्वारा विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कार्य करवाये जाने में की जा रही उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

135. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष सुविधाएं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं को नये उद्योग लगाने हेतु विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं को पूर्व की भांति रीको औद्योगिक क्षेत्र में आरक्षण के अनुसार भूखण्ड आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में बजट घोषणा में घोषित रीको औद्योगिक क्षेत्र खण्डार एवं चौथ का बरवाड़ा को शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में पर्यटन इकाइयों को विकसित करने हेतु विशेष पैकेज एवं रियायतें देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

140. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रीको एरिया खोडा-गणेश, पालरा, गेगल, रूपनगढ़, किशनगढ़, परबतपुरा-संदरिया में सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा व अन्य सुविधा विकसित करने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रीको एरिया गेगल, पालरा, रूपनगढ़ आदि में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में फूलों, आंवलों व कपड़ों के बढ़ते कारोबार को देखते हुए स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

144. कोटा के भीमपुरा औद्योगिक क्षेत्र को रीको में स्थानान्तरित कर सुविधाओं का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

145. केन्द्र की तर्ज पर प्रदेश के कोटा में मेगा फूड पार्क की स्थापना करने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

146. प्रदेश में छोटे एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

147. प्रदेश में संचालित उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को ही अधिकतम रोजगार दिये जाने में प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में रीको की स्थापना करने एवं युवाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें नये लघु उद्योग स्थापित करने हेतु अनुदान प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. प्रदेश के उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों, मजदूरों, अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रतिमाह स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. प्रदेश में पिछले तीन वर्षो से अधिक समय से उद्योगों में कार्यरत मजदूरों, कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतनमान में प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि करने व उनका बीमा करवाये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

151. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के नीमराना और गिलोठ के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के संबंध में चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कुतीना, कायसा, जखराना व मांढण में नये रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

153. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में राजसमंद जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में लाभान्वित इकाइयों एवं ब्याज अनुदान भुगतान पर चर्चा के लिये।

154. प्रदेश में स्थानीय उद्योगों में स्थानीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

155. उदयपुर सम्भाग के प्रत्येक जिलों में आयोजित निवेश सम्मेलनों में उद्योगों के लिये प्राप्त निवेश प्रस्ताव एवं उनके क्रियान्वयन की स्थिति तथा पूर्व में प्राप्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. राजस्थान में विद्युत दरें अधिक होने एवं अन्य कारणों से उद्योगों के अन्यत्र पलायन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. राजस्थान में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास नीति एवं प्रयासों पर तथा राजसमंद जिले में रुग्ण इकाइयों की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

158. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अजमेर जिले में स्वीकृत प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करते हुए आवेदकों को शीघ्र ऋण वितरण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. अजमेर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में पूर्व में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में खाली पड़े भूखण्डों की आबंटन प्रक्रिया पुन: प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. अजमेर सहित प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते बंद होने के कगार पर खड़े लघु उद्योगों को आर्थिक सम्बल देने के उद्देश्य से विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. अजमेर स्थित गेगल औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल सहित सम्पूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में रोजगार हेतु स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने संबंधी नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

163. विधान सभा क्षेत्र नोखा के नोखा शहर से रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया तक रोड के बीच में डिवाइडर बनाकर उस पर रोड लाइट्स लगाने एवं रीको एरिया नोखा में सड़क बनाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. रीको एरिया नोखा में एसबीआई बैंक का एटीएम लगाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. नोखा रीको एरिया में सीवरेज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति एवं सफाई व्यवस्था सुचारु करवाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. नोखा रीको एरिया में बिजली की अघोषित एवं अत्यधिक कटौती के संबंध में चर्चा के लिये।

167. करणी इण्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर में रीको को सीईटीपी स्थापित करने हेतु निर्देशित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

168. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल औद्योगिक

क्षेत्रों में जर्जर सड़कों का नवीनीकरण कराने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल औद्योगिक क्षेत्रों में रोड लाइटें खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में वसूल किये जा रहे सर्विस चार्ज को कम करने के संबंध में चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर):

173. श्रीगंगानगर में किन्नू प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

174. राजसमन्द के नाथद्वारा तहसील के बिलोता गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

175. उदयपुर में स्थापित उद्योगों से पानी एवं हवा में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

176. पर्यटन उद्योग के विस्तार हेतु विशिष्ट योजना बनाकर उदयपुर के पर्यटन उद्योग व्यवसाय को बढ़ाने हेतु प्रयत्न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

177. उदयपुर सम्भाग में नये औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने और युवाओं को कम मूल्य पर उद्योग लगाने हेतु औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

178. उदयपुर का प्रारम्भिक (फेज-1) मादडी इण्डस्ट्रीयल एरिया में जमीन लेकर उद्योग स्थापित नहीं किये गये उन खाली जमीनों को अन्य उद्योगों के लिये आबंटित करके के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

179. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सरकारी भूमि पर रंगाई छपाई उद्योग

एवं कपड़े सिलाई आदि के लिये रियायती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध करवाने हेतु चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में मानसरोवर रीको से लगती हुई झालाना चौड़ कालोनी में रीको के कारण अभी तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में लगी हुई रंगाई छपाई व सिलाई सहित अन्य चालू फैक्ट्रियों को उद्योग का दर्जा देने व उक्त प्लॉट को इण्डस्ट्रीयल का दर्जा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

182. प्रदेश में रीको द्वारा आबंटित भूखण्डों पर आर्थिक मंदी के कारण घाटे में चल रही फैक्ट्रियों की जमीन व भवन को आवासीय/कामर्शियल उपयोग की स्वत: अनुमति के संबंध में चर्चा के लिये।

183. सांगानेर, सीतापुरा व मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया में रीको द्वारा सड़क, सीवरेज, सफाई, लाइट सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

184. किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित रीको उप इकाई कार्यालय को इकाई कार्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

185. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण की अधिकतम राशि एक करोड़ करने से ब्याज पर अनुदान नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम काचरिया की एक मात्र चरागाह भूमि में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. रूपनगढ़ (जिला अजमेर) के औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण को रीको में हस्तान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

188. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उपखण्ड मुख्यालय रियां बड़ी पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रीको औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के क्षेत्रवासियों को लघु उद्योग खोलने के लिए सरकारी सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के रीको औद्योगिक क्षेत्र मेड़ता सिटी में विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में जे.के. व्हाइट सीमेन्ट फैक्ट्री प्लांट व बिरला व्हाइट सीमेन्ट फैक्ट्री होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

192. प्रदेश में बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनने हेतु स्वयं के उद्योग लगाने के लिये सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में औद्योगिक संवर्द्धन केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 02

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 11 - विविध सामाजिक सेवाएं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में दुलचासर से बासी महियान गोगाजी महाराज मंदिर तक सड़क निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में मुन्नी बाबा मंदिर से लोडेरा तक सड़क निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में सूडसर से गोगाजी महाराज मंदिर तक सड़क निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में पुनरासर से समंदसर हनुमानजी के धाम तक सड़क निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. प्रदेश में देवस्थान की जमीनें व सम्पत्तियों के मालिक देवता के नाम से ही होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

6. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के गोतमेश्वर महोदव मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए रोपवे लगाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. प्रतापगढ़ में प्राचीन देवालय गुप्तेश्वर महादेव, दिपेश्वर महादेव (दिपनाथ) तथा गोतमेश्वर महादेव के विकास के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा):

8. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के कारोई में स्थित बालाजी मंदिर को देवस्थान विभाग द्वारा अधिग्रहण किये जाने की विभागीय पहल कर विकसित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

9. देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले मंदिरों के पुजारियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति नियमित वेतन श्रृंखला एवं भत्तों का लाभ देने तथा भगवान के भोग के लिए आर्थिक अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. सरकारी नियंत्रण के अधीन प्रदेश के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

11. जिला बाड़मेर में महात्मा ईश्वरदास के पौनोरमा हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. जिला बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र में सुईया धाम के विकास हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

13. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के मन्दिरों को पैराणिक स्थलों से जोड़कर पर्यटक हब बनाये जाने हेतु विभागीय पहल करने तथा अरधुना हनुमान मंदिर की 100 मीटर प्रतिबंधित जमीन पर निर्माण रोकने हेतु चर्चा के लिए।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर):

14. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के अति प्राचीन देव सोमनाथ मंदिर में धर्मशाला एवं गार्डन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में देवस्थान विभाग के अधीन विजवा माता मंदिर में दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु धर्मशाला का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

16. विधान सभा क्षेत्र सिवाना का प्रसिद्ध मंदिर मिनी माउन्ट हलदेश्वर महादेव मंदिर को देवस्थान विभाग में सम्मिलित किये जाने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. प्रदेश में देवस्थान विभाग के मंदिरों के पुजारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के

प्रबन्धन एवं विकास के लिए विभागीय योजनाओं को सार्वजनिक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. प्रदेश से बाहर स्थित देवस्थान विभाग की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के देवस्थान विभाग के अधीन मठों एवं मंदिरों में बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था करने तथा विशेष कार्ययोजना के लिए विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

21. राजस्थान एवं गुजरात प्रदेश में विख्यात सुन्धा माता मंदिर को स्टेट हाईवे 31-ए से फोरलेन सड़क तक जोड़ने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. प्रदेश में मंदिर डोली भूमियों पर पुजारियों को ऋण देने की सुविधा एवं कृषि कुओं हेतु विद्युत कनेक्शन के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

23 विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सुईयाधाम के विकास एवं श्री डूंगरपुरी जी मठ के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

24. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के प्रमुख धार्मिक स्थल बूटाटी धाम व पौ. धाम आकेली बी में सुविधाओं का विस्तार करने एवं करूणामूर्ति आश्रम मादवासी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

25. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के प्राचीन मन्दिरों के जीर्णोद्धार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

26. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा एवं सेमारी आदि में स्थित मंदिरों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के देवस्थान विभाग के क्षतिग्रस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. प्रदेश में देवस्थान मंदिरों के पुजारियों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के देवस्थान विभाग के अधीन बहुत अधिक जमीन को राजस्व विभाग को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. प्रदेश के देवस्थान मंदिरों व धार्मिक संस्थाओं को नकद अनुदान राशि का समय पर भुगतान कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

31. प्रदेश के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. प्रदेश के देवस्थान विभाग के पुजारियों का मानदेय बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. प्रदेश के मंदिरों में भोग-राग व पूजा सामग्री समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. प्रदेश के मंदिरों के नाम हुई भूमि की सुरक्षा हेतु चारदीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

35. प्रदेश के देवस्थान विभाग में पंजीकृत मंदिरों के रख-रखाव हेतु बजट आबंटन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

36. प्रदेश में देवस्थान विभाग द्वारा संचालित मंदिरों में पुजारियों को मानदेय नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. प्रदेश में देवस्थान विभाग के नाम पंजीकृत मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

38. प्रदेश में देवस्थान के नाम पंजीकृत मंदिरों का वर्षों से भौतिक सत्यापन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

39. चूरू में देवस्थान विभाग के नाम पंजीकृत सम्पत्ति पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

40. विधान सभा क्षेत्र आहोर में धानेरी वीर मामाजी मंदिर तक डामरीकरण कर सड़क निर्माण करवाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

41. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

42. प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित देवस्थान विभाग की परिसम्पत्तियों के प्रबंधन पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में देवस्थान विभाग की मंदिर माफी की जमीनों एवं भवनों से प्राप्त आय के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

44. गंगानगर जिले में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा सिन्धु दर्शन योजना एवं मोक्ष कलश योजना के लिए आबंटित राशि का उपयोग नहीं किये जाने से विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. जिला नागौर के ग्राम गोठ मांगलोद, तहसील जायल में स्थित 1600 वर्ष पुराने दधिमति माताजी के ऐतिहासिक मन्दिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. गंगानगर जिले में देवस्थान विभाग के अधीन आवासीय व व्यावसायिक भवनों की किराया जमा राशि का समय पर जमा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

47. बीकानेर के करणी माता मन्दिर देशनोक में चढ़ावे एवं दान में प्राप्त राशि का भौतिक सत्यापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. प्रदेश के देवस्थान के अधीन मन्दिरों की सम्पदा वर्तमान सामग्री एवं बहुमूल्य आभूषणों आदि का इन्वेंटरी रजिस्टर में दर्ज की सार्वजनिक प्रकाशन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

49. जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा देवस्थान बोर्ड, सिरोही की जांच कर भेजी गई रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

50. प्रदेश में देवस्थान विभाग के अधीन राज्य के बाहर स्थित परिसम्पत्तियों की देखभाल व प्रभावी मॉनिटरिंग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. प्रदेश में देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन एवं पूजा अर्चना हेतु अनुदान/मानदेय बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही कर जमीन मदिरों के नाम कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. प्रदेश में देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. प्रदेश में देवस्थान विभाग के अधीन राजकीय प्रन्यास श्रेणी के मंदिरों में रिक्त प्रबन्धक, पुजारी एवं सेवागीरों के पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

55. प्रदेश में देवस्थान विभाग के विभिन्न मंदिरों में कार्यरत पुजारियों एवं अन्य पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. प्रदेश के देवस्थान विभाग की राज्य एवं राज्य से बाहर स्थित परिसम्पत्तियों के संरक्षण हेतु नीति बनाकर उनसे राजस्व प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. प्रदेश में देवस्थान विभाग के मंदिरों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी सेवारत पुजारियों की सामाजिक सुरक्षा हेतु योजना बनाकर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में देवस्थान विभाग के मंदिरों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु क्षतिग्रस्त धरोहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

59. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में देवस्थान विभाग के अधीन स्थलों पर आमजन के लिये रसोई घर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विभाग के अधीन देवस्थानों पर आश्रय स्थल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विभाग के अधीन देवस्थानों पर शौचालय/चैंजिंग रूम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विभाग के देवस्थानों में श्रद्धालुओं के उपयोगार्थ पानी के कुण्डों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विभाग के अधीन देवस्थानों तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण करवाये जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

64. विधान सभा क्षेत्र आहोर में स्थित मेवासानाल मंदिर, सूरज कुण्ड, सारवाली माताजी मंदिर (हरजी), वाल्दि महादेव जी मंदिर (हरजी) आदि देवस्थानों को सड़कों से जोड़ने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र आहोर स्थित सारवाली माताजी (हरजी), सूरज कुण्ड (मालगढ़), मामाजी मंदिर (शंखपाल), मामाजी मंदिर (भोरडा) आदि देवस्थानों पर विधायक मद से विद्युत कनेक्शन के संबंध में राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृति हेतु विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

66. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की टोडारायसिंह नगरपालिका क्षेत्र में स्थित

किलेश्वर महादेव मंदिर एवं छत्रेश्वर महादेव मंदिर के विकास हेतु बजट आबंटन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के पंचायत मुख्यालय लाम्बा हरिसिंह किले में स्थित माताजी मंदिर एवं पंचायत मुख्यालय सिन्धोलिया में सिन्धोलिया माताजी मंदिर के विकास हेतु आवश्यक राशि स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में श्री कल्याण जी महाराज मंदिर डिग्गी के शेष रहे विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के नगरपालिका क्षेत्र मालपुरा में स्थित जिन कुशल सूरी दादाबाड़ी मालपुरा के विकास हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

70. ग्राम टीपरी चम्बल (कोटा) स्थित केवर समाज के जीर्ण-शीर्ण अवस्थाग्रस्त मंदिर की मरम्मत में विभाग द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिए।

71. काली सिंध एवं चम्बल नदी के संगम स्थल पर प्राचीन समेला शिव मंदिर की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. ककरावदा (इटावा), जिला कोटा स्थित प्राचीन श्री चमलेश्वर महादेव मंदिर की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तकमीना तैयार कर प्रस्तुत करने के बावजूद कार्य स्वीकृति में किये जा रहे विलम्ब पर चर्चा के लिए।

73. कोटा (पाटन पोल) स्थित मथुराधीश मंदिर के निजी स्वामित्व वाले ट्रस्ट द्वारा मंदिर की चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण में बरती जा रही अनियमितताओं तथा खातेदारी की भूमि को बाजार दर से कम दर पर जुआरा काश्त पर जुटाने बाबत आवश्यक कार्यवाही की जाने में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के प्रसिद्ध धार्मिक समाधि स्थल रामौला (नलावता) के विकास तथा संरक्षण की कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

75. प्रदेश में देवस्थान विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियां निकाले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

76. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सभी मंदिरों पर यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा का प्रबन्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में स्थित मंदिरों/डोली की जमीन से अतिक्रमण हटवाकर उन्हें पुन: मंदिर के नाम दर्ज करने के संबंध में चर्चा के लिए।

78. उदयपुर ग्रामीण में स्थित सभी मंदिरों को अनुदान देकर उनका सौन्दर्यीकरण कर उन्हें विकसित करने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

79. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित सभी मंदिरों को अनुदान देकर उनका सौन्दर्यीकरण कर उन्हें विकसित करने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में ऐतिहासिक मकरमंडी माताजी मंदिर, निमाज, मीरा फोर्ट कुडकी, गिरी-सुमेल रणस्थली जैसे धार्मिक स्थानों को पक्की सड़क निर्माण कार्य से जोड़ने व उन्हें विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों के खातेदारी अधिकार पुन: पुजारियों के नाम करने व उन्हें कब्जा सुपुर्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित मंदिरों/डोली की जमीन से अतिक्रमण हटाकर उन्हें पुन: मंदिरों के नाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र जैतारण का ऐतिहासिक बाबा रामदेवजी का मंदिर (छोटा रूणेचा) जो ग्राम बिरारिया खुर्द में स्थित है, को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

84. जिला नागौर की तहसील-जायल के ग्राम गोठ मांगलोद स्थित अति प्राचीन मां दधिमति माताजी मंदिर का जीर्णोद्धार एवं पिल्लरों, दीवारों, बरामदों आदि की टूट-फूट की मरम्मत नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

85. ग्राम-गोठ मांगलोद, तहसील-जायल, जिला-नागौर में स्थित पुराना दधिमती माताजी के ऐतिहासिक मंदिर का वर्ष 2004 में अधिग्रहण के उपरांत भी मंदिर क्षेत्र को पूर्णरूप से विकसित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

86. नाथद्वारा मंदिर मण्डल द्वारा सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार पर व्यय नहीं किए जाने एवं मंदिर कोष एवं सम्पदा का उपयोग पंथ निरपेक्ष कार्यों पर किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

87. उदयपुर संभाग के मंदिर श्री चारभुजा जी, गढ़बोर एवं रूपनारायण जी सेवंत्री के लिए स्वीकृत धनराशि से कार्यकारी अधिकरण को पूर्ण राशि आबंटित नहीं करने एवं स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति की स्थिति पर चर्चा के लिए।

88. राजसमंद जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रानुसार देवस्थान विभाग द्वारा सहायता प्राप्त मंदिरों की स्थिति, उन्हें दी जा रही सहायता राशि और मंदिरों के भौतिक संरचना के विकास के लिए राजकीय सहायता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. राजसमंद जिले की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रानुसार वेतन एवं मानदेय प्राप्त करने वाले पुजारियों की संख्या, पुजारियों को वेतन एवं मानदेय की प्रतिमाह देय राशि एवं सेवानिवृत्त लाभों के संबंध में चर्चा के लिए।

90. प्रदेश में पुण्यार्थ न्यासों के पंजीयन प्रक्रिया में सरलीकरण और पंजीयन शुल्क में कटौती पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मंजु देवी (जायल):

91. जिला नागौर की तहसील जायल के ग्राम गोठ मांगलोद में स्थित

1600 वर्ष पुराने ऐतिहासिक दधिमति माताजी मंदिर के वर्ष 2004 में देवस्थान विभाग द्वारा अधिग्रहण हो जाने के पश्चात् भी अभी तक विकसित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

92. प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर देवस्थान विभाग की सम्पत्तियों पर हो रहे कब्जों को हटाए जाने एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. प्रदेश में देवस्थान विभाग के मंदिरों में पुजारी एवं सेवागीरों के सात साल पूर्व आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर अजमेर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. अजमेर सहित पूरे प्रदेश के मंदिरों में आए दिन हो रही चोरी, लूटपाट इत्यादि घटनाओं पर लगाम लगाने एवं मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने हेतु विभागीय सजगता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. अजमेर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में स्थित प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96 देवस्थान विभाग के अधीनस्थ मंदिरों के पुजारियों को भी अन्य कर्मचारियों की भांति पेंशन का लाभ दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

97. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के प्रसिद्ध केशोराय भगवान मंदिर का विकास कराने तथा डूंगरगढ़ माता जी मंदिर पर रोप-वे निर्माण हेतु विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

98. प्रदेश में देवस्थान विभाग की भूमि पर हजारों खदानें, खदान मालिकों द्वारा संचालित की जा रही है की आय से भी देवस्थान को हिस्सा राशि दिलाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. प्रदेश में देवस्थान विभाग की सम्पत्तियों का वर्ष में एक बार भी सत्यापन नहीं होने एवं अनेकों सम्पत्तियों पर लोगों का अधिकृत अधिकार होने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. प्रदेश में देवस्थान के अधीन कई स्थल पर्यटकीय होने से यहां

दर्शनार्थियों की सुरक्षा व सुविधाएं बढ़ाये जाने हेतु विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. प्रदेश के देवस्थान विभाग के सभी श्रेणियों के मंदिर के पुजारियों का वेतन बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. प्रदेश में विभाग द्वारा अपनी सम्पत्तियों के किराये का निर्धारण समय-समय पर किया जाकर आमदनी बढ़ाने तथा इसकी पालना सख्ती से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़) :

103. प्रदेश के प्रमुख मंदिरों का सौन्दर्यकरण करते हुए उक्त स्थानों पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

104. विधान सभा क्षेत्र नोखा के मंदिर सैंगल धोरा, पांचू तथा विश्वत माता मंदिर को हिंयादेसर सड़क से जोड़ने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र नोखा के मंदिर सैंगल धोरा, पांचू का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र नोखा के मंदिर सैंगल धोरा पांचू में विभागीय पहल द्वारा जल जीवन मिशन के तहत नई स्कीम बनाकर पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

107. प्रदेश से बाहर स्थित देवस्थान की सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र नोखा के सभी मंदिरों को मुख्य सड़क से जोड़ने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

109. विधान सभा क्षेत्र नदबई के प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिरों को देवस्थान विभाग में पंजीकरण करवाकर इनमें विकास कार्य हेतु आवश्यक बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित विभाग के अधीन संचालित मन्दिरों के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

111. केशवराय मंदिर व जैन मन्दिर केशोरायपाटन (बूंदी) पर दर्शनार्थियों के आवागमन हेतु चम्बल नदी पर लक्ष्मण झूला या पुल निर्माण करवाये जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. केशोरायपाटन में स्थित केशवराय भगवान मंदिर के नीचे चम्बल पर रिवर फ्रन्ट विकसित करने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. कोटा व बून्दी जिलों में स्थित विभाग के मंदिरों पर विगत दस वर्षों में देवस्थान विभाग द्वारा कराये गये विकास कार्यों पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

114. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में स्थित भक्त शिरोमणी मीरा बाई के मंदिर एवं आस-पास के क्षेत्रों के विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के विभिन्न देवस्थानों व मंदिरों तक पहुंच मार्ग सड़कों का डामरीकरण या सी.सी. सड़कें बनाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के भंवाल माता मंदिर, छवड़ी बाबा का स्थान गांव बड़गांव, छोगाराम जी का स्थान, गांव बासनी सेजा, महादेव जी का मंदिर, गांव डांगावास, खेड़ाधनी मंदिर इन्दावड़ एवं शीतला माता जी मंदिर के विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के प्राचीन काल के मंदिरों को चिह्नित कर उनका जीर्णोद्धार व विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।